UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193 ISSN 0974-0074

राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा

(National Refereed Journal of Social Sciences)

वर्ष 21 अंक 2
जुलाई–दिसम्बर, 2019

समाज विज्ञान विकास संस्थान
बरेली (उ.प्र.)

इस अंक में

1. सरदार बल्लभभाई पटेल और भारतीय विभाजन : एक ऐतिहासिक विश्लेषण 1–5
डॉ0 गिरीश चन्द्र पाण्डेय

2. महिला सशक्तीकरण और पंचायती राज 6–13
डॉ0 जितेन्द्र कुमार पाण्डेय

3. हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान में समाचार पत्रों की भूमिका 14–19
कुलदीप सिंह

4. विवाह के लिए मानव तस्करी –एक वैयक्तिक अध्ययन 20–26
डॉ0 रन्जू राठौर

5. पिछड़ी एवं दलित जाति के किशोरों की व्यक्तित्व आवश्यकताओं का अध्ययन 27–30
डॉ. राजेन्द्र सिंह

6. बच्चों व महिलाओं का अनैतिक व्यापार : मानवाधिकार पर प्रहार 31–37
डॉ. प्रीती द्विवेदी

7. शिमला के बहु–सांस्कृतिक प्रवासियों के सन्दर्भ में समाचार पत्रों का व्यवहारः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 38–43
वेद प्रकाश सिंह

8. स्वतंत्रयोत्तर भारत में ग्रामीण दलित महिलाओं की प्रस्थितिः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण 44–51
रामवृक्ष द्विवेदी

9. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा एक अध्ययन 52–59
भरत उपाध्याय
डॉ आराधना सेठी

10. हिन्दी सिनेमा में कश्मीर का चित्रण 60–68
राहुल कुमार

11. गौतम बुद्ध पुस्तकालय, बी.बी.ए.यू., लखनऊ में डिजिटल सेवाओं और सुविधाओं के साथ उपयोगकर्ताओं की संतुष्टिः एक अध्ययन 69–75
रश्मि गंगवार
डॉ. शिल्पी वर्मा

12. मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य स्थितिः एक तुलनात्मक अध्ययन 76–83
गुलाब देवी
डॉ. शिल्पी वर्मा

13. सहरिया जनजाति एवं उनके निवास संबंधी तीज त्योहारों एवं मेलों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 84–91
मनीष त्यागी
14. प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जाति की बालिकाओं के विद्यालय में अनुपस्थिति के कारणः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 92–98
रश्मि सिंह
15. भारतीय राष्ट्रवाद का नया 'गुरूकुल' फेसबुकः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 99–104
विशाल शर्मा
16. गांधी का सर्वोदय दर्शन : समसामयिक उपादेयता 105–111
वन्दना
17. समाज कार्य हस्तक्षेप द्वारा बैगा जनजाति में विकास की संभावनाएँ 112–119
डॉ. कृष्ण कुमार तिवारी
18. भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में लोकायुक्त संगठन की भूमिका 120–124
रामचन्द्र जमरा
डॉ. सरोज बिल्लौरे
19. ताला उद्योग श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि 125–129
डॉ. कृतिका सिंह
20. बहुआयामी प्रतिभा के धनी दिल्ली के हजरत अमीर खुसरौ 130–135
डॉ. जीशान इस्लाम

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

सरदार बल्लभभाई पटेल और भारतीय विभाजन : एक ऐतिहासिक विश्लेषण

❑ डॉ0 गिरीश चन्द्र पाण्डेय

भारत विभाजन एक दुःखद प्रसंग था जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव आजतक देखने को मिलता है। भारत का विभाजन क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ तथा भारत के कांग्रेसी नेता इसे स्वीकार करने को क्यों तैयार हो गये? यह यक्ष प्रश्न आज भी हमारे सामने उपस्थित है। सरदार पटेल ने विभाजन के पक्ष में तर्क देते हुये कहा था कि कांग्रेस अहिंसा में विश्वास करती है, वह हिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती। हिंसक संघर्षो में मजबूत संगठन के अभाव में हिंदुओं को नुकसान होगा क्योंकि हिन्दू स्वभाव से ही उदारवादी होते हैं। प्रस्तुत आलेख में साम्प्रदायिक स्थिति के बिगड़ने के कारणों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुये अंतिम दो वर्षों में कांग्रेसी नेताओं खासकर पटेल, जिन्हें अखण्ड भारत का समर्थक माना जाता था, के मानस को समझने की कोशिश की गई है।

भारत का विभाजन 20वी शताब्दी की महानतम घटनाओं में से एक है। विभाजन माउण्टबेटन योजना के अनुसार हुआ था। उन्होनें अपनी योजना के लिये सरदार बल्लभ भाई पटेल पं0 जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गॉधी और जिन्ना के साथ अन्य तमाम लोगों से विचार–विमर्श करके और उनकी सहमति लेकर 3 जून, 1947 को घोषणा की, कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आयेगें।

भारत विभाजन अत्यंत दुखद प्रसंग था जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव आज तक देखने को मिलता है। भारत का विभाजन क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ तथा भारत के कांग्रेसी नेता इसे स्वीकार करने को आखिर क्यों तैयार हो गये? यह यक्ष प्रश्न आज भी हमारे सामने उपस्थित है।

1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद अंग्रेज सरकार ने 1909 ई0 के मारले–मिण्टो सुधारों में ''फूट डालो और राज करो'' की नीति अपनाते हुए हिन्दुओं और मुसलमानों के लिये अलग–अलग प्रतिनिधियों के चुनाव की व्यवस्था की। इस व्यवस्था ने विभाजन के बीज को विकसित कर पौधा बना दिया तथा कांग्रेस और लीग के सम्बंधों में कटुता पैदा कर दी।

1933 ई0 में जिन्ना अपने चार वर्षों के विदेश प्रवास के बाद वापस भारत आये और 1934 ई0 में केन्द्रीय असेम्बली में चुन लिये गये। जिन्ना का आगमन देश विभाजन की दिशा में एक विशेष घटना थी। अपने विदेश प्रवास के दौरान जिन्ना में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका था और अब वह कांग्रेस का पिछलग्गू बनने के स्थान पर मुस्लिम लीग के पुनरूद्धार के माध्यम से भारत की राजनीति में अपना स्थान बनाना चाहते थे। इस दौरान मुस्लिम लीग ने अपनी पहचान कांग्रेस–विरोधी के रूप में कायम कर ली थी। जिन्ना लीग के अध्यक्ष चुने गये और लम्बे समय तक अध्यक्ष बने रहे।

1937 ई0 प्रांतीय चुनावों में मुसलमानों का बहुमत मुस्लिम लीग के साथ नहीं गया। मुस्लिम लीग को कुछ सीटें संयुक्त प्रांत में मिलीं वह भी जमीअत–उल–उलेमा के समर्थन के कारण। लोगों ने मुस्लिम लीग को यह सोचकर समर्थन दिया था कि चुनावों के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर काम करेंगे।[1]

चौधरी खलीकुज्जमाँ और नवाब इस्माइल खान संयुक्त प्रांत में लीग के नेता थे जो सरकार में भागीदारी चाहते थे। जवाहर लाल नेहरू मुस्लिम लीग के एक सदस्य को मंत्री बनाने के लिये तैयार थे लेकिन लीग चौधरी खलीकुज्जमाँ और नवाब इस्माइल खान, दोनों को मंत्री बनाना चाहती थी। मुस्लिम लीग ने कहा यदि इन दोनों को मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं किया गया तो वह सरकार में शामिल नहीं होगी। सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग के बिना मंत्रिमण्डल बनाने का समर्थन किया। मुस्लिम लीग की मांग के समर्थन में मौलाना आजाद ने कहा कि ''यदि यह मांग मान ली जाती तो व्यवहारिक रूप से मुस्लिम लीग पार्टी, कांग्रेस में लीन हो जाती।''[2] 1937 के चुनाव के बाद बनी कांग्रेस सरकारों को पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सम्बोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि ''प्रांतो में सरकार निर्माण के बाद हिन्दू–मुस्लिम एकता की प्राचीन परम्परा को पुनःस्थापित करने का यह एक अच्छा मौका

❑ असोशिएट प्रोफेसर इतिहास, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर (बिहार)

है।"[3]

जिन्ना ने मंत्रिमण्डल में लीग को न शामिल करने के मुद्दे को अलग राष्ट्र के मुद्दे से जोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लीग का प्रयोग अपने साम्राज्य को बचाने के लिये किया तथा उसे अलग राज्य की मांग को तीव्र करने के लिये प्रेरित किया।

सितम्बर, 1939 में छिड़े द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय ने बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप प्रांतों की कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसम्बर, 1939 को 'मुक्ति दिवस' मनाया। भारतमंत्री जेटलैण्ड और वायसराय लिनलिथगो ने अपने वक्तव्यों से मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया। जेटलैण्ड ने अपने वक्तव्य में "कांग्रेस को हिन्दू संगठन घोषित किया और मुस्लिम लीग को मुस्लिमों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था माना।"[4]

पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के नाते सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग के भ्रामक और मिथ्या प्रचार का खण्डन करते हुए कहा "मुक्ति दिवस की योजना केवल इसलिये की गयी है कि तमाम दुनिया खासकर अंग्रेज लोग यह देख लें कि भारतीयों ने एकता का पूर्ण अभाव है और हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के सख्त विरोधी हैं।"[5] सरदार पटेल ने तर्क दिया कि "कांग्रेस के मंत्रीगण हटाये नहीं गये हैं अपितु सैद्धांतिक मतभेद के कारण त्याणपत्र दिये हैं। यदि हम चाहते तो मुक्ति दिवस के दिन फिर मंत्रिमण्डल की स्थापना कर सकते थे लेकिन यह कांग्रेस के सिद्धांत का सवाल था इसलिये हमने वैसा किया जैसा मतदाताओं से वादा किया था कि यदि हम अपने देशवासियों के हितों की रक्षा नहीं कर पायेंगे तो अपने पदों से उसी समय हट जायेंगे।"[6]

मुस्लिम लीग ने 1940 के प्रस्तावित व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन सहित प्रत्येक मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध किया और मुसलमानों से अपील की कि वे कांग्रेस के कार्यक्रम से दूर रहें। गाँधी की तमाम सद्भावनाओं का प्रत्युत्तर देते हुए जिन्ना ने जून, 1942 में लुई फिशर को लिखा "होमरूल सोसायटी के दिनों में गाँधी और नेहरू ने मेरे अधीन कार्य किया।"[7] जिन्ना ने पत्र में आगे महात्मा गाँधी को हिन्दू-मुस्लिम एकता का शत्रु बताते हुए लिखा "जब मैं कांग्रेस का सदस्य था तो मेरा उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम एकता था जिसे गाँधी नहीं चाहते थे इसलिये मुझे अप्रसन्नता हुई।"[8]

सरदार पटेल गाँधी जी द्वारा लीग और जिन्ना को आवश्यकता से अधिक महत्व दिये जाने से खुश नहीं थे। अनेक बार उन्होनें लीग और जिन्ना की खुशामदी के विरूद्ध चेतावनी दी थी। इसी क्रम में वह मौलाना आजाद, जो लीग के साथ सहानुभूति रखते थे, को भी सचेत करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थिति की चर्चा करते हुए सरदार ने कहा कि वह आखिर चाहती क्या है? बार बार कांग्रेस ने यही कोशिश की कि दोनों दलों में समझौता हो जाये पर हर बार जिन्ना साहब ने हमें झांसे ही दिये। कांग्रेस ने समझौता की खातिर अपने पुराने और आदरणीय नेता पं0 मदन मोहन मालवीय तक की बात टाल दी। मुस्लिम लीग हमेशा हमारे प्रस्तावों को ठुकराती रही। पटेल ने स्पष्ट किया कि "कांग्रेस यह कभी स्वीकार नहीं करेगी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था है।"[9]

1944 ई0 में राजगोपालचारी ने एक फार्मूला रखा जिसे राजगोपालचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। कैबिनेट मिशन ने भारत विभाजन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और 21 सितम्बर, 1946 को नेहरू के नेतृत्व मे अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव किया। प्रारम्भ में लीग मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं हुई, बाद में 15 अक्टूबर, 1946 को लीग मंत्रीमण्डल में शामिल हो गयी।

परन्तु लीग यह सिद्ध करना चाहती थी कि दोनों समुदायों में कोई समझदारी नहीं विकसित हो सकी है। अतः उसने 16 अगस्त, 1946 को "सीधी कार्यवाही" का आह्वान करते हुए देश के उन क्षेत्रों को साम्प्रदायिक दंगों की आग मे झोंकने का कार्य किया जो लीग द्वारा प्रस्तुत पाकिस्तान के दावे पर असर डालने वाले थे। ये क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी सीमाप्रांत। सांप्रदायिक दंगो की शुरूआत पूर्वी बंगाल से हुई। बंगाल में सुहरावर्दी की सरकार थी जिसने शहीद अर्थात इस्लाम पर अपने को न्योछावर करने वाला घोषित किया गया। सुहरावर्दी की लीगी सरकार ने 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया तथा मुसलमानों की एक भरी सभा में खुल्लमखुल्ला दंगा करने की प्रेरणा दी। चार दिनों तक कलकत्ते में गुण्डों का आतंक रहा। फिरोज खान नून ने एक सभा में कहा कि "मुसलमान ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि नेता लोग चंगेज खान और हलाकू खान के हत्याकाण्डों को भूल जायेंगे।"[10] कलकत्ते की नालियों में खून बहने लगा। पुलिस एवं प्रशासन मूक दर्शक बने रहे। इन दंगो में कम से कम 4000 लोग मारे गये और हजारों घायल हुए। करोड़ों की सम्पत्ति लूट ली गयी अथवा जला दी गयी।[11]

इसकी प्रतिक्रिया समूचे देश मे हुई खासकर बिहार जल उठा। पूर्वी बंगाल के नोआखाली में दंगे होने लगे जहाँ स्वयं महात्मा गाँधी शांति स्थापना के लिये गये। सितम्बर, 1946 के बाद बिहार में दंगे होने लगे और नोवाखाली का बदला लेने के लिये 26 अक्टूबर को छपरा, पटना और भागलपुर में व्यापक रूप में दंगा हुआ। बम्बई, अलीगढ़, सिलहट, क्वेटा, आरा तथा दिल्ली में भी दंगे हुए। बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद तथा ढाका में दंगे हुए। इन दंगों में प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। इन क्षेत्रों में दंगों की संभावना की आशंका सरदार पटेल ने कैबिनेट मिशन से की थी ''यदि मुस्लिम लीग के साथ समझौता नहीं होता है तो बंगाल और सिन्ध में साम्प्रदायिक दंगों की काफी संभावना है।''[12] सरदार पटेल की आशंका पर क्रिप्स ने कहा – ''आपको बंगाल का भय नहीं रखना चाहिये क्योंकि वहाँ पर हमारे ऐसे गवर्नर हैं जो गंभीर उत्पात खड़ा होने पर तत्काल सेक्शन 93 लागू कर देंगे।''[13]

परन्तु जब उत्पात सचमुच खड़ा हुआ तो कोई कदम नहीं उठाया गया और सरदार के अनुसार वह इन सारी घटनाओं के समय दार्जिलिंग में विश्राम करते रहे। बंगाल दंगे के उपरांत देश के तमाम भागों में छिटपुट दंगे होने लगे।

नेहरू मंत्रिमण्डल के सदस्य गजनफर अली ने 2 दिसम्बर, 1946 ई0 को कराची की एक चुनावी सभा में कहा कि ''मुस्लिम लीग अंदर से सीधी कार्यवाही करने के लिये ही मंत्रिमण्डल में शामिल हुई है। मुझे अंतरिम सरकार में स्थान मिला। अब केवल दो ही मार्ग हैं या तो कांग्रेस झुकेगी या मारकाट के लिये तैयार रहे।''[14]

जनवरी, 1947 के प्रारम्भ में मुस्लिम लीग ने आसाम में जबदस्ती जमीनों पर अधिकार करने के लिये मुसलमानों के दल भेजना प्रारम्भ किया। हजारा में उपद्रव हो गया। प्रांतीय सरकार ने जब इन गैरकानूनी अधिकार रखनेवालों को बेदखल करना शुरू कर दिया तो मुस्लिम लीग ने सत्याग्रह करने की घोषणा की।

बिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून, 1948 तक भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा के बाद लीग ने साम्प्रदायिक स्थिति को तेजी से बिगाड़ने का कार्य किया। उसे यह विश्वास हो गया कि वह जितने अधिक से अधिक प्रांतों को अपने प्रभाव में ले लेगी, उन सब का अधिकार अंग्रेज उन्हें सौंप देंगे। बंगाल और सिन्ध पर तो उसका नियंत्रण था ही, अतः अब सीमा प्रांत तथा पंजाब में नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनाई जहाँ पर क्रमशः खान साहब का कांग्रेसी मंत्रिमण्डल और खिज्र हयात खान का सर्वदलीय यूनियनिस्ट मंत्रिमण्डल था।

सीमा प्रांत में कांग्रेस और खुदाई खिदमतगारों के विरूद्ध उन्हें बदनाम करने का आंदोलन चलाया गया। वहाँ अल्पसंख्यक हिन्दुओं और सिखों के विरूद्ध साम्प्रदायिक दुर्भावनायें फैलायी गयीं जिसके परिणामस्वरूप लूटकाण्ड, अग्निकाण्ड और हत्या आदि की घटनायें हुई। आतंक के भय से हिन्दू-सिख वहाँ से भागने लगे। कांग्रेस और खिदमतगारों ने उनकी सहायता का प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं हुए।

आसाम और सीमाप्रांत के पश्चात् मुस्लिम लीग ने पंजाब ने अपना आंदोलन प्रारम्भ किया। पंजाब प्रांत में गवर्नर एवं अधिकांश अधिकारी अंग्रेज थे। वे लीग का साथ दे रहे थे। पंजाब के प्रधानमंत्री खिज्र हयात खान ने घबराकर 3 मार्च, 1947 को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। मुस्लिम लीग फिर भी सरकार नहीं बना सकी क्योंकि हिन्दुओं और सिखों ने मंत्रिमण्डल में उसके साथ शामिल होने से इंकार कर दिया। फलतः गवर्नर ने प्रांत में दफा 93 लागू कर दी।

हिन्दुओं और सिखों ने 4 मार्च को लाहौर में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किया। इस पर मुसलमानों ने उनपर आक्रमण कर दिया। परिणामस्वरूप पूरे प्रांत में हिंसा का बोलबाला हो गया। हत्यायें, अग्निकाण्ड, अपहरण, बलात्कार आम हो गये। लाहौर, अमृतसर तथा मुल्तान बर्बाद हो गये। लाहौर से चलने वाली सभी 22 पैसेन्जर गाड़ियाँ बंद कर दी गयीं। लाहौर से अन्य नगरों के टेलीफोन कनेक्शन तोड़ दिये गये। 6 मार्च को जालंधर, स्यालकोट और रावलपिण्डी में दंगे हुए।

पंजाब की इस भयानक स्थिति पर विचार करने के लिये कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में 5-8 मार्च हुई जिसमें पंजाब को दो भागों में विभाजित करने की आवश्यकता महसूस की गयी जिससे मुस्लिम बहुल भाग को गैर मुस्लिम भाग से अलग किया जा सके जिससे दोनों सम्प्रदाय एक दूसरे के भय और आतंक से मुक्त हो जाये। कांग्रेस ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया लेकिन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

देश में हो रही भयंकर मारकाट का कांग्रेस कार्यसमिति पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा। उसने माउण्बेटन के आगमन के पूर्व ही विभाजन की मांग कर दी जिसका नेहरू और पटेल ने समर्थन किया।

24 मार्च, 1947 को लार्ड माउण्टबेटन में भारत के वायसराय का पद ग्रहण किया। उन्होनें विभिन्न राजनीतिक

नेताओं से भेंट की। उनके अनुसार नेहरू स्पष्टवादिता और औचित्य भावना से प्रेरित थे जबकि सरदार पटेल दृढ़, धीर, स्पष्टवादी, व्यवहारिक और वास्तविकता को मानने वाले थे और नौकरशाही पर विश्वास करते थे।

माउण्टबेटन को विचार था कि यदि सरदार पटेल को अपनी योजना से सहमत कर लिया जाय तो कांग्रेस इस योजना को स्वीकार कर लेगी। अतः उन्होंने सबसे अधिक विभाजन के बारे में सरदार पटेल को ही समझाने का कार्य किया जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। सरदार पटेल माउण्टबेटन की योजना से सहमत हो गये। सरदार पटेल का दृष्टिकोण स्पष्ट था। उनके अनुसार ''हमने हिन्दुस्तान के टुकड़े किये जाना स्वीकार किया है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा हमने क्यूँ किया और यह गलती थी। मैं अभी तक नहीं मानता कि हमने कोई गलती की और मैं यह भी मानता हूँ कि यदि हमने हिन्दुस्तान के टुकड़े करना स्वीकार नहीं किया होता, तो आज जो हालात है उससे भी बुरी हालत होने वाली थी और हिन्दुस्तान के दो ही नहीं अपितु अनेक टुकड़े होने वाले थे। मेरे सामने यह चित्र है कि हमने किस प्रकार एक वर्ष सरकार चलायी और यदि हमने यह बात कबूल न की होती तो क्या होता? आप इतना विश्वास रखें जब मैंने और मेरे भाई नेहरू ने यह कबूल किया कि अच्छा है तो ठीक हो होगा। हम जब तक परदेशियों को हटा न दें, विदेशी हुकूमत न हटा दें, तब तक दिन प्रति दिन ऐसी हालत होती जाती थी कि हमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि हमारे हाथ में हिन्दुस्तान का भविष्य नहीं रहेगा और परिस्थिति काबू से बाहर चली जायेगी। इसलिये हमने सोचा कि अभी दो टुकड़े करने से काम ठीक हो जाता है तो वैसा ही कर लें। हमने मान लिया कि ठीक है, अपना अलग घर लेकर यदि यह भाई शांत हो जाता है और अपना घर संभाल लेता है तो हम अपना संभाल लेगें। लेकिन हमने यह बात इसी उम्मीद से मानी थी कि हम शांति से अपना काम करेगें तो उसमें हमारी गलती हुई क्या?[15]

सरदार पटेल और नेहरू ने सर्वप्रथम विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। महात्मा गाँधी इससे सहमत नहीं थे परन्तु जब सरदार पटेल ने उन्हें समझाया कि यदि दो भाई भी आपस में लड़ पड़ते हैं तो अपना अपना घर लेकर अलग हो जाते है, तब गाँधीजी ने सहमति दी। यद्यपि गाँधी जी ने विभाजन रोकने के लिये जिन्ना से कहा था कि वह प्रधानमंत्री बन जाये लेकिन जिन्ना इसके लिये तैयार नहीं हुए। वह सिर्फ विभाजन चाहते थे।

के0 एम0 मुंशी ने विभाजन के सम्बंध में सरदार पटेल की मानसिक स्थिति की चर्चा बड़े सुंदर ढंग की है। मुंशी के अनुसार 1947 ई0 में वह और सरदार पटेल बिड़ला भवन, नई दिल्ली में साथ-साथ रहते थे और साथ-साथ टहलने जाते थे। मुंशी के अनुसार सरदार पटेल जो अखण्ड भारत के समर्थक थे, भारत विभाजन के समर्थक बन गये। मुंशी ने लिखा है कि ''मुझे स्वाभाविक धक्का लगा क्योंकि वह सदैव राजाजी की विभाजन के समर्थन करने की कड़ी आलोचना करते थे।''[16] पटेल जी ने विभाजन के पक्ष में दो तर्क दिये। प्रथम यह कि कांग्रेस अहिंसा में विश्वास करती है, वह हिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती। यदि कांग्रेस अपने सिद्धांत को भी बदल दे तो वर्तमान स्थिति में हिंसा का सहारा लेकर कांग्रेस अपने को समाप्त कर लेगी क्योंकि इसका अभिप्राय मुस्लिम लीग से एक लम्बा संघर्ष होगा, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पुलिस और सेना के बल पर शासन कर रहे हैं। पटेल जी ने दूसरा कारण यह बताया कि अगर विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया तो शहरों और गाँवों में साम्प्रदायिक झगड़े होगे। यहाँ तक कि सेना और पुलिस भी साम्प्रदायिक आधार पर बंट जायेगी। एक मजबूत संगठन के अभाव में हिन्दुओं को नुकसान होगा क्योंकि हिन्दू स्वभाव से ही उदारवादी होते हैं। विभाजन के बाद यदि संघर्ष होता है तो वह संगठित सरकारों के द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि दो सरकारों के बीच समझौता करना, पूरे देश में फैले हुए दो सम्प्रदायों के बीच समझौते से आसान है।[17] इसके अलावा सरदार पटेल विभाजन के अन्य आवश्यक कारणों में मानते थे कि मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने के लिये विभाजन आवश्यक है और सरदार पटेल का मानना था कि स्वतंत्र इकाई के रूप में पाकिस्तान अधिक दिन नहीं टिकेगा। थोड़े समय पश्चात् पुनः भारतीय संघ में सम्मिलित हो जायेगा और जिन्ना शीघ्र ही उनके साथ आ जायेंगे। उनका मानना था कि विभाजन के उपरांत एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना हो सकेगी।

विभाजन का विरोध करने वालों में मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रमुख थे। उन्होंने सरदार पटेल द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने पर लिखा - ''यह इतिहास का एक सत्य है कि हिन्दुस्तान में जो आदमी लार्ड माउण्टबेटन का सबसे पहले शिकार हुआ, वह सरदार पटेल थे। कार्य परिषद में जो स्थिति पैदा हो गयी थी, सरदार उससे बहुत चिढ़ गये थे। वह बंटवारे में विश्वास करने लगे थे। वित्त

विभाग, लीग को सौंपने का दायित्व सरकार का ही था। इसलिये लियाकत के सामने अपनी असहायता का सबसे अधिक रोष उन्हें ही आता था। इसलिये माउण्टबेटन ने जब विभाजन की योजना सुझायी तो सरदार पटेल के मन में यह बात पक्की हो गयी कि वह लीग के साथ कार्य नहीं कर सकते है।''[18]

इस प्रकार विभाजन सम्बंधी निर्णय को मान्यता प्रदान करने के लिये कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 14 जून, 1947 ई0 को संविधान क्लब में प्रारम्भ हुई। गाँधीजी विशेष निमंत्रण पर अधिवेशन में उपस्थित हुए। आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में विभाजन का प्रस्ताव पं0 गोविन्द बल्लभ पंत ने रखा जिसका अनुमोदन मौलाना आजाद ने किया हालॉकि वह प्रस्ताव के कट्टर विरोधी थे। लम्बी चर्चा के बाद 15 जून 1947 ई0 को 15 के विरूद्ध 157 मतों से विभाजन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। समिति की बैठक में सरदार पटेल ने कहा ''यदि एक अंगूठा विषपूर्ण हो जाये तो उसे अलग ही कर देना चाहिये अन्यथा सम्पूर्ण शरीर को अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है।''[19]

सरदार पटेल को स्वयं विभाजन का बड़ा दुःख हुआ जिसे उन्होंने स्वयं स्वीकार करते हुए कहा -''मैं जीवन भर भारत की एकता के लिये प्रयत्नशील रहा हूँ। आप सबको इस प्रस्ताव से जो दुख हुआ है, उससे कम, मुझे नहीं हुआ है। परन्तु मेरे दिल में यह बात बैठ गयी है कि इस पिछले नौ महीने से देश की शासन व्यवस्था हम लोग चला रहे है, इस अरसे में मुझे दुखद अनुभव हुए हैं। मैंने देखा और अनुभव किया कि यदि हम यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे और पिछले नौ मास से देश का शासन जिस तरह चला है और ब्रिटिश सल्तनत ने जिस तरह उसे चलने दिया है वैसा ही यदि अधिक दिनो तक चलता रहा तो मुझे निश्चित भय है कि समूचा भारत ही पाकिस्तान बन जायेगा। इसलिये यदि सारे भारत को पाकिस्तान बनने से बचाना हो तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करके, देश के विभाजन का खतरा उठाकर भी अंग्रेज सरकार को हटाने में कुछ हानि नहीं है। इसमें देश का सुख निहित है। भविष्य में बहुत बड़ी बुराईयों को रोकने के लिये इस बुराई को स्वीकार करके अंग्रेजों को, इस पाप को भारत से हमें विदा करना चाहिये। इस दृष्टि से मैं दुख और वेदना से रूदन करने वाले मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस कड़वे घूँट का पी जायें।[20]

सन्दर्भ

1. आजाद मौलाना; 'इण्डिया विन्स फ्रीडम', कलकत्ता, 1965, पृ0 179.
2. वही
3. नन्दूरकर, जी0एम0; 'सरदार लेटर्स मोस्टली अननोन', अहमदाबाद, 1977, पृ0 67.
4. दि इण्डियन एनुअल रजिस्टर, खण्ड दो, 1939, पृ0 409-418.
5. व्यास दीनानाथ; 'सरदार वल्लभभाई पटेल', पृ0 388.
6. वही, पृ0 386.
7. दास, एम0एन0; 'पार्टीशन एण्ड इण्डिपेण्डेन्स ऑफ इण्डिया', दिल्ली, 1982, पृ0 62.
8. वही, पृ0 62.
9. व्यास, दीनानाथ, पूर्वोक्त, पृ0 388 - 389.
10. शास्त्री आचार्य चंद्रशेखर; 'राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल', नई दिल्ली, पृ0 109.
11. वही, पृ0 109
12. शंकर बी0; 'सरदार पटेल चुना हुआ पत्रव्यवहार', खण्ड-एक, अहमदाबाद, 1976, पृ0 385.
13. वही, पृ0 385.
14. शास्त्री आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वोक्त, पृ0 114.
15. भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947 से 1950 तक) प्रकाशन विभाग, दिल्ली, 1970, पृ0 103.
16. मुंशी, के0एम0, 'इण्डियन कांस्टिट्यूशनल डाकूमेन्टस्', वाल्यूम-1, बम्बई, 1947, पृ0 126.
17. वही, पृ0 126 - 127
18. आजाद, मौलाना; पूर्वोक्त, पृ0 204 -205.
19. मेहरोत्रा एवं कपूर; 'सरदार बल्लभभाई पटेल, व्यक्ति एवं विचार', दिल्ली, 1997, पृ0 132.
20. पटेल, रावजी भाई; 'हिन्द के सरदार', अहमदाबाद, 1994, पृ0 205.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

महिला सशक्तीकरण और पंचायती राज

❑ डॉ0 जितेन्द्र कुमार पाण्डेय

महिला सशक्तीकरण का मुद्दा वैश्विक समुदाय के समक्ष प्रमुख चुनौती बना हुआ है। महिला सशक्तीकरण का वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति तथा सामाजिक समता की स्थापना में व्यापक महत्व है। नारीवाद पितृसत्ता को चुनौती देने और परिवर्तन की सार्वभौम कोशिश का एक महत्वपूर्ण अंग है। महिला सशक्तीकरण के विमर्श का प्रमुख लक्ष्य है कि महिलाओं को अधीन करने वाली जटिल सामाजिक संरचना को पहचानना और उसका सैद्धान्तिक सूत्रीकरण करना है। महिला सशक्तीकरण महिला उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को समझने की दिशा में प्रयासरत एवं स्त्री तत्व की दावेदारी को निर्णायक मानने वाली एक गतिशील विचारधारा है। महिला सशक्तीकरण एक बहुआयामी एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं सम-समाज की स्थापना करना है, क्योंकि लिंगगत समता को सुशासन की कुंजी कहा जाता है। सुशासन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक आधी आवादी को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो जाता है। इस दिशा में पंचायती राज व्यवस्था कारगर और सार्थक भूमिका अदा कर सकता है। महिला सशक्तीकरण में पंचायती राज की विशेष भूमिका हैं, क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक एवं संस्थागत स्तर पर बदलाव आया है तथा राजनीतिक सशक्तीकरण के माध्यम से सामाजिक सशक्तीकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से पंचायती राज मील का पत्थर साबित हो रहा है। कई अध्येता इसे नारीवादी क्रान्ति का नाम देते हैं क्योंकि इसका परिप्रेक्ष्य बहुत व्यापक है। पंचायत में महिलाओं की भागीदारी से सामाजिक ढ़ाचे में परिवर्तन एवं संरचनात्मक सुधार हुआ है। पंचायतों के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तीकरण की देन है कि देश के अन्दर राजनीतिक विमर्श में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। देश में 32 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में लगभग 12 लाख पंचायत प्रतिनिधि महिलाएं है जो विश्व के कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से भी अधिक है। उनकी भागीदारी से शासन में गुणात्मक बदलाव आया है। इन महिलाओं को राजनीति में आने के लिए उठाये गये कदम को सकारात्मक भेदभाव कहा जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं की स्वयं के बारे में सोच बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं के सम्पूर्ण एवं वास्तविक सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है-स्वयं पंचायतों का सशक्तीकरण क्योंकि कमजोर पंचायतें मजबूत महिलाओं को भी कमजोर बना सकती है। इसलिए हमें पंचायती राज को विकास के वाहक के रूप में देखने के वजाय विकास को ही पंचायती राज के वाहक के रूप में देखना चाहिए, तभी वास्तविक सशक्तीकरण संभव हो सकेगा।

महिला सशक्तीकरण का मुद्दा वैश्विक समुदाय के समक्ष एक प्रमुख चुनौती का विषय बना हुआ है। लैंगिक प्रश्न आज केवल राजनीति और सार्वजनिक जीवन में मानवता का समावेश करने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि दुनिया में अपनी मानवीय अस्मिता को पुनर्परिभाषित करने के लिए भी यह एक केन्द्रीय आवश्यकता है। महिला सशक्तीकरण के सैद्धान्तिक विमर्श का प्रमुख लक्ष्य है महिलाओं को अधीन करने वाली जटिल सामाजिक सरंचना को पहचानना और उसका सैद्धान्तिक सूत्रीकरण करना।[1] महिला सशक्तीकरण महिला उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को समझने की दिशा में प्रयासरत एवं स्त्री तत्व की दावेदारी को निर्णायक मानने वाली एक गतिशील और निरन्तर परिवर्तित होने वाली विचारधारा हैं, जिसके व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलू है। लगभग दो सौ सालों के लम्बे राजनीतिक संघर्ष के बाद नारी मुक्ति आन्दोलन के समर्थकों ने इस बात को पहचाना कि ''स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे बनाया जाता है।'' महिलाओं का विकास और सशक्तीकरण विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि इसी से समग्र विकास की गति निर्धारित होती है। विकास के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण से अधिक प्रभावी तरीका कोई दूसरा नहीं हैं। भूमिका चाहे पारंपरिक हो या आधुनिक बहुत कुछ नहीं है जो महिलाएँ हासिल नहीं कर सकी हैं। माँ के रुप में वे अनंत काल से ही दुनिया के भावी नागरिकों को जन्म देने और पालने-पोसने का काम खूबसूरती के साथ करती आई हैं। बहनों, बेटियों और पत्नियों के रुप में उन्होंने कई तरह से पुरुषों का साथ दिया है। पिछले कुछ समय में तो उन्होंने लैंगिक बाधाएँ भी लाँघी हैं और कई साहसिक कार्य किए हैं। किन्तु महिलाओं के लिए स्थितियाँ हमेशा सकारात्मक नहीं थीं। अतीत में महिला को पुरुष के बगैर कुछ नहीं माना जाता था, वह केवल बेटी, पत्नी या माँ ही हो सकती थीं। वह नेतृत्व नहीं कर सकती थीं, सार्वजनिक जीवन में उत्पादनकारी भूमिका नहीं अदा कर सकती थीं, हमेशा अपने जीवन में मौजूद 'पुरुष' (पिता, बेटा या पति) की छाया में रहती थी।[2] निर्णय लेने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती थी। यह नजरिया पश्चिमी समाज में भी था जहाँ बहुत देर से महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ और परम्परागत भारतीय समाज में उनकी स्थिति शोचनीय थी। भारत की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान दे दिया। बाद की सभी सरकारों ने महिलाओं को आर्थिक राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में समान दर्जा देने के लिए कई उपाय

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राजकीय पी०जी० कॉलेज, मगरहाँ, मीरजापुर (उ.प्र.)

किए जिससे उनको अपनी प्रतिभा दर्शाने तथा राष्ट्रीय गतिविधियों में सहभागिता के लिए अवसर प्राप्त हुए। केन्द्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं की विमुक्ति की दिशा में बहुत कुछ किया है लेकिन आज भी स्त्री शोषण एवं विभेदीकृत असमानताओं का शिकार हैं।

प्रधानमंत्री ने महिला जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महिला नेतृत्व से युक्त विकास के महत्व पर बल दिया और कहा एक राष्ट्र हमेशा ही महिलाओं से सशक्त होता आया है। उन्होंने महिला विकास की सोच से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए सोचने का आहवाहन किया।[3]

महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। उनमें इस प्रकार की क्षमता का विकास जिसमें वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकें एवं उनके अंदर आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जागृत करना है। महिला सशक्तीकरण एक बहुआयामी एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं सम-समाज की स्थापना करना है, क्योंकि लिंगगत समानता को सुशासन की कुंजी कहा जाता है।[4] स्पष्ट है कि सभी समस्याओं की जड़ असमानता में अर्न्तनिहित है एवं समाज अपने स्वभाव और प्रकृति में पितृसत्तात्मक है। जैसा कि सीमोन दी बुआ ने अपनी पुस्तक द सेकेण्ड सेक्स में लिखा है कि अब तक औरत के बारे में पुरूषों ने जो कुछ लिखा है उस पर शक किया जाना चाहिए, क्योंकि लिखने वाला न्यायधीश और अपराधी दोनो हैं। इसलिए महिलाओ के साथ व्यवहार में समानता और देश के विकास में उनकी पूरी सहभागिता के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं में परिलक्षित होती है किन्तु यह निराश एवं सदमा पहुँचाने वाला तथ्य है कि महिलाओं के पोषण एवं उनके अधिकारों को लेकर हमने बहुत काम नहीं किया है। लिंग भेद और माताओं के कुपोषण को समाप्त करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। ये मूल रूप से असली समस्याएं हैं। हमारे यहाँ माताओं के कुपोषण की घटनाएँ इस कदर व्यापक हैं कि गर्भ में पल रहे शिशु कुपोषण के शिकार होते हैं। कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं और ऐसे बच्चे स्वस्थ लड़के या लड़कियां नहीं बन पाते हैं। उनके पैदा होने के बाद भी वे वंचित रहते हैं। यह चीज भी ज्यादातर कोख से मिलती है। इसकी वजह भी लिंग भेद है इस प्रकार लैंगिक वंचना, लिंग भेद और बच्चों में वंचना ज्यादातर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ऐसा चिकित्सकीय तर्क है कि कुपोषित बच्चों को हृदय संबंधी बीमारियाँ हो जाती हैं। माताओं में कुपोषण, कुपोषित बच्चे और भारत में बड़े पैमाने पर हृदय रोग एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है जिसकी मूल रूप से बड़ी वजह महिलाओं की उपेक्षा है।[5]

स्त्री असमानता एक परिदृश्य :- महिला सशक्तीकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटक है जिसको समझने के लिए हमे अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक ढांचे सहित उसके बहुआयामी प्रभाव पर चिन्तन करना होगा, जिसमें असमानता गहरे रुप में विद्यमान है। जहाँ तक राजनीतिक संरचना का प्रश्न है महिलाएं आज विश्व मतदाताओं का आधा हिस्सा बन चुकी हैं लेकिन इनमें से सिर्फ 18 फीसदी ही सांसद हैं। नार्डिक देशों में 41 प्रतिशत, अमेरिकी देशों में 21.8 प्रतिशत अन्य यूरोपीय देशों में 19.1 प्रतिशत सब सहारन अफ्रीकी देशों में 17.2 प्रतिशत प्रशांत क्षेत्र के देशों में 13.13 प्रतिशत अरब देशों में 9.6 प्रतिशत और भारत के सन्दर्भ में राष्ट्रीय विधायिकाओं में भागीदारी के मामले में यह आंकड़ा मात्र 9.1 प्रतिशत है। अधिकतर राज्यों में यह आंकड़ा और भी कम है।[6]

चुनिंदा देशों की लैगिंग विकास सूचकांक

देश	लैगिंक विकास सूचकांक		मानव विकास सूचकांक		जीवन प्रत्याशा		स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष		स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत		प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय	
	2014		2014		2014		2014		2014		2014	
	मूल्य	समूह	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
श्रीलंका	0.948	3	0.730	0.769	78.2	71.5	14.2	13.3	10.7	10.9	5452	14307
चीन	0.943	3	0.705	0.747	77.3	74.3	13.2	12.9	6.9	8.2	10128	14795
भारत	0.795	5	0.525	0.660	69.5	66.6	11.3	11.8	3.6	7.2	2116	8656
बांग्लादेश	0.917	4	0.541	0.590	72.9	70.4	10.3	9.7	4.5	5.5	2278	4083
पाकिस्तान	0.726	5	0.436	0.601	67.2	65.3	7.0	8.5	3.1	6.2	1450	8100

सामाजिक घटक तो सदमा पहुँचाने वाला है। भारतीय समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव करने की परस्पर विरोधी सोच विद्यमान है। एक तरफ तो भारत में महिला राष्ट्रपति और महिला प्रधानमंत्री के रुप में जानीमानी महिलाएं हुई हैं तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर बड़े राजनीतिक दलों की प्रमुख महिलाएँ हैं। इसके बावजूद मानव विकास रिपोर्ट (2015 के अनुसार) लैगिंक असमानता सूचकांक में 188 देशों में भारत 130वें स्थान पर है तथा भारत में महिलाओं का मानव विकास सूचकांक मूल्य 2014 में 0.525 है जो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को छोड़कर सबसे कम है।[7] भारत के सन्दर्भ में बालिकाओं का औसत स्कूलिंग बालकों की तुलना में 3.6 वर्ष कमतर है, जोकि भारत के सांस्कृतिक सन्दर्भ में बालिकाओं के शैक्षणिक पिछडेपन को दर्शाता है। जो महिलाओं को परिवार के बारह आर्थिक रुप से उत्पादक गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के साथ शिक्षा और कौशलों की कमी-आर्थिक गतिविधि में भागीदारिता से भी उन्हें रोकती है जिनके कारण आगे चलकर महिलाए दरिद्रता और दमन का शिकार होती हैं।[8] इसलिए वर्तमान सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या में महिलाओं के बड़े अनुपात के साथ लैगिंक असमानता सम्बन्धी मुद्दों का समाधान किया जाए जो कि भारत में शिक्षा-स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक आर्थिक संरचना में व्याप्त हैं। भारत में लैंगिक भेदभाव की शुरुआत गर्भ में ही लिंग निर्धारण सम्बन्धी जाँचों और मादा भ्रूण के गर्भपात से होती है। बालिकाओं को दिया जाने वाला पोषण सम्बन्धी भेदभाव, बालिकाओं में स्कूलिंग में भिन्नता, जोकि बालकों के पक्ष में हैं, उच्चतर शिक्षा में पहुँच ही अपर्याप्तता तथा रोजगार और श्रम बाजारों में अवसरों में भागीदारी के भेदभाव से होता है। जनगणना 2011 में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है कि देश में स्त्री और पुरूष का अनुपात असंतुलित है। इससे भी चिन्ता की बात यह है कि शून्य से छह वर्ष की आयु तक के बच्चों में भी लिंगानुपात लड़कों के पक्ष में झुका हुआ और भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियों की जन्मदर सापेक्षतया पूरी दुनिया में सबसे कम है।[9] इस दशक में शिशु लिंगानुपात में कमी आयी है, जनगणना 2001 में शिशु लिंगानुपात 927 था जो 2011 घटकर 914 हो गया यह निराश करने वाला तथ्य है। जहाँ तक आर्थिक ढाँचे का प्रश्न है, महिलाएँ अभी भी आर्थिक सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन की परिधि से बाहर हैं। 2012 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के आंकड़े के अनुसार केवल 24.2 प्रतिशत खाते महिलाओं के पास हैं जबकि अखिल भारतीय स्तर पर केवल 27.5 प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक खाता है। कृषि उद्योग और सेवाओं में महिलाओं को रोजगार में सिर्फ 26.1 प्रतिशत की भूमिका प्राप्त है। सेवा क्षेत्र में यह मात्र 9 प्रतिशत है।[10] जहाँ तक प्रशासनिक ढाचें का सवाल है आज भी अधिकांशतः पुरुष वर्चस्व वाला दिमाग काम कर रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 11 प्रतिशत है। किन्तु खेदजनक यह है कि नियोजित ढंग से महिलाओं को निचले स्तर की नरम जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। नई दिल्ली में 99 सचिव स्तरीय पदों में केवल आठ पद महिलाओं के पास हैं और 65 अतिरिक्त सचिवों में केवल चार महिलाएं हैं। 283 संयुक्त सचिवों में सिर्फ 37 महिलाएं हैं। भारतीय पुलिस सेवा में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 5.6 प्रतिशत के आस-पास है। वहीं भारतीय वन सेवा में इनकी भागीदारी नगण्य है।[11] राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वेतनदायी कार्य में महिलाओं की कुल संख्या 15 प्रतिशत है अर्थात 85 प्रतिशत महिलाओं की नियति निर्भरता के संरचनात्मक रूप में निहित है। इन घटकों का अवलोकन करने से यह तथ्य दृष्टिगत होता है कि महिलाएं आज भी वंचना का शिकार हैं। इस वंचना को दूर करने के लिए महिला सशक्तीकरण एक आवश्यक पूर्व शर्त है। महिलाओं का सशक्तीकरण समाज के निचले स्तर से होना चाहिए और इसके लिए उनके प्रति मूल्यों और व्यवहार में परिवर्तन के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रुप से समर्थ बनाने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि सभी समस्याओं की जड़ असमानता में निहित है। इसलिए महिलाओं के साथ व्यवहार में समानता और देश के विकास में उनकी पूरी सहभागिता के लिए कदम उठाना आवश्यक है।

'**संयुक्त** राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य' एवं उसके स्थान पर 2015 में स्वीकृत नए 'सतत विकास लक्ष्य' 2030 में भी लिंग आधारित समानता एवं नारी सशक्तीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। भारत, महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने एवं उनके अधिकारों के संरक्षण संबंधी संयुक्त राष्ट्र सन्धि का हस्ताक्षरकर्ता होने के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के आयोग

कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वूमन का भी सक्रिय सदस्य है।

भारत ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा मानवाधिकार तंत्रों का अनुसमर्थन भी किया है। इनमे वर्ष 1993 में महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर कन्वेंशन का अनुसमर्थन प्रमुख है। भारत द्वारा मैक्सिको कार्ययोजना (1975), नैरोबी फारवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज (1985), बीजिंग घोषणा तथा कार्रवाई मंच (1995) व 21 वीं शताब्दी में महिला-पुरूष समानता और विकास एवं शान्ति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में अंगीकार किए गए निष्कर्ष दस्तावेज का भी समर्थक है। लैंगिक असमानता के खिलाफ सितम्बर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 69 वें महासभा अधिवेशन द्वारा चलाये गये विश्व अभियान 'ही फॉर सी' में भी भारत सम्मिलित हुआ।[12]

महिला सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार की नीति में स्वतंत्रता के बाद से अनेक परिवर्तन हुए हैं। 1960 के दशक में अपनायी गई कल्याण की नीति में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन पाँचवी पंचवर्षीय (1974-1978) के दौरान आया जब महिलाओं के कल्याण से हटकर महिलाओं के विकास पर जोर देने की नीति अपनाई गई। सरकार की पांचवीं पंचवर्षीय योजना से लेकर आगे तक महिलाओं के मुददों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से विकास की ओर परिवर्तन आ रहा है। आठवीं योजना (1992-97) में नीति को पुनः परिवर्तित करते हुए सशक्तीकरण एवं विकास प्रक्रिया में महिलाओं को समान भागीदार बनाने पर जोर दिया गया। वर्तमान में ग्यारहवीं 2007-12 एवं बारहवीं योजना (2012-17) में समावेशी विकास पर हमारा ध्यान केन्द्रित है। बाद की दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनेक विकासात्मक योजनाओं को शुरु किया गया, जिससे महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति हमारी जागरूकता में और वृद्धि हुई है।

महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण के लिए सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रम बनाने तथा विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों के बीच समन्वय बढ़ाने हेतु 2006 में एक पृथक महिला और बाल विकास मंत्रालय का गठन किया गया। मंत्रालय का प्राथमिक उत्तरदायित्व महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और सरोकारों से संबधित कार्यो को आगे बढ़ाना तथा उनकी उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास एवं भागीदारी को समग्र रूप से प्रोत्साहित करना है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय के विजन के अनुसार हिंसा व भेदभाव से मुक्त वातावरण में सशक्त महिलाएं सम्मान से रहें और विकास में पुरूषों के समान भागीदारी निभा सकें। मंत्रालय का मिशन है कि विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध नीतियां और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के सरोकारों को मुख्यधारा से जोड़कर, महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनमें जागरूकता बढ़ाकर या महिलाओं को अपने मानवाधिकारों को प्रेरित और सम्पूर्ण विकास के लिए संस्थागत और कानूनी समर्थन प्रदान करके महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।[13]

महिला सशक्तीकरण में पंचायती राज की भूमिकाः- महिला पुरुष समानता के सिद्वान्त भारतीय संविधान में भी उल्लेखित किया गया हैं। भारतीय संविधान महिलाओं को न केवल समानता प्रदान करता है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने के लिए राज्य को शक्ति प्रदान करता है। अतः महिलाओं को बराबरी का अधिकार संवैधानिक रूप से प्रदत है। भारतीय संविधान में महिलाओं के सशक्तीकरण एवं सुरक्षा हेतु कई प्रावधान हैं। इनमें 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया।[14] जो महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुआ।

भारत में महिला सशक्तीकरण के प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक प्रयास एवं आन्दोलन हुए हैं। ऐसे तीन दौर आये जब महिलाओं की अस्मिता को बड़े पैमाने पर मान्यता दी गयी तथा उन्हें अपने बारे में निर्णय करने की स्वतंत्रता मिली। पहला दौर था, बौद्ध धर्म के आविर्भाव का। बौद्ध धर्म ने न केवल जाति प्रथा का विरोध किया वरन् स्त्रियों की स्वतंत्रता का भी सम्मान किया जिससे उनकी सामाजिक स्थिति एवं सम्मान में वृद्धि हुई। भक्ति काल को दूसरा दौर माना जाता है जब स्त्रियों के बंधन कुछ कमजोर हुए और उन्होंने अपने आपको व्यक्त किया। इस बार भी अभिव्यक्ति का माध्यम धर्म ही था, पर उसकी विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से जो पीड़ा सामने आ रही थी, वह लौकिक (भौतिक) जीवन की ही पीड़ा थी। तीसरी बार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान में लाखों महिलाओं को घर से बाहर आने और सार्वजनिक जीवन में शामिल होने का अवसर दिया। गांधी जी के आह्वान पर प्रत्येक

वर्ग की महिलाएं स्वतंत्रता आन्दोलन में भागीदार बनी और इस आन्दोलन को व्यापक, समृद्ध एवं अखिल भारतीय स्वरुप दिया।

महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 20 अप्रैल 1993 की क्रांति का दायरा बहुत ही व्यापक है। महिला सशक्तीकरण में पंचायतीराज की भूमिका अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक एवं संस्थात्मक स्तर पर बदलाव आया है एवं राजनीतिक सशक्तीकरण के माध्यम से सामाजिक सशक्तीकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से पंचायती राज दूरगामी महत्व का साबित हुआ है। कई अध्येता, जैसे निर्मल मुखर्जी, जॉर्ज मैथ्यू और रजनी कोठारी इसे क्रान्ति का नाम देते हैं, क्योंकि इसका दायरा बहुत ही व्यापक है। इसी वर्ष पंचायतों का संवैधानिक मान्यता दी गयी। स्त्री की स्वतंत्रता के पूर्ववर्ती प्रयास माहौल में परिवर्तन और व्यक्तिगत निर्णयों तक सीमित थे। सामाजिक ढांचे में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे स्त्रियों की हैसियत में संरचनात्मक सुधार हो। नतीजा यह हुआ कि माहौल बदलते ही 'पुनर्मूषको भव' की स्थिति आ जाती थी। इसके विपरीत, लोकतांत्रिक भारत में जो ऐतिहासिक प्रयोग किया गया, वह (1) राजनीतिक तंत्र में परिवर्तन पर आधारित है तथा (2) महिलाओं के लिए संस्थागत प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है।[15]

राजनीतिक तंत्र में परिवर्तन का माध्यम बनी पंचायती राज की नई व्यवस्था जिसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गयी, उनका कार्य क्षेत्र परिभाषित किया गया, उनके संसाधनों के स्रोत निश्चित किये गये। इन्हें भारतीय राज्य का तीसरा संस्तर कहा जाता है, ये संस्थाएं नागरिक समाज एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित हुआ है कि तीनों स्तरों को पंचायतों की कम से कम एक-तिहाई सीटों और पदों पर महिलाएं होंगी। यदि आरक्षण मात्र महिलाओं को दिया गया होता, तो ज्यादातर सवर्ण और सम्पन्न परिवारों की महिलाएं ही दिखायी देती। इसलिए सामान्य वर्ग में ही नहीं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर भी इन वर्गों की एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। इस तरह पंचायत क्रांति को समाज के सभी वर्गों तक ले जाने की कोशिश हुई। यह पंचायती राज व्यवस्था चार अवधारणाओं पर काम कर रही है -

पहला - पंचायती राज के माध्यम से लोग राजनीति में ज्यादा प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे।

दूसरा - स्थानीय समुदाय को परिवर्तन का वाहक बनाने और उनमें योजनागत चेतना फूंकने से आर्थिक परिवर्तन तेजी से और सक्षमतापूर्वक होगा।

तीसरा - पंचायतों को शक्तियों का हस्तान्तरण होने से सरकारी संस्थाओं सामुदायिक विकास केन्द्रों, योजना समितियों को एक नयी समाज व्यवस्था एवं नागरिक समाज के उन्नयन यानि एक सहकारी समाज के लिए रास्ता साफ होगा।

चौथा - आम जनता के ऐसे समान अनुभव के आधार पर राजनीतिक संगठनों की ऐसी प्रणाली राष्ट्रीय एकता का वाहक बनेगी।

सचमुच भारत में पंचायती राज व्यवस्था की रचना प्राचीन एथेंस के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तर्ज पर की गई है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत में भी ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र था और पंचायती राज के सिद्धान्त के लिए पंच परमेश्वर की प्राचीन परम्परा से प्रेरणा ग्रहण की गयी है। इसके पीछे स्थानीय स्वशासन का यह सिद्धान्त काम कर रहा है कि सरकार की निचली इकाइयों को सत्ता का अधिकतम हस्तान्तरण और लोकप्रिय निर्वाचन से गठित स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से स्वशासन। यह सिद्धांत चार मान्य बुनियादी धारणाओं पर आधारित है। राजनीति में प्रत्येक वर्ग की जनता की भागीदारी, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों को जुटाना, लोकतंत्र में बुनियादी संस्थाओं का समावेश करना और राष्ट्रीय एकता की गारंटी।[16] इन सभी पहलुओं में महिलाओं का एक खास महत्व है। क्योंकि जहाँ एक तरह उनके प्रतिनिधित्व के अभाव में सम्पूर्ण लोकतांत्रिक संरचना अपूर्ण रहेगी तो दूसरी तरह उनके सशक्तीकरण के अभाव में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। इसलिए महिलाओं को पंचायतों को माध्यमों से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी स्थिति में व्यापक बदलाव आया है।

1. पंचायतों के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तीकरण की ही देन है कि पिछले 24 वर्षों में देश के भीतर राजनीतिक बहस में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है।
2. राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी की गुणवत्ता में सुधार आया है। आर्थिक तथा जीविका से जुड़े मुद्दों, सामाजिक

एवं सांस्कृतिक मूल्यों में भी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अधिक हो सकेगा क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं एवं आवश्यकताएं उसी तरह की हैं।

3. पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में भी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण के प्रावधान से संसद एवं राज्यों की विधायिकाओं में भी महिलाओं को आरक्षण देने का दबाव बढ़ता जा रहा है, बहुत सम्भव है कि आने वाले दिनों में यह बदलाव देखने को मिले।
4. पंचायतों में महिलाओं की विगत बारह वर्षों की भागीदारी से यह सिद्ध हो गया है कि जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक असंतुलन में सुधार तथा महिलाओं के हितों को प्रोत्साहित करने में वे सबसे प्रभावशाली एवं संवेदनशील माध्यम हैं।
5. पंचायतों के माध्यम से समाज की जड़ता, धार्मिक अंधविश्वासों, रुढ़ियों, कुशासन एवं भ्रष्टाचार के उन्मूलन में महिलाओं ने प्रतिकूल वातावरण में भी अच्छा काम किया हैं।
6. पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी नागरिक समाज के उन्नयन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा आदि जैसे ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दों, जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध महिलाओं से है के लिए सशक्त माध्यम है।
7. पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण विकास एवं महिलाओं के विकास जैसे चिन्तन का विकास हुआ और एक नई चेतना का सूत्रपात हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज में महिलाओं की भागीदारी का प्रयोग देश के उन हिस्सों में ज्यादा सफल रहा है जहां पहले से ही स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है अथवा जहां राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया है। लेकिन जहां स्थितियां अनुकूल नहीं हैं या राजनीतिक दलों का सकारात्मक सहयोग नहीं मिला है वहां महिलायें अपने आवश्यक अधिकारों से आज भी वंचित हैं। पंचायतों में चुने जाने के बाद भी महिलायें अपनी क्षमताओं का परिचय न दे सकें, इसके लिए कई अनौपचारिक उपाय अपना लिए गए हैं। एक उपाय है, उन्हें नाम मात्र का प्रतिनिधि बना देना। बहुत सी पंचायतों में पुरुष ही महिला के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। वे अपनी पत्नी या किसी अन्य महिला रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाते हैं और उसके जीत जाने पर पंचायत में उनके प्रतिनिधि के रुप में सारा काम-काज खुद करते हैं। दूसरा उपाय अविश्वास प्रस्ताव। कोई महिला सरपंच बहुत प्रभावशाली है, आत्म विश्वास से सम्पन्न है, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पंचायतों से बेदखल कर दिया जाता है। तीसरा, दो बच्चों के नियम का सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को ही उठाना पड़ा है। सरपंच महिला खुद तय नहीं कर सकती हैं कि उसके तीसरा बच्चा होगा या नहीं। यह निर्णय उसका पति करता है। लेकिन तीसरा बच्चा हो जाने पर सरपंच से हटाया जाता है उसकी पत्नी को।

इसलिए महिलाओं के सम्पूर्ण एवं वास्तविक सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है पंचायतों का सशक्तीकरण हो क्योंकि कमजोर पंचायतें महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकती हैं। इसलिए पंचायतों की स्थिति को मजबूत करना आवश्यक है। अधिकतर पंचायतों के पास अपना कोई राजस्व नहीं है। नीति निर्माण करने का प्रावधान नहीं है। न्याय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का सर्वथा अभाव है। इसलिए हमें पंचायती राज को विकास के वाहक के रुप में देखने की बजाय विकास को ही पंचायती राज के वाहक के रुप में देखना चाहिए, तभी वास्तविक सशक्तीकरण सम्भव हो सकेगा। हमें यह याद रखना होगा कि केवल ऊपर से नीचे सत्ता के हस्तान्तरण से स्थानीय स्वशासन को अपने मूल रुप में स्थापित नहीं किया जा सकता हैं क्योंकि लोकतंत्र शासन की इकाई के आकार पर नहीं, वरन् शासन की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है। लोकतंत्र का मतलब स्थानीय भू-क्षेत्र को छोटी-छोटी मात्रा में सत्ता थमा देना नहीं होता, लोकतंत्र का सारतत्व तंत्र क्षेत्र न होकर व्यक्ति में निहित होता है। इसलिए हमें गांधीवादी स्वरुप वाला स्वशासन चाहिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं अपना शासन स्वयं करें, जिसमें सत्ता का बहाव लम्बवत न होकर क्षैतिज हो यानि समुद्र की तरंगों की तरह। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की आड़ में लोकतांत्रिक केन्द्रवाद जैसा खतरा न पैदा हो।[17]

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। पंचायतों के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तीकरण की देन है कि लगभग 24 वर्षों में देश के भीतर राजनीतिक विमर्श में महिलाओं को

महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, देश भर में 32 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि में लगभग 12 लाख महिलाएँ हैं। और 80000 अध्यक्ष है। यह लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। इतिहास या दुनिया में इसका कोई दूसरा उदाहारण नहीं है।[18]

यह संख्या विश्व में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से भी अधिक है जबकि आरक्षण से पहले निर्वाचित महिलाओं की संख्या मात्र 4.5 फीसदी थी। कुछ राज्यों में जैसे बिहार में 55 प्रतिशत, उत्तराखंड में 54 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 52 प्रतिशत, कर्नाटक में 48 प्रतिशत एवं केरल में 47 प्रतिशत महिलायें पंचायतों में चुनाव जीत कर आती हैं।

यह बदलाव सिर्फ संख्यात्मक ही नहीं है बल्कि यह अन्तर गुणात्मक भी हैं। ये निर्वाचित महिला प्रतिनिधि ''नागरिक समाज'' (Civil Society) के राजकाज संबंधी अपने अनुभवों को राज्य के राजकाज संचालन में भी ले आई हैं। इस प्रकार वे राज्य को गरीबी, गैर बराबरी व लैंगिग न्याय सरीखे मुद्दों के प्रति संवेदनशील बना रही है।

इन महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए उठाया गया यह कदम 'सकारात्मक भेदभाव' कहा जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं के स्वयं के बारे में सोच बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि ''पंचायती राज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने महिलाओं का राजनैतिक व सामाजिक सशक्तीकरण किया है जो आधुनिक युग में विश्व इतिहास में एक अनोखी मिसाल है।[19] पंचायतों में निर्वाचित महिलाएँ नेतृत्व गुण व नारीवादी सोच के माध्यम से राजकाज में बदलाव ला रही हैं। ये महिलाएँ, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा, नशामुक्ति, उत्पीड़न और बुनियादी सुविधाओं के विकास सरीखे मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएँ उसी प्रकार की हैं। देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महिला सशक्तीकरण अति आवश्यक है और इसी कारण देश के विकास के लिए महिलाओं को मुख्यधारा में लाना सरकार की प्रमुख चिन्ता रही है। महिला सशक्तीकरण सम्पूर्ण भारत के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तीकरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शी सतत विकास एवं उत्तरदायिता सरकार के लिए आवश्यक है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि गाँव की स्थानीय सभा में महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दे 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित सामाजिक शिखर सम्मेलन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ 'मिलेनियम डेवलपमेंट गोल' (2000) एवं 'सतत विकास लक्ष्य' (2030) से जुड़े हुए हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बाल विकास, विकलांग कल्याण, वृद्ध कल्याण व महिला विकास। वे इन्हीं सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हुए इस 'ग्लोबल थीम' को स्थानीय स्तर पर नीतियों व कार्यक्रमों में शामिल करने एवं रूपान्तरित करने में लगी हुई हैं।

निष्कर्ष - महिलाएं भारत की आबादी का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा है, इसलिए यह आवश्यक है कि सामाजिक, आर्थिक माहौल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए आबादी के बड़े हिस्से को पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है और सरकार को उपयुक्त नीतियॉ अपनाकर यह बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए बहुत सारे प्रयास एवं सकारात्मक कानून बनाये गये हैं किन्तु मात्र कानून बनाने से महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता है लचीली एवं प्रभावी रणनीतियों को अपनाने की। इसके लिए हमें यह बात आत्मसात एवं अंगीकार करनी होगी कि महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में किए गये सभी प्रयास पुरूष विरोधी नही हैं वरन् यह विकास का अनिवार्य घटक हैं। यह प्रयास महिलाओं के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है क्योंकि जब तक आधी आबादी का सशक्तीकरण नहीं होगा तब तक पूरे समाज का सशक्तीकरण सम्भव नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देश के विकास के संतुलित एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देगी जिससे अंततः भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। क्योंकि महिलाओं की सभी स्तरों पर निर्णय एवं नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता के बिना समता एवं न्यायपूर्ण विकास की प्राप्ति नहीं होगी। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हुई हैं। उनमें अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है, इनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया हैं, उनका आत्मविश्वास

बढ़ा है तथा रचनात्मक कार्यक्रमों में इनकी भागीदारी बढ़ी है। इसलिए महिला सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है पंचायतों का सशक्तीकरण।

महिलाओं के हितों की रक्षा व उनका सशक्तीकरण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सिर्फ सकारात्मक कानून आवश्यक नहीं है उससे भी अधिक आवश्यकता है लोगों में जागरूकता फैलाना, कानूनों का प्रभावी निष्पादन एवं सरकारी अनुक्रियाशीलता का होना क्योंकि कानून के भय एवं ऊपर से थोपे गये विचार से वास्तविक सशक्तीकरण सम्भव नहीं है। आवश्यकता है ऐसी सरकारी नीतियों की जो महिलाओं के लिए सार्थक जीवन व्यतीत करने का वातावरण तैयार कर सकें। उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास, अवसर तथा ऐसी परिस्थिति तैयार करना जिनसे महिलाएँ सम्मान के साथ समाज की मुख्य धारा में सहभागी हो सकें। किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती है क्योंकि महिलायें समाज की रचनात्मक शक्ति होती हैं। वर्तमान समाज को समृद्ध करने एवं भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें महिलाओं की स्थिति को सुधारना होगा। इसके लिए समाज की मानसिकता बदलनी होगी एवं अपनी रूढ़वादिता का त्याग कर एक नयी समावेशी विकासवादी रणनीति अपनानी होगी। यहाँ पर स्वामी विवेकानन्द की उस उक्ति को स्मरण करना उपयुक्त होगा, जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है।

सन्दर्भ

1. आर्या साधना, मेनन निवेदिता, लोकनीता जिनी, 'नारीवादी राजनीति : संघर्ष एवं मुद्दे', हिन्दी माध्यम कार्यान्यवन निदेशालय, नई दिल्ली, 2001 पृ. 1-2
2. योजना, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली सितम्बर 2016 पृ. 7
3. वही, पृ. 23
4. कोठारी रजनी, 'राजनीति की किताब', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002 पृ.107
5. सीमोन दी बुआ, 'द सेकेण्ड सेक्स', पिकाडोर, 1988
6. एस प्रसन्ना राजन का आलेख, 'जिन्हे नाज है हिन्द पर वो कहाँ है', के अन्तर्गत अमर्त्य सेन एवं ज्यांद्रेज, की पुस्तक एन अनसर्टेन ग्लोरी इण्डिया एण्ड इट्स कन्ट्राडिक्शन का अंश, इण्डिया टुडे, 17 जुलाई 2013
7. आर्थिक समीक्षा 2015-16 वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, पृ. 215-16
8. वहीं पृ. 216-17
9. आर्थिक समीक्षा 2014-15 वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, पृ. 142-143
10. कुरूक्षेत्र, 'ग्रामीण महिला सशक्तीकरण', अंक 10, अगस्त 2013 पृष्ठ 12
11. नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ इम्प्लॉयड वूमेन, श्रमशक्ति रिपोर्ट, नई दिल्ली, 1988
12. कुरूक्षेत्र, 'ग्रामीण महिला सशक्तीकरण' अंक 10, अगस्त 2013 पृ. 11
13. भारत, 2016 सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पृ. 825
14. महीपाल, 'पंचायती राज : अतीत, वर्तमान और भविष्य', सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली 1996, पृ. 22-23
15. मैथ्यू जार्ज, 'पंचायती राज : समस्याएँ एवं परिप्रेक्ष्य', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2003 पृष्ठ 107
16. कोठारी रजनी, पूर्वोक्त, पृ. 106
17. वहीं, पृ. 113
18. मणिशंकर अय्यर का आलेख, इण्डिया टुडे, नई दिल्ली 26 अगस्त 2009 पृ. 37-38
19. रविवारी, जनसत्ता, नई दिल्ली 27 अप्रैल 2007

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान में समाचार पत्रों की भूमिका

❑ कुलदीप सिंह

प्रकृति ने मनुष्य को असंख्य उपहार दिये हैं लेकिन मनुष्य के लालच के कारण इनका अत्यधिक दोहन हुआ है। इसी के परिणामस्वरूप अब पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने के कगार पर पहुँच गया है। प्रदूषण ने पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया है। जल, थल और वायु सभी क्षेत्रों में अब इसका खतरा मंडरा रहा है। प्रदूषण के प्रभाव से देवभूमि हिमाचल भी नहीं बच पाई है। प्रस्तुत शोध लेख के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि समाचार पत्र इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से प्रकाशित कर रहे हैं। शोध अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि अंग्रेजी दैनिक समाार पत्र 'द ट्रब्यून' ने हिन्दी समाचार पत्र 'दिव्य हिमालय' की तुलना में पर्यावरण से संबंधित समाचारों को अधिक महत्ता प्रदान की है। शोध से यह भी स्पष्ट हुआ कि पनबिजली परियोजनाओं और सीमेन्ट की फैक्ट्रियों से होने वाली पर्यावरण की हानियों के समाचार भी प्रकाशित नहीं हुए।

पर्यावरण प्रदूषण ने समस्त विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। समय-समय पर विश्व की विभिन्न संस्थाएं इसके खतरे के बारे में आगाह करती रहतीं हैं। इससे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। हर साल समाचार सुनने को मिलते हैं कि हिमखंड पिघल रहे हैं[1] और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है।[2] लेकिन तमाम विचार मंथनों के बावजूद मनुष्य इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहा है और प्रकृति का सीमा से अधिक दोहन करता जा रहा है।

प्रकृति ने मनुष्य को धरती, वायु और जल के रूप में अनेक अमूल्य उपहार दिये हैं। लेकिन वह इनका प्रयोग करने के बजाए इनको लूटने में लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश जिसे कि देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है यहां पर प्राकृतिक संसाधनों का खूब दोहन हो रहा है। 1962 में सतलुज नदी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई और जल विधुत बनाने के लिए भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया। डैम बनने से इस नदी के आस-पास की वनस्पति और जैव विविधता को काफी नुकसान हुआ था।[3] साथ ही इस नदी के जल प्रवाह को रोक कर बिलासपुर जिले में बनी गोविंद सागर झील में कई गांव के साथ साथ जीव-जंतु और पेड़-पौधे हमेशा के लिए जलमग्न हो गए। कुछ यही हाल पौंग डैम बनने से व्यास नदी के आसपास के इलाकों का हुआ। विस्थापित[4] लोग अभी भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।[5] मनुष्य तो लड़ सकता है लेकिन यहां पर पाए जाने वाले हजारों प्रजातियों के जीवों का क्या हुआ होगा, किसी को पता नहीं है।

इन डैमों और बांधों को निर्माण उर्जा की जरूरतों और सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए किया गया था। लेकिन एक समस्या का निदान तो हो गया और साथ ही साथ कई अन्य पैदा हो गईं। एक रिपोर्ट के अनुसार उर्जा का प्रयोग गर्मी, ठंड, भोजन बनाने, कृत्रिम रोशनी, उद्योगों, कृषि और यातायात के लिए किया जाता है। अगर इन सभी गतिविधियों के लिए हम उर्जा का सही से प्रयोग नहीं करेंगे तो भविष्य में विकास और यहां तक की मनुष्य जीवन भी खतरे में पड़ सकता है।[6]

सतलुज नदी पर ही बने करछम-वांगतू जल विधुत संयंत्र ने भी किन्नौर में सतलुज घाटी पर गहरा असर किया है। यहां पर 1000 मेगावॉट जलविधुत बनाई जाती है। इन्वाइरन्मेन्टल जस्टिस ऐटलस (Environment Justice Atlas) के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से यहां की जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता, वनों, जल प्रदूषण और भूमिगत जल संसाधनों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है जिसके कारण से यहां पर सूखे और मरूस्थल बनने का खतरा बढ़ गया है।[7] बांधों के बनने के कारण से मृदा की आद्रता में भी काफी बदलाव आया है और उसका परिणाम पारिस्थितिकी को भुगतना पड़ रहा है। यही दशा हिमाचल में बहने वाली सभी नदियों की हो गई है। इनका पारिस्थितिकी तंत्र विकास की भेंट चढ़ गया है या फिर चढ़

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर, नव मीडिया विभाग, हिमालच प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला (हि.प्र.)

रहा है। प्रकृति के साथ हो रही इस भारी छेड़छाड़ के कारण से बादल फटने[9] जैसी आपदाओं की संख्या भी बढ़ गई है जिससे कई बार भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ है।[10]

यहीं नहीं विशालकाय सीमेंट के प्लांट भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तो आगे की ओर ले जा रहे हैं लेकिन पर्यावरण पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।[11] इकानमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में अंबुजा सीमेंट पांच मिलियन टन प्रति वर्ष चूना पत्थर के खनन की क्षमता रखता था।[12] बिलासपुर जिले के बरमाना में बने एसीसी प्लांट और सोलन जिले के दाड़लाघाट में बने अंबूजा सीमेंट प्लांट के कारण से खनिजों का दोहन किसी से छिपा हुआ नहीं है। चूना पत्थर के खनन के कारण यहां पर कई छोटी बड़ी पहाड़ियाँ समतल हो गई हैं और इसके कारण विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों का अस्तित्व खत्म हो गया है। साथ ही चूना पत्थर को जमीन के नीचे से निकालने के लिए बिस्फोट करने के कारण से भी यहां के पारिस्थितिकी तंत्र को खासा नुकसान हुआ है।[13]

यही नहीं इन फैक्ट्रियों के कारण धूएं के साथ साथ बहुत छोटे धूल के कण पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं साथ ही कई प्रकार की बीमारियों के कारण भी बन रहे हैं।[14] साल 2018 में संघर्ष समिति बरमाना के बैनर तले ग्रामीणों को न्यायालय और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। लोगों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए बोर्ड ने नोटिस जारी करते हुए एसीसी से पूछा कि प्रदूषण संबंधित नियमों का उल्लंघन करने की एवज में उनके उत्पादन को क्यों नहीं रोका जाए।[15] द ट्रब्यून में छपी एक खबर, ''नाइटमेयर ऑन एनऐच 21'' के मुताबिक सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतारें होने के कारण से आम लोगों और सैलानियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।[16] साथ ही ट्रकों में सीमेंट, चूना, पत्थर और कोयला ढोने से ध्वनि प्रदूषण[17] और वायु प्रदूषण कई गुणा बढ़ जाता है। खास कर ध्वनि प्रदुषण उन इलाकों में बहुत बढ़ गया है जो कि इन फैक्ट्रियों के निकट हैं।[19] कथित तौर पर फैक्ट्री मालिक ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भी भूल जाते हैं। लेकिन सरकार ने उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के लिए बाध्य करते हुए कुल लाभ का दो प्रतिशत, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत खर्च करना अनिवार्य बनाया है। इसी कड़ी में एसीसी ने साल 2014,15 और 16 के लिए अपना कुल लाभ 936.71 करोड़ रुपए दर्शाया और इसमें से देश भर में अपनी औद्योगिक इकाइयों के इलाके में 18.73 करोड़ रुपए खर्च किए।[20] वहीं अंबुजा सीमेंट कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2018 के अनुसार कुल लाभ में से 53.46 करोड़ रुपए सीएसआर के लिए पूरे देश में खर्च किया गया है, जोकि कुल लाभ का 4.20 प्रतिशत बनता है।[21] सीएसआर के खर्च को लेकर अकसर फैक्टरी मालिकों पर इसके इस्तेमाल करने में कथित तौर पर गड़बड़ियां करने के आरोप लगते रहे हैं।[22] अगर इस खर्च के मुकाबले हिमाचल में हुए पर्यावरण नुकसान पर नजर डाली जाए तो वह इससे कई गुना ज्यादा हुआ है।

देवभूमि में हो रहे प्रदूषण के एक दूसरे पहलू पर भी दृष्टि डालते हैं। अकसर इंसान पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए फैक्ट्रियों को ही जिम्मदार मानता है लेकिन हिमाचल में तथाकथित शहरीकरण ने भी पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अव्यवस्थित भवन निर्माण के कारण से भी यहां की प्राकृतिक सुंदरता तो धूमिल हुई है साथ ही में इस अंधाधुध दौड़ के कारण से प्राकृतिक संसाधनों का भी अत्याधिक दोहन हुआ है। स्थिति अब यह बन गई है कि पहाड़ों की रानी, शिमला में अब देवदार के जंगलों की जगह कंकरीट के जंगलों ने ले ली है। शिमला जो कि लगभग 16,000 - 25000 लोगों के निवास के लिए बनाया गया था अब यहां पर 2011 की जनगणना के मुताबिक 169,578 लोग रह रहे हैं।[23] इसी कारण यहां पर हुए बेतरतीब मकानों के निर्माण ने कई झरनों, छोटी नदियों, बावडियों की बली ले ली है। कई बावडियाँ सूख गई हैं तो कई के पानी को पीने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार शिमला शहर का 90 प्रतिशत हिस्सा 60 डिग्री की ढलान पर बनाया गया है। प्रदेश का 32 प्रतिशत हिस्सा बहुत अधिक नुकसान की आशंका वाले क्षेत्र में आता है और यहां पर कुल जनसंख्या की 60 प्रतिशत आबादी निवास करती है।[24] इसी साल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बनाए गए लगभग 90 प्रतिशत मकान सुरक्षित निर्माण के पैमानों पर खरे नहीं उतरते हैं।[25] अब यह भवन किसी ''डैथट्रैप'' से कम नहीं हैं।[26] इसका

उदाहरण हमें सोलन जिले के कुमारहट्टी में इसी साल (2019) में मिला था जब एक बहुमंजली इमारत भरभरा कर गिर गई थी और उसमें 14 लोगों की जान गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि इंसान लालच में नियम कायदों की भी परवाह नहीं करता है। उसका उद्देश्य लाभ कमाने तक ही सीमित रह गया है, चाहे इसके लिए उसे पर्यावरण तो दूर अपनी जान की ही कीमत क्यों न चुकानी पड़ जाए।

यही नहीं नए शहरों के बनने के कारण यहां पर वाहनों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। इसके कारण वायु प्रदूषण[27] के साथ ध्वनि प्रदूषण[28] की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सड़कों को चौड़ा करने के लिए भी कई हजार पेड़-पौधों पर कुल्हाड़ी का हमला हुआ है। परवाणू-शिमला फोर लेन प्रोजेक्ट के कारण 65.5 हेक्टेयर वन भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई) को स्थानांतरित किया गया है। सड़क के इस विस्तार के लिए लगभग 33,000 पेड़-पौधों को काटा जा रहा है जिससे पर्यावरण को अभूतपूर्व नुकसान होगा।[29]

इंसान के कभी लालच की वजह से तो कभी गलती से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अपार प्राकृतिक धन संपदा के धनी हिमाचल को इसका परिणाम कई बार उठाना पड़ता है। साल 2019 में हिमाचल प्रदेश में 500 के करीब जंगल में आग लगने की घटनाएं हुईं और इसमें 2600 हेक्टेयर के करीब जंगल खाक हो गए। इसके कारण एक तरफ वन्य जीव-जंतुओं को जानमाल की हानि हुई तो दूसरी और प्राणवायु देने वाले जंगल भी नष्ट हो गए।[30]

अखबारों में प्रकाशित पर्यावरण संबंधी खबरों का तुलनात्मक अध्ययन : शोध के तुलनात्मक अध्ययन के लिए द ट्रब्यून (अंग्रेजी) और दिव्य हिमाचल (हिन्दी) को चुना गया। द ट्रब्यून, चंडीगढ़ से प्रकाशित होता है और दिव्य हिमाचल स्थानीय अखबार है और कांगड़ा से प्रकाशित होता है। शोध के लिए साल 2019 के सितंबर माह में प्रकाशित इन समाचार पत्रों की प्रतियों को शामिल किया गया।

पहले पन्ने पर पर्यावरण संबंधी खबरें : दिव्य हिमाचल के साल 2019 के सितंबर माह के फ्रंट पेज पर पर्यावरण से संबंधित कुल छह खबरें मिलीं। इनमें रोहडू में बादल फटने, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान की तर्ज पर लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए बिना अनुमति निर्माण की मंजूरी देने के लिए अध्यादेश, नई पर्यटन नीति, साथ ही इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक, रोप-वे (रज्जू मार्ग) बनाए जाने की खबरें को जगह दी गई। लेकिन रोप-वे की खबर में कहीं भी पर्यावरण को होने वाले नुकसान की बात नहीं कही गई। द ट्रब्यून के पहले पन्ने पर भी पर्यावरण से संबंधित छह खबरें मिलीं। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रयोग ना करने, यूएनसीसीडी के दिल्ली डिक्लेरेशन, हिमाचल सरकार द्वारा प्लास्टिक के कचरे को 75 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदने, बद्दी में जिंक, कॉपर, लेड, और क्रोमियम का मिट्टी में मिलना, अवैध खनन को हरियाणा के ई-रवाना सिस्टम और पंजाब में किसानों द्वारा धान के पुआल को जलाने की खबरों को तरजीह दी गई। इन खबरों में जलवायु प्रदूषण से होने वाले खतरों के बारे में पाठकों को संदेश दिया गया।

संपादकीय पन्ने पर जलवायु संबंधी लेख : दिव्य हिमाचल में पर्यावरण से संबंधित 6 संपादकीय लेख थे। इनमें मुख्यतः वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग, हिमाचल में जलमार्ग का विस्तार करने, रिसाइकिल न होने वाले प्लास्टिक को सरकार द्वारा खरीदने का निर्णय, जल विद्युत और सौर उर्जा, अमेजन के जगलों में आग ''कैसे जलते हैं दुनिया के फेफड़े,'' और पौंग बांध विस्थापित परिवारों की व्यथा बताया गया। इन संपादकीय लेखों में पर्यावरण को बचाने और सतत् विकास के दिशा में चलने पर जोर दिया गया। द ट्रब्यून में इस माह के दौरान पर्यावरण से संबंधित सिर्फ दो संपादकीय लेख प्रकाशित हुए। इसमें दिल्ली सरकार द्वारा गाड़ियों के सम और विषम फॉर्मूले पर चलाना और सियाचिन ग्लेशियर को पर्यटकों के लिए खोलने पर लेख थे।

बैक पेज में पर्यावरण संबंधी कवरेज : सितंबर माह के द ट्रब्यून के अखिरी पन्ने "Back Page" पर पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित केवल तीन खबरें मलीं, जबकि दिव्य हिमाचल में इस पन्ने पर पर्यावरण के मुद्दों को कोई जगह नहीं दी गई। दिव्य हिमाचल में आस्था नाम से छह पन्नों का सप्ताहिक अंक आता है लेकिन इसमें कहीं पर भी पर्यावरण और खास कर पेड़-पौधों और जल, वायु और भूमि की महत्ता से संबंधित कोई भी

लेख प्रकाशित हुआ नहीं मिला। सितंबर माह में प्रकाशित इसके तीन अंकों में सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से संबंधित लेख मिले।

स्थानीय पन्नों पर पर्यावरण संबंधित खबरें : द ट्रब्यून में प्रदेश की खबरों के लिए 'City Himachal Pradesh' के नाम से हर रोज तीन से चार पन्ने प्रकाशित होते हैं। इनमें हर रोज घटने वाली घटनाओं के समाचार दिए जाते हैं। सितंबर माह में "City Himachal Pradesh" में पर्यावरण से संबंधित 26 खबरों को प्रकाशित किया। इन खबरों में प्रदेश में हो रहे अवैध खनन, प्लास्टिक से पर्यावरण को नुसान पर सरकार को हाईकोर्ट की नसीहत, ध्वनि प्रदूषण, ऐतिहासिक रिज मैदान के लगातार धंसने, दूषित पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमैंट प्लांट बनाने, प्रेदश के पर्यटक स्थलों में रोप-वे बनाने की खबरें को जगह दी गई। 17 सितंबर को द ट्रब्यून ने एच.पी. बागवानी उत्पादों का विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के परवाणू स्थित फैक्टरी द्वारा फैलाए जा रहे वायु प्रदूषण की खबर को सचित्र प्रकाशित किया। इन्हीं पन्नों पर "What Our Readers Say" के नाम से चार कॉलम की जगह दी गई है। इसमें पाठकों द्वारा भेजी गई पर्यावरण को संजोए रखने से संबंधित राय और परेशानियों को प्रकाशित किया जाता है।

दिव्य हिमाचल में ''मेरा कांगड़ा'' नाम से प्रकाशित स्थानीय ऐडिशन में पर्यावरण से संबंधित केवल 11 खबरें मिलीं, जबकि इसके हर रोज चार पन्ने प्रकाशित होते हैं। इनमें आदि हिमानी चामुंडा रोप-वे को मिली फोरेस्ट क्लीयरेंस की खबर को लीड खबर बनाया गया। लेकिन इसमें कहीं पर भी पेडों के कटने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की बात इंगित नहीं की गई। इसके अलावा, खनन माफिया, प्लास्टिक का प्रयोग ना करने, पौंग झील में विदेशी परिंदों के आगमन की खबर को सचित्र जगह दी गई। भू-जल स्तर में सुधार, घर-घर से कूड़ा उठवाने, बारिश के पानी को सहेज कर रखने के खबरों को प्रकाशित किया गया।

विशेषांक में पर्यावरण संबंधित खबरें : शोधार्थी के द्वारा किए गए अखबारों के तुलनात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि द ट्रब्यून सप्ताह में एक बार पूरा पन्ना ''इन फोक्स इनवायरमेंट'' पर्यावरण प्रदूषण और जैव विविधता पर मंडरा रहे खतरों के लिए समर्पित किया गया है। इनमें प्रकाशित लेखों में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर चिंता जताई गई साथ ही शहरीकरण के कारण पैदा हो रहे कूड़ा करकट से पर्यावरण को नुकसान होने पर भी विचार किया गया। ''इन फोकस ग्राउंड वाटर'' में भू-जल स्तर के गिरते स्तर पर विस्तार से लेख प्रकाशित किया गया। 30 सितंबर 2019 को प्रकाशित ''बैटलिंग डैजर्टिफिकेशन'' में मृदा संरक्षण पर जोर दिया गया और बढ़ते रेगिस्तानों पर चिंता जाताई गई। इस लेख के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पिती में भी लगातार मरूस्थलीकरण हो रहा है। जबकि दिव्य हिमाचल में पर्यावरण पर मडंराते खतरों पर कोई पन्ना प्रकाशित नहीं होता है। इसमें ''अपनी माटी'' शीर्षक से प्रकाशित होने वाले पन्ने पर किसानों और बागवानों को जानकारी देने के लिए समर्पित किया है साथ ही ''हिमाचल कम्पीटीशन रिव्यू'' का साप्ताहिक अंक आता है। इसमें ''हिमाचल का भौगोलिक परिचय'' नाम से तीन या चार कॉलम का लेख आता है जिसमें भूगोल और पर्यावरण पर प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में चर्चा की जाती है।

निष्कर्ष : ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्क्यूलेश्न की जनवरी-जून 2019 के आंकड़ों के अनुसार हिन्दी अखबारों की बिक्री अंग्रेजी अखबारों की तुलना में दुगनी है।[31] Indian Readership Survery (Q 1 2019)[32] साल 2017 में हिंदी अखबारों के पाठकों की संख्य 16.8 प्रतिशत थी जो कि साल 2019 की पहली तिमाही में बढ़कर 17.2 प्रतिशत हो गई। वहीं वर्ष 2017 में अंग्रेजी अखबारों की पाठकों की संख्या 2.7 प्रतिशत थी जो की वर्ष 2019 की पहली तिमाही में सिर्फ 0.2 प्रतिशत बढ़ कर 2.9 रही। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के Regularity Report of Newspapers (जनवरी-सितंबर 2019)[33] आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ से प्रकाशित होनी वाली द ट्रब्यून की 1,61,156 प्रतियां और दिव्य हिमाचल (धर्मशाल और शिमला) की 95654 प्रतियां बिकीं।

शोध में पाया गया कि दोनों अखबारों में द ट्रब्यून में पर्यावरण से संबंधित खबरों को दिव्य हिमाचल की तुलना में काफी अधिक स्थान दिया गया। दिव्य हिमाचल के फ्रंट पेज, संपादकीय पन्ने, बैक पेज, मेरा कांगड़ा, सप्ताहिक विशेषांक को मिला कर सितंबर महीने में इनके 226 पन्ने प्रकाशित हुए। वहीं पर्यावरण के विषय पर सिर्फ 26 खबरें प्रकाशित हुईं। द ट्रब्यून के फ्रंट पेज, संपादकीय पन्ने, बैक पेज, सिटी हिमाचल और सप्ताहिक विशेषांक को मिलाकर सितंबर महीने में 216 पन्ने प्रकाशित हुए। इनमें ट्रब्यून

ने 48 खबरों को प्रकाशित किया। साथ ही ट्रब्यून ने जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के बढ़ते खतरे से संबंधित जानकारियों और सूचनाओं के लिए विशेषांक भी निकाले लेकिन दिव्य हिमाचल में इस प्रकार की कोई पहल नहीं देखी गई। हिन्दी अखबारों की मांग ज्यादा होने के नाते दिव्य हिमाचल को अपनी संपादकीय नीति में बदलाव लाने की जरूरत है और पर्यावरण संबंधी जानकारियों की संख्या को बढ़ाना चाहिए।

शोध के लिए ली गई दोनों अखबारों में दूरगामी इलाकों में पनबिजली बनाने वाली इकाइयों के कारण हो रहे पर्यावरण को नुकसान और सीमेंट की फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण से संबंधित एक भी खबर नहीं मिली। समाचार पत्रों को पर्यावरण से संबंधित खबरों को प्रकाशित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इन्हें प्रदेश के दूरगामी इलामें में जहां विभिन्न पनबिजली परियोजनाएं और फैक्ट्रियाँ लगीं हैं वहां पर अपने पत्रकारों को तैनात करना होगा तभी इन इलाकों से खबरें पाठकों तक पहुंच पाएंगी और पर्यावरण को संजोए रखने में अहम भूमिका निभा पाएंगे।

Reference

1. Azama M. F, Wagnon P, Vincent C, Ramanathan A.L, Kumar N, Srivastava S, Pottakkal J.G, Chevalliere P, (2019). Snow and ice melt contributions in a highly glacierized catchment of Chhota Shigri Glacier (India) over the last five decades, Journal of Hydrology, Volume 574, July 2019, Pages 760-773
2. Kaushik Saurabh, Jaydeo K. Dharpure, P.K. Joshi, AL Ramanathan & Tejpal Singh (2019) Climate change drives glacier retreat in Bhaga basin located in Himachal Pradesh, India, Geocarto International, DOI: 10.1080/10106049.2018.1557260
3. Kaur H. (2019) Satluj Floodplain: A Hazardscape. In: 'Moving towards Risk' - A Melancholic Story of Punjab Satluj Floodplain. Springer Earth System Sciences. Springer, Cham
4. Mishra A (2019). Issues of Large-scale Dam Resettlement and Rehabilitation: Case of Bilaspur, Himachal Pradesh, Indian Journal of Public Administration
5. https://www.indiatvnews.com/news/india/bhakra-beas-project-himachal-pradesh-chief-minister-jai-ram-thakur-551133
6. Idl-bnc-irdc.dspacedirect.org, Special Session World Commission on environment and development 1987
7. https://ejatlas.org/conflict/karchham-wangtoo-project-hp-india
8. http://ijprvd.info/v69n12.html (Dharamveer, Dasgupta Sabyasachi, 2019, Volume 69 No. 1&2, Impact of river flow diversion on soil moisture and growth of Pinus wallichiana dominated riparian vegetation)
9. Thakur Shivani, Chandel Vishwa B.S (2016). Geographical Perspective on hydro-meteorological disasters in Himachal Pradesh, India, International Journal of Environmental Science, Vol. 6, Issue 6, P 1090-95
10. https://hindi.news18.com/news/himachal-pradesh/reckong-peo-heavy-rainfall-in-himachal-cloud-burst-in-kinnaur-bridge-washed-away-kaza-highway-closed-hpvk-2306677.html, Arun Negi, Recong Peo
11. Lamare R.E, Singh O.P (2019), Effect of cement dust on soil physic-chemical properties around cement plants in Jaintia Hills, Meghalaya, Environmental Engineering Research
12. https://m.economictimes.com/industry/indly-goods/svs/cement/ambuja-cements-gets-notice-halts-mining-hp/articleshow/30299013.cms (PTI)
13. http://www.samataindia.org.in/mici/attachments/article/44/Environmental%20issues_cement%20Plants.pdf
14. Kourtidis K, Rapsomanikis S, Zerefos C, Georgoulias A.K, Pavlidou E (2014). Severe particulate pollution from the desposition practices of the primary materials of a cement plant, Environmental Science and Pollution Research, Volume 21, Issue-16, pp 7996-9808
15. https://www.tribuneindia.com/news/weekly-pullouts/himachal-tribune/cement-industry-raises-heat-and-dust/698348.html, Pratibha Chauhan
16. Sh. Goswami (2009). "Road Traffic Noise: A Case Study of Balasore Town, Orissa, India". International Journal of Environmental Research, 3, 2, 2009, 309-318. doi: 10.22059/ijer.2009.58
17. Deb Dulal. (2011) Tripura.Traffic Noise Prediction Model in Agartala City, India. International Review of Applied Engineering Research.. 1. 93-98.

18. https://www.tribuneindia.com/2007/20070815/himplus1.htm, Kuldeep Chauhan
19. Hunashala R. B., Patil Y.B. (2012) Assessment of Noise Pollution Indices in the City of Kolhapur, India, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 37, 2012, Pages 448-457
20. https://www.acclimited.com/source/new/csr/ACC-CSR%20Annual-Report-2017.pdf
21. https://www.ambujacement.com/Upload/PDF/AmbujaCementAnnualReport2018Web.pdf
22. Arora, B. & Puranik, R. (2004). A Review of Corporate Social Responsibilty in India. Development, 47(3), 93-100.
23. Kumar, A,. & Pushplata (2015). City Profile: Shimla. Cities, 49, 149-158.
24. https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/buildings-in-himachal-are-a-death-trap-courtesy-haphazard-construction-violation-of-safety-laws/articleshow/70235812.cms
25. https://www.financialexpress.com/india-news/himachal-pradesh-buildings-vulnerable-to-collapse-do-not-follow-safety-norms/614290/, IANS
26. https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/buildings-in-himachal-are-a-death-trap-courtesy-haphazard-construction-violation-of-safety-laws/articleshow/70235812.cms
27. Kumar P., Siddiqui A., Gupta K., Jain S., Bharath B.D., Maithani S. (2019) Understanding Urban Environment in Northwest Himalaya: Role of Geospatial Technology. In: Navalgund R., Kumar A., Nandy S. (eds) Remote Sensing of Northwest Himalayan Ecosystems. Springer, Singapore
28. https://www.scirp.org/html/2-1610193_93155.htm
29. https://hillpost.in/2016/05/33k-trees-to-be-cut-for-parwanoo-shimla-highway/106290
30. https://www.business-standard.com/article/news-ani/over-500-cases-of-forest-fires-in-himachal-pradesh-119061101441_1.html
31. http://www.auditbureau.org/index.html, retrieved on 23-Oct-2019, 5.18 p.m.
32. https://mruc.net/uploads/posts/8e428e54a95edcd6e8be593a7021a185.pdf retrieved on 23-Oct-2019, 6.19 p.m.
33. http://www.davp.nic.in/Upload/(S(335eelac0u5lws45vf3vrg55))/Regularity_report.aspx retrieved on 23-Oct-2019,6.01 p.m.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

विवाह के लिए मानव तस्करी -एक वैयक्तिक अध्ययन

❑ डॉ0 रन्जू राठौर

मानव तस्करी की दुनिया छल-कपट, धोखा, डर, बलात्कार एवं मानव अधिकारों के उत्कट उल्लंघनों से परिपूर्ण है। संगठित अपराधियों एवं स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा यह मानव जीवन का समग्र व्यवसायीकरण है। मानव तस्करी मानवीय गरिमा पर प्रत्यक्ष प्रहार है। वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक परिदृश्य में सामाजिक असुरक्षा, असमानता एवं निम्न प्रस्थिति पितृसत्तात्मक सत्ता के भेदभावों का परिणाम है। समाज की संवेदनहीनता स्थिति को और गंभीर बना देती है। मानव अधिकारों के इस दुखद एवं जटिल जंजाल में महिलाओं, लड़कियों एवं बच्चों की स्थिति सबसे खराब है, जिसमें गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए अवसरों के चयन की स्वतंत्रता का नितांत अभाव रहता है। मानव तस्करी का शिकार होकर वे ऐसा नारकीय जीवन जीते हैं जहां बदनामी, तिरस्कार, शोषण जैसी सामाजिक समस्याओं से उनका सामना होता है। ऐसे लोगों के एचआईवी/एडस् जैसी बीमारियों से प्रभावित होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों के बार-बार इसका शिकार होने की संभावना बलवती हो जाती है। पिछले कुछ दशकों से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मानव तस्करी की शिकार महिलाओं में ऐसी महिलाओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी देखी गई है जिन्हें उनकी इच्छा अनिच्छा से बेमेल विवाह-सम्बन्ध में बंधना पड़ा है। उनके दिन प्रतिदिन के जीवन में छल-कपट, शोषण एवं जोर-जबरदस्ती सामान्य बात है।

मानव तस्करी की दुनिया छल-कपट, धोखा, डर बलात्कार एवं मानव अधिकारों के उत्कट उल्लंघनों से परिपूर्ण है। संगठित अपराधियों एवं स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा यह मानव जीवन का समग्र व्यवसायीकरण है। मानव तस्करी मानवीय गरिमा पर प्रत्यक्ष प्रहार है। मानव अधिकारों के इस दुःखद एवं जटिल जंजाल में महिलाओं, लड़कियों एवं बच्चों की स्थिति सबसे खराब है, जिसमें गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए अवसरों के चयन की स्तंत्रता का नितांत अभाव रहता है। पिछले कुछ दशकों से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मानव तस्करी की शिकार महिलाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई है जिन्हें उनकी इच्छा-अनिच्छा से बेमेल विवाह संबंध में बंधना पड़ा है। उनके दिन प्रतिदिन के जीवन में छल-कपट, शोषण एवं जोर-जबरजस्ती सामान्य बात है। प्रस्तुत शोध पत्र में उन महिलाओं का अध्ययन किया गया है जिन्हें विवाह के लिए मानव तस्करी का शिकार होना पड़ा है। अंतधर्म एवं अंतर्जातीय विवाह को स्वीकारिता प्रदान करने वाले समाज में खरीदी गई वधुओं को भी पूरी तरह से स्वीकारिता नहीं मिल रही है, परंतु वधुओं को खरीदने की स्वीकारिता में वृद्धि हुई है।

मानव तस्करी मुख्यतः दो उद्देश्यों के लिए की जाती है- यौन कार्य एवं मजदूरी। परंतु विवाह के लिए की गई मानव तस्करी दोनों उद्देश्यों को एक साथ पूरा करती है क्योंकि इसमें यौन-कार्य के साथ-साथ मजदूरी भी सम्मिलित है। यह कोई नई समस्या नहीं है किंतु पिछले कुछ दशकों में इसे तेजी से संज्ञान में लिया गया है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इसकी वृद्धि को निरंतर घटते हुए लिंगानुपात से जोड़ा गया है। मानव तस्करी के उद्गमस्थलों वहां की सामाजिक परिस्थितियों एवं पारगमन मार्गों के बारे में अनेक अध्ययन किए गए हैं। किंतु वर्तमान शोध-पत्र में गंतव्य स्थलों में पहुंचने के बाद मानव तस्करी की शिकार महिलाओं का अध्ययन किया गया है। इसी तरह यौन-कार्य या मजदूरी के लिए मानव तस्करी की शिकार महिलाओं के विषय में अनेक अध्ययन किए गए हैं किंतु वर्तमान शोध-पत्र में उन महिलाओं का अध्ययन किया गया है जिन्हें विवाह के लिए मानव तस्करी का शिकार होना पड़ा है।

अनुसंधान योजना : प्रस्तुत शोध-पत्र एक अन्वेषणात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन है। यह वृत अध्ययन प्रारचना (Case Study Design) पर आधारित है, जिसमें विवाह के लिए मानव तस्करी वृत है तथा विश्लेषण की इकाई के रूप में विवाह के लिए मानव तस्करी की शिकार महिलाओं के व्यक्तिगत अनुभव हैं। इस जटिल समस्या की

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, वी.आर.ए.एल. राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरेली (उ.प्र.)

गवेषणा के लिए यह आवश्यक है कि सूचनाओं के बहुल स्रोतों में जैसे उपलब्ध साहित्य की विवेचना, मानव तस्करी की शिकार महिलाओं का साक्षात्कार एवं मानव तस्करी की रोकथाम में लगे सूचनादाताओं का अध्ययन किया जाये। **अध्ययन** क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के रुहेलखंड मंडल के बरेली जिले के भोजीपुरा ब्लाक में स्थित है। शोध से संबंधित नैतिकता के आचरण जैसे सहमति, गोपनीयता, गरिमा-लाभ एवं हानि का संज्ञान लेते हुए मानव तस्करी की शिकार चार सूचनादाताओं के साथ आमने-सामने की स्थिति में संरचनात्मक साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं पर शोध पत्र आधारित है। सभी सूचनादाता अध्ययन क्षेत्र में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के मानव तस्करी निरोधक प्रकोष्ठ एवं अध्ययन क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन के सहयोग से सूचनादाताओं की पहचान की गई है। सूचनादाताओं एवं मानव तस्करी से संबंधित लोगों द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षो को अध्ययन का आधार बनाया गया है।
पुलिस के मानव तस्करी निरोधक प्रकोष्ठ, स्थानीय पत्रकारों एवं गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं से ज्ञात हुआ कि बरेली मानव तस्करी की शिकार महिलाओं के आवागमन एवं आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दूरदराज से लाई गई महिलाओं की बरेली केंद्र से ही आसपास के जिलों में आपूर्ति होती है। इस तथ्य की पुष्टि शंकरसेन[1] एवं ब्लैंचैट[2] के अध्ययनों में भी की गई है। उद्गमस्थल के रूप में बिहार का मगध क्षेत्र, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा एवं 24 परगना जिले, उड़ीसा, आसाम के सीमावर्ती क्षेत्र, नेपाल के दूरदराज क्षेत्रों एवं बांग्लादेश शरणार्थियों को चिन्हित किया गया है। ऐसी सभी महिलाओं को सामान्यतः बंगाली महिला के रूप में जाना जाता है। सर्वे के दौरान 8 गांवों (घंघोरा, अम्बरपुर, मझौआ, दभौरा, भोजीपुरा, सागलपुर, अभयपुर एवं लटूरी) में 58 ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया गया जिनमें से भोजीपुरा की सरस्वती (37 वर्ष), कल्याणपुर की प्रिया (25 वर्ष) ,लटूरी की आयशा (35 वर्ष) एवं अम्बरपुर की विद्या (45 वर्ष) के अनुभवों को शोध पत्र में सम्मिलित किया गया है।
मानव तस्करी की अवधारणा : अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 15 दिसंबर सन 2000 को इटली के शहर पालेरमो में आयोजित एक सम्मेलन में अधिकांश देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और यह 20 दिसंबर 2003 से लागू हो गया। इस समझौते के अंतर्गत लागू होने वाले मानव तस्करी (विशेषकर महिलाओं और बच्चों) से संबंधित नियमों में मानव तस्करी की निम्न परिभाषा दी गई है। जिसके अनुसार ''किसी व्यक्ति को बल प्रयोग कर, डरा कर ,धोखा देकर या हिंसा जैसे तरीकों से भर्ती करना, तस्करी या बंधक बनाकर रखना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी इत्यादि कार्य पीड़ित व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध करा कर उस पर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है''[3] इस परिभाषा में मानव तस्करी से संबंधित सभी परिप्रेक्ष्यों को समाहित करने का प्रयास किया गया है जिससें मानव तस्करी की समस्या से लड़ने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य बेहतर सामंजस्य स्थापित हो सके।
सिद्धार्थ कारा[4] ने अपनी पुस्तक 'मॉडर्न स्लेवरी' में मानव तस्करी के निम्न तीन अंग बताए हैं-

1. प्रक्रिया के रूप में मानव तस्करी में पीड़ित व्यक्ति की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, शरण एवं उसका आदान-प्रदान शामिल है।
2. मानव तस्करी के साधन के रूप में हिंसा, धोखा, बल प्रयोग करना।
3. मानव तस्करी के उद्देश्यों में बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार, बलात श्रम, गुलामी, विवाह आदि शामिल हैं।

कारा के अनुसार मानव तस्करी में प्रक्रिया, साधन एवं उद्देश्यों का होना आवश्यक है। सामान्यत तस्करी के अंतर्गत व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार पारागमन को सम्मिलित किया जाता है किंतु मानव तस्करी में देश की सीमाओं के पार जाना आवश्यक नहीं है। देश या समुदाय के अंदर भी मानव तस्करी हो सकती है। हालांकि दोनों का उद्देश्य आर्थिक लाभ है किंतु एक में लोगों व वस्तुओं का स्थानांतरण महत्वपूर्ण है, दूसरे में लोगों का शोषण। मानव तस्करी गुलामी ना होकर व्यक्तियों के गुलामी में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। बहुधा विवाह के लिए मानव तस्करी के प्रारंभ में व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थितियों से तंग आकर स्वेच्छा से सम्मिलित होता है किंतु बाद में अधिकांशत वह दूसरों की इच्छा एवं हिंसा का शिकार हो जाता है। मानव तस्करों द्वारा तस्करी की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में छल कपट, हिंसा, साम-दाम- दंड आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर चाहे वह

पीड़ितों को बहलाने फुसलाने के लिए हो या उनके चंगुल से छूटने के प्रयासो को रोकने में हो।[5]

इंटरपोल[6] एवं हैकन[7] के अनुसार मानव तस्करी न केवल विश्व में सर्वाधिक तेजी से फैलने वाला अपराध है अपितु सबसे अधिक लाभदायक भी है। दिन प्रतिदिन विस्तृत होते आकार के बावजूद मानव तस्करी के संबंध में सटीक आंकड़ों का नितांत अभाव है क्योंकि इसकी गतिविधियां गोपनीय होती हैं। घटनाओं के एकाकी होने के कारण पीड़ितों का चिन्हीकरण एवं इससे होने वाले आर्थिक लाभ का मापन भी मुश्किल होता है। फिर भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मानव तस्करी के संबंध में निम्न आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2012[8] की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 20.9 मिलियन बंधुआ मजदूर हैं एवं मानव तस्करी के पीड़ितों में 80 प्रतिशत महिलाएं हैं। मानव तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल की 2013[9] की आख्या ने 9. 8 मिलियन लोगों को आधुनिक दासता से पीड़ित कहा है। ब्रकर्ट[10] के अनुसार पीड़ितों में कम उम्र की लड़कियां सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। हालांकि इसके पीड़ितों में महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष भी शामिल होते हैं। कानून पर आधारित प्रजातांत्रिक समाज में मानव तस्करी मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है।

खरीदी गई दुल्हनों में अधिकांशत मानव तस्करों द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं।[11] ऐसी दुल्हनों के साथ जुड़ा सामाजिक कलंक एवं स्थानीय स्तर पर मिलने वाले सामाजिक सहयोग का अभाव उनकी स्थिति को और भी गंभीर कर देता है।कहीं ना कहीं विवाह के लिए मानव तस्करी का संबंध श्रम प्रवजन से भी संबंधित है। ऐसे विवाह महिलाओं को उपभोग की वस्तु बनाने के साथ-साथ विवाह के व्यवसायीकरण को भी प्रोत्साहित करते हैं। परीवाला एवं ओबरॉय[12] का मानना है कि बलात विवाह, वधू मूल्य विवाह एवं खरीदी गई स्त्रियों से विवाह के मध्य बारीक अंतर है। इवान्स[13] का मत है कि इस तरह के विवाह समाज की श्रेणीबद्ध लैंगिक संरचना एवं वैचारिकी का परिणाम है।

कई बार विवाह के लिए मानव तस्करी स्वैच्छिक प्रवसन के रूप में प्रारंभ होती है। अपनी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए पीड़ित व्यक्ति तस्करों या उनके दलालों के झांसे में आ जाता है। वह या उसका परिवार दलालों के लुभावने वादों को एक अवसर के रूप में देखते हैं जिससे उनकी एवं उनके द्वारा परिवार की वर्तमान दुखदाई परिस्थितियों में सुधार हो सकता है। परंतु ऐसी उम्मीदें छल कपट एवं धोखाधड़ी पर आधारित होती हैं। विवाह के लिए मानव तस्करी के केंद्र में जोर-जबर्दस्ती के मुकाबले छल कपट एवं धोखा अधिक होता है। मानव तस्करी को असफल प्रवसन के रूप में भी देखा जा सकता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति स्वयं को ऐसी दुखदाई एवं शोषण से परिपूर्ण परिस्थितियों में पाता है जो उसकी उम्मीदों से अलग है। शोषण की यह परिस्थितियां कानूनी तरह से आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के उद्देश्य से किए गए प्रवसन के दौरान पाई जाती हैं।

मानव तस्करों की कार्यप्रणाली : उद्गम स्थलों में ऐसे व्यक्ति या उनके समूह कार्यरत होते हैं जिनका मुख्य कार्य विवाह योग्य महिलाओं को चिन्हित करना एवं उन्हें बहला-फुसलाकर या अपरहण के द्वारा नियंत्रण करना होता है (प्रिया)। वे उन महिलाओं के अस्थाई निवास एवं उद्गम स्थल से गंतव्य स्थलों तक परिवहन की व्यवस्था करते हैं। गंतव्य स्थलों पर कार्यरत दलालों से मोलभाव के उपरांत पीड़ित महिलाएं उनके हवाले कर दी जाती हैं। इस प्रक्रिया में उन महिलाओं की भी भूमिका होती है जो स्वयं इससे पहले विवाह के लिए मानव तस्करी का शिकार हो चुकी हैं। वे पैतृक स्थानों से विवाह योग्य महिलाओं के चिन्हीकरण, भरती, परिवहन, शरण एवं बिक्री में मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं (सरस्वती)। बिक्री से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा करती हैं (आयशा)। बहुधा पीड़ितों की भर्ती करने वाले दलाल उनके परिचित होते हैं एवं समान सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से आते हैं (विद्या)। एक समान जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा एवं संस्कृति से होने के कारण उन्हें अपने कार्य में मदद मिलती है। परंतु यह उनका मुख्य एवं नियमित पेशा नहीं होता है। अवसर मिलने पर वे धन लाभ के लिए इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। कभी-कभी पीड़ितों के परिवहन में नारकोटिक, ड्रग्स या अन्य सामान की तस्करी में लिप्त लोगों का प्रयोग होता है (सरस्वती)। विवाह योग्य महिलाएं प्राप्त करने की ना कोई मानकीकृत प्रक्रिया है और ना ही समय सीमा या पूर्व निर्धारित मूल्य होता है। समय परिस्थितियां एवं महिलाओं की उम्र, रंग, रूप, भाषा, शिक्षा, उनकी कार्यकुशलता के आधार पर यह बदलती रहती है। कुंवारी एवं गोरी लड़कियों की मांग ज्यादा होती है। परित्यक्त, विधवा एवं बच्चों के साथ वाली महिलाओं का मूल्य कम

आंका जाता है (प्रिया, विद्या)। कुछ ग्राहक सौदा करने से पहले स्वयं उद्गम स्थल में जाकर प्रस्तावित महिलाओं को देखना चाहते हैं। कुछ गंतव्य स्थलों पर ही उनसे मुलाकात करते हैं (सरस्वती) और कुछ पूरी तरह से दलालों पर निर्भर होते हैं (सरस्वती, आयशा)। गंतव्य स्थलों पर पहुंचने के बाद पीड़ित महिलाएं रहन-सहन एवं सुरक्षा के लिए पूरी तरह से दलालों पर आश्रित होती हैं कई बार वे अपनी खरीद-फरोख्त या मूल्य के बारे में कुछ भी नहीं जानती (विद्या)। विवाह होने के उपरांत ही उन्हें इन सब बातों का पता चलता है कभी-कभी विवाह के उपरांत जब महिलाएं नियंत्रण के बाहर हो जाती हैं तब इन दलालों को बुलाया जाता है (प्रिया)। परंतु बहुधा वे पतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को समझाने का एवं अपने जीवन की नई परिस्थितियों को स्वीकार करने की सीख देते हैं (आयशा)। ऐसे विवाह महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के मुकाबले सामाजिक संरचना में विवाह की अनिवार्यता पर आधारित होते हैं।

परीवाला एवं ओबरॉय[14] के अनुसार ऐसे विवाहों में महिलाएं केवल उपभोग की वस्तु होती हैं एवं कई बार उनकी बार-बार खरीद-फरोख्त होती है। खुशहाल जीवन एवं सुखद विवाह या रोमांटिक संबंधों की उम्मीद लेकर आई महिलाएं गंतव्य स्थलों पर पूरी तरह से तस्करों के नियंत्रण में होती हैं जो उन्हें सबसे अधिक मूल्य देने वाले व्यक्ति को बेच देते हैं (विद्या)। कभी-कभी ग्राहक से विवाह से पूर्व दलाल द्वारा महिला से अस्थाई विवाह किया जाता है एवं बलात्कार के बाद तलाक दे दिया जाता है (सरस्वती)। इन महिलाओं पर नियंत्रण करने के लिए तस्कर कपड़े, गहने, भोजन, प्यार के साथ साथ मारपीट बलात्कार या बलात्कार का डर, परिवार के सदस्यों को खतरा, एकांत में भूखा रखना जैसे तरीकों का प्रयोग करते हैं।

कारा[15] ने पाया कि कुछ पीड़ित महिलाएं जो विवाह उपरांत पति को छोड़कर भाग जाती हैं। वह भी अंततः पतियों या दलालों के पास ही लौट जाती हैं क्योंकि उनके पास बेहतर जीवन के अवसरों की बहुत कमी होती है। रुचिति[16] ने महिलाओं की तस्करी में इन तीन महत्वपूर्ण स्थितियों को पाया महिलाओं से हिंसा महिलाओं के शरीर का व्यवसायीकरण एवं प्रवसन का महिलाकरण। फार[17] ने पाया कि कुछ तस्कर लंबे समय से संगठित होकर कार्य कर रहे हैं और कुछ अवसर प्राप्त होने पर कार्यशील हो जाते हैं।

मानव तस्करी के कारण : पिछले कुछ दशकों में ऐसे परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जिन्होंने बाहर से खरीदी गई वधुओं को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। रोजारियो[18] का मत है कि स्थानीय समाज में कई परिवारों के बच्चों के स्थानीय विवाह में निम्न कारणों से समस्याएं आती हैं जैसे दिन प्रतिदिन गिरता हुआ लिंगानुपात, परिवारों की प्रस्थिति से संबंधित ऐसे सामाजिक प्रतिबंध जिन्हें स्थानीय स्तर पर छुपाना मुश्किल होता है, स्थानीय विवाह से संबंधित आर्थिक अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थता अथवा विवाह के लिए अपेक्षित वधुओं का अभाव। इसी तरह वर्क[19] ने पाया कि भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में आय के संतोषजनक साधनों के अभाव ने मानव तस्करी की वृद्धि में योगदान दिया है। उच्च जन्म-दर एवं निर्धनता ने मिलकर ऐसे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी की है जो अभाव का जीवन जीते हैं। निम्न जातियों एवं जनजातियों के प्रति भेदभाव एवं ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में बेतहाशा बढ़ता हुआ प्रवास मानव तस्करी के लिए उर्वरा भूमि तैयार करते हैं। निम्न वर्ग में लड़कियां एवं महिलाएं इस समस्या का ज्यादा शिकार होती हैं क्योंकि उनके पास जीवन की बेहतरी के सबसे कम अवसर होते हैं। डॉन एवर्ट्स[20] ने पाया कि मानव श्रम, विवाह, भिक्षा, बाल, सैनिक आपूर्ति एवं शरीर के अंगों के लिए मानव तस्करी की जाती है। शैली[21] ने माना कि प्रारंभिक स्तर पर कम खर्च, कम खतरे, अत्यधिक लाभ एवं बढ़ती हुई मांग मानव तस्करी के प्रमुख कारण हैं। सलमा अली[22] का स्पष्ट मत है कि उद्गम क्षेत्र में व्याप्त निर्धनता एवं पीड़ितों की चिंताजनक आर्थिक स्थिति उन्हें तस्करी का शिकार बना देती है।

दूसरे प्रदेशों से लाई गई महिलाओं की खरीद-फरोख्त एवं उनसे विवाह इस क्षेत्र में कोई नई सामाजिक घटना नहीं है। दशकों से यहां इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रही है। क्षेत्र में कार्यरत ज्यादातर गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यकर्ता इसके लिए गिरते हुए लिंगानुपात को दोषी ठहराते हैं। अय्याशी के उद्देश्य से कुछ आदमी नई एवं अतिरिक्त महिलाओं की तलाश में रहते हैं और कुछ लोग अपनी इच्छा पूर्ति के पश्चात ऐसी महिलाओं की खरीद-फरोख्त से होने वाले आर्थिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं (सरस्वती)। ग्रामीण क्षेत्रों में गिरती हुई कृषि उपज, रोजगार के वैकल्पिक साधनों का अभाव, आर्थिक

कठिनाइयां, संसाधनों की कमी, सामाजिक बहिष्कार एवं सीमांतीकरण- सभी मिलकर मानव तस्करी के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बना देते हैं। विवाहेत्तर संबंधों से पैदा हुई लड़कियां, अनाथ या टूटे परिवारों की संताने, पढ़ाई छोड़ने वाले बेसहारा एवं परित्यक्त बच्चे तथा जीवन के अनुभवों से परेशान लड़कियां मानव तस्करों के झूठ एवं छल कपट का आसानी से शिकार बन जाते हैं (आयशा)। इसके अतिरिक्त शरणार्थी घर से भागी हुई महिलाएं, सीमान्तक समूहों के बच्चे एवं महिलाएं, ऐसी विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाएं जिनके पास ना तो कोई रोजगार है ना ही कोई सामाजिक सहारा बहुत आसानी से तस्करी की शिकार हो जाती हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच[23] के अनुसार अवैध प्रवासी अपनी निर्धनता, रोजगार की कमी, सीमित भाषा ज्ञान एवं सामाजिक प्रथा के कारण उन तस्करों के शिकार हो जाते हैं जो उनकी भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता के होते हैं। मानव तस्करी की इस दुनिया में पीड़ितों का शरीर एक वस्तु से अधिक नहीं होता है जिसकी खरीद-फरोख्त से तस्कर उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। भारत-नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परिचय के वैध कागजात की आवश्यकता नहीं होती है इससे उनका प्रवास आसान हो जाता है। गुरंग[24] के अनुसार 1.8 से लेकर 3 मिलियन नेपाली नागरिक प्रति वर्ष भारत में प्रवेश करते हैं। इनमें महिलाओं और लड़कियों की संख्या बहुतायत से होती है जो गृह कार्य वेश्यावृत्ति, कृषि में मजदूरी या बलात विवाह की शिकार होती हैं। वेश्यावृत्ति में जहां कम उम्र (12 से 18 वर्ष) की लड़कियों की अधिक मांग होती है, वहीं विवाह के लिए 18 से 35 वर्ष की लड़कियां अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। विवाह के इच्छुक आदमी या उनके परिवार अपनी जाति या धर्म की वधु के लिए लालायित होते हैं परंतु वे बहुत ज्यादा आग्रह नहीं करते। दलालों द्वारा उपलब्ध करवाई गई लड़कियों में से ही वधू का चुनाव किया जाता है।

उद्गम स्थलों में लड़कियों के माता पिता समय से लड़कियों के विवाह हेतु सामाजिक दबाव में होते हैं। स्थानीय स्तर पर उपयुक्त वर का अभाव, संसाधनों की कमी, समृद्ध वर एवं सुखी वैवाहिक जीवन के संबंध में दलालों द्वारा किए गए झूठे वादों के कारण बहुत सारे माता-पिता लड़कियों को घर छोड़कर दूर दराज के स्थानों पर विवाह करने के लिए उकसाते हैं। कई बार लड़कियां स्वयं भी अपने पैतृक परिवारों की सहायता के लिए ऐसा करती हैं। समृद्धशाली जीवन के सुखद सपने लेकर घर से निकली हुई लड़कियां दलालों के छल-कपट के कारण ऐसी नई परिस्थितियों में फंस जाती हैं जो पहले से भी बदतर होती हैं। धनी परिवारों में अपने विवाह द्वारा अपने माता-पिता एवं अपने भाई बहनों की आर्थिक स्थिति में सुधार का उनका सपना सपना ही रह जाता है। फैन एवं वली[25] के अनुसार विवाह के लिए मानव तस्करी की शिकार महिलाएं जीवनसाथी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार कर लेती हैं जिनके लिए वे शायद पहले तैयार ना होतीं। माता-पिता भी सामाजिक गतिशीलता की प्रत्याशा में ऐसे वैवाहिक संबंधों के लिए हां कह देते हैं जिनसे भविष्य में परिवार के अन्य सदस्यों के लिए रोजगार एवं विवाह के दरवाजे खुल सकते हैं। माता-पिता की नजर में अच्छे परिवारों में शादी के उपरांत इन महिलाओं से अपने पैतृक परिवारों को सहायता की उम्मीद रहती है। रोजारियो[26] ने पाया कि ऐसी महिलाओं को अपने पैतृक परिवारों एवं समुदायों में सम्मान मिलता है यदि वे अपने किसी रिश्तेदार या परिचित को साथ ले जा सके।

विवाह के बाद का परिदृश्य : किसी पुरुष द्वारा बाहरी समाज की महिला से विवाह को आज भी समाज में सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जाता है। परंतु इस तरह के विवाह में सुगमता और विवाह के लिए लड़कियों की कमी इस तरह के विवाहों को संभव बनाते हैं। समुदाय में सामूहिक दावत के आयोजन द्वारा इन विवाहों को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। कभी-कभी यह विवाह पुरुषों के लिए दूसरे और तीसरे विवाह होते हैं (विद्या, प्रिया, आयशा)। और कभी कभी लड़कियों के पति उनसे दोगुनी उम्र के होते हैं (विद्या, आयशा)। वर सामान्यतः बहुत गरीब और उम्र में बड़े होते हैं जो वधुओं से श्रम और प्रजनन दोनों की इच्छा रखते हैं। ऐसी वधुओं का उनके पैतृक परिवारों से पूर्ण पृथक्करण हो जाता है और उन मामलों में पूरी तरह अपरिवर्तनीय होता है जिनमें महिला का विवाह दूसरे धर्म के पुरुष से हुआ हो (प्रिया)। अपने पैतृक परिवार से संबंध विच्छेद के कारण ऐसी महिलाएं दुर्व्यवहार और हिंसा का शिकार होती हैं और उनके पास कोई सहारा भी नहीं होता है (सरस्वती) किंतु यह संबंध विच्छेद पतियों को राहत देने के साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि उनकी पत्नी स्वेच्छा से कहीं भी नहीं भाग सकती है (विद्या)। परीवाला एवं ओबरॉय[27] ने पाया कि बेचे जाने के बाद ऐसी महिलाएं ना केवल यह

जानती है कि विवाह से छुटकारा पाने की उनकी कोशिश का बलात विरोध किया जाएगा अपितु विवाह से छुटकारा पाने के उनके अधिकार पर भी उन्हें संशय होने लगता है।स्थानीय के मुकाबले खरीदी गई वधू की सामाजिक प्रस्थिति खराब होती है। हालांकि उनकी हालत हरियाणा एवं राजस्थान की ''करेवा'', ''मोलकी'' एवं ''पारो'' वधुओं से बेहतर स्थिति में होती है (खान)।[28] उनमें से कई की स्थिति उपभोग की वस्तु से अधिक नहीं होती है। उनके पतियों द्वारा कुछ समय पश्चात उन्हें बेचकर दूसरी पत्नी खरीदी जा सकती है (सरस्वती)। नई परिस्थितियों एवं नए घर की संस्कृति से अनुकूलन होने में खानपान, परंपराओं, आचार व्यवहार एवं भाषाई भिन्नता के कारण उन्हें कष्ट होता है (विद्या)। उनमें से कुछ विवाह उपरांत भाग जाती हैं जो या तो उनके पति द्वारा खोज ली जाती हैं या दूसरे पुरुषों के चंगुल में आकर बेच दी जाती हैं। ऐसी महिलाएं या उनके पति पुलिस में शिकायत करने से बचते हैं क्योंकि दोनों सामाजिक सहयोग की अपेक्षा नहीं रखते है। समय के साथ विशेषकर बच्चों के जन्म के पश्चात वह अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेती हैं (विद्या)। सामान्यतः स्थानीय वधुओं को घर से बाहर जाकर पशुपालन या कृषि कार्य में हाथ नहीं बटाना पड़ता है, परंतु खरीदी गई महिलाओं से यह कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। बाद में इनमें से कुछ महिलाएं स्वयं दलाल बन जाती हैं जो इस प्रथा को उदग्र और क्षैतिज रूप से बढ़ाने में सहायक होती हैं। इन महिलाओं में जो संतान को जन्म नहीं दे पाती हैं उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। पति या परिवार के अन्य सदस्य दूसरी वधू लाने की बात करने लगते हैं (प्रिया)। ऐसे विवाहों के उपरांत परिवार की दूसरी महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति अच्छी हो जाती है और वह नई वधु को हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। गृह कार्य का सारा भार उनके ऊपर डाल दिया जाता है। उनका जीवन और भी दुखद हो जाता है यदि परिवार के पास कृषि भूमि या आय का कोई अन्य नियमित साधन नहीं होता है। गृह कार्य के साथ उन्हें मजदूरी के लिए भी घर से बाहर निकलना पड़ता है। स्थानीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में ऐसी महिलाओं को अनुपयुक्त एवं असंगत समझा जाता है। परिवार एवं समुदाय द्वारा सम्मानित सदस्य के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उन्हें वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है (विद्या)। स्थानीय वधुओं के मुकाबले विवाह विच्छेद, तलाक एवं वैधव्य से संबंधित उनके अनुभव अलग तरह के होते हैं। पतियों की मृत्यु या तलाक के बाद उनकी स्थिति चिंताजनक हो जाती है (सरस्वती)। परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उन्हें पतियों की संपत्ति एवं उनके कानूनी अधिकारों से वंचित रखा जाता है विवाह योग्य उम्र के होने पर तो ऐसी महिलाओं को पुनः बेचा जा सकता है और उनका दूसरा पति दूसरी जाति या धर्म का भी हो सकता है। परीवाला एवं ओबरॉय[29] के अनुसार परिवार में उनकी निम्न स्थिति एवं विवाह विच्छेद अथवा तलाक की अवस्था में कोई सहारा ना होने के कारण इच्छित कार्य करने की उनकी स्वायत्तता में कमी आती है। परिवार के प्रति उनकी निष्ठा पर संशय किया जाता है एवं उनके योगदान को भी भुला दिया जाता है सामाजिक स्तर पर उनके सहयोग के लिए कोई भी संस्थागत तंत्र नहीं होता है। कुछ मामलों में पति एवं परिवार का व्यवहार शालीन एवं सहयोगपूर्ण होता है ऐसे परिवारों में यह महिलाएं अपने पैतृक स्थानों से अपने परिचितों या रिश्तेदारों को लाने में सहयोगी बन जाती हैं। अपने माता-पिता के पास जाकर उनका हालचाल भी ले सकती हैं। खरीदी गई महिलाओं से विवाह से उत्पन्न संतानों के स्थानीय स्तर पर विवाह संबंध में समस्याएं आती है (विद्या)।

विवाह के लिए मानव तस्करी ग्रामीण समाज में धीरे धीरे स्वीकार्यता प्राप्त कर रही है। सरस्वती, प्रिया, आयशा और विद्या जैसी महिलाओं के जीवन वृत्त इस सामाजिक घटना की पुष्टि करते हैं। देश में घटता हुआ लिंगानुपात एवं कुछ विशेष क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियां इन विवाहों को अस्तित्व में लाते हैं। भिन्न संस्कृति से लाई गई इन महिलाओं का नवीन स्थानीय संस्कृति से अनुकूलन अनुसंधान का विषय है, साथ ही स्थानीय समाज के पुरुषों एवं स्त्रियों के इनके विषय में विचारों का अध्ययन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अंतर धर्म एवं अंतरजातीय विवाह को स्वीकार्यता प्रदान न करने वाले समाज में खरीदी गई वधुओं को भी पूरी तरह से स्वीकार्यता नहीं मिल रही है। उनके बच्चों के विवाह में भी उनकी पहचान समस्या के रूप में रूप में सामने आती है। परंतु वधुओं को खरीदने की स्वीकार्यता में वृद्धि हुई है।

Refrences

1. Sen, S. "Trafficking in Women and Children in India". New Delhi: NHRC, 2003, P. 9-11
2. Blanchet, T. "Bangladeshi Girls Sold as Wives in North India." in R. Pariwala & P. Uberoi, Marriage, Migration and Gender. New Delhi: Sage. 2008, P. 152-179
3. Europol. "Legislation on Trafficking in Human Beings and Illegal Immigrant Smuggling". Hague: Europol. 2005, P.6-15
4. Kara, S. "Modren Slavery: A Global Perspective". New York: Columbia University Press. 2017, P. 12
5. Simon, S.& Simon R. "Human Trafficking Around the World: Hidden in Plain Sight." New York: Columbia University Press. 2013, P. 89-93
6. Interpol. "The Effective Administration of Criminal Justice to Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants." Liyon: Interpol. 2002, P. 34-38
7. Haken, J. "Transnational Crime in Developing World." Global Financial Intigrity. 2011, P. 173-174
8. ILO. "ILO Global Estimate of Forced Labor." Geneva: ILO. 2012, P. 9-10
9. UN-GIFT. "Global Slavery Index". UN-GIFT. 2013, P. 91-96
10. Bruckert, C.P. "Trafficking in Human Beings and Organised Crime." Ottawa: University of Ottawa, 2002,, P. 223-224
11. Agarwal, A. "Women, Work and Migraion in Asia" in R. Pariwala & P. Uberoi, Marriage, Migration and Gender, New Delhi; Sage, 2008, P. 88-93
12. Pariwala R & P. Uberoi, "Marriage, Migration and Gender", New Delhi; Sage, 2008, P. 37-39
13. Ivans, H. "Women and Sexuality in China", Cambridge: Polity Press, 1997, P. 153-161
14. Pariwala & Uberoi, op. cit. pp. 37-39
15. Kara, S. op.cit. p. 52
16. Ruchti, L. C. "Fear, fraud and Frank Complexities: The Influence of Gender on Human Trafficking." New York:Routledge, 2018, P. 211-212
17. Farr, K. "Sex Trafficking: The Global Market in Women and Children." New York: Worth Publishers, 2005, P. 187-189
18. Rosario, S. "Singular Predicaments: Unmarried Single Migrants and Changing Bangladeshi Family" in M. Thaper, Transitional Migration and Poltics of Identity, New Delhi: Sage, 2005, P. 150-180
19. Burke, M. C. "Human Tafficking". New York: Routledge. 2018, P. 6-7
20. Everts D."Human Trafficking: The Ruthless Trade in Human Misery" The Brown Journal of World Affairs, 2003, Vol 10, No. 1, P.149-158
21. Shelly, L. "Human Trafficking: A Global Perspective" New York: Cambridge University Press, 2010
22. Ali S. "Dimensions of Trafficking in Women and Children in Bangladesh" in V. Mishra, Human Trafficking: The Stakeholdr's Perspective, 2013, New Delhi: Sage, P. 210-220
23. Human Rights Watch. " Cultivating Fear: The Vulnerability of Immigrant Farmworkers in the U.S. to Sexual Violence and Sexual Harrasment" New york:Human Rights Watch, 2012
24. Gurung, G. "Patterns of Foreign Employment and Vulnerability of Migrant Workers" Kathmandu: Institute of Develping Studies, 2001, P. 13-18
25. Fan, L.L. "Marriage and Migration in Transitional China" Environment and Planning, A 34(4), 2002, P. 619-638
26. Rosario, S., op. city. pp. 15-27.
27. Pariwala R & P. Uberoi, op. cit. pp. 7-19
28. Khan, M. S. "Bride Trafficking within India" in V. Mishra, Human Trafficking: The Stakeholdr's Perspective, 2013, New Delhi: Sage, P.45-53
29. Pariwala & Uberai, op. cit. pp. 7-19

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

पिछड़ी एवं दलित जाति के किशोरों की व्यक्तित्व आवश्यकताओं का अध्ययन

❑ डॉ. राजेन्द्र सिंह

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत किशोरों में जातिगत आवश्यकताओं का प्रभाव जानने का प्रयास किया गया है। वाराणसी शहर के यू.पी. कालेज, क्वींस कालेज तथा आदर्श इण्टर कालेज से 150 छात्रों का उद्देश्यपरक विधि से प्रतिचयन किया गया जिनकी आयु 13-18 वर्ष के बीच थी। किशोरों में पिछड़ी जाति एवं दलित जाति समूह से 75-75 लोगों को लिया गया। उन पर टी.पी.पी.एस. को प्रशासित किया गया। परिणाम विश्लेषण में माध्य मानक विचलन एवं 'टी' मूल्य सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया। विश्लेषणोपरान्त यह निष्कर्ष पाया गया कि पिछड़ी जाति की उपेक्षा दलित जाति में क्रमशः सुव्यवस्था एवं अन्तर्विवेचन आवश्यकताएं अधिक मात्रा में पायी गयीं तथा सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक अन्तर भी पाया गया, जबकि पिछड़ी जाति समूह में दैन्य आवश्यकता सार्थक रूप से अधिक पायी गयी। शेष आवश्यकाएं, उपलब्धि, समादर, प्रदर्शन, स्वचारिता, सम्बन्धन, पोषण प्रदान प्रभुत्व, पोषण-प्राप्ति, यौन, परिवर्तन, अधससाय तथा आक्रामकता आवश्यकताओं पर सार्थक अन्तर पिछड़ी जाति समूह एवं दलित जाति समूह के मध्य नहीं पाया गया।

भारतीय जीवन की जाति व्यवस्था एक ऐसी विशेषता है जो इतिहास में हुए अनेक परिवर्तनों के पश्चात जिसका स्वरूप आज भी विद्यमान है। ऋग्वेद की ऋचाओं में इसका आभास मिलता है, रामायण तथा महाभारत में इसकी अनुगूंज सुनाई पड़ती है, बौद्ध एवं जैन साहित्य में इसका रूप मिलता है तथा चन्द्रगुप्त और अशोक के अभियान में भी इसका प्रखर आदर्श जीवन्त है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना में जाति की मान्यताओं पर चिंतन किया है। स्मृति की रचना में जाति-व्यवस्था के महत्व को मनु ने स्वीकार्य किया है।

आवश्यकता शब्द का प्रथम प्रयोग शैक्षिक मनोविज्ञान में 1930 में किया गया था। इस सम्बन्ध में फ्रायड, एरिक फ्राम, लेविन एवं मरे ने अपने विचार प्रस्तुत किये। मरे[1] के अनुसार आवश्यकताएं दो प्रकार की - जैविक एवं मनोजनित होती हैं। भोजन, पानी, स्वॉस, निद्रा एवं यौन आदि जैविक आवश्यकताएं होती हैं जबकि मनोजनित या पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अन्तर्गत परिवर्तन, दैन्य, प्रभुत्व, यौन, उपलब्धि, प्रदर्शन, आक्रामकता, अध्यवसाय एवं सम्बन्धन, आदि आते हैं। अधिकांश अध ययनकर्ताओं ने सम्बन्धन, अनुमोदन, प्रदर्शन, समायोजन, बौद्धिक प्रकार्य एवं अधिगम तथा उपलब्धि अभिप्रेरकों के मध्य सम्बन्धों का अध्ययन किया है। अनुसंधान सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि पर्यावरणीय आवश्यकताओं पर कम कार्य हुआ है। किसी भी अध्ययनकर्ता ने विभिन्न जातियों की सामाजिक आवश्यकताओं का क्रमबद्ध तथा तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है। अधिकांश अध्ययन उच्च जाति एवं दलित जाति समूह के मध्य हुए हैं। पिछड़ी जाति एवं दलित जाति समूह के मध्य बहुत ही कम अध्ययन हुए हैं। प्रस्तुत अध्ययन इसी रिक्तपूर्ति का एक प्रयास है।

अनन्त[2] ने आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों द्वारा अपनी प्रस्थिति के प्रत्यक्षण का विश्लेषण किया है तथा परिणामों की तुलना उत्तर भारत में प्राप्त इसी प्रकार के तथ्यों से की है। उनके अध्ययन से यह पाया गया कि हरिजनों में अपनी प्रस्थिति जाति-प्रथा में प्रचलित भेदभाव के प्रति अधिक असन्तोष है।

ओझा[3] ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का हिन्दू एवं मुसलमान किशोरों पर अध्ययन किया। अध्ययन का परिणाम यह पाया कि हिन्दू और मुस्लिम किशोरों में उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किसी प्रकार का अन्तर नहीं था, पिछड़ी जाति एवं दलित जाति में भी सार्थक अन्तर नहीं पाया गया, परन्तु पिछड़ी जाति के अंक दलित की तुलना में अधिक थे।

सिडाना[4] एवं त्यागराजन ने दलित जाति के किशोरों पर सामाजिक दूरी का एक विवरणात्मक अध्ययन किया। उन्होंने एक शहर के 6 कालेजों के यादृच्छिक प्रतिदर्श पर सामाजिक दूरी मापनी का प्रयोग किया। इस मापनी में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की पिछड़ी जाति जैसे यादव के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन किया। परिणाम यह प्राप्त हुआ कि प्रयोज्यों ने अपनी जाति के प्रति अधिक निकटता प्रदर्शित की।

❑ असोशिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ.प्र.)

अदसूल ए.के. एवं बी. काम्बले[5] ने अपने अध्ययन में पाया कि उच्च जाति एवं अनुसूचित जाति में उपलब्धि अभिप्रेरणा पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अपेक्षाकृत अधिक पायी जाती है।

शर्मा, एस[6] के अध्ययन में यह पाया गया कि समायोजन किसी के लिए उपलब्धि हो सकती है, दूसरे के लिए एक प्रक्रिया हो सकती है। स्वास्थ्य समायोजन उस प्रक्रिया को इंगित करता है, जिसमें व्यक्ति अपनी जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा समाज की आन्तरिक आवश्यकता और बाहरी मॉंगों के बीच संतुलन स्थापित करता है।

उद्‌देश्य – पिछड़ी जाति समूह तथा दलित जाति समूह के किशोरों के मध्य व्यक्तित्व आवश्यकताअें का अध्ययन।

प्रतिदर्श विधि – प्रस्तुत अध्ययन में यू.पी. कालेज, क्वींन्स कालेज एवम् आदर्श कालेज वाराणसी के 13से 18 वर्ष के 150 किशोरों को लिया गया। ये सभी छात्र दो जाति समूहों-पिछड़ी जाति (यादव, कुर्मी) तथा हरिजन जाति से लिये गये। प्रत्येक जाति समूह से 75-75 उत्तरदाता थे।

परीक्षण – प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत परीक्षण हेतु त्रिपाठी वैयक्तिक पसंद अनुसूची (टी.पी.पी.एस.) की सहायता ली गई है।[7]

प्राक्कल्पना– पिछड़ी जाति तथा दलित जाति के किशोरों के मध्य टी0पी0पी0एस0 के विभिन्न आवश्यकताओं पर सार्थक अन्तर पाया जाता है।

परिणाम एवं व्याख्या

त्रिपाठी वैयक्तिक पसंद अनुसूची पर पिछड़ी एवं दलित जाति समूह के किशोरों का मध्यमान प्राप्तांक, मानक विचलन एवं ''टी'' मूल्य

	पिछड़ी जाति		दलित जाति			
आवश्यकता	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	'टी' मूल्य	सार्थकता स्तर
उपलब्धि	12.63	2.49	13.23	3.22	1.28	N.S.
समादर	13.33	3.37	13.20	4.00	.22	N.S.
सुव्यवस्था	13.87	3.03	15.60	3.10	3.46	<.01
प्रदर्शन	13.07	3.79	12.00	3.17	1.88	NS
स्वचारिता	15.17	2.40	15.13	2.89	.09	NS
सम्बन्धन	12.57	3.94	13.47	3.04	1.58	NS
अन्तर्विवेचन	14.07	3.19	15.87	3.09	3.55	<.01
पोषण प्राप्ति	15.17	3.52	15.33	3.43	.28	NS
प्रभुत्व	13.37	3.66	13.73	2.60	.69	NS
दैन्य	18.37	4.55	15.20	3.85	4.59	<.01
पोषण प्रदान	16.50	3.98	15.73	3.91	1.20	NS
परिवर्तन	13.37	3.53	13.33	3.51	.07	NS
अध्यावसाय	15.83	4.00	15.33	3.51	.82	NS
यौन	11.32	8.86	11.03	6.08	.24	NS
आक्रमकता	11.77	3.48	11.57	3.39	.36	NS

तालिका से स्पष्ट है कि टी.पी.पी.एस. के 'सुव्यवस्था' आवश्यकता पर पिछड़ी एवं दलित जाति समूह का मध्यमान क्रमशः 13.87 तथा 15.60 प्राप्त हुआ, मानक विचलन क्रमशः $\pm$ 3.03 तथा 3.10 पाया गया। 'टी' मूल्य 3.10 सांख्यकीय दृष्टिकोण से <.01 पर सार्थक अन्तर पाया गया। दलित जाति समूह में सुव्यवस्था आवश्यकता की अधिक मात्रा पायी गयी है।

'अन्तर्विवेचन' आवश्यकता पर पिछड़ी जाति समूह का मध्यमान 14.07 तथा मानक विचलन + 3.19, दलित जाति समूह मध्यमान 15.87 तथा मानक विचलन + 3. 09 पाया गया। 'टी' मूल्य 3.35 है जो सार्थकता स्तर के <.01 पर सार्थक है। पिछड़ी जाति समूह में अन्तर्विवेचन

आवश्यकता की कम मात्रा इंगित करता है।

'दैन्य' आवश्यकता पर पिछड़ी जाति समूह का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 18.37 तथा + 4.55 तथा दलित जाति समूह का माध्य एवं मानक विचलन क्रमशः 15.20 तथा + 3.85 पाया गया। 'टी' मूल्य 4.59 है जो सार्थकता स्तर के <.01 स्तर पर सार्थक पाया गया। दलित जाति समूह में अन्तर्विवेचन आवश्यकता की मात्रा अधिक पायी गयी।

उपलब्धि आवश्यकता पर पिछड़ी जाति समूह का मध्यमान दलित जाति समूह के मध्यमान से कम है। दोनों जाति समूहों के मध्यमानों में सांख्यकीय दृष्टिकोण से सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। ओझा[8] द्वारा उपलब्धि आवश्यकता पर प्राप्त परिणाम प्रस्तुत परिणाम के विपरीत प्रतीत होता है।

'समादर' आवश्यकता पर पिछड़ी जाति समूह एवं दलित जाति समूह के मध्यमान के मध्य अन्तर पाया गया। परन्तु सांख्यकीय दृष्टिकोण से असार्थकता।

'प्रदर्शन' आवश्यकता पर पिछड़ी जाति समूह ने मध्यमान 13.07 एवं दलित जाति समूह का मध्यमान 12.00 पाया गया। 'टी' मूल्य 1.88 सांख्यकीय दृष्टिकोण से सार्थक अन्तर नहीं पाया गया, जबकि पिछड़ी जाति समूह का मध्यमान दलित जाति समूह से अधिक है।

'स्वचारिता' आवश्यकता पर पिछड़ी जाति समूह का मध्यमान दलित जाति समूह से अधिक पाया गया। दोनों जाति समूहों के मध्यमानों के बीच सांख्यकीय दृष्टिकोण से सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

'सम्बन्धन' आवश्यकता पर पिछड़ी जाति समूह तथा दलित जाति समूह का मध्यमान अंक क्रमशः 12.57 एवं 13.47 प्राप्त हुआ। 'टी' मूल्य 1.58 सांख्यकीय दृष्टिकोण से सार्थक अन्तर नहीं पाया गया परन्तु दलित जाति समूह में मध्यमान अंक अधिक पाया गया। सिडाना एवं त्यागराजन[9] ने अपने अध्ययन में परिणाम प्राप्त किया कि दलितों में सम्बन्धन की मात्रा अधिक पायी गयी जो प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम का समर्थन करता है।

'पोषण प्राप्ति' आवश्यकता पर पिछड़ी जाति समूह तथा दलित जाति समूह के मध्यमान अंकों के मध्य सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। पोषण प्राप्ति आवश्यकता पर दलित जाति समूह ने पिछड़ी जाति समूह के अपेक्षा अधिक मध्यमान अंक प्राप्त किया।

'प्रभुत्व' आवश्यकता पर पिछड़ी जाति समूह का मध यमान अंक 13.37 तथा दलित जाति समूह का मध्यमान अंक 13.73 प्राप्त हुआ। 'टी' मूल्य सांख्यकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया परन्तु दलित जाति समूह ने प्रभुत्व आवश्यकता पर अधिक मध्यमान अंक प्राप्त किया।

'पोषण' प्रदान आवश्यकता पर पिछड़ी जाति समूह का एवं दलित जाति समूह का मध्यमान अंक क्रमशः 16.50 तथा 15.73 प्राप्त हुआ। 'टी' मूल्य 1.20 पाया गया जो सांख्यकीय दृष्टिकोण से सार्थकता स्तर पर असार्थक पाया गया। पिछड़ी जाति समूह ने दलित जाति समूह के अपेक्षा पोषण प्रदान आवश्यकता पर अधिक अंक प्राप्त किया।

'परिवर्तन' आवश्यकता पर पिछड़ी जाति समूह तथा दलित जाति समूह का मध्यमान अंक 13.37 तथा 13.33 प्राप्त हुआ। सांख्यकीय दृष्टिकोण से सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

'अध्यावसाय' आवश्यकता पर दोनों जाति समूहों का मध्यमान अंक क्रमशः 15.83 तथा 15.33 प्राप्त हुआ। 'टी' मूल्य सार्थकता स्तर पर सांख्यकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया।

'यौन' आवश्यकता पर पिछड़ी जाति समूह का मध्यमान अंक 11.32 तथा दलित जाति समूह का मध्यमान अंक 11.03 पाया गया। 'टी' मूल्य .24 सांख्यकीय दृष्टिकोण से अन्तर सार्थक नहीं पाया गया।

'आक्रामकता' आवश्यकता पर पिछड़ी जाति समूह एवं दलित जाति समूह का मध्यमान अंक क्रमशः 11.77 तथा 11.57 प्राप्त हुआ। 'टी' मूलय .36 विश्वसनीयता स्तर पर सांख्यकीय दृष्टिकोण से असार्थक अन्तर है। पिछड़ी जाति समूह का मध्यमान अंक दलित जाति समूह के मध्यमान अंक से अधिक पाया गया।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 'दैन्य' आवश्यकता पिछड़ी जाति समूह में अधिक पायी गयी। दलित जाति समूह में सुव्यवस्था तथा अन्तर्विवेचन आवश्यकता प्रवल रूप से पायी गयी। जबकि शेष आवश्यकता जैसे- उपलब्धि, समादर, प्रदर्शन, स्वचारिता, सम्बन्धन, पोषण प्राप्त, प्रभुत्व, पोषण प्रदान, परिवर्तन, अध्यावसाय, यौन तथा आक्रमकता आवश्यकता पर पिछड़ी जाति एवं दलित जाति समूहों के मध्यमान अन्तर अवश्य पाया गया परन्तु सांख्यकीय दृष्टिकोण से सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

सन्दर्भ

1. Murray Henry 'Exploration in Personality' oxford university Press, 1938.
2. Anant, S. S. 'Harijens, Perception on their Status', Study in Andhra Pradesh (India) Psychology. An International Journal of Psychology in other orient, 16(3), 1973, 147-153.
3. Ojha, H. 'Achievement Motivation among Hindu and Muslim'. Journal of Psychological, Researches 26 (3), 1982, 133-136.
4. Sudane, G.R. & Thiagarajan, A.P. 'Social distance among Scheduled caste Students'. A case Study. Indian Journal of Social Work, 44(1), 1983 35-45.
5. Adsul, A. K. and Kamble, V. 'Achievement Motivation as a function of Gender, Economic Background and cast Differences in college students'. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 34 (2), 2008, 323-327.
6. Sharma, Suraj 'Adjustment Process, Achievement, Characteristics Measurement and dimensions'. International Journal of Academic Researches Vol. 3, issue 1 (2), 2016.
7. Tripathi, R.R., 'Personal Preference Schedule', Prasad Psychological Cooperation, 1973
8. Ojha, H, op. cit.
9. Sudane and Thiagarajam, op. cit.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

बच्चों व महिलाओं का अनैतिक व्यापार : मानवाधिकार पर प्रहार

❑ डॉ. प्रीती द्विवेदी

मानव तस्करी एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसमें मानव को तस्करों द्वारा वस्तु समतुल्य समझकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आर्थिक लाभ या यौन शोषण के प्रयोजन से जबरन, किसी दबाव या कोई प्रलोभन देकर ले जाया जाता है। अतः प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की इस समस्या की व्यापकता व तीव्रता को जानना है। इसके अलावा मानव तस्करी के पीछे मूल कारकों का पता लगाना भी इस अध्ययन का उद्देश्य है। अध्ययन के लिए द्वितीयक आंकड़ों का संकलन सरकारी व गैर सरकारी रिपोर्ट, इन्टरनेट स्त्रोतों, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं व अन्य प्रलेखीय सामग्री से एकत्रित किया गया है जबकि प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए बिहार के कटिहार जिले के दो प्रखण्ड खेरिया व फुलवरिया से 6 केस का चयन स्नो बॉल विधि से करके तथ्य संकलन गहनता से वैयक्तिक अध्ययन विधि से किया गया है। भारत में मानव तस्करी के पीछे कई प्रयोजन होते है जैसे बाल श्रमिक, मानव अंगों की तस्करी, देह व्यापार के लिए बच्चियों व युवतियों को वेश्यालयों में बेचना आदि। इन तमाम प्रारूपों को नियन्त्रित करने के लिए कोई एक कानूनी व्यवस्था नही है बल्कि अलग-अलग कानूनों का सहारा लिया जाता है कानूनी-व्यवस्था के इस लूप होल के कारण कई बार मानव तस्कर इस तर्क के साथ कि उनका कृत्य तस्करी के अन्तर्गत नही आता है, पुलिस गिरफ्त से बच जाते हैं। इसके अलावा यदि तस्करी के मूल कारकों पर दृष्टिपात् करे तो बात सामने आती है कि आधारभूत संरचनात्मक कमियों का होना तस्करी का शिकार होने का मुख्य कारण है। अतः सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों से समाज के आधारभूत संरचनात्मक कमियों जैसे गरीबी, बेरोजगारी आर्थिक अवसरों से वंचना आदि को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

बच्चों व महिलाओं का अनैतिक व्यापार या मानव तस्करी वैश्विक स्तर पर एक ज्वलंत समस्या है। मानव व्यापार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक गंभीर चिंता व चुनौती से भरा मुद्दा है। वैश्विक स्तर की इस समस्या ने मानव को मानव के अधारभूत अधिकारों से वंचित करके मानव को मात्र एक उपभोग की जाने वाली वस्तु के समतुल्य बना दिया है। भारत के लिये यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यहॉं से मानव तस्करी के सर्वाधिक आंकड़े विश्व पटल पर परिलक्षित हैं। इस पुरूष प्रधान समाज में तस्करी की सर्वाधिक शिकार (लगभग 90 प्रतिशत) महिला हैं या अवयस्क बच्चे।[1] महिला एवं बच्चों की तस्करी उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से विकृत करके उनके आत्मसम्मान पर प्रहार करती है। विडंबना यह है कि इस अवैध व्यापार को इतने गोपनीय तरीके से परिणति तक पहुँचाया है कि वास्तविक दोषी की गिरफ्तारी भी कठिन हो पाती है।[2] ज्यादातर मामलों में जहाँ आर्थिक व सामाजिक रूप से वंचना है वे आसानी से मानव तस्कर द्वारा अवैध रूप से क्रय-विक्रय का शिकार बना लिये जाते हैं। अक्सर तस्करों द्वारा वंचित परिवार को सुनहरे व समृद्धशाली जीवन का स्वप्न दिखाकर अपने चंगुल में फंसा लिया जाता है। भारत में पिछले कुछ दशकों में यह घिनौना अवैध व्यापार तेजी से फल फूल रहा है जो संगठित अपराधियों द्वारा सर्वाधिक लाभप्रद अपराधिक व्यापार के रूप में लोकप्रिय हो रहा है।[3]

मानव - व्यापार की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति :- मानव तस्करी एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसमें मानव को तस्करों द्वारा वस्तु समतुल्य समझकर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से या यौन शोषण के प्रयोजन से जबरन, किसी दबाव या कोई प्रलोभन देकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है।[4] अक्सर तस्करी के शिकार लोगो के साथ दासों जैसा बर्ताव किया जाता है जो मानव को मानवीय अधिकारों से वंचित कर देता है। वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) द्वारा मानव तस्करी से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग दो करोड़ लोग मानव तस्करी के शिकार होते हैं। रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि अवैध व्यापार के सर्वाधिक शिकार अवयस्क बच्चे (लगभग 1.2 करोड़) हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 1.2 करोड़ बच्चों का अवैध व अनैतिक व्यापार करके विभिन्न क्षेत्रों जैसे- कृषि, खनन, खदान, कारखानों, यौन क्रियाओं में शोषणकारी स्थिति में काम

❑ असिस्टेन्ट प्रोफेसर-समाजशास्त्र विभाग, महिला महाविद्यालय (पी०जी०) कालेज, कानपुर (उ.प्र.)

लिया जाता है।[5] एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अपराध कार्यालय की ओर से जारी की गई जिसके अनुसार मानव की अवैध तस्करी के सर्वाधिक मामले दक्षिण एशिया के देशों में मिलते हैं।[6] किन्तु यहाँ विडम्बना यह है कि दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में भारत से मानव तस्करी के सर्वाधिक मामले आ रहे हैं।[7] भारत दुनिया के विभिन्न देशों में एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहाँ हजारों की संख्या में युवतियों व नाबालिक लड़कियों को काम वासना की पूर्ति के लिये अवैध रूप से क्रय-विक्रय किया जाता है तथा करोड़ों की संख्या में बच्चों का अनैतिक व्यापार करके उनका शारीरिक व मानसिक शोषण किया जाता है और उनका सर्वस्व बालपन छीन लिया जाता है। यह भी पाया गया है कि मानव तस्करी के सर्वाधिक शिकार ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे राज्यों में रहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमा पर हैं जैसे- प0 बंगाल, भारत के उ0 पू0 राज्य, पंजाब, राजस्थान व जम्मू कश्मीर या जो राज्य सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं जैसे - बिहार, उड़ीसा, उ0प्र0 आदि।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2015 के मध्य भारत में मानव तस्करी के आकड़ों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी है। वर्ष 2013 में जहॉ मानव तस्करी के 3940 घटनायें पुलिस रिकार्ड में दर्ज हुईं थे तो 2014 में 5466 तथा 2015 में 6877 थीं।

वर्ष	मानव तस्करी के शिकार
2010	3422
2011	3517
2012	3554
2013	3940
2014	5466
2015	6877

Source : Crime in india (2015) National Crime Record Beureu.

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार विगत् वर्षो में अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत अपराधियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में जहॉ यह संख्या 2617 थी वहीं वर्ष 2015 में 2641 हो गई। इस प्रकार एक वर्ष के दौरान 0.9 फीसदी अपराधियों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्यवार आंकड़ों पर दृष्टिपात् करें तो ज्ञात होता है कि अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अंतर्गत वर्ष 2015 में सर्वाधिक मानव तस्करी के अपराधी तमिलनाडु (511) तदोपरांत कर्नाटक राज्य (423) में भारतीय दण्डसंहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं में पंजीकृत किये गये हैं।[8] राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2015 की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि भारत में किशोरियों व बच्चों की तस्करी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2014 (2020) की तुलना में वर्ष 2015(3087) में किशोरियों की तस्करी में 52. 08 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।[9] वर्ष 2015 में कुल 3490 बच्चों की तस्करी के मामले भी दर्ज किये गये हैं।[10] राज्यवार आंकड़ों से विदित होता है कि वर्ष 2015 में आसाम (1317), प0 बंगाल(1119) व बिहार (332) से सर्वाधिक बच्चों को तस्करी का शिकार बनाया गया है।

नाबालिग बच्चों की तस्करी का उद्देश्य उनसे भिक्षावृत्ति व छोटे बड़े आपराधिक गतिविधियों में अंतभूर्त करना है।[11] इसके अलावा विभिन्न असंगठित रोजगार क्षेत्रों - जैसे चाय की दुकानों,सड़क के किनारे खुले रेस्त्रां, कबाड़ी मालिक या छोटे-छोटे होटलों में इन बच्चों को बेच देना तस्करी का उद्देश्य है।[12] इन असंगठित रोजगार क्षेत्रों में शोषणकारी स्थिति में मासूम बच्चों से श्रम कराया जाता है।[13] संयुक्त राष्ट्र स्टेट विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सोनपुर जिला में पशु मेला नाबालिक बच्चों की खरीद फरोख्त का उपयुक्त स्थान है।

वर्तमान के स्वार्थलोलुप समाज में धन के प्रति लालसा के कारण मानव अंगो जैसे किडनी का तेजी से व्यापार बढ़ता जा रहा है। इस प्रयोजन हेतु मानव तस्करों द्वारा वंचित परिवारों को लक्ष्य बनाया जाता है तथा ऐसे परिवारों को धन का लालच देकर उनके अंगो को बेचने के लिये उकसाया जाता है। इस प्रक्रिया में अपराधी गैंग अंग प्रदाता व अंग ग्रहणकर्ता को आपस में नातेदार साबित करने के लिये छद्म दस्तावेजों का प्रयोग भी करते हैं।[14]

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी की समस्या भारत में तेजी से फल फूल रही है। अतः इस गंभीर समस्या पर विचार करना आवश्यक है।

अध्ययन विधि :- प्रस्तुत अध्ययन के लिये प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का संकलन किया गया है। द्वितीयक आकड़ों का संकलन सरकारी व गैर सरकारी रिपोर्ट, इंटरनेट स्रोतों, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं व अन्य प्रलेखीय

सामग्री से किया गया है। मानव की तस्करी की तीव्रता, भारत व अन्य देशों में तस्करी के सर्वाधिक पीड़ित लोग, भारत में मानव तस्करी का राज्यवार तीव्रता आदि से संबंधित जानकारी के लिये द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिये बिहार के कटिहार जिले के दो प्रखण्ड खेरिया व फुलवरिया से 6 केस का चयन स्नों बॉल विधि से किया गया है। तथ्य संकलन के लिये छह केस की गहनता से केस स्टडी की गई है।

बिहार राज्य की भौगोलिक सीमा :- बिहार देश के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसकी पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिमी सीमा पर उ0 प्र0 है। बिहार के उत्तरी छोर पर नेपाल है जबकि दक्षिण में झारखण्ड है। उत्तर बिहार का लगभग 73.6 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ की त्रासदी से प्रभावित रहता है। बिहार के 15 जिलों में बाढ़ का सर्वाधित प्रभाव रहता है। बाढ़ के प्रभाव से लोगों के जीवन के साथ साथ उनकी चल अचल संपत्ति, परिनिर्माण, कृषि - भूमि आदि को काफी क्षति पहुचती है। सर्वाधिक क्षति कोसी क्षेत्र के जिलों में (मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, अरेरिया व किशनगंज) में परिलक्षित होती है। बाढ़ व सूखे की सर्वाधिक आशंका के कारण बिहार की लगभग 90 फीसदी जनसंख्या गरीबी व आर्थिक तंगी से जूझती है और इस कारण रोजगार की तलाश में मौसमी स्थानान्तरण यहॉ से सर्वाधिक होता है। बिहार की भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति ऐसी है कि यहॉ मानव तस्करी विशेषतः बाल व स्त्रियों के अनैतिक व्यापार के आंकड़े अधिक हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के लिये बिहार के कटिहार जिला का चयन किया गया है। कटिहार बिहार के उ0 पू0 भाग में है। कटिहार के उत्तर में पूर्णिया जिला, पश्चिम में भागलपुर जिला, दक्षिण में साहिबगंज व पूरब में प0 बंगाल है। यह जिला गंगा, महानंदा व कोसी नदी के कारण काफी बाढ़ प्रभावित है। इस अध्ययन के लिये कटिहार के कोरहा प्रखण्ड का चुनाव किया गया । कोरहा प्रखण्ड के पांच पंचायतों (बिसरिया, खेरिया, फुलवरिया, राजवार व चंदवा) में से दो पंचायतों खेरिया व फुलवरिया का चुनाव दैव निदर्शन विधि से किया गया है।

केस का वैयक्तिक अध्ययनः-

1. वैयक्तिक अध्ययन :- 41 वर्षीय मनिहर मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह से आजीविका चलाता है। उसके परिवार मे उसकी पत्नी के अलावा तीन बेटियॉ व चार वर्षीय एक बेटा है। मनिहर की सबसे बड़ी बेटी रमई जो 17 वर्षीय है व अविवाहित है, उसके विवाह की चिंता मनिहर को अक्सर परेशान कर रही थी। मनिहर के गांव में रमेश गुप्ता नामक लगभग 31 वर्षीय एक युवक 2-3 माह से रह रहा था। रमेश स्वयं को फरीदाबाद का निवासी बताता था तथा दिल्ली के किसी गैर सरकारी संगठन से स्वयं के जुड़े होने की बात गांव वालों को बताता था। रमेश ने गैर सरकारी संगठन से जुड़े कार्य हेतु गांव में स्वयं के आने का प्रयोजन बताया। काम के सिलसिले में रमेश गुप्ता की मुलाकात मनिहर से हुई। रमेश ने एक दिन मनिहर के सामने उसकी बेटी से बिना दहेज विवाह करने का प्रस्ताव रखा। रमई अनपढ़ थी जबकि रमेश के मुताबिक वह बी.ए. व बी.एड. डिग्रीधारी था। अतः रमेश द्वारा रमई से विवाह का प्रस्ताव सुनकर मनिहर की मानो मुराद पूरी हो गई। मनिहर ने रमई का विवाह रमेश के साथ वर्ष 2017 में बड़े ही सामान्य ढंग से एक मंदिर में कर दिया। शादी के कुछ ही दिनों के पश्चात् रमेश रमई को लेकर फरीदाबाद चला गया। फरीदाबाद जाने के पश्चात् रमेश कभी कभार फोन द्वारा रमई की उसके माता पिता से बात करवाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद रमई ने अपने माता पिता से कोई संपर्क नही किया। लगभग 6 माह तक रमई से संपर्क नही होने के कारण रमई के माता पिता रमई की कुशलता के लिए व्याकुल हो उठे। रमई का कोई हाल नहीं मिलने पर रमई की मॉ, मनिहर को लेकर फरीदाबाद गई। फरीदाबाद में काफी खोजबीन करने पर पता चला कि रमेश एक शातिर तस्कर है, जिसने रमई को सुरेश पासवान नामक व्यक्ति को बेच दिया था जिसकी पत्नी कुछ वर्ष पूर्व मर चुकी थीं। मनिहर व उसकी पत्नी ने फरीदाबाद पुलिस से सहायता की गुहार लगाई, किंतु कई माह बीत गये हैं किन्तु अभी तक न तो रमई का कुछ पता चला और ना ही शातिर रमेश गुप्ता पुलिस की पकड़ में आया।

2. वैयक्तिक अध्ययन :- शिवम (15 वर्षीय), राजू (14 वर्षीय) व मो0 इशफाक (16 वर्षीय) नामक तीन किशोर बच्चे फुलवरिया गांव से लगभग पांच वर्ष पूर्व तस्करी के शिकार हुये थे। गरीबी व आर्थिक तंगी के कारण इनकी लालसा कोई रोजगार की तलाश करने की थी। तभी एक दलाल द्वारा नेपाल में इन बच्चों को नौकरी का लालच दिया गया। आर्थिक तंगी व नौकरी की लालसा

के कारण तीनों बच्चे दलाल के साथ नेपाल चले गये। नेपाल पहुचनें पर दलाल के माध्यम से तीनों बच्चों को एक सीमेंट फैक्ट्री में काम दिया गया। बच्चों को प्रतिदिन की मजदूरी के रूप में 60रू0 दिये जाते थे। कम मजदूरी के साथ साथ अमानवीयपूर्ण व शोषणकारी अवस्था में इन बच्चों से सीमेंट फैक्ट्री में काम लिया जाता था। इन बच्चों से चिलचिलाती धूप, हाड़ कपाती ठंड में भारी भरकम माल की ढुलाई करवाई जाती थी। काम के बदले मजदूरी इतनी न्यून थी कि खाने व रहने में सारा पैसा खर्च हो जाता था और बचत कुछ भी नहीं हो पाती थी। इन बच्चों के काम का समय लगभग 10 से 11 घंटे थे और सप्ताह में कोई भी अवकाश देय नही था। शोषण व यातना से तंग आकर एक दिन मो0 इशफाक वहॉ से भागने में कामयाब हो जाता है, और वापस घर पंहुचने में सफल हो जाता है। शिवम के बीमार होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में किसी कर्मचारी की मदद से वह वहॉ से भागने में कामयाब हो गया और घर वापिस आ गया।लेकिन राजू का अभी तक कोई पता नही लग सका।

3. वैयक्तिक अध्ययन :- खेरिया गांव की 14 वर्षीय कुंजु पड़ोस के गांव के राजपाल बैठा के साथ 2018 में अपने माता पिता को बगैर कोई सूचना दिये भाग जाती है जिसने कुंजू से विवाह के साथ ही साथ शहर में अच्छी नौकरी का लालच दिया था। कुंजु के गुम होने के बाद उसके माता पिता के द्वारा उसकी गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस के प्रयास के पश्चात् फरार चल रहे राजपाल बैठा को गिरफ्तार कर लिया गया। राजपाल ने कुंजु को पंजाब में बेच देने की बात को कबूली। लेकिन पुलिस के काफी दबाव के बावजूद राजपाल उन लोगों का नाम नही बता सका जो इस क्रय-विक्रय में सम्मिलित थे।ऐसा प्रतीत होता है कि यहॉ तस्करों का एक जाल है जो गरीब व वंचित को अपने जाल में फंसाकर व कोई प्रलोभन देकर उनकी तस्करी करता है। कुंजु का अभी तक पुलिस कोई सुराग नही लगा पाई है। ATSEC (Action Against Trafficking and Sexual Exploitation) नामक स्वयंसेवी संस्था वर्तमान समय में कुंजु के बचाव के लिये कार्यरत है।

4. वैयक्तिक अध्ययन :- 15 वर्षीय शीबा एक गरीब परिवार से संबंध रखती है। शीबा के पिता मो0 मुस्तफा ईंट के भट्टे में और माँ मोहसिन बानो खेतों में मजदूरी करती है। दोनों की कमाई से मुस्तफा के तीन लड़कियों (आयु क्रमशः 15, 14 व 10 वर्षीय) व दो लड़कों (आयु क्रमशः 09 व 05 वर्ष) का खर्च येन - केन प्रकारेण चलता है। गांव के एक व्यक्ति ने एक बार शीबा के पिता से शीबा के निकाह के लिये प0 बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले एक लड़के के बारे में बताया। वह लड़का सिलीगुड़ी में दर्जी था। मुस्तफा व मोहसिन की तीन लड़कियां थी इसलिये मुस्तफा शीबा की उम्र कम होने के बावजूद उसका निकाह करने को राजी हो जाता है। निकाह के कुछ दिनों बाद शीबा का पति शीबा को हावड़ा ले आता है। हावड़ा में शीबा को उसके पति द्वारा एक वेश्यालय चलाने वाली एक औरत के हाथों बेच दिया जाता है। वेश्यालय में शीबा का भरपूर यौन शोषण किया गया। लगभग दो हफ्तों के बाद शीबा इस यौन शोषण व यातना भरे जीवन से भागने में कामयाब हो जाती है। शीबा सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन से भागलपुर की ओर आने वाली गाड़ी में बैठ गई और संयोगवश वह वहॉ से घर पहुचने में कामयाब हो जाती है। घर पहुंचकर शीबा ने घरवालों को अपनी आपबीती सुनाई तो सभी चकित रह गये। शीबा के पिता ने अन्य दो लड़कियों के अविवाहित होने के कारण परिवार की बदनामी के डर से पुलिस में किसी के विरूद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नही कराई।

5. वैयक्तिक अध्ययन :- तयबा का निकाह अहमद अंसारी से दो वर्ष पूर्व हुआ था। अहमद ईंट के भट्टे में मजदूरी करता था व शराब की लत का शिकार था। अक्सर अहमद तयबा से शराब के नशे में मारपीट करता था। रोज रोज की मारपीट से तंग आकर तयबा अपने मायके आकर रहने लगी। पड़ोस के गांव की रहने वाली शबनम ने तयबा को गुजरात में कपड़े की फैक्ट्री में अच्छी नौकरी दिलवाने का वायदा किया। आर्थिक बदहाली के कारण तयबा शबनम के साथ जाने को राजी हो जाती है। तयबा शबनम के बताये गये निर्देशों के अनुसार लगभग 2 वर्ष पूर्व काम प्राप्त करने की इच्छा से कटिहार रेलवे स्टेशन पहुचती है। तयबा को रेलवे स्टेशन पर लगभग 15-17 वर्ष की आयु के मध्य चार अन्य लड़कियाँ भी मिलीं, जो शबनम के द्वारा लायी गयी थी। कटिहार रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से कमरे में शबनम ने सभी को रात गुजारने के लिये रखा। सुबह शबनम ने सभी को कटिहार से दिल्ली जाने वाली गाड़ी में लगभग 32 वर्षीय युवक राजू के साथ ट्रेन से रवाना कर दिया। राजू के साथ

ये सभी किशोर युवतियां दिल्ली आ गई। वहाँ राजू ने सभी को एक छोटे से कमरे में रखा। वहॉ से राजू ने एक के बाद एक सभी युवतियों को 20000- 25000 रू0 में बेच दिया। तयबा को राजू ने एक ऐसे अधेड़ उम्र के आदमी को 23,000 रुपये में बेच दिया जिसकी पत्नी का स्वर्गवास लगभग पांच वर्ष पूर्व हो चुका था। तयबा ने उस अधेड़ उम्र के आदमी के चंगुल से निकलकर घर वासपी के तीन प्रयास किये परंतु वो असफल रही। किंतु चौथे प्रयास में तयबा घर वापस जाने के लिये उस आदमी को मनाने में सफल हो जाती है। तयबा तो घर वापस आ गई किन्तु अन्य तीन लड़कियों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। इन युवतियों की तस्करी में वास्तविक गुनाहगार शबनम थी जो इस घटना के बाद से फरार चल रही है। पुलिस के प्रयास के बाद भी पुलिस उसे पकड़ने में अभी तक असफल रही है।

6. **वैयक्तिक अध्ययन** :- 13 वर्षीय कल्लू के पिता आर्थिक बदहाली से गुजर रहे थे। गांव के ही रहने वाले अशोक ने रोजगार एजेंसी के माध्यम से कल्लू को फरीदाबाद के किसी रईस आदमी के बंगले में घरेलू नौकर के रूप में काम दिलाने की बात कल्लू के पिता को बताई। अशोक ने कल्लू के पिता को रोजगार एजेंसी के माध्यम से यह भी बताया कि कल्लू को मुफ्त रहने खाने के अलावा 4000 रू0 प्रतिमाह भी दिया जायेगा। आर्थिक बदहाली से जूझता कल्लू का पिता, कल्लू को भेजने के लिये राजी हो जाता है। कल्लू अशोक के साथ फरीदाबाद चला जाता है और रोजगार एजेंसी के द्वारा बताये गये बंगले में काम शुरू कर देता है। कल्लू के जाने के लगभग तीन माह तक हर महीने 4000 रूपये कल्लू के पिता के खाते में आते रहे किंतु उसके बाद कोई पैसा खाते में नहीं भेजा गया। पहले कभी कभार सेठ कल्लू की बात कल्लू के माता पिता से फोन से करवा देता था। लेकिन कई दिनों से कल्लू का कोई फोन नही आया। इधर एक सड़क दुर्घटना में अशोक की मृत्यु हो जाती है। इस कारण से कल्लू के बारे में और ना ही रोजगार एजेंसी के बारे में कुछ पता चल पा रहा था। एक बार कल्लू ने चोरी से सेठ के फोन से अपने घर बात किया और बताया कि जिस सेठ के घर वह काम करता है वहॉ उसका काफी शारीरिक शोषण किया जाता है। सेठ सेठानी उससे बहुत काम करवाते हैं। यहॉ तक कि कई बार काम कराने के लिये सेठानी उससे मारपीट भी करती है। बच्चे का दुख सुनकर मॉ बाप विचलित हो जाते हैं और पुलिस की मदद के लिये गुहार लगाते हैं । लेकिन अभी तक पुलिस कल्लू का कोई सुराग नहीं लगा पाती है। अतः इस घटना में आर्थिक तंगी के कारण कल्लू के माता पिता कल्लू को दूसरे राज्य के दूसरे शहर में भेज तो देते है लेकिन बाद में कल्लू मानव तस्करी का शिकार हो जाता है।

मानव का अवैध व्यापार मानवाधिकार का उल्लंघनः- विडंबना है कि आज का स्वार्थलोलुप समाज निजस्वार्थ की पूर्ति हेतु मानव को मात्र एक वस्तु तुल्य स्थान देता है। निजस्वार्थ की पूर्ति हेतु उसको जबरन/ प्रलोभन देकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाकर बेचा व खरीदा जाता है। अक्सर नाबालिक बच्चे व युवतियां मानव तस्करी के शिकार होते हैं। खरीदे हुये नाबालिग बच्चों व युवतियों का दैहिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से भरपूर शोषण किया जाता है।

अगर युवती तस्करी की शिकार होती है तो उसकी तस्करी का उद्देश्य किसी प्रलोभन द्वारा उसका बेमेल विवाह करवाना या काम वासना की पूर्ति हेतु उसे वेश्यालयों में बेच देना होता है। यह भी पाया गया है कि भारत में युवतियों की खरीददारी अपने पड़ोसी मुल्कों जैसे नेपाल व बांग्लादेश से सर्वाधिक होती है। वर्ष 2016 के एक अध्ययन के अनुसार विगत सात वर्षो (2009-2015) में लगभग दो लाख से अधिक युवतियों की तस्करी भारत के पड़ोसी देशों से की गई।[15] संयुक्त राष्ट्र स्टेट विभाग की वर्ष 2003 में दिये गये रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 6 से 8 लाख लोगों की तस्करी यौन शोषण के लिये की जाती है अथवा इस अवैध व्यापार का उद्देश्य शोषणकारी अवस्था में उनसे जबरन काम कराना है।[16]

निश्चित रूप से मानव व्यापार मानवाधिकार का उल्लंघन है जो उपर्युक्त वैयक्तिक अध्ययन से भी स्पष्ट है, क्योंकि अवैध व्यापार के शिकारग्रस्त लोग मानव के मूलभूत अधिकारों से वंचित होते हैं जिसके पीछे निम्नलिखित तथ्य हैं:-

1. अवैध व्यापार के शिकार लोगों के साथ अमानवीयपूर्ण दशा में बिना किसी विश्राम के लंबे समय तक काम करवाया जाना निश्चित रूप से मानवता का विरोध है।
2. अक्सर यह भी पाया गया है कि मानव तस्कर बच्चों से जोखिम भरे काम करवाकर उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से क्षति पहुचाते हैं। कठिन परिश्रम के

बदले बच्चों को अल्प या किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं दिया जाता है। कई बार शोषणकारी अवस्था में बंधुआ मजदूर के रूप में इनसे काम लिया जाता है। ये परिस्थितियां कहाँ से मानवता का समर्थन करती हैं।

3. कई बार वंचित समूहों को विभिन्न प्रलोभन देकर उनके अंगो की अवैध तस्करी हेतु लक्ष्य बनाया जाता है। इसके अलावा युवतियों का अवैध व्यापार अधिकतर पुरूष की काम वासना की पूर्ति हेतु की जाती है। ये दोनों तथ्य मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हैं।
4. कई बार तस्कर नाबालिक बच्चों को अपने चंगुल में रखने के लिये उन्हे ड्रग्स का आदी बना देते हैं, जिससे नशे की लत के कारण बच्चे तस्करों पर निर्भर रहें। यह मानवीय मूल्यों का कहीं से समर्थन नहीं करता।

अनैतिक व्यापार को रोकने के लिये सरकारी व गैर सरकारी प्रयासः- भारतीय संविधान की कानून व्यवस्था में मानव तस्करी के हर रूप को अस्वीकृत किया गया है तथा यह दण्डनीय अपराध है (अनुच्छेद 23 1)। भारतीय दण्ड संहिता (IPC) तथा अनैतिक व्यापार निरोधक कानून (ITPA) 1956 के अंतर्गत मानव व्यापार में संलिप्त अपराधी को सजा देने का प्रावधान है जो अर्थदण्ड अथवा जेल अथवा दोनो हो सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत तस्करी की शिकार महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाकर उनके पुनर्वास के लिये पुरजोर प्रयास किया जाता है।[17] भारत में स्त्रियों व बच्चों के व्यापार से संबंधित अलग अलग प्रारूपों के लिये अलग अलग कानूनी प्रावधान है। उदाहरणतः जबरन किसी बच्चे से मजदूरी या बेगारी को रोकने के लिये 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम का निर्माण किया गया। बाल श्रमिक निरोधक व नियामक अधिनियम, 1986 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से केवल विशेष परिस्थितियों में ही श्रम कराने की अनुमति प्रदान करता है। यदि सेवा नियोजक बच्चों से ऐसे कार्य करवाता है जो जोखिम से भरा है और उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता है तो यह कानून का उल्लंघन है, और एक दण्डनीय अपराध है।

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियिम (1994), मानव अंगों के व्यवसाय या सौदा को प्रतिबंधित करती है। देवदासी के रूप में बालिकाओं व युवतियों का शारीरिक व यौन शोषण को रोकने के लिये 1982 व संशोधित 1989 में ''देवदासी प्रथा नियामक व निरोधक अधिनियम'' भारत सरकार द्वारा सक्रिय किया गया।

इस प्रकार भारत में मानव तस्करी के तमाम प्रारूपों जैसे बाल श्रमिक, मानव अंगो का अवैध व्यापार, देवदासी प्रथा, देह व्यापार के लिये बच्चियों व युवतियों को वेश्यालयों में बेचना जैसे अलग-अलग प्रारुपों को नियन्त्रित करने के लिए कोई एक कानूनी व्यवस्था नहीं है बल्कि अलग-अलग कानूनों का सहारा लिया जाता है। कानूनी व्यवस्था के इस लूप होल के कारण कई बार मानव तस्कर तर्क देते हैं कि उनका कृत्य तस्करी के अन्तर्गत नहीं आता है। इसके अलावा मानव के अनैतिक व्यापार नियामक कानून, 1956 बच्चियों या युवतियों के यौन शोषण पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। कई बार सुरक्षा कर्मियों में मानव तस्करी के लिए बनाए गए कानून की जानकारी के अभाव के कारण पुलिस, तस्करों व शिकारग्रस्त लोगों को पहचानने में नाकाम रहती है।

सरकारी प्रयास में कई लूप होल के कारण कई गैर सरकारी संगठन जैसे STOP, SANLAAP, JABALA प्रेरणा, प्रज्वला, ओडनडी सेवा समिति, कोर, कार्ड, हेल्प, राइज आदि मानव तस्करी को रोकने, शिकारग्रस्त लोगों के बचाव और पुनर्वास तथा लोगों मे मानव तस्कारी के प्रति जागरुकता का प्रसार करने के लिए अपना सक्रिय योगदान दे रही हैं।

अब यदि मानव तस्करी के मूल में जाया जाये तो दो कारक है जो मानव को तस्करी का शिकार बनाते हैंः-

1. पुश (Push)
2. पूल (Pull)

गरीबी, बेरोजगारी, नौकरी प्राप्त करने की प्रत्याशा ऐसे कारक हैं जो पीड़ितों को तस्करी की ओर ढ़केल (Push) देते हैं। कई बार घरेलू हिंसा की शिकार पीड़िता या शादी का झूठा प्रलोभन भी लोगों को तस्करी के जाल में फंसा (Push) देती है। इसके अलावा नौकरी प्राप्त करने की प्रत्याशा, सस्ते श्रम व देह-व्यापार की माँग में लगातार वृद्धि आदि ऐसे कारक हैं जो लोगों को क्रय विक्रय के अवैध धन्धे की ओर खींचती (Pull) है।

पुश व पुल कारकों पर गौर करें तो समाज में जो वंचित हैं, उत्पीड़ित हैं वही तस्करी के सर्वाधिक शिकार हैं। अतः आवश्यकता है सरकारी व गैर सरकारी प्रयत्नों द्वारा समाज के आधारभूत संरचनात्मक कमियों जैसे गरीबी,

बेरोजगारी, आर्थिक अवसरों से वंचित होना आदि कमियों को दूर करने का प्रयास करने की जरुरत है। अतः जरुरत है सरकार विभिन्न निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों द्वारा परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करे साथ ही आधारभूत अवसंरचनात्मक विनिर्माण में अपना योगदान दें। स्थानीय संसाधनों का अधिकतम प्रयोग आर्थिक रुप से वंचितों को लाभ पहुँचाने हेतु किया जाना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि आर्थिक वंचना जब तक रहेगी, वे पुनः और पुनः तस्करी का शिकार होते रहेंगे। तस्करी के शिकारग्रस्त लोग जिनका बचाव किया गया है उनका समाज में पुनर्वास किया जा सके जिससे वे पुनः तस्करी के जाल में ना फंस सकें इस दिशा में भी सरकारी व गैर सरकारी संगठन को प्रयास करने की जरुरत है। इसके अलावा अवैध व्यापार या तस्करी के पश्चात् बचाव किए गए पीड़ित के प्रति आमजन को अपने व्यवहार व दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरुरत है, क्योंकि समाज के लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव किये बिना बचाव किये गये पीड़ित लोगों को समाज में पुर्नस्थापित नही किया जा सकता है। इस दिशा में सभ्य नागरिक समाज, महिला संगठन, गैर सरकारी संगठन व मीडिया की सशक्त भूमिका हो सकती है। आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग में शिक्षा व जागरुकता का अभाव महिलाओं व बच्चों की तस्करी के लिये एक अन्य किन्तु महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए महिलाओं व बच्चों में बेहतर स्वास्थ्य व अनिवार्य शिक्षा द्वारा उनकी क्षमताओं का विकास करने की जरुरत है। बच्चों व महिलाओं के तस्करी से बचाव के लिए घरेलू नौकर रखने वाले परिवार के लिए नौकर के विषय में सारी सूचना पुलिस स्टेशन मे देना अनिवार्य रुप से सुनिश्चित कर देना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवारों को स्थानीय प्रशासन मे सारी सूचना देना अनिवार्य कर देना चाहिए जिनके परिवार से कोई सदस्य काम की तलाश मे अपने क्षेत्र से बाहर जाकर प्रवास करते है। इन दो विकल्पों द्वारा ऐसे लोग जो काम की तलाश में प्रवास करते हैं उन्हे तस्करी के जाल में फसने से बचाया जा सकता है।

सन्दर्भ

1. Rashi, K., 'Child Trafficking in India: Aftermath Effects and Challenges', IOSR Journal of Humanities and Social Science, 2018, 23 (2): 20 - 24.
2. http://www.lawctopus.com/academike/child-trafficking
3. http://www.brownschool.wustl.edu/sites/DevPractice/Labor%20Rights%20Reports/Child%20Trafficking%20in%20India.pdf
4. Ghosh, B., 'Trafficking in Women and Children in India: Nature, Dimensions and Strategies for Prevention', The International Journal of Human Rights., 2009, 13 (5): 716 - 738.
5. ILO,'Traffickingofchildren,'http://www.ilo.org/ipec/areas/Traffickingofchildren/index.htm.
6. http://www.giftasia.in/index.php?option=com_content&task=view&id=207&Itemid-347.
7. Ghosh, B op.cit., pp. 716-738
8. NCRB, Crime in India (2010 - 15), National Crime Record Bureau, Govt. of India.
9. Ibid, p. 720
10. Ibid, p. 718
11. http://www.shaktivahini.org/situationalreport.pdf
12. http://www.freetheslaves.net/files/free-the-Slaves_Recovering-Childhoods_India.pdf
13. US Department of State Human Rights Practices: India Country Report, 1999
14. Protection Project, India Country Report. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2002
15. Bhanu, A. P., Mishra, R. K., 'Child Trafficking in India', International Journal of Law, 2016 2 (1): 33 - 36.
16. U. S. Department of State, 2003, Trafficking in persons http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2003
17. Ray, N, 'Wither Childhood? Child Trafficking in India'. Social Development Issues, 2007 29 (3): 72 - 83.

शिमला के बहु–सांस्कृतिक प्रवासियों के सन्दर्भ में समाचार पत्रों का व्यवहारः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

❑ वेद प्रकाश सिंह

दुनिया भर के जनसांख्यकीय आंकड़े यह बताते हैं कि बेहतर काम और भविष्य की तलाश मे लोग अपना मूल निवास स्थान छोड़ कर अन्य स्थान पर जा रहे हैं।[1] साल दर साल इन आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिल रही है। किसी भी क्षेत्र में प्रवासी अपने साथ अवसर लेकर आते हैं। अपनी कला, लोक संस्कृति, कार्य क्षमता व कार्य कुशलता से उन क्षेत्रों को समृद्ध करते हैं और उन पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। वहीं मीडिया लोगों की आवाज उठाने से लेकर सूचना सम्प्रेषण का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। पब्लिक ओपीनियन बनाना हो, या पब्लिक परसेप्शन, किसी मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने में, मीडिया बहुत प्रभावशाली माध्यम के रूप में काम करता है। मीडिया द्वारा प्रवासियों को लेकर की जा रही कवरेज का व्यापक प्रभाव प्रवासी लोगों तथा उनके आस पास रहने वालों पर पर पड़ता है। विभिन्न शोधों में यह देखा गया है कि स्थानीय लोगों का प्रवासियों प्रति किया जाने वाला बर्ताव मीडिया द्वारा दी जा रही सूचनाओं से प्रेरित होता है।[2] प्रस्तुत शोध में मीडिया द्वारा प्रवासियों से सम्बंधित समाचारों के कवरेज का अध्ययन किया गया है, जिसके अर्न्तगत शिमला में प्रसारित चार प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों के गुणात्मक अंतर्वस्तु विश्लेषण के अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। इस शोधकार्य से यह ज्ञात हुआ है कि प्रवासियों से सम्बंधित समाचारों को किस प्रकार से कवरेज दी गयी हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्षों द्वारा ज्ञात हुआ है कि समाचार पत्र प्रवासियों से सम्बंधित किस तरह के समाचारों को प्रमुखता देते हैं।

मनुष्य अपनी सुविधानुसार मानव सभ्यता के शैशवकाल से ही सदैव कष्टप्रद स्थानों से आरामदेह स्थानों की तरफ प्रवास करता रहा है। प्रवास करने की इस मानवीय प्रकृति ने उसे सामान्य की श्रेणी से कहीं अलग भिन्न प्रवासियों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है। जहां वह एक पहले से स्थापित जीवनशैली जो सांस्कृतिक रुप से उससे भिन्न होती है उसके साथ समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करता है। मानव जीवन के काल दर काल क्रम में यह प्रवृत्ति बढ़ती ही चली गई। मानव को जहां अपने जीवन में सुखदता का अनुभव दिखाई पड़ा उसने उसी के अनुसार अपने को वहां स्थापित करने का प्रयास किया।

आधुनिक औद्योगिक युग के विकास के पूर्व, कृषि आधारित समाज में भारतवर्ष अपनी विशिष्टता, कृषि योग्य क्षेत्रफल, उर्वर भूमि, जल आदि की प्रचुर उपलब्धता के चलते स्वर्ग के समान था, जिसके कारण भारत प्रवासियों का सबसे प्रिय स्थान रहा।[3]

भारत की जनगणना 2011 द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या 121 करोड़ 08 लाख 54 हजार 977 थी, जिसमे से 45 करोड़ 36 लाख लोग भारत में सिर्फ प्रवासी हैं जो अपने जन्मस्थान या पूर्व निवास को छोड़कर अन्य जगह पर स्थायी या अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। भारत में रह रहे प्रवासियों की संख्या उसकी कुल जनसंख्या का 37 प्रतिशत है जिसमे 70 प्रतिशत महिलायें (31 करोड़ 75 लाख) और 30 प्रतिशत पुरुष (14 करोड़) हैं।[4]

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रवासियों के इन आंकड़ो में सर्वाधिक संख्या लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं की है। 49 प्रतिशत महिलाओं के प्रवास का कारण विवाह था । इनके प्रवास के अन्य महत्वपूर्ण कारणों में शिक्षा, नौकरी और बिजनेस जैसे कारण रहे।

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों द्वारा अपने जन्म स्थान या निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र निवास करने का सबसे मुख्य कारण रोजगार करना या बेहतर अवसर की तलाश करना था । 14 करोड़ प्रवासियों में से 03 करोड़ प्रवासियों ने अपने प्रवास का मूलकारण बेहतर रोजगार की तलाश करना और जीवनयापन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के प्रबंध करने को बताया।[5]

उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि अपने जीवन यापन के बेहतर साधन की तलाश में मनुष्य सदैव एक प्रवासी जैसा रहा है। बेहतर अवसर की तलाश उसकी आदत है और हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार भी कि वह देश में कहीं भी जाकर रह सकता है, वहां से स्थानीय कानून के

❑ शोध अध्येता, जन संचार एवम् पत्रकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल, शिमला (हि.प्र.)

अनुसार बस सकता है और विधि सम्मत तरीके से नौकरी, व्यवसाय आदि कर सकता है।[6]

प्रवास की आवश्यकता तथा महत्व : बेहतर रोजगार के अवसर की तलाश प्रवास करने की आम प्रवृत्ति है। किसी भी स्थान या राष्ट्र के विकास में प्रवासियों का विशेष योगदान रहा है। कोई प्रवासी किसी स्थान विशेष पर रोजगार की तलाश में जाता है रोजगार मिलने पर वह अपनी श्रम साधना और कार्य कुशलता से उस कार्य को सम्पन्न करता है। किसी भी बड़े शहर का निर्माण हो या बड़े कारखाने का निर्माण, उसके स्थापत्य में प्रवासियों का योगदान रहा हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रवासी स्थान विशेष के (जहाँ वह रहते है काम करते हैं) वहां के विकास में अपना योगदान देते हैं। जिसके बदले उनके नियोक्ता उन्हें निर्धारित मेहनताना देते हैं। 'भारत के कुछ क्षेत्रों में, चार में से तीन घरों में एक प्रवासी शामिल हैं जो उस व्यक्ति, उसके परिवार उसके समाज और क्षेत्र के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।[7]

प्रवासियों की समस्यायें : जब कोई प्रवासी अपना निवास स्थान छोड़कर उचित कार्य और रोजगार की तलाश में पहुंचता है तो वह अपने साथ अपनी भाषा, वेश-भूषा, संस्कृति आदि भी लाता है। उनके साथ ही एक प्रवासी की सर्वात्रिक समस्याएं भी आ जाती हैं। मौलिक समस्याओं की बात करें शरण (रहने की समस्या) भोजन (खान पान की समस्या), शिक्षा व्यवस्था की समस्या, साफ-सफाई स्वास्थ्य जैसी समस्याए हैं, जिससे हर प्रवासी को दो चार होना पड़ता है।[8]

मीडिया और समाज : मीडिया को समाज का दर्पण कहते हैं। मीडिया में प्रकाशित समाचार जनभावना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया द्वारा प्रकाशित समाचारों का संज्ञान शासन-प्रशासन भी लेता है। अगर कोई समाचार किसी समस्या से सम्बद्ध होता है तो उसके शीघ्र निवारण की संभावना भी रहती है। इसी तरह कोई समाचार किसी वर्ग विशेष से सम्बंधित रहता है तो समाचार का प्रभााव भी उस समाज पर प्रतिविम्बित होता है।[9]

प्रवासन का कारण और औचित्य : भारत में प्रवासन नया नहीं है और ऐतिहासिक लेखों से पता चलता है कि लोग काम की खोज में स्थानांतरित होते रहे हैं। प्रवासन के अहम् कारणों में पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक आपदा (बाढ़, सूखा, दुर्भिक्ष, महामारी, भूकंप) के कारण स्वयं को जीवित रखने के लिए लोग अपना निवास स्थान छोड़कर नयी जगह तलाशते हैं। **जैसे** पूर्वोत्तर राज्यों और बिहार में आयी बाढ़ के बाद वहां का ज्यादातर श्रमिक वर्ग पलायन कर गया था।[10] ऐसी स्थिति में लोग सपरिवार जिसमे बड़े बूढ़े बच्चे शामिल हैं, सभी प्रवास करते हैं। समाजार्थिक असमानता में बिखरे, समाज की असमानता में बंटे लोग भी अपनी सामजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन जगहों प्रवास करते हैं जहाँ उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल जाएं। **इसके** अलावा धार्मिक उत्पीड़न भी प्रवास का एक बड़ा कारण है। हिन्दुस्तान में ऐसे प्रवासियों की संख्या करोड़ों में हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भाग कर आये हैं और वापस नहीं जाना चाहते हैं। इसी तरह से कुछ दिन पहले सर्वाधिक चर्चा का विषय बना रोहिंग्या और हाल में पाकिस्तान से भागकर आए इमरान खान की पार्टी के पूर्व विधायक का मामला भी है।

राजनैतिक संघर्ष भी प्रवास का बड़ा कारण है, ज्यादातर क्षेत्रवाद में रंगी राजनीतिक पार्टियों का यह ट्रम्प कार्ड है। मनसे द्वारा महाराष्ट्र में गैर मराठियों के खिलाफ चलाये जा रहे आन्दोलन में भारी संख्या में गैर मराठी श्रमिक वर्ग ने प्रवास करने में ही अपनी भलाई समझी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हिन्दी गैर हिन्दी भाषी का भेदभाव एक समय चरम पर था। समाचार पत्रों में राजनैतिक पार्टी द्वारा क्षेत्र खाली करने के अल्टीमेटम की सूचनाएं भी वहां के सथानीय संस्करण की हेड लाइन्स बनती थीं। बाकी की कवरेज में गैर प्रवासियों के साथ हुई हिंसा की चर्चा रहती थी।[11]

यूएन एजेंडा 2030 आन सस्टेनेबल डेवलॅपमेंटः समूचे विश्व में बढ़ती प्रवासियों की संख्या और उनके योगदान और स्थितियों को देखते हुए विश्व के नेताओं द्वारा सस्टेनेबल डेवलॅपमेंट एजेंडा 2030 बनाया गया है, जो प्रवासन की बहुआयामी वास्तविकता पर जोर देता है। एजेंडे देशों पर नियोजित और सुव्यवस्थित प्रवासन नीतियों को लागू करने, मानव तस्करी को खत्म करने, प्रवासी श्रमिकों के श्रमिक अधिकारों का सम्मान करने और प्रवासी धन प्रेषण, लेनदेन की लागत को कम करने के लिए कहता है। एजेंडा 2030 प्रवासियों, शरणार्थियों और आईडीपी की वैद्यता पर भी प्रकाश डालता है। इसके साथ ही इस बात पर जोर देती है कि मजबूर विस्थापन

और संबंधित मानवतावादी संकट अगर जारी रहे तो हाल के दशकों में हुए विकास की प्रगति की गति पलट सकती है।[12]

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध अध्ययन एक गुणात्मक अनुसंधान है। इस शोघ कार्य के लिए समाचार पत्रों का गुणात्मक अंतर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम से आवश्यक डेटा का संग्रहण किया गया है। शोध कार्य के लिए शिमला में प्रसारित प्रमुख चार समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रवासियों से संबंधित कवरेज का अध्ययन किया गया है। समाचार पत्रों का चुनाव उनके सर्कुलेशन के आधार पर किया गया है। सर्कुलेशन के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के डेटा को आधार बनाया गया है। शोधार्थी द्वारा शिमला में सर्वाधिक प्रसारित चार हिंदी समाचार पत्रों अमर उजाला, पंजाब केसरी, दिव्य हिमाचल और दैनिक भास्कर को शामिल किया गया है। इन समाचार पत्रों के 01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक के समाचार पत्रों को शामिल किया है।

शोध के लिए इन प्रवासियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है -

(अ)**अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी** : गैर भारतीय प्रवासी जो शिमला में प्रवासी के रूप में कार्य करते हैं, जिसमे मुख्यतया नेपाली और तिब्बती हैं।

(ब) **राष्ट्रीय प्रवासी** : शिमला में रह रहे गैर हिमाचली प्रवासियों को राष्ट्रीय प्रवासी जो अन्य प्रदेशों से आकर यहाँ काम करते हैं।

(स) **अंतर्राज्यीय प्रवासी** : शिमला में रह रहे वे प्रवासी जो शिमला जिले के अलावा किसी जिले के निवासी हैं, परन्तु वर्तमान में यहाँ काम कर रहे हैं।

विश्लेषण : शोधार्थी द्वारा शिमला में सर्वाधिक प्रसारित चार समाचार पत्रों अमर उजाला, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, दिव्य हिमाचल का अंर्तवस्तु विश्लेषण मुख्यतः क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है। प्राप्त आंकड़ों को निम्न चार प्रकार के कोड में वर्गीकृत किया गया है।

शिमला के उपर्युक्त चार सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्रों के अंर्तवस्तु विश्लेषण द्वारा निम्न आंकड़े प्राप्त हुए।

अमर उजाला के शिमला संस्करण के 01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक के अंर्तवस्तु विश्लेषण में प्राप्त हुआ-

उपर्युक्त समयावधि में समाचार पत्र की कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या 510 है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 9,25,650 वर्ग सेंटीमीटर है। इस समाचार पत्र में हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुल प्रकाशित पृष्टों की संख्या 280 है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 5,08,200वर्ग सेंटीमीटर है। इस समाचार में प्रवासियों से संबंधित कवरेज का संपूर्ण क्षेत्रफल 1,748 वर्ग सेंटीमीटर हैं। समाचार पत्र के संपूर्ण क्षेत्रफल के सापेक्ष यह कवरेज मात्र 0.18884 प्रतिशत है जबकि हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रकाशित क्षेत्रफल के सापेक्ष 0. 34395 प्रतिशत है।

पंजाब केसरी के शिमला संस्करण के 01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक के अंर्तवस्तु विश्लेषण में प्राप्त हुआ-

उपर्युक्त समयावधि में समाचार पत्र की कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या 485 है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 8,80,275वर्ग सेंटीमीटर है। इस समाचार पत्र में हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुल प्रकाशित पृष्टों की संख्या 270 है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 4,90,050 वर्ग सेंटीमीटर है। इस समाचार में प्रवासियों से संबंधित कवरेज का संपूर्ण क्षेत्रफल 760 वर्ग सेंटीमीटर हैं। समाचार पत्र के संपूर्ण क्षेत्रफल के सापेक्ष यह कवरेज मात्र 0.090199 प्रतिशत है जबकि हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रकाशित क्षेत्रफल के सापेक्ष 0.1620242 प्रतिशत है।

दैनिक भास्कर के शिमला संस्करण के 01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक के अंर्तवस्तु विश्लेषण में प्राप्त हुआ-

उपर्युक्त समयावधि में समाचार पत्र की कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या 400 है, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 7,26,000 वर्ग सेंटीमीटर है। इस समाचार पत्र में हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या 203 है, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 3,84,45 वर्ग सेंटीमीटर है। इस समाचार में प्रवासियों से संबंधित कवरेज का संपूर्ण क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर हैं। समाचार पत्र के संपूर्ण क्षेत्रफल के सापेक्ष यह कवरेज मात्र 0.0551 प्रतिशत है जबकि हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रकाशित क्षेत्रफल के सापेक्ष 0.10856 प्रतिशत है।

दिव्य हिमाचल के शिमला संस्करण के 01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक के अंर्तवस्तु विश्लेषण में प्राप्त हुआ-

उपर्युक्त समयावधि में समाचार पत्र की कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या 458 है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 8,31,270 वर्ग सेंटीमीटर है। इस समाचार पत्र में हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या 284 है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 5,15,460 वर्ग सेंटीमीटर है। इस समाचार में प्रवासियों से संबंधित कवरेज का संपूर्ण क्षेत्रफल 760 वर्ग सेंटीमीटर हैं। समाचार पत्र के संपूर्ण क्षेत्रफल के

सापेक्ष यह कवरेज मात्र 0.009142 प्रतिशत है जबकि हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रकाशित क्षेत्रफल के सापेक्ष 0.14744114 प्रतिशत है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रवासियों से संबंधित समाचार कवरेज को निम्न पांच कोड में वर्गीकृत किया गया है।

01–समस्या आधारित 02–लोक संस्कृति आधारित 03–एक पीड़ित के रूप में 04–एक आरोपी के रूप में 05–एक संदिग्ध के रूप में

समस्या आधारित– यद्यपि सरकार और व्यवस्था द्वारा पूरी कोशिश किए जाने के बाद भी कुछ लोगों को कुछ समस्याए उठानी पड़ती हैं। समाज और व्यवस्था के बीच बहुधा साम्य की स्थिति नहीं बन पाती है। प्रवासियों को भी उसी समस्या से दो–चार होना पड़ता है। ऐसे में जब समाचार पत्र ऐसी समस्याओं को कवर करते हैं तो सरकार और प्रशासन का ध्यान उन समस्याओं की तरफ आकृष्ट होता है और उन समस्याओं के निदान आसानी से हो जाता है। समाचार पत्रों में प्रवासियों की सामान्य समस्याओं से संबंधित कवरेज को इसमें शामिल किया गया है।

लोक संस्कृति आधारित – सभी समुदायों की अपनी एक विशिष्ट लोक संस्कृति, व्रत त्यौहार होते हैं। वह जहां भी जाता है, वहां भी उन्हें मनाता है। चाहें वह बिहार व आस पास के निवासियों द्वारा मनाया जाने वाला विशेष त्यौहार छठ पूजा हो या केरल का विशेष त्यौहार ओणम या पंजाबियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार बैशाखी। इस प्रकार के कोड में विभिन प्रकार के प्रवासियों के लोक संस्कृति से जुड़ी कवरेज को शामिल किया गया है।

एक पीड़ित के रूप मे – सभी समाज में किसी न किसी तरह के अपराध होते रहते हैं, अपराध में दो पक्ष होते हैं एक पक्ष होता है अपराधी तो दूसरा पीड़ित। इस प्रकार के कोड में प्रवासियों के किसी आपराधिक गतिविधि में पीड़ित होने के समाचार कवरेज को शामिल किया गया है।

एक आरोपी के रूप में –जब भी कहीं पर अपराध की कोई घटना घटित होती है तो पीड़ित पक्ष के अलावा एक पक्ष होता है आरोपी, जिसके द्वारा घटना को अंजाम देने का आरोप होता है। इस प्रकार के कोड में किसी प्रवासी द्वारा आपराधिक कृत्य/गतिविधि में शामिल होने की कवरेज को शामिल किया गया है।

एक संदिग्ध के रूप में – प्रवासी सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के कितने भी महत्वपूर्ण वाहक क्यों न हो लेकिन अक्सर उनके साथ भेदभाव की बातें स्पष्ट रूप से सामने आती रहती है। सरकारों से लेकर प्रशासन तक उन्हें संदेह के दृष्टिकोण से देखता है। इसी कारण यह दृष्टिकोण समाचार पत्रों में भी परिलक्षित होता है। इस प्रकार के कोड में उन समाचार कवरेज को शामिल किया गया है जिनमें उन्हें संदेहास्पद मानने संबंधी कवरेज की हो।

शोधार्थी द्वारा निर्धारित कोड के अनुसार समाचार पत्रों का विश्लेषण करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए।

अमर उजाला : प्रवासियों से संबंधित समस्याओं पर आधारित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 08 प्रतिशत हिस्सा है। लोक संस्कृति पर आधारित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 0.00 प्रतिशत हिस्सा है। एक पीड़ित के रूप में प्रवासियों से संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 61.78 प्रतिशत हिस्सा है। एक आरोपी के रूप में प्रवासियों से संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 16.47 प्रतिशत हिस्सा है। एक संदिग्ध के रूप में प्रवासियों संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 13.72 प्रतिशत हिस्सा है।

पंजाब केसरी : प्रवासियों से संबंधित समस्याओं पर आधारित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 22.16 प्रतिशत हिस्सा है। लोक संस्कृति पर आधारित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 27.7 प्रतिशत हिस्सा है। एक पीड़ित के रूप में प्रवासियों से संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 22.41 प्रतिशत हिस्सा है। एक आरोपी के रूप में प्रवासियो संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 0.00 प्रतिशत हिस्सा है। एक संदिग्ध के रूप में प्रवासियों संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 27.70 प्रतिशत हिस्सा है।

दैनिक भास्कर : प्रवासियों से संबंधित समस्याओं पर आधारित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 55 प्रतिशत हिस्सा है। लोक संस्कृति पर आधारित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 0.00 प्रतिशत हिस्सा है। एक पीड़ित के रूप में प्रवासियों से संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 0.00 प्रतिशत हिस्सा है। एक आरोपी के रूप में प्रवासियों संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 0.00 प्रतिशत हिस्सा है। एक संदिग्ध के रूप में प्रवासियों से संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 45.00 प्रतिशत हिस्सा है।

दिव्य हिमाचल : प्रवासियों से संबंधित समस्याओं पर

आधारित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 0.00 प्रतिशत हिस्सा है। लोक संस्कृति पर आधारित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 0.00 प्रतिशत हिस्सा है। एक पीड़ित के रूप में प्रवासियों से संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 23.15 प्रतिशत हिस्सा है। एक आरोपी के रूप में प्रवासियों से संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 76.84 प्रतिशत हिस्सा है। एक संदिग्ध के रूप में प्रवासियों से संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का 0.00 प्रतिशत हिस्सा है।

सम्पूर्ण कवरेज का औसत मान : प्रवासियों से संबंधित समस्याओं पर आधारित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का औसत 14.47 प्रतिशत हिस्सा है। लोक संस्कृति पर आधारित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का औसत 5.94 प्रतिशत हिस्सा है। एक पीड़ित के रूप में प्रवासियों से संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का औसत 38.73 प्रतिशत हिस्सा है। एक आरोपी के रूप में प्रवासियों से संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का औसत 28.49 प्रतिशत हिस्सा है। एक संदिग्ध के रूप में प्रवासियों से संबंधित कवरेज सम्पूर्ण कवरेज का औसत 12.42 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं सम्पूर्ण कवरेज के सापेक्ष प्रवासियों की औसत कवरेज 0.0858 प्रतिशत है। वहीं हिमाचल के सापेक्ष यह आंकड़ा 0.19047 प्रतिशत है।

निष्कर्ष व सुझाव : मीडिया का प्रभाव व्यापक है। समाचार पत्रों के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर उसके निवारण की जवाबदेह संस्थाए गम्भीरता से लेती हैं, जिसके कारण उनका त्वरित निदान सम्भव हो पाता है। इसके अलावा जन धारणा बनाने में भी मीडियाा द्वारा प्रकाशित समाचारों का योगदान होता है। मीडिया कवरेज से किसी की संस्कृति रहन-सहन आदि बारे में जानकारी मिलती है और यही जानकारियां हमें किसा के प्रति अपना दृष्टिकोण बनाने में मदद करती हैं।

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने पाया कि शिमला में सर्वाधिक प्रसारित चार प्रमुख समाचार पत्रों में प्रवासियों से संबंधित कवरेज नगण्य है। किसी भी समाचार पत्र में प्रवासियों से संबंधित समाचारों का एक प्रतिशत भी नही है। यह सर्वविदित है कि जब भी कोई प्रवासी बेहतर भविष्य और अवसर की तलाश में प्रवास पर आता है तो वह ढेर सारी सम्भावनाओं के साथ कुछ चुनौतियां भी लाता है, जिनका उसे सामना करना पड़ता है। परंतु यदि मीडियाा द्वारा उन चुनौतियों को समाचारों के माध्यम से सरकार और जवाबदेह लोगों तक पहुंचाई जाए तो आसानी से उसका निदान सम्भव है। लोगों की समस्याओं को जवाबदेह संसीओ तक पहुचाना ही मीडियाा का दायित्व है।

प्रवासियो से संबंधित जो कुछ भी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हैं उनमे सर्वाधिक प्रतिशत उनके द्वारा अपराध में शामिल होने या किसी आपराधिक कृत्य के शिकार होने की हैं। ऐसे समाचारों को छपने से रोका नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह समााचार हमें हमारे आस-पास बढ़ रहे अपराध और अपराधियों के ट्रेंड से संबंधित जानकारी देते हैं जिससे लोग अपराध से अपना बचाव कर सकें। परंतु जब अपराधी को उसके जातीय पहचान (एथनिक आइडेंटिटी) से जोड़ते हैं तो इसका उनकी सामाजिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ते हैं।

एक तरफ पूरी दुनियां जहां गैरकानूनी प्रवासियों की समस्या से जूझ रही है जिसकी वजह से प्रवासियों के योगदान को नजरअंदाज कर उन्हे बाहरी बताने की प्रथा बढ़ रही है। किसी भी समाज उन्हे चिंहित करने का चलन है। चिंहित करने का चलन इस कदर बढ़ रहा है कि वह आज दुनिया के बड़े और लोकतांत्रिक देशों में चुनाव का सबसे अहम् मुद्दा बनता जा रहा है। अमेरिकी चुनाव में मेक्सिकन और बी-2 वीजा तो हिन्दुस्तान के चुनाव में एनआरसी, राज्य स्तरीय चुनाव में गैर राज्य के लोगों को मुद्दा बनाना आम हो गया है। प्रस्तुत शोध में प्रवासियों से संबंधित पोस्ट का 12.42 प्रतिशत उन्हे संदेह की नजर से देखने की है। अर्थात पाठकों द्वारा उन्हे एक संदिग्ध के रूप मे चिंहित करने की हैं। जब इस प्रकार के समाचार लोगों के बीच पहुंचते हैं तो उनके साथ रह रहे लोगों में एक प्रकार के भय और अविश्वास की भावना जन्म लेती है, जो उस समूचे समुदाय को भी संदिग्ध बनाती है।

जैसा कि विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रवासियो की संपूर्ण कवरेज का 5.9 प्रतिशत ही उनके लोक कला और संस्कृति से संबंधित कवरेज है, जबकि उनसे जुड़े मुद्दे उठाए जाने चाहिए। उनकी समस्याओं पर, उनकी लोक संस्कृति पर जीवन स्तर वेंश-भूषा आदि पर भी फीचर लिखे जाने चाहिए, जिससे लोगों का उनके बारे में जानकारी हो सके। यह जानाकरियां लोगों को प्रवासियों के प्रति आकर्षित करती हैं, उनसे मेल जोल बढ़ाने को प्रेरित करती हैं। इससे एक स्वस्थ्य और परस्पर अनुपूरक समाज का निर्माण होता है, जिससे प्रवासियों को लोग

सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और परस्पर सहयोग की भावना भी बढ़ती है जो किसी भी विकसित और शांतिपूर्ण समाज की आवश्यक शर्त है।

प्रस्तुत शोध से शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रवासियों से जुड़े मुद्दे शिमला के प्रमुख समाचार पत्रों में न के बराबर हैं। शिमला जैसे कठिन भौगोलिक स्थिति वाले जिले की जीवन रेखा प्रवासी ही हैं। यहां के प्रमुख स्थानों तक ढुलाई और भारी वाहन नहीं जाते हैं। अतः मुख्य बाजारों तक सामान पीठ से ढोकर ही जाता है। शिमला में पीठ से ढोकर माल पहुंचाने का ज्यादातर काम 'खान' मूलतः कश्मीरी और नेपाल के लोगों द्वारा किया जाता है। जनपद के लोगों के आय के प्रमुख स्त्रोत बागवानी और सेब उत्पादन में बाहरी राज्यों के मजदूरों (विशेषतया नेपाल जिन्हे गोरखा व कश्मीरी जिन्हें खान कहा जाता है व उत्तर भारत के मजदूर) पर निर्भर हैं। नेपाली संघ के अनुसार 25 हजार से ज्यादा गोरखा मजदूर सिर्फ सेब बागानों में काम करते हैं सेब के सीजन में इनकी संख्या और बढ़ जाती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय व काम काज में दिल्ली, उत्तराखण्ड समेत समस्त भारत में तिब्बती लोग लगे हुए हैं जो यहाँ रहने और आने वाले लोगों के साथ व्यापारिक और अन्य सेवायें (ट्रेड एंड सर्विसेज) दे रहे हैं। अतः ऐसे लोगों से जुड़े मुद्दे मीडिया में अधिकाधिक स्थान पाएं। इन लोगों से जुड़े सकारात्मक पहलू भी समाचार पत्र अपने लेखों आदि के माध्यम से लोगों तक पहुंचायें जिससे लोग प्रवासियों की समस्याओं से लेकर लोककला संस्कृति के साथ-साथ अन्य पहलुओं के बारे में भी जाने, समझें और उनका सम्मान करें।

सन्दर्भ

1. Cencus of India http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
2. Kosho, J. 'Media Influence On Public Opinion Attitudes Toward The Migration Crisis'. International Journal of Scientific & Technology Research, 2016, pp. 86-91.
3. Priya Deshingkar, S. A., 'Migration and Human Development in India' London: UNDP, 2009-13
4. Government of India, op. cit.
5. Government of India, 'Drop-in-Article on Census' SRS Publications, New Delhi, 2011
6. ibid.
7. Ravi Srivastava, S. S., 'An Overview of Migrationin India, Its Impacts and Key Issues', June 22-24,2003, .https://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0903/Dhaka_CP_2.pdf
8. McKenzie, & Sasin, M., 'Migration, Remittances, Poverty, and Human Capital : Conceptual and Empirical Challenges'. World Bank Policy Research Working Paper, 2007, pp. 42-72.
9. Kosho, J., 'Media Influence On Public Opinion Attitudes Toward The Migration Crisis'. International Journal of Scientific & Technology Research, 2016, pp. 86-91.
10. Flood in Assam. (2017, august 18) september 30, 2017, http://www.jansatta.com/photos/news-gallery/watch-plight-of-assam-flood-victims-in-these-photos/375588-7/
11. AajTak, (2013, August 13). mns-and-shivsena-threaten-non-marath. http://aajtak.intoday.in/story/mns-and-shivsena-threaten-non-marathi-1-738962.html
12. Migration, P. d. (2017, February 16). http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/index.shtml
13. https://www.jagran.com/himachal-pradesh/shimla-16422440.html

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

स्वतंत्रयोत्तर भारत में ग्रामीण दलित महिलाओं की प्रस्थितिः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

❑ रामवृक्ष द्विवेदी

ग्रामीण दलित महिला विषय पर सामाजिक विज्ञान में कई महत्वपूर्ण शोध और लेखन हुए हैं। भारत में दलित महिलाओं का वर्ग, महिला वर्ग से भी पृथक विशेष समस्याओं वाला वर्ग है सरकार द्वारा इनके जीवन स्तर को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से सुधार करने की सांविधिक प्रयास उत्तरोत्तर किये जा रहे हैं परन्तु, दलित महिलाओं की समस्यायें कम नहीं हो रही हैं। भारतीय समाज की वास्तविकता, और विशिष्टता में दलित समुदाय एवं दलित महिलाओं का जाति-वर्ग-जेंण्डर के आधार पर विश्लेषण एक गतिशील प्रक्रिया है। दलित महिलाओं की स्थिति एवं प्रस्थिति को एक समुदाय में तभी समझा जा सकता है, जब हम कुछ विवादास्पद प्रश्नों जैसे 'अस्मिता, संस्था और स्व-निर्धारण' का हल ढूँढ़ते हैं। समाज के मूल्यों और आदर्शों से समाजीकृत होकर एक female humen being से दलित महिला का उद्भव होता है। समाज में दलित महिला अपनी भूमिका का निर्वहन, पालन आदि समाज और राज्य की विधि के अनुरूप करते हुए गरीबी और शोषण में सम्पूर्ण जीवन को व्यतीत करती हैं। वर्तमान में लोकतंत्रात्मक अवधारणा और राज्य की विकासात्मक नीति इनके सर्वांगीण उत्थान में प्रत्यक्षतः संलग्न है। प्रस्तुत शोध ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति का गुणात्मक और गणनात्मक पद्यति पर आधारित, प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों का विश्लेषण है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था का गुण ''विभेदीकृत-प्रदत्त'' (Particulasistic ascriptive) प्रकृति का है।[1] इस प्रकार के समाज में प्रस्थिति, शक्ति, और धन उच्च वर्ण के पास रहता है। जाति एक प्रस्थिति-प्रदत्त व्यवस्था है जो कि जन्म पर आधारित है। जातीय व्यवस्था, संस्तरणात्मक और विभेदीकृत, शुद्ध रूप में प्रदत्त प्रकृति है, जो कि एक निश्चित व्यवस्था में जन्म लेती है। यथा परिणाम स्वरूप, सामाजिक संस्तरण में जो सबसे निचले स्तर पर होते हैं वे सामाजिक आर्थिक राजनैतिक और धार्मिक अधिकारों से दूर रखे जाते हैं। संस्तरण में उच्च स्थान रखने वाले लोग प्रभुत्व और आधिपत्य स्थापित करने के लिए कई प्रकार से संस्तरण में निम्न स्थान रखने वालों को नैतिक रूप से विवश करते हैं जो एक एहसानात्मक (Obligated) व्यवस्था का निर्माण करते है। निम्न जातियाँ को जो कि कई प्रकार से विकास से वंचित होती हैं, अधीनस्थ सामाजिक स्थिति को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करने के लिए बल दिया जाता है। यहाँ तक यदि दलितों द्वारा इसका प्रतिरोध होता है तो पारम्परिक प्रभुत्व जातीय समूह द्वारा शक्ति-बल का प्रयोग करके अपमानित कर दिया जाता है।

डा0 अम्बेडकर[2] लिखते हैं कि जाति संस्था एक रहस्यात्मक पुरातन प्रकृति की संस्था है। जाति व्यवस्था रूढ़िगत, शुद्धता और प्रदूषण[3] के द्विभाज्य समूह व्यवस्था पर आधारित है। आधुनिक भाषा में जाति, भूमिकाओं का संस्थाकरण, सुदृढ़ पितृसत्तात्मक व्यवस्था और स्थायी विषमता विशेषरूप से महिलाओं के लिए अभिकल्पित किया गया है। पौराणिक ब्राह्मण ग्रन्थों में, प्रमाणित असमानता ही परम्परा है, जो पवित्रता के रूप में वर्णाक्रम व्यवस्था में प्रसारित होती है। जाति, वर्ग और जेण्डर के संस्तरण में दलित महिलाओं का स्थान सबसे नीचे है। दलित महिलायें भेदभाव का बोझ कई तरीके से उठा रही हैं, जैसे- दलित, गरीबी और महिला। जाति व्यवस्था में दलित महिलाऐं तात्विक रूप से अशुद्ध और 'अछूत' हैं, जो कि सामाजिक अपवर्जन या बहिष्करण और शोषण के लिए संस्वीकृत है। दलित महिलाओं की बहुत बड़ी जनसंख्या कंगाली में अपना जीवन यापन करती हैं, वे भूमिहीन कृषक मजदूर हैं, जिसके कारण वे अपने सामान्य जीवन की उपयोगी वस्तुओं या संसाधनों का सेवन नहीं कर पाती हैं। दलित महिलाएं अपने समुदाय एवं परिवार दोनों ही जगहों पर पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के अधीन रहती हैं। मिल[4] महिलाओं की अधीनता को एक सार्वभौमिक परम्परा के रूप में देखते हैं। वे लिखते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं के जन्म से लेकर भविष्य तक की योजना बना ली जाती है। गेरडेर लर्नर[5] के अनुसार समाज

❑ शोध अध्येता, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, डॉ. हरि सिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

निर्माण में महिला केन्द्र बिन्दु में होते हुए सक्रिय भूमिका निभाती हैं। यद्यपि, सभ्यता के विकास में महिलायें हासिये पर रही हैं, फिर भी इनका ऐतिहासिक महत्व है। महिला और पुरूष के संबंधों का ज्ञान स्वयं के विकास के साथ है। महिलाओं का ज्ञान का अभाव, संघर्ष का इतिहास, उनकी उपलब्धियाँ ही उनको अधीनस्थ बनाती हैं। व्यवस्था के रूप में पितृसत्तात्मकता ऐतिहासिक है, अतः इसका अन्त ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वारा ही हो सकता है। तथ्यात्मक रूप में महिलाएं लिंग-भेद के कारण बच्चे का वाहन करती हैं, वह महिला अपनी जेंण्डर के कारण बच्चों का पालन-पोषण करती है। जेंण्डर का निर्माण सांस्कृतिक है। यह जेंण्डर ही है जो महिलाओं की समाज में स्थान एवं मुख्य उत्तरदायित्व का निर्धारण करती है।

दलित जातियों के सन्दर्भ में अम्बेडकर अतिवादी वैचारकीय भाव में कहते हैं, अपने उन्नयन के लिए ''शिक्षित, उत्साही और संगठित''[6] हों। अम्बेडकर की यह प्रभावात्मक वैचारिकी दलित महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र-निर्माण में जोड़ती है। भारतीय मनीषियों जैसे विवेकानन्द, अरविन्द, गाँधी, अम्बेडकर, टैगोर आदि के गौरवान्वित उत्तराधिकारी पंण्डित दीनदयाल उपाध्याय[7] के प्रमुख सिद्धान्त एकात्म मानवतावाद और अन्त्योदय को राज्य के द्वारा प्रयोग करने से वर्तमान में दलित महिलाओं का उत्थान सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक स्तर पर प्रभाव का वैज्ञानिक विश्लेष्ण करने की आवश्यकता है।

साहित्य में दलित, महिला, जेंण्डर एवं जातिः वूलस्टोनक्राट एम. की पुस्तक 'A Vindication of the Right of Woman' महिला लेखन की प्रथम पुस्तक है। पुस्तक में वूलस्टोनक्राट ने पुरुष और महिला की राजनैतिक और शैक्षिक अधिकार देने की बात की हैं। मैरी ने समाज में योगदान देने के लिए महिलाओं को शिक्षित करने की बात की हैं। प्रथम अध्याय में परिवार की संरचना में पत्नी के अधिकारों या शक्ति की बात की हैं। पुरुष प्रभुता से परिवार की स्थिति को भी बताया है। दूसरे और तीसरे अध्याय में महिलाओं की अनचाही अधीनस्थता, घर की नीरसता और संकीर्णता के कारण उत्पन्न असमर्थता आदि पर चर्चा है। अध्याय चार एवं पांच में महिला की सुख-शान्ति तथा विवाह ही सबसे उत्तम मित्रता के रूप में बताया गया है। अध्याय छः में महिला चरित्र के विकास एवं उनमें सहायक संगठनों एवं संघों के महत्व को भी स्पष्ट करती हैं। अध्याय सात एवं आठ में शीलता, विनम्रता, पवित्रता और महिला व्यायाम इत्यादि पर विमर्श है। अंतिम अध्याय में सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान के साथ सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्तव्यों पर विमर्श करती हैं, साथ ही एक अच्छी माँ बनने या भूमिका की बात करती है।

गेल ओमवेट[9] का अध्ययन महिला समूहों से सम्बन्धित पार्टियों जैसे साम्यवादी और समाजवादियों का कृषक विद्रोह, विरोध प्रदर्शन और प्रमाणीकरण में सम्मिलित होकर महिलाओं में चेतना पैदा करने का वर्णन है। अध्ययन महाराष्ट्र के ऐसे स्थानों पर आधारित है जहाँ महिला श्रम सबसे अधिक और ताकतवर था। यह एक ऐसा राज्य है जहॉ सामाजिक-सांस्कृतिक विद्रोह की परम्पराओं में महिलाओं की बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी है। अध्ययन में ऐसी महिलाओं का साक्षत्कार किया गया है जो संगठनों और विद्रोहों में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हैं। महिलाओं का चुनाव न तो दैव निदर्शन पर है न ही किसी संख्यात्मक आधार पर। साक्षत्कार के लिए ऐसी महिलाओं का चयन किया गया है जो गरीब हैं और शोषित समाज की अंग हैं।

अटार चन्द[10] के लेखन में पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर प्रकाश डाला गया है। महत्मा गाँधी के नैतिक सिद्धान्त में गरीब ग्रामीण लोगों विशेषकर 'अन्त्योदय' का विकास पहले स्थान पर था। नेहरू ने ग्राम पंचायत के माध यम से बंधुवा मजदूरी का उन्मूलन किया। लेखक ने विकेन्द्रीकरण की योजनाओं की विफलता के लिए, राज्य स्तर से राजनैतिक इच्छा-शक्ति का अभाव एवं बुनियादी स्तर पर ग्रामीण अभिजन की प्रभुता को मुख्य कारक माना है। परन्तु कुछ समय से शिक्षा, सामान्य जागरूकता और राजनैतिक चेतना के कारण इसमें कुछ सुधार हुआ है। इसी सन्दर्भ में लेखक आगे लिखते हैं कि नेतृत्व की इस पीढ़ी में राजनैतिक सुरक्षा और विश्वसनीयता है जिसके लिए स्वतंत्रता संग्राम की सर्वोत्तम नेतृत्व शैली कारण है।

नैंसी बानविलियम[11] के शोध अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों एवं लेखक के स्वयं के अनुभवों के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। पुस्तक दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग-जेंण्डर भूमिका पर भौतिक दशा के प्रभाव के अन्तर्गत सात अध्याय हैं। इस भाग में लेखक द्वारा महिला-पुरुष की भूमिका का वर्णन किया गया है। लेखक ने अमेरिकी जनजातियों की सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना और राजनैतिक संरचना के आधार पर पुरुष के भौतिक संसाधनों पर

प्रभुत्व को स्पष्ट किया है। लेखक ने उन सभी भौतिक दशाओं को स्पष्ट किया है, जिनके कारण महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व बन जाता है। ऐसी भौतिक दशाएँ कृषि कार्य में, शिकार में, अर्थ उत्पादन में वृहद रूप से होती हैं। सूक्ष्म रूप में व्यक्तियों के व्यक्तिगत क्रियाकलाप होते हैं जो उनकी भूमिकाओं को बनाते हैं। लेखक का कथन है कि एक समूह/समुदाय/समाज की संरचना में महिला और पुरुष के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कारक प्रतिष्ठा और शक्ति होता है। इस तरह से भाग-1 पूर्ण रूप से जेंण्डर रोल की उन संस्कृतियों को स्पष्ट करता है, जो Modes of Production (उत्पादन के साधन) तथा राजनैतिक एकीकरण की प्रणाली को बताया है जो Gender Role को प्रभावित करता है। इसी भाग में भारत और चीन को एक कृषक राज्य के रूप में यहाँ की पितृसत्तात्मक व्यवस्था का चित्रण किया गया है। साथ ही महिलाओं पर लगे प्रतिबंधों और Devaluation को Patriarchy में देखा गया है। भाग-2 Ideological Constraints on Gender में महिला और पुरुष की भूमिकाओं का वर्णन धर्म, विश्वास, भाषा, संचार के साथ किया गया है। महिलाओं और पुरुषों का शरीर तथा उसके अनुरूप धार्मिक क्रियाकलाप जो उनकी भूमिकाओं को स्थापित करते हैं का विश्लेषण है। भाषा और संचार व्यवहार द्वारा जेंण्डर रोल के निर्धारण का चित्रण स्पष्ट करता है कि महिलाओं और पुरुषों का शब्दकोष अलग-अलग है। बात करने के नियम अलग-अलग हैं।

भारत में दलित महिलाओं का वर्ग, महिला वर्ग से भी पृथक विशेष समस्याओं वाला वर्ग है।[12] जाति एवं राष्ट्रवाद के संदर्भ में घुरिये[13] ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जातीय व्यवस्था में परिवर्तन तथा 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के संविधान में भारत के लोगों को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक समता एवं न्याय का अधिकार मिला, जो कि जातीय संरचना को अधिक शिथिल बनाया। सामान्यतः भारतीय समाज की वास्तविकता, और विशिष्टता में दलित समुदाय एवं दलित महिलाओं का जाति-वर्ग-जेंण्डर के आधार पर विश्लेषण अनिवार्य रूप से एक गतिशील प्रक्रिया है। त्रिस्तरीय लेंस की नजर से देखने पर संस्कृति, जेंण्डर के अन्तरानुभाग का भौतिक विस्तार तथा जातीय भेदभाव, भारत में सामाजिक संबंध और सामाजिक विषमता का सत्य बोध कराती है।[14] जोधका[15] लिखते हैं कि ग्रामीण समुदाय में प्रभुजाति एवं उपाश्रेयण जाति की विभिन्नताओं के द्वारा दृढ़ संरचना में मजबूत संस्थाओं का विकास हुआ है, फिर, ऐसी व्यवस्था में विकेन्द्रित सरकार कैसे दलितों का विकास एवं उत्थान कर सकती है। दलित महिलाओं की स्थिति एवं प्रस्थिति को एक समुदाय में तभी समझा जा सकता है, जब हम कुछ विवादास्पद प्रश्नों जैसे 'अस्मिता, संस्था और स्व-निर्धारण' का हल ढूँढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त, दलित महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए उनकी प्रस्थिति और जाति पूर्वाग्रह पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। लिम्बाले[16] लिखती हैं कि "...जाति एक ऐसी श्रेणीकृत विषमता की व्यवस्था है जिसमें जाति श्रृद्धा का आरोही क्रम तथा उपेक्षा का अवरोही क्रम के पैमाने पर व्यवस्थित है। जैसे .... व्यवस्था में ऊपर की ओर जाने पर एक जातीय समूह में शक्ति और सत्ता बढ़ती है और जब नीचे की ओर जाते हैं तब उपेक्षा या हीनता बढ़ती है। इन जातियों के पास कोई शक्ति नहीं है और ये गंदगी या प्रदूषण से संबंधित हैं...। सामाजिक व्यवस्था में दलित महिलाओं को मातहत या अधीन करने के लिए सामाजिक रचनातंत्र विकसित किए गए हैं जैसे- हिंसात्मक अमानवीय व्यवहार- लैंगिक अवस्कंद (sexual assault), बलात्कार, नग्न परेड आदि। इस प्राचीन जाति और लिंग आधारित परम्परागत पितृसत्तात्मक व्यवस्था में आधुनिक कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, राज व्यवस्था एवं पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी कमजोर नजर आती है।

समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण से व्यक्ति समाज के मूल्यों और आदर्शों को सीखता है। इन्हीं मूल्यों एवं आदर्शों को सीखकर व्यक्ति महिला और पुरूष बनता है। समाज के मूल्य और आदर्श से ही किसी भी महिला की भूमिका और प्रस्थिति निश्चित होती है। महिला समाजीकरण के संदर्भ में ग्लीटमैन[17] लिखते हैं कि महिला समाजीकरण जन्म से ही इस प्रश्न के साथ शुरू हो जाता है कि 'यह लड़का है कि लड़की?'

बील[18] यह स्पष्ट करते हैं कि महिला अपनी जेंण्डर भूमिका को समाजीकरण के अभिकरण से सीखती हैं जो कि समाज की शिक्षिका हैं। पश्चिमी समाज में (भारतीय समाज में जाति) परिवार, नातेदारी, विवाह, मित्र समूह, विद्यालय, मीडिया, राज्य आदि समाजीकरण के मुख्य अभिकरण हैं। महिला समाजीकरण के सन्दर्भ में प्रत्येक अभिकरण जेंण्डर रूढ़िवादिता को सुदृढ़ बनाती हैं। विशेषतौर पर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान महिला समाजीकरण से जेंण्डर भेद, अन्तराल आदि के

परिणाम आते हैं। हेथरिंग्टन[19] ने लिखा है कि परिवार एक जेंण्डर सम्बन्ध है। परिवार में माता और पिता अपने बच्चे के खेलने के स्थान को अपने सन्दर्भ में ही सज्जित करते हैं, वे बच्चे को अपनी दिलचस्पी के अनुसार ही खिलौने देते हैं। महिला समाजीकरण एक जेंण्डर सम्बन्धात्मक प्रक्रिया है। बेक[20] के शब्दों में जोखिम समाज के अन्तर्गत जेंण्डर सम्बन्धात्ममक प्रारूप में विचरित प्रत्येक प्रघटना उस प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें अव्यक्तता और स्पष्टता को चुनौतियों एवं संसाधनों के साथ तुलनात्मक रूप में रखा गया है। बेक की इस बात से यह स्पष्ट होता है कि महिला और पुरूष का समाजीकरण बहुविमीय परिप्रेक्ष्य के प्रारूप में विकसित होता है। किसी भी दलित महिला का समाजीकरण इसी परिप्रेक्ष्य में विकसित होता है, जिसके कारण ये दलित महिलायें समाज में स्वयं को शक्तिहीन, कमजोर, निःसहाय, दबी हुई समझती हैं। डहरेनडॉफ[21] के 'उत्पीड़न का सिद्धान्त' से स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवस्था का आधार शक्ति का सोपानक्रम होता है। समाज का शक्तिशाली व्यक्ति अपने से कमजोर को दबाता रहता है। वह लोगों को सामाजिक नियमों एवं कानूनों में बाँधकर समाज में अनुरूपता एवं एकात्मकता पैदा करता है, समाज में यह स्वयं से पैदा नहीं होती है बल्कि उत्पीड़न से पैदा हाती है। दलित महिला समाज में सभी स्तर से उत्पीड़ित हैं। वे परिवार से लेकर जाति व्यवस्था तक दबी हुई हैं। डहरेनडॉफ के अनुसार 'शक्ति और सत्ता' सभी समाज की प्रमुख विशेषता है। इसके बिना समाज का अस्तित्व ही नही है। यह सामाजिक संरचना के निर्माण की आवश्यक शर्त है। अतः शक्ति और सत्ता सामाजिक व्यवस्था की 'प्रकार्यात्मक पूर्वशर्त' है। डहरेनडॉफ की सत्ता संरचना में मुख्यतः दो भाग हैं, प्रभुत्व या शासन एवं दमन। सत्ता सम्बन्ध के अन्तर्गत शासक वर्ग शासित वर्ग के व्यवहारों को सामाजिक नियमों या कानूनों की मदद से आदेश, चेतावनी एवं निषेध द्वारा नियंत्रित करता है। फलस्वरूप व्यवस्था में शक्ति और सत्ता के लिए संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। संघर्ष से सत्ता स्थानान्तरित होती है। डहरेनडॉफ लिखते हैं कि संघर्ष की मूल मान्यता यह है कि इसे अस्थायी रूप से दमित, नियंत्रित और दिशा प्रदान की जा सकती है, लेकिन संघर्ष को न तो निरंकुश राजा और न ही दार्शनिक राजा सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। अतः दलित महिला को अपनी शक्तिहीनता से दूर होने के लिए संघर्ष करना होगा। उन्हें जाति एवं परिवार आधारित नियंत्रण को तोड़कर शक्ति एवं सत्ता प्राप्त करना होगा। वर्तमान समय में दलित महिलाएं संघर्ष करके कुछ हद तक शक्ति प्राप्त कर तो लेती हैं, परन्तु वे अपनी जाति एवं परिवार आधारित समाजीकरण से मुक्त नहीं हो पाती हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. लिंग, जाति और महिला को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में दलित महिला समाज व्यवस्था को समझना।
2. दलित महिला की वर्तमान समाज में भूमिका को व्याख्यायित करना।
3. स्वतंत्रयोत्तर भारत में दलित महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं मानसिक स्थिति को वर्णित करना।

अध्ययन पद्धति : प्रस्तुत शोध अध्ययन गुणात्मक और गणनात्मक अध्ययन पद्यति पर आधारित है। अध्ययन में प्रमुखता से द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों के उपयोग के साथ-साथ समाज में दलित महिलाओं की स्थिति का अवलोकन (स्वयं का अनुभव) से प्राप्त तथ्यों का विश्लेष्ण किया गया है। अध्ययन में 50 शिक्षित दलित महिलाओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्यति से किया गया है। अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

वर्तमान भारत के ग्रामीण परिवेश में दलित महिलाओं के लिए चुनौतियाँ : भारतीय समाज व्यवस्था में जाति और पितृसत्ता के बीच का अर्न्तसम्बंध दलित महिलाओं की स्थिति को दयनीय एवं जोखिम भरा बनाने में पूर्णतया कारगार रहा है। ग्रमीण व्यवस्था में महिलाएं जाति आधारित कई चुनौतियों का सामना करती हैं। साथ ही उनके लिऐ आधारभूत सेवाओं का उपयोग एवं न्याय प्राप्त करना किसी चुनौति से कम नहीं है। प्रस्तुत शोध कार्य में दलित महिलाओं से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को विश्लेषित किया गया है जो निम्नवत् है-

1. **मुख्य उत्पादक संसाधनों का उपयोगः** भारत में, ग्रमीण जीवन में आधारभूत आवश्यक वस्तु एवं सेवा के अभाव में, दलित महिलाएं अपने परिवार और समुदाय में उत्पादन और पुनरूत्पादन की भूमिका के साथ कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करती हैं। दलित महिलाएं उच्चतम गरीबी के स्तर पर हैं, वे भूमिहीन हैं, वे प्रभु जातियों के यहाँ रोजगार करके मजदूरी और कर्ज प्राप्त करती हैं। फलस्वरूप दलित महिलाएं अपनी इसी स्थिति के कारण कई प्रकार से

हिंसा का शिकार होती हैं, उनके आगे बढ़ने का अवसर अवरूद्ध हो जाता है।[22, 23] अन्तरानुभागीय जाति, वर्ग और जेण्डर के कारण, दलित महिलायें प्रत्यक्ष तौर से संरचनात्मक हिंसा के अधीन हो जाती हैं। खास तौर पर, संरचनात्मक हिंसा और संसाधनों के उपभोग के अभाव में दलित महिलायें गरीबी में ही जीती रहती हैं एवं अपने को व्यवस्था में पूर्ण मान लेती हैं।[24]

2. **जमीन पर महिलाओं की पहुँच और नियंत्रणः** जमीन पर पहुँच और नियंत्रण खाद्य सुरक्षा और आय में वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। दलित महिलाओं का इस पर नियंत्रण और अधिकार बहुत कम है , जिसका एक मात्र कारण सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान उनके परिवार के सांस्कृतिक प्रतिमान और सामाजिक मूल्य है। साधरणतया दलितों के पास जमीन हाती ही नहीं है या फिर बहुत कम होती है, और प्रभु जाति या उच्च वर्ण की जमींदार जातियों के यहाँ मजदूरी करते हैं। ये जमींदार सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत एवं राजनैतिक शक्ति भी बनाये रखते हैं, जिसके कारण ये जमींदार या सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक रूप से सम्पन्न लोग जाति और जेंण्डर हिंसा करते रहते हैं। ऐसी व्यवस्था में ग्रामीण दलित महिलायें घुटती रहती हैं, शोषण का शिकार होती रहती हैं।[25]

   अगर कहीं दलित महिला के पास अपनी स्वयं की जमीन है, तो ये प्रभुजाति के लोग शक्ति और सत्ता का उपयोग करके, किसी न किसी तरीके से वह जमींन दलित महिला से हड़प ही लेते हैं। इस तरीके से ये जमींदार या प्रभुजाति के लोग दलित महिलाओं को सदैव के लिए गरीबी और हिंसा के चक्र में बनाये रखते हैं।[26] दूसरा, यदि दलित महिलाओं के पास जमींन है तो सामाजिक व्यवस्था में प्रचलित कुरीत 'डायन सिद्धान्त'[27,28] अपनाकर उस महिला से उसकी जमींन जमींदार या प्रभुजाति द्वारा छीन ली जाती है।

3. **राजनैतिक सहभागिता और सशक्तिकरण :** ग्रामीण महिलायें राजनीति में हाशिये पर हैं। ग्रमीण दलित महिलाओं को अभी भी निर्णय-निर्धारण में सहभागिता बहुत कम है। पंचायत राज में दलित महिलाओं को प्राप्त आरक्षण के बावजूद भी वे राजनैतिक कार्यों के लिए अपने प्रधान पति या उच्च जाति के राजनैतिक प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के अधीन अपना निर्णय-निर्धारण करती हैं[29], जिसके फलस्वरूप दलित महिलाओं में प्रतिपत्री नेतृत्व शैली का उदय होता है।

दलित महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक प्रस्थितिः एक आनुभविक विश्लेष्ण : दलित समाज में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति- दलित महिलाओं में शिक्षा के स्तर में लगातर सुधार हो रहा है। सरकार कि विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए दलित महिलायें लगातार शिक्षा से जुड़ रही हैं। 2001 की जनगणना में 41.9 प्रतिशत दलित महिलायें साक्षर थी, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 56.5 प्रतिशत दलित महिलायें साक्षर हैं, फिर भी ये सामान्य महिलाओं से पीछे हैं। सामान्य महिलाओं में साक्षरता 64.6 प्रतिशत है।[30]

दलित महिलाओं में पोषक तत्व का स्तर - भारत में प्रसव पूर्व दलित महिलाओं का बॉडी मॉस इंडेक्स 18.5 है जो कि बहुत कम है। जिसके कारण दलित महिलाओं में स्थायी ताकत का स्तर बहुत निम्न हो जाता है। 42 प्रतिशत दलित महिलाओं की BMI सामान्य से कम है। उड़ीसा में 50 प्रतिशत दलित महिलायें गंभीर रूप से कुपोषित हैं। यहाँ 17 प्रतिशत दलित महिलायें खून की कमी से जूझ रही हैं[31]। उत्तर प्रदेश के बनराजा, नट, पासी, चर्मकार महिलाओं में खून की कमी, कमजोरी, कम वजन अधिक समय तक बुखार से पीड़ित रहती हैं। इनमें काम करने की शक्ति बहुत कम उम्र 40-45 वर्ष में ही क्षीण हो जाती है।

दलित महिलाओं का जीवनयापन - दलित महिलाओं के जीवन निर्वाह के साधन बहुत सीमित हैं। अधिकांशतः दलित महिलायें अपनी जााति आधारित व्यवसायों से अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। कुछ दलित महिलायें अपने आस-पास में असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी करती हैं। स्पृश्य दलित/शूद्र और अस्पृश्य दलित/शूद्र महिलाओं के सामने अलग-अलग प्रकार की समस्या है। स्पृश्य दलित महिला अपने ग्रमीण व्यवस्था में उच्च वर्णों के घर पर आसानी से मजदूरी कर लेती हैं, और अपनी जीविका को चला लेती हैं, परन्तु अस्पश्र्य दलित महिलायें जाति आधारित स्व-रोजगार पर ही निर्भर रहती हैं, जिसके कारण ये दलित महिलायें अतिकुण्ठित जीवन जीती हैं। अस्पृश्य दलित महिलायें पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्ण गरीबी में ही दम तोड़ देती हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में ये दलित

महिलायें मात्र एक 'मत के संसाधन' के रूप में गणितीय स्रोत समझी जाती हैं। दलित महिलायें भारत राष्ट्र विकास की धारा में बहुत पीछे हैं, जिसका कारण भारतीय 'परम्परागत समाज' व्यवस्था और भारत राज्य की 'नरम राज्य' व्यवस्था है।

अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त तथ्यों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण निम्नवत है।

तालिका क्रमांक-1

त्योहार, उत्सव आदि अवसर पर उच्च जातियों के घर पर जाना

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	20	66.7
नहीं	10	33.3
योग	30	100

प्रस्तुत तालिका दलित महिलाओं का उच्च जातियों से सम्बन्ध को स्पष्ट करता है। वर्तमान में भी 66.7 प्रतिशत दलित महिलायें अपने त्योहार या किसी अन्य उत्सव आदि पर वे उच्च जातियों के पारितोषण पर निर्भर हैं। जबकि केवल 33.3 प्रतिशत महिलायें अपनी मेहनत और परिश्रम से अपना त्योहार या उत्सव मनाती हैं, अर्थात ये स्वयं में सबल हैं।

तालिका क्रमांक-2

उच्च जातियों की महिलाओं की अच्छी स्थिति

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	26	86.7
नहीं	04	13.3
योग	30	100

तालिका क्रमांक-2 में 86.7 प्रतिशत दलित महिलायें यह मानती हैं कि उच्च जातियों की महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से उनसे बेहतर है। उच्च जाति की महिलायों की शिक्षा, और स्वस्थ्य दोनों ही अच्छी है। जबकि 13.3 प्रतिशत दलित महिलायें यह मानती हैं कि ऐसा नहीं हैं, उच्च जाति की महिलाओं में भी जाति, धर्म और महिला होने का दुखः है।

तालिका क्रमांक-3

दलित महिला होने के नाते कुण्ठा

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	13	43.3
नहीं	17	56.7
योग	30	100

तालिका क्रमांक-3 में 56.7 प्रतिशत दलित महिलायें यह मानती हैं कि उन्हें उनकी जाति से कोई समस्या नहीं है। वे यह बिल्कुल भी अनुभव नहीं करती हैं कि दलित जाति होने के कारण वे कुण्ठित और निःसहाय हैं। जबकि 43.3 प्रतिशत दलित महिलायें यह मानती हैं कि निम्न जाति और निम्न प्रस्थिति उनको मानसिक दुख देता है।

तालिका क्रमांक-4

पुरूषों द्वारा स्थापित सामाजिक नियमों को मानना

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	23	76.7
नहीं	7	23.3
योग	30	100

तालिका क्रमांक-4 में जेंण्डर समाज का वर्णन है। 76.7 प्रतिशत दलित महिलाओं की धारणा है कि सामाजिक नियम और मूल्य महिला और पुरूष में भेद करते हैं। समाज के दण्डात्मक कानून व्यवस्था को मानना एक मजबूरी बन जाती है। जबकि केवल 23.3 प्रतिशत दलित महिला ऐसी किसी भी व्यवस्था को नहीं मानती जिसके कारण पुरूष वर्चस्व स्थापित रहता है।

तालिका क्रमांक-5

दलित समाज में महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	19	63.3
नहीं	11	36.7
योग	30	100

तालिका क्रमांक-5 में 63.3 प्रतिशत दलित महिलायें यह मानती हैं कि दलित समाज में भी महिलाओं के विरूद्ध हिंसा और अत्याचार है। जबकी 36.7 प्रतिशत दलित महिलायों का मानना है कि उनके समाज में महिलाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का अत्याचार अब नहीं है।

तालिका क्रमांक-6

आरक्षण व्यवस्था का लाभ

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	28	93.3
नहीं	02	06.7
योग	30	100

तालिका क्रमांक-6 से स्पष्ट है कि 93.3 प्रतिशत दलित महिलायें आरक्षण व्यवस्था का लाभ लेकर ही अपना और समाज का विकास कर रही हैं, केवल 6.7 प्रतिशत दलित महिलायें आरक्षण व्यवस्था से स्वयं को दूर करके अपनी

योग्यता पर समाज का विकास कर रही हैं।

तालिका क्रमांक-7

मत या वोट का मूल्य का समझना

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	22	73.3
नहीं	08	26.7
योग	30	100

प्रस्तुत तालिका-7 में 73.3 प्रतिशत दलित महिलाओं का मानना है कि वे अपने मत का मूल्य समझती हैं, वे बहुत सतर्कता से अपना मतदान करती हैं। जबकि 26.6 प्रतिशत दलित महिलायें मतदान को कुछ भी नहीं समझती हैं वे जो मन में आया या किसी को भी अपना मत दे देती हैं। ये राजनीति से दूर रहती हैं।

तालिका क्रमांक-8

अर्थोपार्जन के लिए दूसरी उच्च जातियों पर निर्भर

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	18	60
नहीं	12	40
योग	30	100

तालिका क्रमांक 8 से स्पष्ट है कि आज भी जाति आधारित व्यवसाय है। 60 प्रतिशत दलित महिलायें अपनी जाति आधारित व्यवसाय ही करती हैं। वे उच्च जातियों के घर पर ही व्यवसाय के रूप में काम करती हैं। केवल 40 प्रतिशत दलित महिलायें अपनी शिक्षा या पारिवारिक शिक्षा स्तर के कारण जातिगत पेशे से मुक्त हैं।

निष्कर्ष : अनेकों आन्दोलनों, क्रांन्तियों, सामाजिक सुधारकों के प्रयास से भी जातिवाद, पितृसत्तात्मक व्यवस्था एवं जेंण्डरवादी सोच पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि ग्रमीण दलित महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य अन्य जाति, लिंग की तुलना में बहुत कम है। आज जहाँ हम वैश्वीकरण, और आधुकिता के युग में जी रहे हैं, वहाँ दलित महिलायें, पुरूष और जाति से शोषित हो रही हैं। अधिकांश दलित महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत निम्न है, वे गरीबी और भुखमरी से जूझ रही हैं। ये दलित महिलायें बहुत कम मात्रा में, सस्ते 'भोजन, वस्त्र, बर्तन, श्रंगार के सामान, संकीर्ण (अति लघु) आवास,' का उपयोग करते हुए अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं।

दलित महिलाओं में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूल केन्द्रों में दलित लड़कियों का नामांकन तो है, परन्तु वे स्कूल में बहुत कम जाती हैं, जिसका एक कारण उनका विद्यालय के कार्यक्रम में मन नहीं लगना है। दूसरा, प्रमुख कारण दलित छात्राओं के प्रति विद्यालय के अध्यापक से लेकर परिवार, नातेदारी, पड़ोस, एवं उच्च जातियों तक में जेंण्डर, जाति और पितृसत्तात्मक मानसिकता है। ग्रमीण दलित छात्रायें यदि प्राथमिक शिक्षा किसी तरीके से पूर्ण भी कर ले भी लेती हैं, तो आगे की शिक्षा में अनेकों नये अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण विद्यालय पहुँच से दूर एवं अन्य सामाजिक परिस्थितियाँ जैसे जेंण्डर, जाति और पितृसत्तात्मकता है। फलस्वरूप, दलित महिलाओं में शिक्षा एक अभिशाप बनकर रह जाती है।

सन् 1989-90 भारत में विकास की नई अवधाराणाओं का प्रयोग तीव्र हुआ। इन विकास की अवधाराणाओं में उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण का मॉडल स्वीकार किया गया। जेंण्डर बजटिंग का दौर प्रारम्भ हुआ। संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में अनेकों रोजगार पैदा करने की राजनैतिक नेताओं ने घोषणा की। दूसरी तरफ दलितों के विरूद्ध होने वाले अपराध को कम करने के लिए कठोर दण्डात्मक कानून का निर्माण किया गया। पंचायत में महिलाओं और दलितों को विशेष आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, जिससे यह समझा जाने लगा कि दलित महिलायें सबल, सशक्त और आत्मनिर्भर हो गयी हैं, जो कि वास्तव में ग्रमीण महिलाओं के लिए एक राजनैतिक आंकड़ा ही सिद्ध हुआ। यह व्यवस्था और प्रावधान दलित महिलाओं को उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी आर्थिकोपार्जन की प्रक्रिया एवं धार्मिक विश्वास से दूर करने में अवश्य मदद करती है।

अम्बेडकर और गाँधी के अथक प्रयास, लोकतंत्रात्मक सामाजिक व्यवस्था तथा संवैधानिक आरक्षण एवं संरक्षण व्यवस्था के बावजूद दलित महिलायें लगातार प्रताड़ित हैं। ग्रमीण दलित महिलाओं की राजनैतिक स्थिति आरक्षण पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के कारण कुछ दलित महिलायें राजनीति में सक्रिय हुई हैं, परन्तु अधिकांश दलित महिलायें पंचायती राज व्यवस्था की राजनीति में जाति एवं पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में मात्र एक राजनैतिक दिखावा बनी हैं।

अन्ततः उपरोक्त साक्ष्यों एवं विवेचनाओं के आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि, ग्रामीण दलित महिलायें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर आज

भी बहुत पिछड़ी एवं कमजोर हैं। ग्रामीण दलित महिलायें सभी प्रकार से असम्मानित, शारीरिक रूप से अस्वस्थ्य एवं मानसिक रूप में अवसाद ग्रस्त हैं। वर्तमान में सरकार के विकास के सिद्धान्त का सारांश 'सबका साथ – सबका विकास' जो कि मानवतावाद की धुरी पर आधारित है, 'अन्तोदय' अर्थात अन्त से उदय (कमजोर, दुर्बल, दलितों, महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर सबल) करने के लिए विभिन्न योजनाओं को पूर्णतः इमानदारी से लागू कर रही है। साथ ही वर्तमान सरकार द्वारा दलित महिलाओं को राष्ट्र-निर्माण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्तर पर जोड़ने के लिए अनेकों कौशल विकास योजनायें प्रारम्भ की गई है, जिससे दलित महिलाओं का भविष्य निश्चित रूप से प्रकाशवान होगा।

संदर्भ

1. Parsons Talcott, 'The Social System', The Press of Glencoe, New York, 1964
2. Ambedkar, B.R. 'Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development', in M. Mohanty (Ed.). Class, Caste and Gender: Reading in Indian Government and Politics (5), Sage Publications, New Delhi, 2006 p. 132
3. Homo Hierarchicus, 'An Essay on the Caste System' Louis Dumont, Reviewed by S. J. Tambiah, King's College, Cambridge University, American Anthoropologist, p. 74, 1972.
4. Mill J.S., 'The Subjection of Women', Longmans, Green, Reader, and Dyer, London, 1878.
5. Gerder Lerner, 'The Creation of Patriarchy', Vol.-I, Oxford University Press, New York, 1986, pp.233 - 239.
6. Patil, M.S. 'Caste System and Dalit Feminism: A Comparative Study of Mang and Mahar Women in Maharashtra'. Unpublished Doctoral Dissertation, Jawaharlal Nehru University, 2008 pp. 25-27.
7. Madhya Bharti-73, July-December, 2017, ISSN 0974-0066, p. 164
8. Woolstoncraft, M., 'A Vindication of the Right of the Women', (2004, edition), Penguin Books, London, 1792.
9. Gail, O., 'We Will Smash This Prison: Indian women in struggle' London, Zed Press, 1980.
10. Attar Chand, 'Nehru and New Economic Order' 'Panchayti Raj and Rural Development', Volume 3 H. K. Publishers and Distributors, Delhi, 1990.
11. Nancy Banvillaim, 'Women and Men' (Cultural Construct of Gender), Prentice Hall, New Jersey, 2001
12. Jogdand, P. G., 'Dalit Women: Issues and Perspectives', Gyan Publication, New Delhi, 1999
13. Ghurye G. S., 'Caste and Class in India', Popular Book Depot, Bombey, 1957
14. Rege, S., 'Dalit Women Talk Differently: A Critique of 'Difference' and toward a Dalit Feminist Standpoint Position', 6(2), Vikalp Alternatives, Vikas Adhyan Kendra, Mumbai, 1998
15. Jodhka, S., 'Nation and Village Images of Rural India in Gandgi, Nehru and Ambedkar', EPW, August 2010, 2002.
16. Limbale Sharankumar, 'Towards an Aesthetics of Dalit Literature' , Orient Black Swan Private Limited, 2010
17. Gleitamn, H., Fridlumnd, A. J. & Reisberg, D., 'Basic Psychology', New York, N. Y:W.W. Norton & Company, Inc. 2000
18. Beal, C., 'Boys and Girls: The Development of Gender Roles'. NY: mcgraw- Hill, New York, 1994
19. Hetherrington, E.M. & Parker, R. D., 'Child Psychology: A Contemporary View Point' (5th ed.) Macgraw- Hill College, New York,1999
20. Beck, U., 'Risk Society: Towrd a new Modernity', Sage Publication, London, 1992.
21. Dahrendorf Ralf, 'Class and Class Conflict in Industrial Society', Standford University Press, Standford, California, 1959,
22. विष्ट शंकर, 'अनुसूचित जातियाँ और परम्परागत व्यवसाय', राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन पतम्परा, वर्ष 19, अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2017, पृ. 72-75,
23. Das, B., 'Dalit Women in India: An Overviw of Their Status', EPRA, International Journal of Economic and Business Review, Vol. 4, Issue 1, January 2016 pp. 139-147,
24. Nidhi S. Sabharwal & Wandana Sonalkar, 'Dalit Women in India: At the crossroads of Gender, Class and Caste', Global Justice : Theory Practice Rhetoric (8/1), pp.44-73, 2015
25. Tilak Rajani, 'Research Study on Violence against Dalit Women in Different States of India by studying the Sources of Materials that are Available and Conducting Interview of the Perpetrators, Victims and Witnesses', A Report Submitted by Centre for Alternative Dalit Media (CADAM) New Delhi, 2015 pp. 18-24 & 139-140,
26. en.wikipedia.org/wiki/Dayan_(witch)
27. रंजन अभिषेक, 'पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों की भागीदारी एक आनुभविक अध्ययन', राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन पतम्परा, वर्ष 19, अंक 1, जनवरी-जून 2017, पृ. 184-186,
28. censusindia.gov.in/pca/Searchdata.aspx
29. थोरात सुखदेव, 'भारत में दलित-एक सामान्य नियति की तलाश' सेज पब्लीकेशन्स इण्डिया, नई दिल्ली, 2017, पृ. 107-125
30. www.dalitsolidarity.org/dalits-and-untoucchability.html
31. www.hindikiduniya.com/social-issues/untouchability/
32. Myrdal, G., 'Asian Drama : An Inquiry into the Poverty of Nations', Vol. I, London : Allen Lane The Penguin Press, 1968, p. 26-27
33. Myrdal, G., 'The Challenge of World Poverty', New York, Pantheon, 1970, p. 49-50.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा एक अध्ययन

❑ भरत उपाध्याय
❖ डॉ आराधना सेठी

प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा का अध्ययन किया गया है। न्यादर्श के रूप में मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के 176 विद्यार्थी (85 छात्र तथा 91 छात्राओं) का चयन यादृच्छिक न्यादर्श पद्वति से किया गया। इसमें ऑकड़ों का संग्रह करने के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया तथा शैक्षिक आकांक्षा के मापन हेतु वी.पी.शर्मा और ए. गुप्ता द्वारा मानकीकृत शैक्षिक आकांक्षा मापनी का प्रयोग किया गया। ऑकड़ों के विश्लेषण हेतु वर्णनात्मक तथा अनुमानिक सांख्यिकीय प्रविधियों यथा माध्य, मानक विचलन तथा टी परीक्षण का प्रयोग किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर .05 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना की जाँच की गई और प्रदत्तों के विश्लेषणोपरान्त पाया गया कि माध्यमिक स्तर के छात्र तथा छात्राओं की लिंग के आधार पर, विद्यालय के आधार पर तथा क्षेत्र के आधार पर शैक्षिक आकांक्षा में कोई सार्थक अंतर नही था।

किसी भी राष्ट्र अथवा समाज का प्रतिबिम्ब सदैव ही वहां के विद्यार्थी होते हैं क्योंकि वे ही इसके कर्णधार और सूत्रधार हैं इन्ही विद्यार्थियों का अध्ययन करके अनुमान लगाया जा सकता है कि भावी नागरिक कैसे होगें। किंतु विद्यार्थियों को सुनागरिक बनाने हेतु प्रथम आवश्यक शर्त है अच्छी शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का माध्यम मानी जाती है सामान्यतः शिक्षा को व्यक्तित्व को आकार देने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन माना जाता है। यह एकमात्र साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी के सभी पहलुओं को पूरी तरह से विकसित किया जा सकता है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा कारक है जो किसी भी समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए मानव को आवश्यक ज्ञान, प्रयोजन की चेतना और विश्वास की भावना से ओत-प्रोत करके मानव जीवन को अर्थपूर्ण साधन प्रदान करती है। शिक्षा की सर्वप्रमुख एवं शक्तिशाली संस्था विद्यालय है।[1]

विद्यालय में भिन्न - भिन्न धर्म, लिंग एवं सामाजिक वर्ग के छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। यूँ तो विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी समान दिखाई देते है किंतु सूक्ष्म रूप से प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से अवयव व अनुभूति दोनों दृष्टि से सर्वथा भिन्न है और उनकी शैक्षिक आकांक्षा भी भिन्न-भिन्न होती है। इन आकांक्षाओं का संबंध विद्यार्थी में स्वयं को पहचानने व आंकने की भावना से होता है। भावनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह क्या है ? और वह क्या बनना चाहेगा। शैक्षिक आकांक्षा एक व्यक्तिगत, सामाजिक, प्रेरक है जो व्यक्ति को एक निश्चित सीमा तक लक्ष्य निर्धारण करने एवं अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। शैक्षिक आकांक्षा किसी व्यक्ति की इच्छा का वह लक्ष्य है जिसे पाने के लिए वह विभिन्न प्रकार से कार्य करता है तथा सदैव प्रयत्नशील रहता है। अतः आकांक्षा व्यक्तिगत प्रेरणा है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार कहा है ‘‘प्रेरणा आकांक्षा के साथ चलती है’’।[2]

अतः प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा भिन्न होने के साथ-साथ विशिष्ट भी होती है जिससे उसके स्वयं का आकलन होता है जिससे वह भविष्य के लिए विभिन्न योजनाओं व उद्देश्यों को स्वरूप प्रदान करता है। वह विद्यार्थी के जीवन निर्माण को प्रभावित करती है एक विद्यार्थी क्या बनने की आकांक्षा रखता है वह इस दिशा में कितना प्रयास या सफलता प्राप्त करना चाहता है यह सभी उस विद्यार्थी की आकांक्षा पर निर्भर करता है।

वहीं विद्यार्थी की आवश्यकताएं उसकी आकांक्षाओं पर निर्भर करती है। आकांक्षाओं का स्तर जितना ऊँचा होता जाएगा आवश्यकताएं उसी के अनुसार बनती चली जाएगी यदि आकांक्षाओं के अनुरूप आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होगी तो विद्यार्थी में निराशा, हताशा, असंतोष उत्पन्न

❑ शोध अध्येता, मंदसौर इन्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
❖ एसोसिएट प्रोफेसर, मंदसौर इन्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

हो जाता है इसके विपरीत आकांक्षाओं की संतुष्टि होने पर विद्यार्थी में उत्साह, आशा व संतोष उत्पन्न होता है।

शैक्षिक आकांक्षा को विभिन्न शिक्षाविदों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है :-

वॉलबर्ग- ''शैक्षिक आकांक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में जीवन पर्यन्त सीखने की प्रक्रिया के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में पहचाना गया है।''[3]

मारकस एंड नूरियस के अनुसार - शैक्षिक आकांक्षा व्यक्ति के अपने ''संभावित स्व'' के विचारों को दर्शाती है, वह क्या बनना चाहता है, वह क्या बन सकता है, और वह क्या नही बनना चाहता है।''[4]

गुड न्यूवर्ल्ड डिक्शनरी के अनुसार- ''आकांक्षा ऊँचे उठने की तीव्र इच्छा है जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहता है''।[5]

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शैक्षिक आकांक्षा शिक्षा के संदर्भ में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र चाह है। जब कोई विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लक्ष्य प्राप्त करने की लालसा रखता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर चल पड़ता है तो इसे विद्यार्थी की शैक्षिक आकांक्षा के नाम से जाना जाता है यह शैक्षिक आकांक्षा विद्यार्थी जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करनें में अहम् भूमिका का निर्वाह करती है। शैक्षिक आकांक्षा ही वह रोशनी है जो विद्यार्थी के छिपे गुणों को उजागर करने का कार्य करती है।

इन आकांक्षाओं को मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने तीन भागों में वर्गीकृत किया है[6]

1. **सकारात्मक एवं नकारात्मक आकांक्षाएं :-** सकारात्मक आकांक्षाओं का मुख्य लक्ष्य सफलता प्राप्त करना होता है, जब कि नकारात्मक आकांक्षा असफलता दूर करने की ओर उन्मुख होती है। अधिकांश व्यक्तियों में सकारात्मक आकांक्षाएं पाई जाती हैं क्योंकि ये व्यक्तियों को अधिक संतुष्टि प्रदान करती है।
2. **तत्कालिक एवं दूरगामी आकांक्षाएं:-** प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही व्यक्ति ऐसे लक्ष्यों को स्थापित करता है जिन्हे वह प्राप्त करना चाहता है। तात्कालिक आकांक्षाएं व्यक्ति के उस समय की इच्छाओं, सफलता या असफलता से जुडी होती है। जब कि दूरगामी आकांक्षाएं उपर्युक्त कारकों (इच्छाओं, सफलता, असफलता) के साथ-साथ व्यक्ति की रूचि अभिक्षमता आदि में संबंधित क्षेत्र से प्रभावित होती हैं।
3. **वास्तविक एवं अवास्तविक आकांक्षाएं:-** ऐसी आकांक्षाएं जो व्यक्ति की योग्यता के अनुकूल होती हैं वास्तविक आकांक्षाएं कहलाती है परंतु कभी-कभी व्यक्ति ऐसी आकांक्षाएं भी रखते हैं जिन्हें प्राप्त करने में व्यक्ति में आपेक्षित योग्यता का अभाव हो। अतः अत्यधिक दृढ प्रेरणा होने तथा अत्यधिक प्रयास करने पर भी व्यक्ति उन्हे प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसी आकांक्षाएं अवास्तविक आकांक्षाएं कहलाती हैं।

अतः कहा जा सकता है कि कुछ आकांक्षाएं ऐसी होती है जिनका लक्ष्य सफलता प्राप्त करना होता है जब कि कुछ आकांक्षाएं असफलता दूर करने की ओर उन्मुख होती हैं, कुछ आकांक्षाएं सफलता व इच्छाओं से जुड़ी होती हैं जब कि कुछ आकांक्षाएं रूचि के साथ जुड़ी होती हैं, कुछ आकांक्षाएं व्यक्ति की योग्यता के अनुकूल तो कभी-कभी विद्यार्थी ऐसी आकांक्षाएं भी रखते है जिन्हें प्राप्त करने में व्यक्ति में आपेक्षित योग्यता का अभाव होता है।

आकांक्षाओं के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है, प्रगति के लिए यह आवश्यक भी हैं, किन्तु उनका औचित्यपूर्ण होना आवश्यक है। श्रेष्ठ आकांक्षाएँ जहां मनुष्य को महान् बनाकर उसके जीवन में सुख-संतोष का समावेश करती हैं, वहीं निकृष्ट एवं विकृत आकांक्षाएँ उसे दुख, दारिद्रिय, अशांति के नरक में ढकेल देती हैं। श्रेष्ठ आकांक्षाओं से प्रेरित व्यक्ति अपने जीवन में उन चीजों को स्थान नहीं देते, जिनसे समाज का अहित होता हो, उनका सारा समय और श्रम श्रेष्ठता के अभिवर्धन में लगा रहता है। वे अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का उपयोग श्रेष्ठता की ओर बढ़ने में करते है।

जिस मनुष्य के मन में आकांक्षाएँ नहीं उठतीं वह जड़ तुल्य है। आकांक्षाओं का होना सार्थक जीवन का सूचक है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि स्वार्थ त्यागकर परोपकार या परहित चिंतन किया जाए और अपने उत्थान के लिए प्रयत्न किया जाए। आकांक्षाऐं पूर्व योजनाएँ हैं आयोजन तुल्य हैं। आकांक्षाऐं ही मनुष्यों को उद्यमी तथा निर्भय बनाती है। इनका विद्यार्थी जीवन में अभूतपूर्व महत्व है। विद्यार्थी द्वारा विद्यालय में क्या सीखा जाता है, व वयस्क जीवन की तैयारी कैसे करता है और आखिरकार वह क्या बनता है। यह सभी विद्यार्थी की शैक्षिक आकांक्षाओं पर निर्भर करता है।

संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन - संबंधित

साहित्य का सर्वेक्षण करने के पश्चात् शैक्षिक आकांक्षा से संबंधित निष्कर्ष प्राप्त हुए-

तलवार एम.एस, कुमार प्रदीप टी.[7] ने शिक्षण की प्रतिबद्वता और प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक आंकाक्षा के बीच संबंध का अध्ययन किया। कर्नाटक के बैंगलौर जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के 130 शिक्षक और 150 विद्यार्थी यादृच्छिक प्रतिचयन पद्वति से न्यादर्श के रूप में चुने गए। स्वनिर्मित शैक्षिक आंकाक्षा मापनी द्वारा आंकड़ों का एकत्रीकरण किया गया। विश्लेषण हेतु सहसंबंध गुणांक एवं टी परीक्षण का प्रयोग किया गया। परिणामस्वरूप पाया गया कि शिक्षण की प्रतिबद्वता और प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक आंकाक्षा के बीच उच्च्य सहसंबंध है और प्राथमिक विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं की शैक्षिक आंकाक्षा में कोई सार्थक अंतर नही है।

मिश्रा संविता[8] ने छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक निर्धारक के रूप में का अध्ययन किया। न्यादर्श हेतु गंगटोक, सिक्किम से छह उच्च माध्यमिक विद्यालयों से कक्षा 12 वीं के 100 छात्रों को यादृच्छिक नमूना पद्वति से चुना गया। आंकड़ों का एकत्रीकरण मजूमदार शैक्षिक आंकाक्षा सूची से किया गया। आंकड़ों का विश्लेषण माध्य, मानक विचलन, क्वर्टाइल डेवियेशन व टी परीक्षण द्वारा किया गया। निष्कर्ष रूप में लिंग का शैक्षिक आंकाक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

बानो शफीका[9] ने माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की सोशियोमैट्रिक समूह की शैक्षिक आंकाक्षा का अध्ययन किया। प्रारंभ में नमूने में 2000 छात्र शामिल थे इसके बाद सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के माध्यम से 4 सोशियोमैट्रिक समूहों जैसे लोकप्रिय (100), उपेक्षित (100), पृथक (100) और निरस्त (100) को अन्तिम शोध विषय के रूप में लिया गया। प्रदत्तों के एकत्रीकरण हेतु शर्मा एवं गुप्ता (1996) द्वारा निर्मित शैक्षिक आंकाक्षा मापनी का उपयोग किया गया। प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु एफ परीक्षण व टी परीक्षण का प्रयोग किया गया। अध्ययन के परिणामस्वरूप पाया कि चारो सोशियोमैट्रिक समूहों व शैक्षिक आंकाक्षा के मध्य कोई सार्थक अंतर नही है।

रानी माधुरी आर. एवं शर्मा सावित्री[10] ने किशोरों की शैक्षिक आंकाक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन किया। न्यादर्श के रूप में छत्तीसगढ के दुर्ग जिले के 6 विद्यालयों से कक्षा 11 वीं के 40 विद्यार्थियों को सर्वेक्षण विधि से चुना गया। आंकडों का एकत्रीकरण यादृच्छिक नमूना विधि द्वारा किया गया। शैक्षिक आंकाक्षा के मापन के लिए एस. के सक्सेना की शैक्षिक आंकाक्षा मापनी (1984) का प्रयोग किया गया। आंकड़ो के विश्लेषण के लिए माध्य, मानक विचलन, टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया। अध्ययन के परिणामस्वरूप पाया कि किशोरों की शैक्षिक आंकाक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्तर बराबर है।

ग्यार संध्या, शर्मा अरूणा[11] ने माध्यमिक स्कूल के छात्रों के समायोजन, व्यक्तित्व और शैक्षिक आंकाक्षा के मध्य संबंध का अध्ययन किया। न्यादर्श के रूप में उत्तर प्रदेश के 600 माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। प्रदत्तों के संकलन हेतु शर्मा और गुप्ता, 2011 की मानकीकृत शैक्षिक आंकाक्षा मापनी का उपयोग किया गया। विश्लेषण हेतु माध्य, मानक विचलन और टी परीक्षण का उपयोग किया गया। अध्ययन के परिणाम इंगित करते हैं कि माध्यमिक स्कूल के छात्रों में समायोजन की तुलना में व्यक्तित्व और शैक्षिक आंकाक्षा के बीच अधिक संबंध पाया गया।

हैदा वैभव मधुलिका[12] ने शारीरिक बाधित विद्यार्थियों और सामान्य विद्यार्थियों की आंकाक्षाओं का उनकी शैक्षिक उपलब्धि के साथ संबंध का तुलनात्मक अध्ययन किया। न्यादर्श हेतु कक्षा 11 वीं के 400 विद्यार्थियों का चयन किया गया। ऑकडों का संकलन, एच. एम. सिंह और गोविंद तिवारी द्वारा निर्मित आंकाक्षा मापनी से किया गया। माध्य, मानक विचलन और टी परीक्षण द्वारा विश्लेषण किया गया। परिणामस्वरूप पाया कि शैक्षिक उपलब्धि के संबंध में सामान्य बच्चों की तुलना में शारीरिक बाधित विद्यार्थियों की आंकाक्षा निम्न है।

यूका अना[13] ने माता पिता द्वारा छात्रों की शैक्षणिक और व्यवसायिक आंकाक्षाए और किशोरावस्था के लक्षणों के अनुमान का अध्ययन किया। न्यादर्श के रूप में अल्बानिया के 160 विद्यार्थी जिसमें से 64 छात्र और 96 छात्राओं का चयन किया गया। ऑकड़ों का एकत्रीकरण प्रश्नावली द्वारा किया गया। ऑकडों के विश्लेषण हेतु टी परीक्षण का उपयोग किया गया। अध्ययन के परिणामस्वरूप पाया गया कि छात्र व छात्राओं की शैक्षिक और व्यवयायिक आंकाक्षाओं के मध्य कोई सार्थक अंतर नही है।

साइकिया पल्लवी[14] ने आसाम के सोनितपुर जिले के जनजातीय और गैर जनजातीय हाई सैकेण्डरी विद्यार्थियों

की शैक्षिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन किया। न्यादर्श क रूप में 100 विद्यार्थियों का चयन आसाम राज्य के सोनिपुर जिले में सर्वे विधि द्वारा किया गया। आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु यासमीन गनी खान द्वारा निर्मित शैक्षिक आंकाक्षा स्तर परीक्षण मापनी का उपयोग किया गया। ऑकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत व टी परीक्षण का उपयोग किया गया। परिणामस्वरूप पाया गया कि जनजातीय व गैर जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षिक आंकाक्षा के मध्य कोई सार्थक अंतर नही है।

जन कुन्सर[15] ने कार्यरत और गैर कार्यरत माताओं के बच्चों की शैक्षिक आंकाक्षा के स्तर का अध्ययन किया। न्यादर्श के रूप में 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया जिसमें से (50 कार्यरत माता के और 50 गैर कार्यरत माता के बच्चें) कश्मीर के सैकेण्डरी स्कूल से लिए गए। आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए महेश भार्गव और एम.ए. द्वारा निर्मित उपकरण का उपयोग किया गया। माध्य, मानक विचलन और टी-परीक्षण द्वारा आंकड़ो का विश्लेषण किया गया और परिणामस्वरूप पाया कि गैर कार्यरत माताओं के बच्चो की आंकाक्षाओं का स्तर कार्यरत माताओं के बच्चों सें उच्च है।

गौतम अमित चन्देल एम.पी.एस., बंसल सौहिल कुमार[16] ने उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं शैक्षिक आंकाक्षा का अध्ययन किया। अध्ययन के लिए उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 5 विद्यालयों से 100 छात्रों व 100 छात्राओं का न्यादर्श के रूप में चयन सरल यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। शैक्षिक आंकाक्षा के अध्ययन हेतु वी.पी शर्मा एवं अनुराधा गुप्ता द्वारा निर्मित शैक्षिक आंकाक्षा स्तर प्रमापीकृत उपकरण का उपयोग किया। शोध, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि द्वारा किया गया। आंकड़ो का विश्लेषण मध्यमान प्रमाणिक विचलन, क्रान्तिक अनुपात, सहसंबंध गुणांक, आदि का उपयोग किया गया। अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट होता है कि शैक्षिक आंकाक्षा स्तर तथा शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक सहसंबंध नही है।

मेनन अनिता[17] ने बुद्धि के संबंध में किशोरों की शैक्षिक आंकाक्षा का अध्ययन किया। न्यादर्श के रूप में सैकेण्डरी स्कूल के कक्षा 9 वीं के 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिसमें से 100 शासकीय विद्यालय से 100 अशासकीय विद्यालय से थे। ऑकड़ों के एकत्रीकरण हेतु शर्मा एवं गुप्ता की शैक्षिक आंकाक्षा मापनी का उपयोग किया गया। विश्लेषण हेतु माध्य, मानक विचलन, टी परीक्षण और सहसंबंध गुणांक का उपयोग किया गया। अध्ययन के परिणाम स्वरूप पाया गया कि सैकेण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों की शैक्षिक आंकाक्षा का बुद्धि से सार्थक संबंध नही है।

बशीर लियाकत, कौर रमनदीप[18] ने माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक आंकाक्षा और विद्यालय के वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया इन्होने कश्मीर डिविजन के माध्यमिक विद्यालय के 400 छात्रों का चयन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक से किया। शैक्षणिक आकांक्षा मापन के लिए यासमीन गनी खान (2011) द्वारा मानकीकृत शैक्षिक आंकाक्षा परीक्षण का प्रयोग किया। इन्होंने विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह किया। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए टी-परीक्षण और पीयरसन सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया। अध्ययन के परिणामस्वरूप पाया कि माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक आंकाक्षा और विद्यालय के वातावरण के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

अध्ययन का औचित्य - वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है प्रत्येक विद्यार्थी सफलता की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। यह सर्वमान्य सत्य है कि विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा उनकी शैक्षिक उपलब्धि तथा व्यवसायिक सफलता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह देखा गया है कि जिन विद्यार्थियों में जितनी अधिक शैक्षिक आकांक्षा होती है भविष्य में उतनी ही सफलता के वह नजदीक देखे जाते हैं और एक लक्ष्य हासिल भी करते है। विद्यार्थी के भविष्य निर्माण में उसकी स्वयं की आकांक्षाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है और यही आकांक्षाएं विद्यार्थी के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शैक्षिक आकांक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में जीवन पर्यन्त सीखने की प्रक्रिया के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में पहचाना गया है।

दूसरी ओर प्रत्येक माता-पिता का भरसक प्रयास रहता है कि उनकी संतान शैक्षिक क्षेत्र में उन्नत रहे। उसके लिए वे उन्हें तमाम सुविधाएं भी प्रदान करते हैं और उन्हे अच्छे विद्यालयों में अध्ययन भी करवाते हैं इसलिए माता-पिता अपने बालकों के भविष्य के लिए उच्च आकांक्षा भी रखते हैं वे चाहते हैं कि उनका बालक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो विद्यालय स्तर की शैक्षिक आकांक्षा जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देती है और यही समय है जब विद्यार्थी के मन में कुछ बनने की आकांक्षाएं हिलोरे लेती हैं।

वास्तव में बालक की स्वयं की शैक्षिक आकांक्षाओं का ही बालक के भविष्य निर्माण में योगदान होता है। इसी दौरान शोधकर्ता के मन में यह जानने की उत्सुकता हुई कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिलें के माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं में शैक्षिक आंकाक्षा कैसी है ?, माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा कैसी है?, माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर-सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों कीं शैक्षिक आकांक्षा कैसी है? इन्ही प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोधकार्य करने का निर्णय लिया।

उद्देश्य-प्रस्तुत शोध के परिपेक्ष्य में जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है वे निम्न है-

1. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिंग के आधार पर शैक्षिक आकांक्षा का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आकांक्षा का विद्यालय के प्रकार (सरकारी तथा गैर सरकारी) के आधार पर अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा का विद्यालय क्षेत्र (ग्रामीण तथा शहरी) के आधार पर अध्ययन करना।

परिकल्पना - प्रस्तुत शोध अध्ययन के निमित्त निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में निम्न परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया।

1. माध्यमिक स्तर के छात्र तथा छात्राओं की शैक्षिक आंकाक्षा में कोई सार्थक अंतर नही है।
2. माध्यमिक स्तर के सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा में कोई सार्थक अंतर नही है।
3. माध्यमिक स्तर के शहरी तथा ग्रामीण विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा में कोई सार्थक अंतर नही है।

अध्ययन में प्रयुक्त तकनीकी शब्द-

शैक्षिक आकांक्षा - शैक्षिक आकांक्षा का अर्थ है शिक्षा के संदर्भ में इच्छा, अभिलाषा या चाह। मनुष्य अपनी उच्च शैक्षिक आकांक्षा के कारण अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न भी अपनी शैक्षिक आकांक्षा द्वारा ही करता है।

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी - प्रस्तुत अध्ययन में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों से अभिप्राय कक्षा 10 वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से है।

विद्यालय प्रकार - प्रस्तुत अध्ययन में विद्यालय प्रकार से अभिप्राय सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों से है।

विद्यालय क्षेत्र - प्रस्तुत अध्ययन में विद्यालय क्षेत्र से अभिप्राय शहरी एंव ग्रमीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों से है।

अध्ययन के स्त्रोत - अध्ययन के स्त्रोत, मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिलें के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी से है।

शोध प्रविधि- समस्या की प्रकृति के आधार पर शोध हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

चर -

1. स्वतंत्र चर- लिंग, विद्यालय प्रकार, विद्यालयी क्षेत्र
2. परतंत्र चर- शैक्षिक आकांक्षा

न्यादर्श- जब भी किसी जनसंख्या (इकाई, वस्तुओं अथवा मनुष्यो का समूह) में किसी चर का विशेष मान ज्ञात करने लिए उसकी कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है तो चयन प्रक्रिया को न्यादर्शन कहा जाता है तथा चुनी गई इकाई को न्यादर्श कहा जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के रूप में मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के 4 विद्यालयों जिसमें 2 सरकारी (शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. मंदसौर, शा.उ.मा.वि. नगरी, मंदसौर) तथा 2 गैर सरकारी (जागृति हायर सैकेण्डरी स्कूल मंदसौर, डी. वी. एम. हायर सैकैण्डरी स्कूल मंदसौर) विद्यालय से कक्षा 10 वीं के कुल 176 विद्यार्थियों (85 छात्र तथा 91 छात्राएं) का चयन यादृच्छिक न्यादर्श पद्वति से किया गया।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण - विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा के मापन हेतु वी.पी. शर्मा और ए.गुप्ता (P) द्वारा निर्मित मानकीकृत शैक्षिक आकांक्षा मापनी का प्रयोग किया गया। आकांक्षा के स्तर को मापने हेतु मुख्य चार बिंदुओं को महत्व दिया गया (1) गत प्रदर्शन (2) आगामी प्रदर्शन (3) नवीन प्रदर्शन (4) नवीन प्रदर्शन पर मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया। मापनी में 45 प्रश्न थे, जिसमें कोई सही या गलत उत्तर नही था। अंको का विस्तार 0 से 45 तक हैं। प्राप्त उत्तर के लिए 1 अंक व 0 अंक दिया गया।

विश्वसनीयता- परीक्षण की विश्वसनीयता 0.98 प्राप्त हुई।

वैधता -इस रेटिग स्केल की वैधता वैधता 0.69 प्राप्त हुई।

सांख्यिकीय प्रविधियां- विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक

आकांक्षा का अंतर ज्ञात करने के लिए माध्य, मानक विचलन तथा टी परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण तथा परिणाम -प्रदत्तों का संकलन करने के पश्चात प्राप्त प्रदत्तों के उद्देश्यानुसार विश्लेषण एवं व्याख्या की गई। उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित परिणाम आए-

तालिका 1

लिंग के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा का मध्यमान, मानक विचलन तथा टी मूल्य

लिंग	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानकविचलन (S.D.)	df	t value	सार्थकता स्तर
छात्र	85	23.88	4.77	174	0.27	0.05 स्तर पर सार्थक अंतर नही है
छात्राएं	91	24.08	4.98			

विश्लेषण - तालिका 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि छात्र तथा छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा का मध्यमान क्रमशः 23.88 तथा 24.08 है तथा मानक विचलन क्रमशः 4.77 तथा 4.98 है। इन दोनों में शैक्षिक आकांक्षा का टी-मूल्य 0.27 है जो कि .05 स्तर पर सार्थक नही है। अतः यह शून्य परिकल्पना कि ''माध्यमिक स्तर के छात्र तथा छात्राओं की शैक्षिक आंकाक्षा में कोई सार्थक अंतर नही है'' को स्वीकार किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत लिंग के आधार पर छात्र तथा छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा में कोई सार्थक अंतर नही है। शोधकर्ता के परिणामों की पुष्टि तलवार एम.एस., कुमार टी. प्रदीप[19], कौर परविन्दरजीत, रणजीत[20], मिश्रा सविता[21], रानी अजंना, सेठिया वीशू[22], मैनन अनिता[23], द्वारा की जाती है। इनके परिणामों में भी पाया गया कि लिंग के आधार पर छात्र तथा छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा में कोई सार्थक अंतर नही है ।

तालिका 2

विद्यालय प्रकार के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा का मध्यमान, मानक विचलन एवं, टी मूल्य

विद्यालय प्रकार	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानकविचलन (S.D.)	df	t value	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालय	**88**	**21.50**	**4.44**	**174**	**0.19**	**0.05 स्तर पर सार्थक अंतर नही है**
गैरसरकारी विद्यालय	**88**	**21.65**	**5.70**			

विश्लेषण - तालिका 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा का मध्यमान क्रमशः 21.5 तथा 21.65 है तथा मानक विचलन क्रमशः 4.44 तथा 5.70 है इन दोनो में शैक्षिक आकांक्षा का टी-मूल्य 0.19 है जो कि .05 स्तर पर सार्थक नही है। अतः यह शून्य परिकल्पना कि''माध्यमिक स्तर के सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा में कोई सार्थक अंतर नही है'' को स्वीकार किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के सरकारी तथा गैरसरकारी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक आंकाक्षा में कोई सार्थक अंतर नही है। शोधकर्ता के परिणामों की पुष्टि कौर परविन्दरजीत, रणजीत[24], मैनन अनिता[25], नारणिया प्रियंका[26] द्वारा होती है। इनके परिणामों में भी पाया गया कि सरकारी और गैरसरकारी विद्यालयों में अध्यययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा में कोई सार्थक अंतर नही है।

तालिका 3

क्षेत्र के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी मूल्या

क्षेत्र	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मनक विचलन (S.D.)	df	t value	सार्थकता स्तर
ग्रामीण	87	22.5	4.83	174	0.61	0.05 स्तर पर सार्थक अंतर नही है
शहरी	89	22.09	3.98			

विश्लेषण – तालिका 3 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्रामीण तथा शहरी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा का मध्यमान क्रमशः 22.5 तथा 22.09 है तथा मानक विचलन क्रमशः 4.83 तथा 3.98 है। इन दोनो में शैक्षिक आकांक्षा का टी–मूल्य 0.61 है जो कि .05 स्तर पर सार्थक नही है। अतः यह शून्य परिकल्पना कि ''शहरी तथा ग्रामीण विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा में कोई सार्थक अंतर नही है'' को स्वीकार किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के ग्रामीण तथा शहरी विद्यालय के अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक आंकाक्षा में कोई सार्थक अंतर नही है। शोधकर्ता के परिणामों की पुष्टि रानी अजंना, सेठिया वीशू[27], बशीर लियाकत, कौर रमनदीप[28], राजा ए सेन्थिल[29] द्वारा की जाती है। इनके परिणामों में भी पाया गया कि शहरी व ग्रामीण विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा में कोई सार्थक अंतर नही है।

शोध अध्ययन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष – परीक्षण से प्राप्त सम्पूर्ण प्रदत्तों के विश्लेषण एवं व्याख्या के उपरान्त निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि

1. **मध्य** प्रदेश के मंदसौर जिलें के छात्र तथा छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा में कोई सार्थक अंतर नही पाया गया क्योंकि वर्तमान समाज में छात्र तथा छात्राओं दोनों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं जिससे सम्भवतः इनके मध्य शिक्षा के संदर्भ में भेदभाव मिट गया है।
2. **सरकारी** तथा गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया क्योंकि गैर सरकारी विद्यालयों की भाँति गैर सरकारी विद्यालयों में भी नवीन तकनीकों का समावेश किया जाने लगा है जिससे कि विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञानार्जन होता है जिससे सम्भवतः उनकी आकांक्षाओं का दायरा सीमित नहीं रहा है ।
3. **शहरी** तथा ग्रामीण विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा में कोई सार्थक अंतर नही पाया गया क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अभिभावक भी शिक्षा के महत्व को जानने लगे हैं और उन्हें बेहतर शिक्षा दिलाने हेतु जागरूक हुए हैं, जिससे सम्भवतः ग्रामीण विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा भी शहरी विद्यार्थियों की तरह विस्तारित हुई है।

शोध का परिसीमन- प्रस्तुत शोध मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में किया गया। शोध में केवल ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सरकारी व गैरसरकारी विद्यालयों को ही सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत शोध में नवोदय विद्यालय और सी.बी.एस.सी. के विद्यालयों को सम्मिलित नही किया गया है।

संदर्भ

1. मौनिका, देवी नीलम 'ए कम्पैरेटिव स्टडी ऑन एडजस्टमैन्ट ऑफ एजूकेशनल एस्पीरेशन अमंग रूयल एंड अर्बन सैकेण्डरी लैवल स्टूडैन्ट्स' इन्टरनैशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव साइंस एंड रिसर्च टैक्नोलॉजी, वर्ष 3 अंक 1 2018 पृ. 652-657
2. WWW.google.com\educationalquotes
3. तलवार एम. एस, कुमार टी प्रदीप 'शिक्षण की प्रतिबद्वता और प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा के बीच संबंध का अध्ययन', एजूट्रैक, वर्ष 9 अंक 5, 2010, पृ. 30-32
4. बील सारा जे. एंड क्रोकेट, लिजा जे 'एडलोसेंट ऑक्यूपेशनल एंड एजूकेशनल एस्पिरेशन लिंक्स टू हाई स्कूल एक्टीविटीज एंड एडल्ट एजूकेशन एटेनमेन्ट फेकल्टी', पब्लिकेशन डिपार्टमैन्ट ऑफ फिलोसॉफी, 2010 पृ. 259
5. कुमावत संतोष 'आदिवासी किशोर विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, जीवन संतुष्टी सामाजिक परिपक्वता एवं आकांक्षा स्तर का अध्ययन' अप्रकाशित शोध, 2011 पृ. 7-8
6. बुन्देल रजनी 'नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सामाजिक समायोजन की समस्याओं तथा आकांक्षाओं का अध्ययन' अप्रकाशित लघु शोध 1996 पृ. 11-12
7. तलवार एम.एस, कुमार प्रदीप टी. 'शैक्षिक आंकाक्षा और शिक्षक अनुपस्थिति के बीच सहसंबंध का अध्ययन'. एजूट्रैक वर्ष 9 अंक 6, 2010 पृ.29-31

8. मिश्रा सविता 'छात्रों की शैक्षिक अंकाक्षा के लिए विज्ञान दृष्टिकोण एक निर्धारक के रूप में का अध्ययन' इन्टरनैशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग इन्वैन्शनस वर्ष 2 अंक 9, 2013 पृ. 29-33 www.ijeihournal.com
9. बानो शफिका, 'माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की सोशियोमैट्रिक समूह की शैक्षिक आंकाक्षा का अध्ययन', जर्नल ऑफ कम्यूनिटी गाइडैन्स एण्ड रिसर्च वर्ष 30 अंक 3, 2013 पृ. सं. 466-474
10. रानी माधुरी आर. एंव शर्मा सावित्री, 'किशोरों की शैक्षिक आंकाक्षा का संबंध लिंग और सामाजिक आर्थिक स्तर का अध्ययन', रिसर्च लिंक, वर्ष 14, अंक 10, 2015, पृ.सं. 95-97 www.researchlink.in
11. ग्यार संध्या, शर्मा अरूणा 'माध्यमिक छात्रों के समायोजन और शैक्षिक आंकाक्षाओं पर व्यक्तित्व के लक्षणों के प्रभाव का अध्ययन', एन इन्टरनैशनल पीयर रिव्यूड एंड रैफर्ड स्कॉलरली रिसर्च जर्नल फॉर ह्यूमनिटी सांइस एंड इंगलिश लैगवेज वर्ष 2 अंक 8, 2015, पृ. 2146-2154
12. हैदा वैभव मधुलिका, 'किशोरावस्था के सामान्य बच्चों के साथ आकांक्षा का उसकी शैक्षिक उपलब्धि के साथ संबंध का तुलनात्मक अध्ययन'. रिसर्च लिंक वर्ष 13, अंक 11, 2015 पृ.114-116
13. यूका अना 'माता पिता द्वारा छात्रों की शैक्षणिक और व्यवसायिक आंकाक्षाएं और किशोरावस्था के लक्षणों की भविष्यवाणी का अध्ययन'.यूरोपीयन जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज एजूकेशन एंड रिसर्च वर्ष 4 अंक 1, 2015 पृ. 207-214
14. साइकिया पल्लवी, 'आसाम के सोनितपुर जिले के जनजातीय और गैर जनजातीय हाई सैकेण्डरी विद्यार्थियों की शैक्षिक आंकाक्षा का तुलनात्मक अध्ययन', इन्टरनैशनल जर्नल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च स्टडीज, वर्ष 2 अंक 12 2015 पृ. 839-841 .
15. जन कुन्सर, 'कार्यरत और गैर कार्यरत माताओं के बच्चों की शैक्षिक आंकाक्षा के स्तर का अध्ययन' इन्टरनैशनल जर्नल ऑफ साइनटिफिक रिसर्च एण्ड एजूकेशन' वर्ष 4, 2016 पृ. 4910-4913
16. गौतम अमित चन्देल एम.पी.एस., बंसल सौहिल कुमार 'उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं शैक्षिक आंकाक्षा का अध्ययन', परिपेक्ष्य वर्ष 23 अंक 2 2016 पृ. 25-52.
17. मैनन अनिता 'बुद्वि के संबंध में किशोरों की शैक्षिक आकांक्षा का अध्ययन' गिटारियन जरनल ऑफ एजूकेशन वर्ष1, अंक1, 2017 पृ. 65-74
18. बशीर लियाकत, कौर रमनदीप, 'माध्यमिक विद्यालय के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा और स्कूल के पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन' एजूकेशनल क्वेसट : एन इनटरनैशनल जरनल ऑफ एजूकेशन एंड अपलाईड सोशल साइसेंज, वर्ष 8, 2017 पृ. 269-275
19. तलवार, पूर्वोक्त
20. कौर परविन्दरजीत, रणजीत 'बुद्वि स्तर के संबंध में किशोरों की शैक्षिक आकांक्षा का अध्ययन', इन्टरनैशनल मल्टी डिसिपिलिनरी जरनल, वर्ष 1, 2012, पृ. 37-43
21. मिश्रा सविता 'छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा के लिए विज्ञान दृष्टिकोण एक निर्धारक के रूप में' इन्टरनैशनल जरनल ऑफ इंजीनियरिंग इनवैन्शन्स, वर्ष 2 अंक 9, 2013 पृ. 29-33
22. रानी अजंना, सेठिया वीशू '+2 के विद्याथियों के पारिवारिक वातावरण और शैक्षिक आकांक्षा के मध्य संबंध', इंडियन जरनल ऑफ अपलाईड रिसर्च, वर्ष 6 अंक 12, 2016 पृ. 701-703
23. मैनन, पूर्वोक्त
24. कौर, पूर्वोक्त
25. मैनन, पूर्वोक्त
26. नारणिया प्रियंका 'माध्यमिक स्तर के विद्याथियों के आकांक्षा स्तर का उनकी सृजनात्मकता पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन' अप्रकाशित लघु शोध शासकीय टी. टी. कॉलेज, अजमेर, राजस्थान, 2017 पृ. 5-8
27. रानी अजंना, पूर्वोक्त
28. बशीर लियाकत, पूर्वोक्त www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor
29 राजा ए सेन्थिल, 'हाई स्कूल विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा के स्तर का अध्ययन' इन्टरनेशनल जरनल ऑफ साइंस एंड रिसर्च, वर्ष 7, अंक 12, 2018 पृ. 859-861

हिन्दी सिनेमा में कश्मीर का चित्रण

❑ राहुल कुमार

70 एम एम पर नाचती जिन्दगी की कहानी सिनेमा को परिभाषित करती है। अपनी एक सदी का इतिहास लिए सिनेमा न जाने कितनी सदियों को खुद में समेटे हुए है। सदियां जिसमें सभ्यताएँ हैं, संस्कृति है, समाज है, संस्कार है, सरोकार हैं और सबसे महत्वपूर्ण हम हैं। सिनेमा ने हमारे लिए मनोरंजन, शिक्षा और संचार के विस्तार का काम बाद में किया पहले इसने हमारी अनुभूति को नया आयाम दिया। हमें वास्तविकता से जोड़ा, कथा को देख पाने की एकरुपता से हमें जोड़ा, हमें जोड़ा उन मुद्दों से, उन खुबसूरती से जो हमारे बीच शब्दों, साहित्यों और उद्घोषणाओं में थी। हिन्दी सिनेमा और कश्मीर का रिश्ता तारिखों में नहीं तबियतों में बयां किया जाता रहा है। सच्चाई कैसी भी रही हो लेकिन ख्वाब कश्मीर रहा। जीवन में कितने ही कांटे रहे हों, कली कशमीर रही, ऐसे मखमली रिश्ते समय और परिस्थिति के साथ बदले और पहुंच गए वहां जहां दिन कैसा भी हो रात कश्मीर हो गयी। ऐसी रातें क्यों ? सिर्फ रात की बातें क्यों? हिन्दी सिनेमा में आज कश्मीर ऐसा क्यों है? और अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है कश्मीर? कैसा है कश्मीर के बिना और कश्मीर के संग हिन्दी सिनेमा? हिन्दी सिनेमा और कश्मीर के हर रिश्तों के हवाले से हम उन सारे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक मुद्दों को तलाशेगें जो सिनेमा को प्रभावित करते हैं।

सिनेमा का आधार वह सबकुछ है जिसे हम जीते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। असल में सिनेमा का आधार हमारे जीवन का आधार हैं, जो हमारे जीवन और समझ के हिसाब से कभी बहुत गहरा तो कभी बहुत छिछला होता है। पर एक नदी की तरह बहना इसकी प्राथमिकता है। मनोरंजन जैसे उद्देश्यों को छोड़ दें तो इस बहाव में चारो दिशाओं का नजारा हमेशा बदलता हुआ दिखता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज सिनेमा का स्वरुप बदलता है और ये बदलाव हर स्तर पर हुए हैं। अब सिनेमा का दायित्व सिर्फ समाज या संस्था नहीं है उन लोगों का भरण–पोषण भी है जिसने उसे बनाया है। बुरी और अच्छी चीजों को अपना विषय बनाने वाले सिनेमा की भी कुछ अच्छी कुछ बुरी चीजें होती हैं, जिससे उसे अलग नहीं किया जा सकता है। संतुलन बहुत जरुरी है, जो वर्तमान में अंसतुलित होता दिख रहा है। 'वास्तव में सिनेमा तीन चक्कों पर चलता है। पहला कथा के पात्र की दृष्टि है। दूसरा कथा वाचक (निर्देशक) का दृष्टिकोण है और तीसरा कथा स्रोता (दर्शक) की दृष्टि है। इन तीनों का आपस में समांजस्य होना अत्यधिक आवश्यक होता है। किसी एक में भी जरा सी गड़बड़ी पूरी फिल्म की चाल को अंसतुलित कर देती है।'[2] इसलिए इन तीन चक्कों पर अधिक ध्यान रखा जाता है जिसमें से हर एक का स्थान और काम निश्चत है। आगे का हैंडल वाला चक्का निर्देशक के नजरिये वाला होता है जो पात्र की दृष्टि और दर्शक की दृष्टि को भली–भांति जानता है और ये जानकारी उसे उस अनुभव से मिलती है जो उसने कभी पात्र बनकर तो कभी दर्शक बनकर दुनिया से, समाज से ग्रहण की हुई होती है। पर अफसोस! आज के समय का निर्देशक उस संयुक्त परिवार, विस्तरित समाज से नहीं आता है जो आज भी भारतीयता की रीढ़ है।

बचपन से किताबों में पढ़ते आये हैं कि कश्मीर भारत का माथा है। यह हमारा अभिन्न अंग है। इसके बिना भारत ऐसा है जैसे बिन गर्दन का कोई इंसान। लगभग ऐसी ही बातें सिनेमा में भी कही जाती रही हैं। दूध मांगोगे तो खीर देगें, कश्मीर मांगोगे तो चीर देगें, भयंकर मर्दाना डायलॉग में कहा गया कि कश्मीर हमारी सत्ता है। कश्मीर हमारी पहचान है। परंतु जब मैं अपने से जन्म से पहले की फिल्में देखता हूं तो ऐसा लगता है कि 'कश्मीर हमारी सभ्यता है। कश्मीर हमारी संस्कृति है। कश्मीर हमारा हिस्सा है। हमारा किस्सा है।'[3] इस तरह के दो मनोभाव! दो तरह की फिल्में! दो तरह के निर्माता एक ही कश्मीर के लिए कैसे हो सकते हैं ? कश्मीर की सुन्दरता से सिनेमा का जुड़ाव हमेशा रहा है। परंतु आजादी के बाद से कश्मीर से यह और कारणों से

❑ शोध अध्येता, पत्रकारिता एवं सृजनात्मक लेखन विभाग, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला (हि.प्र.)

भी जुड़ा जिसमें राष्ट्रीयता, सामाजिकता जैसे कई कारण रहे, जो 1990 तक हर उतार चढ़ाव के बाद भी जारी रहा। परंतु 1990 के बाद से राजनौतिक, आर्थिक, सामाजिक और कश्मीर की अपनी परिस्थिति के कारण सिनेमा का कश्मीर से हर स्तर पर मोह भंग हुआ जिसमें उसकी सुन्दरता सम्मिलित है। अब एक विशेष प्रकार की फिल्म ही कश्मीर को जोड़ती है। उग्रवाद, आतंकवाद, अलगावाद, बम ब्लास्ट, ये वो विषय हैं जिससे कश्मीर वर्तमान सिनेमा से और सिनेमा के द्वारा शेष भारत से जुड़ता है।[4] भौगोलिक सुन्दरता के मुद्दे ने कश्मीर को हमेशा सिनेमा के लिए उर्वर जमीन बनाये रखा। अपने जमाने के दो दिग्गज यश चोपड़ा और राजकपूर जैसे निर्माताओं की फिल्मों के लिए कश्मीर पहली पसंद रही। 'बाबी' (1973) और 'कभी-कभी' (1976) जैसी फिल्में कश्मीर में शूट हुईं और सुपर हिट रहीं। ढेर सारी फिल्मों की शूटिंग का यह सिलसिला जहां एक तरफ कश्मीर को फोकस में लाया वहीं दूसरी तरफ इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। 'कश्मीर की घाटी पर्यटन का केन्द्र बनने लगी।'[5] लोगों के आने जाने से घाटी के निवासियों को कई ढंग से लाभ हुआ जो सीधे तौर से पर्यटन से नहीं जुड़े थे। लोगों को घर बैठे रोजगार मिला। उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ। धीरे-धीरे दो अलग-अलग सामाजिक सांस्कृतिक लोगों के बीच निकटता बढ़ने लगी। कश्मीर की हस्त कलाओं का फैलाव हुआ। शाल, चादर, गर्म ऊनी कपड़े शेष भारत में खूब प्रचलित हुई। 'जब समाज कश्मीर को पहनने लगा, ओढ़ने लगा तो इसका असर फिल्मों पर कुछ अलग तरीके से हुआ। अब तक कश्मीर की भौगोलिक सुन्दरता से जुड़ा सिनेमा अब कश्मीर की सामाजिकता के साथ जुड़ने लगा। कैमरे वहां की जीवन शैली को कैद करने लगे।

1965 में 'जब-जब फुल खिले'[6] जैसी फिल्में बनी, जिसमें राजू (शशी कपूर) एक हाउस बोट का मालिक था। कश्मीर घूमने आयी एक लड़की से उसे प्यार होता है। पर्यटन और उससे जुड़ी स्थानीय लोगों के बीच गुथी फिल्म की कहानी कश्मीर की पृष्ठभूमि को दिखाती है। 1965 में ही बनी 'आरजू' फिल्म में महमूद के उस भोले और ईमानदार किरदार को सामने लाता है जो कश्मीरियत में है। यह फिल्म भी डल झील और उससे जुड़े पर्यटन के आकर्षण पर आधारित थी। परंतु इसके पहले 1964 में बनी 'कश्मीर की कली'[7] और बाद में 1979 में बनी 'नूरी'[8] जैसी फिल्में भी पर्दे पर आयी, जो कश्मीर को पर्यटन से परे उसकी अपनी ही कहानी में उसे उजागर करती हैं। 'यह सही है कश्मीर पर बनी अधिकतर फिल्में या कहें लगभग सारी फिल्में सीधे तौर पर कश्मीरियत और कश्मीरीजन को उजागर नहीं करती हैं फिर भी अपनी भयंकर काल्पनिकता में भी फिल्में वो दिखाने से नहीं बच पातीं जो कश्मीर का अपना रहन-सहन है, उसकी संस्कृति है। कंबल के अंदर एक खास तरह की बोरसी की गर्महाट है, पहाड़ी, चरवाहा, बकरी का मेमना सब कुछ पर्दे पर दिखता रहा। ठेठ सामाजिक संदर्भ में सिनेमा कश्मीर को कभी उजागर नहीं कर पाया। कश्मीर पर जो भी फिल्में बनी उसकी वेश-भूषा, रहन-सहन, बोल-चाल तो कश्मीरी थी परंतु उस कौम का प्रदर्शन कहीं नहीं था जिसकी संख्या घाटी में बहुमत में थी।'[9] यह एक वास्तविकता है। परंतु इसके अलावा भी एक वास्तविकता है और वह है निर्माता निर्देशक की वह समझ-बूझ वो प्रतिबद्धता कि कश्मीर को शेष भारत से उसके अपने मन से, प्यार मोहब्बत के माहौल से और एक-दूसरे के मेल-जोल से उसे जोड़ना है। यह राजनीतिक समझ और राष्ट्रीयता की भावना ही थी कि इन क्षेत्रों में तीन-तीन युद्ध होने के बाद प्यार को ही महत्व दिया गया ना कि एक विशेष तरह के उन्माद को। अलबत्ता देर से ही सही जब सिनेमा कश्मीर को ठेठ सामाजिक संदर्भ में दिखाने को तैयार हुआ तभी कश्मीर में ऐसी हवा बदली की वादी और सिनेमा का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। ये वो दौड़ है जिसमें शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक रुप से हमारी सीधी उपस्थति रही है। हमने जितना पढ़ा, उससे ज्यादा सीखा और समझा है। 1990 के बाद से सिनेमा में कश्मीर की उपस्थिति का हर रुप रंग बदल गया। सिनेमाई परर्दे पर फूल की जगह आग दिखायी जाने लगी। शांत वातावरण एकाएक प्रचंड तूफान में बदल गया। कश्मीर एक मात्र युद्ध का मैदान हो गया। 'कश्मीर में साठ-सत्तर के दशक में भले ही विख्यात अभिनेता के तौर पर शम्मी कपूर को उनके चाहने वालों ने कश्मीर की बर्फीली वादियों में याहू-याहू गाते देखा हो, लेकिन धरती का स्वर्ग कही जाने वाली घाटी इस दशक में पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वहां के अप्रतिम सौंदर्य को आतंकवाद की विभीषिका ने पूरी तरह लील लिया है। घाटी में आतंकवाद की जड़ें जैसे-जैसे गहरी होती गईं, बॉलीवुड के फिल्मकारों ने भी उसे अपनी फिल्मों की कहानी बनाना शुरू कर

दिया। बीतें तीन दशकों में कश्मीर पर आधारित ऐसी ही कुछ फिल्मों पर एक नजर, जिन्होंने दर्शकों के दिलों को गहरे से छुआ।'[10]

90 का दशक आते-आते फिल्मों में व्यापक बदलाव आने शुरू हो गए। ये वो दौर था जब भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया, भारत ने भी वैश्विक गांव में शामिल होने की दिशा में कदम बढ़ाए और दुनिया भर के देशों में वीजा नियमों में ढील देने की प्रक्रिया शुरू हुई। तब इन भौतिक बदलावों से प्रेरित होकर प्रवासी भारतीयों का स्वदेश प्रेम मुखर हुआ। इसके दर्शन हर क्षेत्र में होने लगे। एक तरह से उन्होंने अपने देश की घटनाओं में आक्रामक हस्तक्षेप शुरू किया। बिल्कुल उसी समय भारत में एक बड़ा मध्यवर्ग जन्म ले रहा था, जिसकी रूचियां काफी हद तक विदेशों में बस गए भारतीयों की तरह बन रही थीं। इसका श्रेय उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत आने और स्थानीय जरूरत के हिसाब से खुद को बदलने की प्रक्रिया को दिया जा सकता है। 90 के दशक के उत्तरार्ध में वैश्विक गांव बनने की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका था। भारत का मध्यवर्ग और विदेश में बसा प्रवासी भारतीय खान-पान, पहनावा, रहन-सहन आदि समान स्तर पर आ चुका था। दोनों जगह एक ही कोक-पेप्सी पी जाने लगी, पिज्जा और बर्गर खाया जाने लगा और ली-लेवाइस की जीन्स पहनी जाने लगी। भारत की मुख्यधारा के फिल्मकार इस बदलाव को बहुत करीब से देख रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी सोच को इस आधार पर बदला। यहां घरेलू भारतीय दर्शक का मतलब भारतीय मध्यवर्ग से लगाया जा सकता है। भारतीय फिल्मकारों की इस सोच में आए बदलाव ने फिल्मों की कथा-पटकथा को पूरी तरह से बदल दिया, खास कर बड़े फिल्मकारों की।

रोजा (1992)[11] इस फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है। इस दशक के प्रारंभ में कश्मीर पर केन्द्रित यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में एक ऐसे नवविवाहित जोड़े की कहानी को दिखाया गया है, जो शादी के बाद ही तत्काल घाटी की ओर कूच कर देता है, क्योंकि पति वहां सेना में अधिकारी के तौर पर तैनात है लेकिन पत्नी के लिए जल्द ही स्थिति नारकीय हो जाती है, जब उसके पति को आतंकवादी अपने कब्जें में ले लेते हैं। अरविंद स्वामी की प्रमुख भूमिका वाली इस फिल्म में मणिरत्नम ने घाटी के हालात पूरी ईमानदारी और दिलेरी से उकेरा हैं। यह वह समय था जब कश्मीर अलगाववादियों और आतंकवादियों की भयंकर चपेट में था। कश्मीर के इस त्रासद विषय को आधार बनाकर मणिरत्नम ने यह फिल्म बनायी। पूरी फिल्म की कहानी का एक हिस्सा दक्षिण भारत का वह गॉव और शहर है जहाँ दो जीवन एक साथ जुड़ते हैं और उनका प्रेम प्रवास तेजी से चढ़ता है। फिल्म के बाकी दो तिहाई भागों में उस कश्मीर को विषय बनाया गया है जो स्थिति शायद वहां उस समय थी। फिल्म का नायक भारत सरकार का एक महतवपूर्ण अधिकारी है जिसे अगवा कर के अलगाववादी लियाकत लंबे समय से गिरफ्तार आतंकवादी भाई (तसिम खान) को छुड़ाना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम में कैसे नायक अलगाववादियों के बीच अपनी बात रखता है और साथ ही अपने पति को छुड़ाने के लिए नायिका (मधु) कैसे मौजूदा व्यवस्था के चक्कर काटती है।

मिशन कश्मीर सन (2000)[12] फिल्म का निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में घाटी की खूबसूरती के साथ ही संजय दत्त, रितिक रोशन, प्रीती जिंटा जैसे बड़े सितारों का मन मोह लेने वाला अभिनय भी था। संजय दत्त एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में थे और रितिक रोशन उनके गोद लिए हुए बेटे की भूमिका में, जो बड़ा होकर आतंकवादी बन जाता है। कश्मीर समस्या को लेकर बनाई गई फिल्में इसलिए सफल नहीं होतीं, कि उनमें पूरा सच नहीं होता। कश्मीर को लेकर कई तरह के सच हैं। श्रीनगर के टूरिस्ट सेंटर में आतंकियों ने आग लगा दी थी। वे श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा शुरू किए जाने का विरोध करते हैं। मिशन कश्मीर जैसी फिल्में बनती हैं, जो समस्या को छूती तक नहीं, बस समस्या को मिले प्रचार का लाभ उठाती हैं। अफसोस की बात है कि 'परजानिया' बनाकर नाम कमाने वाले राहुल ढोलकिया ने भी 'लम्हा' इसी तरह बनाई है। समस्या को सतही ढंग से छूती हुई, देखी-अनदेखी करती हुई। कश्मीर का सच कोई एक फिल्म नहीं दिखा सकती। इस तरह कश्मीर की समस्या को एक के बाद एक देखा जा सकता है। जिस समस्या को देखने के लिए हजारों ईमानदार वृत्त चित्रों की जरूरत है, उसे आप ढाई घंटे की उस फिल्म में नहीं देख सकते जिसमें चार-पाँच गाने भी हों और अनिवार्य रूप से नायक-नायिका को प्रेम की पींगे भी बढ़ानी हो। हिन्दुस्तान के स्वर्ग कश्मीर को न जाने किसकी नजर लग गई और यह स्वर्ग आतंकवाद का केंद्र

बनकर रह गया कश्मीर और कश्मीरियों की बदहाली पहले भी कई फिल्में जैसे रोजा, फिजा, दिल से और माचिस जैसी फिल्मों में देखी जा सकती है। मिशन कश्मीर भी इसी श्रेणी की एक फिल्म है जिसमें निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने इस मुद्दे को एक नये दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया। कहानी की शुरुआत इंस्पेक्टर इनायत खान संजय दत्त व उनकी पत्नी नीलिमा (सोनाली कुलकर्णी) से होती है। उनका नन्हा सा बेटा खेलते हुए बुरी तरह घायल हो जाता है लेकिन शहर में एक आतंकी ग्रुप द्वारा फतवा लागू होने के कारण बच्चे को डाक्टरी सहायता नहीं मिल पाती जिसके कारण बच्चे की जान चली जाती है जिसके कारण, अलगाववादी ताकतों के सफाया के लिए इनायत खान अपनी कमर कस लेता है। इस अभियान में गलती से एक निर्दोष परिवार मारा जाता है और उसी परिवार का नन्हा सा अल्ताफ अनाथ हो जाता है। नीलिमा अपने बच्चे को खोने के बाद आई शून्यता को भरने की कोशिश करती है- अल्ताफ को गोद लेकर। अल्ताफ रोशन के युवा होने के साथ ही उस समय समस्या उठ खड़ी होती है जब उसे अपने परिवार के हत्यारे के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद अल्ताफ लियाकत खान से बदला लेने के लिए आतंकवादी हिलाल के साथ हो जाता है। बीच-बीच में अल्ताफ और उसके बचपन की दोस्त सूफिया परवेज की प्रेम कहानी चलती रहती है। अल्ताफ का साथ देने की एवज में हिलाल अल्ताफ को अपने मिशन में इस्तेमाल करना चाहता है। वह मिशन है हर हाल में आजाद कश्मीर पाना। फिल्म के पहले भाग में नायक के अपने बदले को अधिक तूल दिया गया है, दूसरे भाग में आतंकवादी हिलाल का लक्ष्य दिखाया गया लेकिन इससे मुख्य मुद्दा आतंकवाद पर कहानी अधिक केंद्रित नहीं हो पाई। अंतिम घंटे में जाकर कहानी अपनी गति पकड़ती है। अल्ताफ और सूफिया की प्रेम कहानी अधूरी सी लगती है। इनायत और अल्ताफ के बीच के एक्शन दृश्यों को कमाल का फिल्माया गया है। वैसे पूरी फिल्म में निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की कुछ अलग करने की कोशिश दिखती है।

कारगिल एलओसी (2003)[13] बार्डर फिल्म बनाने के बाद जेपी दत्ता ने फिल्म इंडस्ट्री के दो दर्जन से भी ज्यादा कलाकारों को लेकर कारगिल युद्ध पर आधारित यह फिल्म बनाई थी। बालीवुड में प्रेम, सेक्स, हिंसा की तरह देशभक्ति एक अनिवार्य मसाला तो नहीं रहा, फिर भी इस पर फिल्में बनती रही हैं। खासकर वैसे समय में, जब भारत-पाक और भारत- चीन के संबंधों में या तो तनाव बढ़ा है, या फिर सीमा पर दोनों एक-दूसरे के साथ भिड़े हैं। 1965 व 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध और 1962 के भारत-चीन युद्ध को भी कई फिल्मों में कथानक बनाया गया है। कारगिल में पाकिस्तान के साथ हुई मुठभेड़ भी फिल्मों का विषय बनी। सुनहरे पर्दे पर प्रेम, हिंसा और राष्ट्रीयता को हमेशा दर्शकों ने पसंद किया और निश्चय ही देश-प्रेम कभी भी बॉलीवुड के लिए घाटे का सौदा नहीं रहा। राष्ट्रीयता को भारतीय राजनीति और बॉलीवुड दोनों ही अपने अपने ढंग से, अपने-अपने फायदे के लिए परिभाषित और उपयोग करते रहे हैं। बॉर्डर (1997), सरफरोश (1999), मिशन कश्मीर (2000), लगान (2001), गदर एक प्रेमकथा (2001), मां तुझे सलाम (2002), एलओसी कारगिल (2003), द हीरो (2003), और लक्ष्य (2004) उस दौर की प्रमुख फिल्में हैं। कमल हासन की हिंदुस्तानी (1996) और हे राम (2000) भी उसी समय में आईं। यह भी ध्यान रखने की बात है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को बहुत ही कम फिल्मों में विषय बनाया गया है। 1950 के आसपास कुछ फिल्में आजादी के संघर्ष को लेकर बनीं और फिर 1997 व 2007 में। 1997 भारतीय स्वतंत्रता का 50वां वर्ष था, जबकि 2007 में 1857 के 150 वर्ष पूरे हो रहे थे। वैसे, बंकिमचंद्र के उपन्यास पर हेमेन गुप्ता ने 1952 में 'आनंद मठ' बनाई थी। सन 2006 में कुणाल कोहली के निर्देशन में 'फना' रिलीज हुई। इस फिल्म में आमिर खान एक आतंकवादी की भूमिका में नजर में आते हैं, जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाते हैं। फिल्म इंटरवल के बाद बोझिल हो जाती है, लेकिन गीत-संगीत दर्शकों को काफी भाता है।

यहां (2005)[14] फिल्म का निर्देशन सुजीत सिरकर ने किया है। फिल्म में नायिका मिनिषा लांबा एक कश्मीरी लड़की की भूमिका में है, जिसे सेना के एक जवान से प्यार हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि नायिका का भाई आतंकवादी है। यह फिल्म कश्मीर में युवाओं के आतंकवाद का रास्ता अपनाने की कहानी को पूरी हकीकत के साथ दर्शाती है।

तहान (2008)[15] फिल्म का निर्देशन संतोष सिवन ने किया है। इस फिल्म में एक मासूम बच्चे और उसके गधे की कहानी है। फिल्म में बच्चे की नजर से कश्मीर में

पनपते आतंकवाद को दिखाया गया है। एकदम सीधे सरल और दिल को छू जाने वाले अंदाज में यह फिल्म एक सार्थक संदेश दे जाती है। आठ वर्षीय तहान अपने दादा (विक्टर बैनर्जी), माँ हबा (सारिका) और बहन जोया (सना शेख) के साथ कश्मीर में रहता है। ये सब इस आशा के साथ जी रहे हैं कि एक दिन तहान के पिता लौटकर आएँगे, जो तीन वर्ष से लापता हैं। तहान के दादा की मौत के बाद जमींदार लालाजी और उसके मैनेजर काका (राहुल खन्ना) तहान के परिवार की संपत्ति ले लेते हैं क्योंकि तहान के परिवार ने उनसे कर्ज लिया था। इसमें तहान का पालतू गधा बीरबल भी शामिल है। बीरबल के बिना तहान का जीना मुश्किल हो जाता है। उसकी जिंदगी अब एकमात्र उद्देश्य बीरबल को वापस लाना है। पैसे कमाने के कई प्रयत्न करने के बाद एक दिन तहान लालाजी से अपना गधा वापस माँगने के लिए जाता है। उसे यह जानकर बहुत दुरूख होता है कि लाला ने सुभान डर (अनुपम खेर) को बीरबल बेच दिया है। बीरबल को लेकर सुभान उन पहाड़ियों के पीछे ले गया जहाँ से तहान के पिता अब तक नहीं लौटें।

सिकंदर (2009)[16] निर्देशक पियूष झा इस फिल्म में फुटबॉल के दीवाने एक बारह वर्षीय लड़के के माध्यम से बताते हैं कि घाटी में किस तरह मासूम बच्चों को आतंकवाद की अंधेरी खाई में धकेला जा रहा है। यह फिल्म घाटी की राजनीति को लेकर भी सवाल खड़े करती है। आज अधिकांश फिल्मों में विदेशों के दृश्य लिए जाते हैं जिसका बड़ा कारण यह है कि आज कुछ निर्देशकों को यह लगने लगा है कि कश्मीर की वादियों के दृश्य शूट करने से बेहतर है कि विदेशों में जाकर शूटिंग की जाए क्योंकि लोग फिल्म प्रमोशन में विदेशों के दृश्य देखकर बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के लिए आते हैं। बॉलीवुड में शूटिंग की जगह को लेकर जो परिवर्तन आए हैं उसके लिए सिर्फ आज के निर्देशक ही जिम्मेदार नहीं हैं। 'यश राज' जैसे महान निर्देशक ने भी अपनी आखिरी फिल्म 'जब तक है जान' में विदेशों में शूटिंग की थी। 'यश राज' ने भी आज के समय को देखकर यह जरूरी नहीं समझा कि कश्मीर या फिर सरसों के खेतों के बीच प्यार को पनपता हुआ दिखाया जाए। निर्देशक पीयूष झा ने आतंकवाद के साए में जी रहे दो मासूम बच्चों की कहानी के द्वारा बड़ी सच्चाई पर अंगुली रखी है। आम जनता के प्रतिनिधि बने लोग कैसे निजी स्वार्थ के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिकंदर मुश्किल स्थितियों में फंसे बच्चे तक ही सीमित नहीं रहती। कश्मीर की बदल रही परिस्थिति में राजनीति के नए चेहरों को भी फिल्म बेनकाब करती है। सिकंदर के मां-बाप को जिहादियों ने मार डाला है। अभी वह अपने चाचा के साथ रहता है। स्कूल में उसके सहपाठी उसे डपटते रहते हैं। फुटबाल के शौकीन सिकंदर की इच्छा है कि वह अपने स्कूल की टीम के लिए चुन लिया जाए। स्कूल में नई आई लड़की नसरीन उसकी दोस्त बनती है। कहानी टर्न लेती है। सिकंदर के हाथ एक रिवाल्वर लग जाता है जिससे वह अपने सहपाठियों को डरा देता है। रिवाल्वर की वजह से जिहादियों का सरगना उससे संपर्क करता है। वह वाशिंग मशीन खरीदने की उसकी छोटी सी इच्छा पूरी करने का दिलासा देता है और एक खतरनाक जिम्मेदारी सौंपता है। दिए गए काम के परिणाम को ना जानते हुए सिकंदर अनजाने में जिहादी सरगना का ही खून कर बैठता है। एक मासूम जिंदगी तबाह होती है और फिर हम अमन की पालिटिक्स करने वालों के खूनी इरादों से परिचित होते हैं। थरथराते मासूम बच्चों की जिंदगी में मची हलचल से आतंकवाद का भारी खतरा बहुत पास से महसूस होता। ऐसा लगता है कि कश्मीर में किसी को बच्चों की परवाह नहीं है। अमनपसंद नेता, आतंकवादी और फौज सभी अपने हित के लिए सिकंदर का उपयोग करते हैं। उपयोग की वजह और तरीकों के चित्रण में फिल्म की मूल कथा कमजोर पड़ जाती है। बड़ों की राजनीति में बच्चों की मासूमियत उलझ जाती है।

साहित्य का पूर्णावलोकन : भट (2008)[17] ने अपने अध्ययन में कहा है की ज्यादातर बॉलिवुड के निर्देशकों ने कश्मीर पर बनने वाली फिल्मों में कथा पर वास्तविकता को नजरअंदाज किया है तथा 1990 के दशक से पहले कश्मीर बॉलिवुड निर्माताओं की सबसे अधिक पसंद थी। कश्मीर की वादी में विशेषकर 1960 के बाद से कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता फिल्मों में दिखाई देने लगी। कश्मीर की कली, जंगली, जब-जब फूल खिले, हकीकत, जानवर, हिमालय की गोद में, दो बदन आरजू जैसी फिल्में कश्मीर में फिल्मायी गयीं। इनमें से कुछ फिल्मों ने कश्मीर की सुंदरता का चित्रण किया है और कुछ ने कश्मीर की संस्कृति और परंपराओं का चित्रण किया लेकिन 1986 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद से कश्मीर में आतंकवाद तेजी से फैलने के कारण फिल्म निर्देशक

कश्मीर से दुरी बनाने लगे।

पुष्पराज गौतम (2012)[18] ने अपनी किताब 'कश्मीर समस्या आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम' में कश्मीर के विभिन्न पहलुओं को समझाया है। विशेषज्ञों की राय में वहां की जनता को धीरे-धीरे विश्वास में लेने की जरुरत है। इस तरह से 'जिस प्रकार मुख्यधारा की संस्कृति से इतने अलग होने के बावजूद उत्तर-पूर्व वाले स्वयं को भारतीय मानने लगे हैं, उसी तरह से वहां के लोग भी मानने लगेंगे और ये तभी हो सकता है, जब वहां शांति बनी रहे। अगर उसे आप भारत का अंग मानते हैं, तो सबसे पहले वहां की जनता की भलाई के बारे में सोचिये ना कि किसी एक दल या गुट के मुद्दे के बारे में।भारतीय गणतंत्र बने 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। इसलिए किसी भी समस्या के बारे में कोई धारणा बनाने में हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर लाल चौक पर तिरंगा फहराने से वहां की जनता की सारी समस्याएं हल हो जाएं, तो हर प्रबुद्ध वहां जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराना पंसद करेगा। प्रतीक राष्ट्र के प्रति हमारी आस्था बनाए रखने के लिए है, लेकिन क्या राष्ट्र सिर्फ एक भावना है? राष्ट्र वहां रहने वाले लोगों से बनता है, तो इस तरह के किसी भी मुद्दे का समर्थन करने से पहले उससे प्रभावित होने वाले आम आदमी के बारे में सोचा जाना चाहिए.

लम्हा (2010)[19] बेचैन करने वाली फिल्म है। आईने की तरह ठीक सामने खड़े होकर सवाल पूछने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक और खूबसूरत जगह कश्मीर से जुड़े तमाम असहज सवालों को दिखा करके उनका जवाब खोजने को हमें अकेला छोड़ जाती है। वरिष्ठ पत्रकार बशारत पीर की किताब 'कर्फ़्यूड नाइट' के बाद यह फिल्म कश्मीर पर दूसरी बड़ी रचनात्मक घटना है। धमाके के लिए एक बच्चे के सीने में टाइम बम सिलकर फ्यूज हाथ में थमाते हुए एक दृश्य में आका कहता है, ये रही तेरी जन्नत की चाभी बेटा'। ज्यादातर दृश्य अधिकतर ऐसे ही नश्तर लगाते चलते हैं। 1989 जैसा हादसा रोकने घाटी पहुंचे खुफिया अफसर विक्रम (संजय दत्त) और तर्कपूर्ण सोच वाली कश्मीरी लड़की (बिपाशा) और आतिफ (कुणाल) हाजी (खेर) जैसे कई दोहरे चरित्र वालों से रू-ब-रू हैं। बाहर का पैसा, अंधी भीड़, छली नेता, भ्रष्ट सैन्य अफसर, बीच कब्रिस्तान में सौदा करते लोग, फिल्म का हर लम्हा एक सवाल है। खलबली पैदा करने वाले संवाद, उतना ही असहज कैमरा।

कमला प्रसाद(2010)[20] सिनेमा का माध्यम क्या है, इसे समझाने के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का यह विचार काफी प्रासंगिक है। उन्होंने सिनेमा का दूरगामी भविष्य रेखांकित करते हुए कहा था- देश की चेतना, देश के आदर्श, और आचरण की कसौटी वही होगी जो सिनेमा की होगी। तो क्या माना जाए कि सिनेमा भी विचार का रूप ले सकता है। शायद कभी नहीं। कथा-कहानियों में जितना विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त किया जा सकता है, उतनी भी जगह फिल्मों में नहीं बनती। बावजूद इसके अपने छोटे से इतिहास में वैचारिक आलोक में कई कालातीत फिल्में बनी हैं और उसने मानव समुदाय को बड़े पैमाने पर प्रभावित भी किया है। सिनेमा मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाला सबसे सशक्त माध्यम है। इस माध्यम की पहुँच और प्रभाव आज किसी न किसी रूप में समाज के अंतिम व्यक्ति तक है। कमला प्रसाद ने सिनेमा, उसकी सैद्धांतिकी, तकनीक और सौंदर्यशास्त्र पर विश्व के चुनिंदा फिल्म आलोचकों की राय एक साथ संकलित और संपादित कर हिन्दी पाठकों के सामने फिल्मों के सौंदर्यशास्त्र और भारतीय सिनेमा नामक संकलन में रखा है। इस संकलन में विश्व की श्रेष्ठतम फिल्मों, फिल्मकारों और कई लेखकों के सिनेमा के बारे में विचार हैं। इन विचारों में सिनेमा के लगभग सभी आयामों की गहरी मीमाँसा शामिल है।

सूर्यनाथ सिंह (2011)[21] सूर्यनाथ सिंह के उपन्यास चलती चाकी में यह विशेषता बड़ी ही सहज ढंग से व्याप्त है। सूर्यनाथ सिंह का साहित्यकार होने के साथ-साथ पत्रकार होना इस कथानक को अधिक विश्लेषणात्मक बनाता है। उनका दृष्टिकोण मूल घटना और उस घटना के दूर-दूर तक पड़ने वाले प्रभाव उजागर करने में सक्षम है। कश्मीर की समस्या सर्वविदित है। सभी जानते हैं कि वहां का अमन-चैन छिन चुका है लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसे लोग बहुत ही सरसरी तौर पर जानते हैं। जैसे, वहां आम-आदमी का जीवन कितना असुरक्षित है, वहां औरतों पर क्या बीत रही है या फिर वहां कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी अलगाववादी आतंकी या किसी पुलिसिया आतंकी के हत्थे चढ़ सकता है। कश्मीर में आतंक की चाकी चल रही है और लोग दो पाटों के बीच पिस रहे हैं। यह उपन्यास पढ़ते हुए वह घटना बरबस ही याद आ जाती है जिसमें कश्मीर के शोपिया जिले से दो स्त्रियां लापता हो गई थीं। उन स्त्रियों की लाश ही पुलिस को

मिली। दोनों की हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच आयोग गठित किया गया। जांच आयोग ने पाया कि दोनों के साथ बलात्कार किया गया था और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस का हाथ पाया गया। सूर्यनाथ सिंह ने कश्मीर की समस्या के साइड इफैक्टस बड़े ही विश्लेषणात्मक ढंग से सामने रखे हैं। कश्मीर की वर्तमान दशा और आम जनता के समीकरण समझाने में यह उपन्यास पूरी तरह सफल रहा है।

जवरीमल पारख (2006)[22] ने अपनी किताब 'हिन्दी सिनेमा का समाजशास्त्र' में लिखा है फिल्मकारों को सपनों का सौदागर भी कहा जाता है। फिल्म के माध्यम से सपने बेचना अपने में कोई सकारात्मक मूल्य नहीं है जब तक कि यह साफ न हो कि सपने किस तरह के हैं और जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे यहां लोग दिन-भर की कमाई का 50 प्रतिशत खर्च करके ऐसी फिल्म देखने जाते हैं जिसमे अपना कुछ नहीं होता। सिनेमा का सफेद पर्दा अगर सही मायने में सत्य को उद्घाटित करता है तो आज वह विश्व में क्रांति की आग जला सकता था किन्तु फिलहाल हम चैन की नींद सो सकते हैं क्योंकि सिनेमा को पूरी मात्रा में अफीम खिलाकर जंजीर में जकड़ कर रखा गया है। इन फिल्मों से सरकार को टैक्स मिल रहा है और निर्माता धन कमा रहा है और यह खेल बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से चल रहा है बाजार और सत्ता के गठबंधन से

अध्ययन के उद्देश्य

1. सिनेमा के लिये कश्मीर और कश्मीर के लिये सिनेमा के अर्थ को समझना।
2. कश्मीर के लिए सिनेमा के जरूरत को जानना।
3. कश्मीर हमेशा से बस सिनेमाई फ्रेम का हिस्सा भर क्यूँ रहा ? इसके सरोकार और समाज क्यूँ लम्बे समय तक सिनेमाई कथा से नही जुड़ पाए और 1990 के बाद जुड़ा भी तो क्यूँ कश्मीर की सारी सच्चाई राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, और उग्रवाद भर में निहित हो गयी।
4. कश्मीर की कश्मीरियत और हिन्दी फिल्मों के अन्तर्सम्बन्धों का पता लगाना

शोध प्रारूप : अरसे से सिनेमा और कश्मीर का संबंध रहा है। फ्रेम के सौंदर्य और दर्शक की सौंदर्यकृत संतुष्टि के लिए कश्मीर हमेशा ही एक आवश्यकता बना रहा। ऐसे में कश्मीर की अपनी भी कोई आवश्यकता है, शायद ही किसी निर्माता और निर्देशक ने अपने कैमरे के लेंस का फोकस इस तरफ किया हो। कैमरे का शटर जब भी खुला वह या तो शेष भारत के सपने को दिखता रहा या फिर उसके खौफ को जिसमें कश्मीर तो दिखा पर कभी कश्मीरियत नहीं दिखी। सत्तर एम एम के फ्रेम पर कभी वहां की घाटी, कभी वहां की वादी तो कभी बस बारूद ही दिखता रहा। यह शोध, सिनेमा द्वारा चित्रित कश्मीर की खूबसूरती और कश्मीर की त्रासदी के बीच उस कश्मीर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो उसकी पहचान है। जिस पहचान में देश के तमाम दूसरे हिस्सों के पहचान की तरह ही बहुत कुछ बुरा है और बहुत कुछ अच्छा है। परंतु सिनेमा का कश्मीर इस सब से परे है। इस शोध को करने के लिए हमने कंटेंट एनालिसिस किया है जिसमें ज्यादातर हिस्सा उन फिल्मों का रहा है जो फिल्में कश्मीर में बनी है या कश्मीर पर बनी है।

विश्लेषण : ''सिनेमा में कश्मीर'' के शोध के लिए हमने बहुत सी फिल्में देखीं। बहुत से साहित्यों का अध्ययन किया। हर समय के तात्कालिक सामाजिक गतिविधि को भी ध्यान रखा। पाया कि लम्बे समय तक शुरुआती सिनेमा का जुड़ाव कश्मीर की सुन्दरता से रहा जो बहुत गहरा और जिम्मेदारी वाला रहा। जिस इलाके में तीन-तीन युद्ध हुए। जिस जमीन पर दो देशों की हमेशा उठा-पटक चलती रही। वह कश्मीर कभी खौफ की जगह नहीं बना। पर्यटन के लिए कश्मीर भारत का पहला स्थान रहा। जिसका पूरा श्रेय भारतीय सिनेमा को जाता है, जिसने कश्मीर को हमेशा उसकी सुन्दरता और उसकी विशेषता के साथ उसे प्रदर्शित किया। लेकिन 1990 के बाद हालात बदल गए। कश्मीर में कानून व्यवस्था का पतन और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने सिनेमा पर गहरा असर डाला। अब तक जो सिनेमा समाज से जुड़े हुए थे, समाज के लिए जिम्मेदार थे, उसने एक अलग और नये रास्ते पर चलना शुरू किया। अर्थ की उपलब्धता ने सुंदरता को समंदर पार तलाशा और कश्मीर की वादियां पर्दे पर सनसनी बनकर रह गई। जो भारत के लिए देश भक्त और देशभक्ति पैदा करता रहा। आज सिनेमा में कश्मीर का उसकी सुंदरता के आधार पर नहीं होने के पीछे सिनेमा जगत का उद्योग में बदल जाना है। जिस बदलाव में क्षेत्र, समाज और सरोकार का कोई मतलब नहीं होता है। यह सिर्फ आर्थिक लाभ और हानि के आधार पर काम करता है। ऐसे में भौगोलिक और

सामाजिक उठा-पटक के कारण भले ही सिनेमा से कश्मीर का तात्कालिक अलगाव हुआ पर यह अलगाव इतना स्थाई हो गया इसका कारण सिर्फ और सिर्फ 1990 के सिनेमा का उद्योग के रुप में विकास है। प्रस्तुत शोध विषय का सुझाव भी उपर्युक्त इन्ही कारणों से मिला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिनेमा में स्वर्ग की उपाधि पाने वाला कश्मीर पिछले 30 सालों में इसी सिनेमा में जहन्नुम बना हुआ है। कश्मीर की जनता। वहां की समस्याएं। वहां की खुबसूरती। वहां की जीवनशैली को लेकर पिछले दो दशक से कोई फिल्म नहीं बनी। आराम से देखा जाए तो इसके लिए बहुत से कारण उत्तरदायी हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में सिनेमा से कश्मीर को और कश्मीर से सिनेमा को बेदखल कर दिया।

1. राजनैतिक स्थिति
2. अलगाववादी और आतंकवादी प्रभाव
3. सामाजिक टूट और धार्मिक उन्माद
4. भूमंडलीकरण और आर्थिक स्थिति

1987 के विधानसभा चुनाव के बाद कश्मीर में अलगाववाद, आंतकवाद सीधे तौर पर उजागर होने लगा। एक तरफ Muslim United front (MUF) जैसी पार्टी को चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। इससे धार्मिक उन्मादियों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने चुनाव में धांधली और मिलीभगत का आरोप लगाया और लड़ने के प्रत्यक्ष और परोक्ष रुप से हथियार उठा लिए। इसका असर कश्मीर की पूरी वादी पर हुआ। रोज बम के धमाके, गोलियों की तड़तड़ाहट, र्निदोषों की मौत, आवाम का बंद, सरकारी कर्फ्यू, फिर आंदोलन, जुलूस ने पूरी वादी को अपनी चपेट में ले लिया, जिसका सीधा असर फिल्मों पर पड़ा। कश्मीर आने-जाने वाले लोगों के लिए सेना की रोक-टोक होने लगी। सुरक्षा का हवाला देकर पाबंदिया लगायी जाने लगी। एक दिन की शूटिंग के लिए महीनों इंतजार कराए जाने लगे। जिसका हर तरह से असर फिल्मों के निर्माण और निर्माता कश्मीर को लेकर हर तरह से मन बदलने लगे जहां एक तरफ उठा-पटक चल रही था। वहीं दूसरी तरफ भारत में आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे। भारत के बाजार को दुनिया के लिए ढोया जा रहा था। उदारीकरण के इस दौर का सीधा प्रभाव सिनेमा पर पड़ा। यह प्रभाव इतना बड़ा था कि हिन्दी फिल्म जगत को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। चूंकि अब सिनेमा के निर्माण के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए कश्मीर से कटे निर्माताओं ने निर्बाध रुप से दूसरे सुन्दर स्थानों की और रुख किया। फिर चाहे वो सुन्दरता भारतीय उपमहाद्वीप से दूर ही क्यों न हो। फिल्में अब कश्मीर की जगह यूरोपियन देशों में शूट होने लगीं। निर्माता जो अब तक कश्मीर के हालात बदलने के इंतजार में थे। एकाएक सिनेमा निर्माण के सारे हालात ही बदल गए। ये बदलाव दर्शकों को भी खूब पंसद आया और कश्मीर, वहां के हालात, वहां के लोगों और सरकार के भरोसे छूट गया। 'सिनेमा के कारण आम भारतीयों का कश्मीर से लगाव भी जाता रहा। परिणाम स्वरुप जहां एक तरफ कश्मीर की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक रुप से भी कश्मीर पूरे देश और दुनिया से कट गया। इस कटाव को आश्चर्यजनक रूप से सिनेमा ने भी स्वीकार कर लिया और अपने कैमरे का लेंस कहीं और फोकस कर दिया। उदारीकरण ने सिर्फ सिनेमा पर ही नहीं बल्कि भारत के बाजार और समाज पर भी असर ड़ाला। लोगों की आमदनी बढ़ी। खर्च करने की आजादी मिली। जीवन को जीने का नजरिया बदला। नौकरी के लिए पलायन सिर्फ भारत के गांव से महानगरों तक ही सीमित नहीं रहा। बल्कि उपमहाद्वीपों तक पलायन हुए। इस बदलाव के असर ने भारतीय सिनेमा के दर्शन बदल दिये। अब फिल्मों की कहानी भी पलायनवादी होने लगी। घूमना फिरना जिन्दगी को जवानी में जी लेने का सूत्र पर्दे पर चल निकला। देशी फिल्में विदेशी लवादे में प्रदर्शित होने लगीं। यूरोपियन टूर वाला प्यार DDLJ (1995) और यूरोपियन टूर वाला प्यार 'धूम' और मिले जुले संस्कार 'नमस्ते लंदन' वाली फिल्में दिखाई जाने लगीं। ऐसे में कश्मीर की कोई जगह नहीं बची और सिनेमा अपने दर्शकों के साथ अपनी राह पर चल निकला। असल में देखा जाए तो सिनेमा ने हमेशा कश्मीर को इस्तेमाल किया, आज भी दूसरे रुप से कर रहा है। बस दिक्कत यह है कि पहले के इस्तेमाल में कश्मीर को आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभ मिल जाता था। पर आज कश्मीर सिनेमा का इस्तमाल नहीं कर रहा है ना आर्थिक रुप से ना सामाजिक रुप से।

संदर्भ

1. प्रसाद, कमला, 'फिल्म का सौंदर्यशास्त्र और भारतीय सिनेमा', न्यू दिल्ली : शिल्प्यान पब्लिशर
2. Misek, Richard, 'Chromatic CinemaA History of Screen Color', United Kingdom: Blackwell Publishing, 2007
3. Puri, B., 'Kashmiri Muslims, IslamAnd Kashmiri Tradition. Economic & Political Weekly, 1990, 25 (6).
4. Reyaz, S., 'Portrayal of Kashmiri Muslims in Indian Movies' (Doctoral dissertation, MA Dissertation, Department of Journalism, Islamic University of Science And Technology, Awantipora), 2010
5. Ishfaq-Ul-Hassan. (2014, October 22). RetrievedAugust 17, 2019, from dnaindia.com: https://www.dnaindia.com/analysis/column-haider-is-the-most-realistic-film-on-kashmir-s-horrors-2028219
6. Sethia, T.R(Producer), Prakash, Suraj (Director). (1965).Jab-Jab Phool Khile [Motion Picture].India
7. Samnta,Shakti (Producer & Director).(1964).Kashmir ki kali[Motion Picture]. India
8. Chopra,Yesh (Producer), Krishna, Manmohan (Director). (1979). Noorie[Motion Picture].India
9. Kabir,A. J. (2010). The KashmiriAs Muslim in Bollywood's 'New Kashmir films. SouthAsian Media in the Noughties , 8 (4), 373-385.
10. Bhat,A. (2015, June 07). Retrieved from The Economics Times : https://economictimes.indiatimes.com / news/politics-and-nationÌashmir-begins-to-attract-bollywood-again-but-cinemas-still-shut-due-to-militancy-fears/articleshow/47568100.cms?from=mdr
11. Balachander, K. (Producer), Ratnam,Mani (Director). (1992). Roja [Motion Picture]. India
12. Chopra,Vidhu Vinod (Producer & Director). (2000). Mission Kashmir [Motion Picture]. India
13. Dutt, J.P. (Producer & Director).(2003). LOC Kargil [Motion Picture]India
14. Grewal, Garry.(Producer), Sircar, Shoojit (Director). (2005). Yahaan [Motion Picture]. India
15. Morakhia, Shripal.(Producer), Sivan, Santosh (Director). (2008). Tahaan-A Boy withA Grenade [Motion Picture].India
16. Mishra, Sudhir. (Producer), Jha, Piyush (Director). (2009). Sikandar [Motion Picture]. India
17. Bhat, G. (2018). Retrieved October 10, 2019, from Greater Kashmir: https://www.greaterkashmir.com/news/opinionÌashmir-through-the-eyes-of-bollywood
18. गौतम, पुष्पराज, 'कश्मीर समस्या, आर्थिक, राजनितिक और सांस्कृतिक आयाम, अभिधा प्रकाशन, 2012
19. Walia, B. (Producer), & Dholakiya, R. (Director). (2010). Lamha [Motion Picture]. India
20. Balachander,K.(Producer),Ratnam, Mani (Director). (1992). Roja [Motion Picture].India
21. Retrieved from https://hindi.webdunia.com/
22. Retrieved from https://hindi.webdunia.com/article/hindi-books-review/
23. पारख, जवरीमल्ल, 'हिन्दी सिनेमा का समाजशास्त्र', ग्रन्थ शिल्पी प्रकाशन, 2006

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

गौतम बुद्ध पुस्तकालय, बी.बी.ए.यू., लखनऊ में डिजिटल सेवाओं और सुविधाओं के साथ उपयोगकर्ताओं की संतुष्टिः एक अध्ययन

❑ रश्मि गंगवार
❖ डॉ. शिल्पी वर्मा

प्रस्तुत अध्ययन बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,लखनऊ में गौतम बुद्ध पुस्तकालय में उपलब्ध डिजिटल सेवाओं और सुविधाओं में उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि पर केंद्रित है। अध्ययन में सर्वेक्षण विधि और संरचित प्रश्नावली डेटा संग्रह उपकरण का उपयोग किया गया है। अन्वेषक ने पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं को 110 प्रश्नावली वितरित कीं और 105 प्रश्नावली प्राप्त कीं। कुल उत्तरदाताओं में से, 62 प्रतिशत पुस्तकालय में पुस्तकों के आदान प्रदान और उनकी विषय संबंधी पुस्तकों को पढ़ने के लिए और 80 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं को डिजिटल संसाधनों का ज्ञान है और वे पुस्तकालय में उपलब्ध डिजिटल सेवाओं से संतुष्ट हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं को समग्र पुस्तकालय सेवाओं के संदर्भ में संतुष्ट किया जाता है। पुस्तकालय में दी गई सुविधाओं के प्रति उपयोगकर्ता की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए अध्ययन में कुछ सुझावों को शामिल किया गया है।

एक पुस्तकालय विलासिता की वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन की आवश्यकताओं में से एक है। पुस्तकालय ज्ञान का वह केंद्र है जो इंसान को सही पथ पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है चाहे वह किसी धर्म जाति या लिंग से संभंधित हो, बिना किसी भेदभाव के पथ निर्माण में सहायता करता है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन और सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया पुस्तकालय में प्रदान किए गए संग्रह और सेवाओं को मजबूत करने में मदद करती है। इसे देखते हुए, कोई भी पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि के स्तर को पूरा करने के लिए काम करता है और किसी भी पुस्तकालय के सफल होने का मुख्य उद्देश्य यही है। हर साल, नए छात्र बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में विभिन्न आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के साथ आते हैं और गौतम बुद्ध पुस्तकालय उन्हें एक बेहतर मार्गदर्शक के रूप में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है।

डिजिटलीकरण सूचना को एक डिजिटल प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया है, जिसमें सूचना को बिट्स में व्यवस्थित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप, संख्याओं की एक श्रृंखला उत्पन्न करके एक वस्तु, छवि, ध्वनि, दस्तावेज या संकेत का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जाता है जो इसके बिंदुओं या नमूनों के एक असतत सेट का निर्माण करता है। आधुनिक व्यवहार में, डिजिटाइज्ड डेटा बाइनरी संख्याओं के रूप में होता है, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग और अन्य संचालन को सुविधाजनक बनाता है, लेकिन, डिजिटलीकरण का मतलब है कि एनालॉग स्रोत सामग्री का संख्यात्मक स्वरूप में रूपांतरण दशमलव या कोई अन्य संख्या प्रणाली जिसके बदले इसका उपयोग किया जा सकता है।

डिजिटलीकरण डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज और ट्रांसमिशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह सभी प्रारूपों में सभी प्रकार की सूचनाओं को एक ही दक्षता के साथ ले जाने की अनुमति देता है और साथ ही इंटरलेइंग भी करता है। हालांकि एनालॉग डेटा आमतौर पर अधिक स्थिर होता है, डिजिटल डेटा को अधिक आसानी से साझा और एक्सेस किया जा सकता है और सैद्धांतिक रूप में, अनिश्चित काल तक प्रचारित किया जा सकता है, बशर्ते इसे आवश्यकतानुसार स्थिर प्रारूपों में माइग्रेट किया जाए। यही कारण है कि यह दुनिया भर के कई संगठनों के लिए जानकारी को संरक्षित करने का यह एक पसंदीदा तरीका है।

❑ शोध अध्येत्री, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग, बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय वि.वि. लखनऊ (उ.प्र.)
❖ विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग, बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय वि.वि. लखनऊ (उ.प्र.)

समस्या :- वर्तमान अध्ययन ''गौतम बुद्ध केंद्रीय पुस्तकालय, बाबासाहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू),लखनऊ में डिजिटल सेवाओं और सुविधाओं के साथ उपयोगकर्ताओं की संतुष्टिः एक अध्ययन'' पर आधारित है.

बाबसाहेब भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊः- बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्वविधालय का नाम भारतीय संविधान के निर्माता बाबासाहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। विश्वविद्यालय प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1996 को हुई थी!

गौतम बुद्ध केंद्रीय पुस्तकालयः - गौतम बुद्ध केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना जनवरी 1998 में हुई थी और इसका नाम भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं में ज्ञान वृद्धि को बढ़ावा देता है और विश्वविधालय के छात्रों और संकायों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है।

पुस्तकालय संग्रह

विकल्प	संग्रह
पुस्तकें	50,611
थीसिस/शोध प्रबंध	1,540
ई-संसाधन	84
पत्रिका	54
समाचार पत्र	24

पुस्तकालय संसाधनः गौतम बुद्ध सेंट्रल लाइब्रेरी में निम्नलिखित डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं

1. **ऑनलाइन डेटाबेस** : 14 पूर्ण पाठ ऑनलाइन डेटाबेस और 2 ग्रंथ सूची डेटाबेस।
2. **ओपन एक्सेस ई-संसाधन** : 15 ओपन एक्सेस ई-संसाधन पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

लाइब्रेरी सेवाएँ : गौतम बुद्ध सेंट्रल लाइब्रेरी में निम्न डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध हैं।

1. वेब ओपैक
2. ई-मेल अलर्ट सेवा
3. डिजिटल संदर्भ सेवा
4. वेब आधारित उपयोगकर्ता शिक्षा
5. लाइब्रेरियन से पूछें

साहित्य की समीक्षा :- विद्वानों के पत्रों का एक पाठ है जिसमें वर्तमान ज्ञान और उनके महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल होता हैं, साथ ही किसी विशेष विषय के लिए सैद्धांतिक और पद्धतिगत योगदान भी शामिल होते हैं। इस विषय के लिए कुछ प्राथमिक और माध्यमिक सूचना स्रोतों को स्कैन किया गया है।

खान एवं अली[1] ने ''लाइब्रेरी और सूचना संसाधन, सुविधाओं और सेवाओं पर उपयोगकर्ता की संतुष्टिः विद्यावर्द्धका फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, मैसूर में एक केस स्टडी'' की जांच की। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में कहा गया है कि 38 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं ने सप्ताह में 1-2 बार पुस्तकालय का दौरा किया और 84 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं ने सुझाव दिया कि पुस्तकालय संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए अधिक वेब आधारित संसाधनों की आवश्यकता है और अधिकांश उपयोगकर्ताओं ने पुस्तकालय के उपयोगकर्ता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का संचालन करने की आवश्यकता जतायी है।

हेमवती और चंद्रशेखर[2] ने मैसूर, कर्नाटक के लॉ कॉलेज पुस्तकालयों में पुस्तकालय संसाधनों और सेवाओं पर उपयोगकर्ता संतुष्टि की जांच की। अध्ययन में कहा गया है कि पुस्तकालयों को अक्सर उपयोगकर्ता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। उपयोगकर्ताओं का एक अच्छा प्रतिशत वर्तमान जागरूकता, रिप्रोग्राफिक और ओपैक सेवाओं से अवगत नहीं है, हालांकि आगंतुक पुस्तकालय के कर्मचारी के व्यवहार और व्यावसायिकता से संतुष्ट हैं।

वर्मा और लालरोक्वाम्मा[3] ने ''उपयोगकर्ताओं की लाइब्रेरी संसाधनों और सेवाओं के साथ संतुष्टिः केस स्टडी ऑफ लुंगलेई गवर्नमेंट कॉलेज लाइब्रेरी'' की जांच की, इस अध्ययन से पता चलता है कि केवल 30 प्रतिशत उपयोगकर्ता प्रतिदिन लाइब्रेरी का दौरा करते थे और लाइब्रेरी का दौरा करने का उद्देश्य पुस्तकों का आदान प्रदान है। उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली पसंदीदा सूचना स्रोत पाठ्य पुस्तकें और समाचार पत्र हैं और उपयोगकर्ता ज्यादातर पुस्तकालय द्वारा दी गई सेवाओं से संतुष्ट हैं। इस अध्ययन की प्रमुख खोज LGC लाइब्रेरी के उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय संसाधनों और सेवाओं से संतुष्ट होना था।

सिंह और कुरी[4] ने ''लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड सर्विसेजः ए केस स्टडी ऑफ आईआईटी लाइब्रेरीज इन इंडिया'' के बारे में एक अध्ययन का आयोजन किया है। इस अध्ययन

में बताया गया है कि आईआईटी में पुस्तकालयों का प्रमुख उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवाओं और गुणवत्ता अनुप्रयोगों को प्रदान करना है ताकि उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके। IIT पुस्तकालयों को इंटरनेट और वेब वातावरण के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और सेवाओं की बेहतर सेवा के लिए अधिक वेब 2.0 तकनीकों की आवश्यकता है।

मगोई और गनी[5] ने नॉर्थवेस्ट नाइजीरियाई विश्वविद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज की चुनौतियों और संभावनाओं का वर्णन करने की कोशिश की। इस अध्ययन में डिजिटल लाइब्रेरी की अवधारणाओं के साथ-साथ विश्वविद्यालय प्रणाली में इसके उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया। नेटवर्क सेवाओं, डिजिटल संरक्षण और त्वरित संदर्भ जैसी सेवाओं के बारे में भी बताया। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी सेवाओं की संभावनाओं और लाभों के अलावा, स्थानीय सामग्री का डिजिटलीकरण, सेवाओं की व्यापक पहुँच और दूसरों के बीच विद्वतापूर्ण प्रकाशन की पहचान की गई। इस अध्ययन में डिजिटल पुस्तकालयों के आवेदन के सामने आने वाली चुनौतियों के रूप में वित्त पोषण, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाला।

नहाक और पात्रा[6] ने डिजिटल पुस्तकालयों की योजना, डिजाइनिंग, प्रबंधन और डिजिटल संरक्षण के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी सूचनाओं और सूचना प्रौद्योगिकी का एक केंद्र है, इन तकनीकी आक्रमणों के कारण अधिकांश पुस्तकालय डिजिटल पुस्तकालयों में परिवर्तित हो रहे हैं। इस अध्ययन में डिजिटल पुस्तकालयों के विकास, डिजाइनिंग, सेवाओं, संसाधनों, रखरखाव, जिम्मेदारी, लाइब्रेरियन की भूमिका, कार्यनीतियों, कार्यों, पुस्तकालयों में डिजिटलीकरण, मानक, नीति, सॉटवेयर उपलब्धता, फायदे, नुकसान आदि के बारे में संक्षेप में बताता है।

दास, दास और सेन[7] ने ''भारतीय डिजिटल पुस्तकालयों में सूचना पुनर्प्राप्ति सुविधाओंः एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन'' नामक एक अध्ययन की जांच की जिसमें उन्होंने भारतीय डिजिटल पुस्तकालयों के विकास पर चर्चा की। अध्ययन में आठ डिजिटल पुस्तकालयों का चयन किया गया जो इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में 24×7 सुलभ हैं। इन डिजिटल पुस्तकालयों वेबसाइटों और अन्य साहित्य से डेटा एकत्र किया गया था। अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष उपयोगकर्ताओं का समुदाय है जो इन डिजिटल पुस्तकालयों की जानकारी खोज सुविधाओं से अधिकतर संतुष्ट हैं, लेकिन मानक मेटाडेटा प्रविष्टि की कमी के कारण, खोज सटीक परिणाम प्रदान नहीं कर सकती है।

रोसेनबर्ग[8] के अध्ययन का उद्देश्य अफ्रीका के 20 देशों के 107 पुस्तकालयों के सर्वेक्षण के आधार पर अफ्रीका में विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में डिजिटलीकरण की स्थिति प्रस्तुत करना है। लेखक ने डेटा संग्रह के लिए यहां एक सर्वेक्षण किया लेखक ने एक संरचित प्रश्नावली तैयार की है, अध्ययन में पाया गया है कि अफ्रीकी विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों ने डिजिटल लाइब्रेरी सेवाओं के विकास की दिशा में बहुत अलग गति और स्तरों पर प्रगति की है इसलिए, पुस्तकालयों की बहुत अलग आवश्यकताएं और महत्वाकांक्षाएं हैं ई-संसाधन अधिकांश पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन पहुंच सुविधाएं खराब हैं। रिपोर्ट डेटा प्रदान करती है जिसका उपयोग भविष्य की पुस्तकालय योजनाओं और समर्थन हस्तक्षेपों को आधार बनाने के लिए किया जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. पुस्तकालय में उपयोगकर्ता की यात्रा के उद्देश्य की पहचान करना।
2. पुस्तकालय के विभिन्न वर्गों के काम के घंटे के बारे में राय जानने के लिए।
3. पुस्तकालय सेवाओं और सुविधाओं के प्रति पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के संतुष्टि स्तर की पहचान करना।
4. डिजिटल सेवा का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं के बारे में राय जानना !

अनुसंधान क्रियाविधि : उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया है। संरचित प्रश्नावली को लखनऊ में गौतम बुद्ध सेंट्रल लाइब्रेरी के यूजी, पीजी और रिसर्च स्कॉलर छात्रों के बीच डेटा एकत्र करने वितरित हेतु किया गया। पूरी तरह से 110 प्रश्नावली पुस्तकालय में वितरित की गईं और 105 भरे हुए प्रश्नावली उपयोगकर्ताओं द्वारा वापस कर दिए गए।

अनुसंधान उपकरण : - अध्ययन बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पुस्तकालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के उपयोगकर्ताओं के बीच आयोजित किया जाएगा। ऐसा करने के लिए, सर्वेक्षण तकनीक और एक अर्ध-संरचना प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार विधि का व्यापक रूप से

डेटा संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है। अध्ययन के लिए पूरे उपयोगकर्ताओं का चयन किया जाएगा इसलिए सरल यादृच्छिक नमूना तकनीक का संचालन किया जाएगा। वर्तमान अध्ययन में यह सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रश्नावली विधि का उपयोग आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। प्रश्नावली को व्यक्तिगत माध्यम (ई-मेल एवं इंटरनेट वेब-प्रश्नावली) द्वारा वितरित किया जाएगा।

विश्लेषण

तालिका -1

उत्तरदाताओं का लैंगिक वितरण

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
पुरुष	58	55.23
महिला	47	44.76
संपूर्ण	105	100

तालिका 1 में दर्शाया गया है कि 105 उत्तरदाताओं में से 58 (55.23 प्रतिशत) पुरुष हैं और 47 (44.76 प्रतिशत) महिला हैं।

तालिका 2

उत्तरदाताओं का शैक्षणिक वितरण

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
यूजी	21	20
पीजी	38	36.19
शोधकर्ता	46	43.80
संपूर्ण	105	100

तालिका 2 में उत्तरदाता की शैक्षणिक रैंक का वितरण दिखाया गया है, 20 प्रतिशत उपयोगकर्ता स्नातक हैं, 36.19 प्रतिशत उपयोगकर्ता स्नातकोत्तर हैं और 43.80 प्रतिशत उपयोगकर्ता रिसर्च स्कॉलर हैं। इसलिए, अधिकांश पुस्तकालय उपयोगकर्ता रिसर्च स्कॉलर श्रेणी के हैं।

तालिका 3

पुस्तकालय जाने की आवृत्ति

आवृत्ति	संख्या	प्रतिशत
रोज	65	61.90
अक्सर	22	20.95
साप्ताहिक	16	15.23
महीने मे	2	1.90
कभी नहीं	0	0
संपूर्ण	105	100

तालिका 3 पुस्तकालय में जाने के लिए उपयोगकर्ताओं की आवृत्ति को बताता है। 61.90 प्रतिशत उत्तरदाता प्रतिदिन पुस्तकालय का दौरा कर रहे हैं जबकि 20.95 प्रतिशत उत्तरदाता अक्सर दौरा कर रहे हैं। एक सप्ताह में 15.23 प्रतिशत केवल 1.90 प्रतिशत उत्तरदाता एक महीने में पुस्तकालय जाते हैं।

तालिका 4

पुस्तकालय जाने का उद्देश्य

उद्देश्य	संख्या	प्रतिशत
किताबें उधार लेने के लिए	82	78.09
समाचार पत्र, पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए	65	61.90
पढ़ने के लिए	25	23.80
साइबर सेक्शन का उपयोग करने के लिए	72	68.57

तालिका 4 से पता चलता है कि सर्वाधिक 78.09 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रंथों को उद्धृत करने के उद्देश्य से पुस्तकालय का दौरा करते हैं, इसके बाद 61.90 प्रतिशत उपयोगकर्ता अखबार और पत्रिकाएं पढ़ते हैं, 23.80 प्रतिशत उपयोगकर्ता अपने खाली समय में पढ़ने के लिए पुस्तकालय का उपयोग करते हैं और 68.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने साइबर अनुभाग में इंटरनेट का उपयोग करने के लिए लाइब्रेरी का दौरा किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिकांश उपयोगकर्ता ग्रंथो का उधार लेने के लिए पुस्तकालय का दौरा करते हैं।

तालिका 5

पुस्तकालय अनुभागों के कार्य-समय से संतुष्टि का स्तर

स्तर	संख्या	प्रतिशत
परिसंचरण अनुभाग	75	71.42
संदर्भ अनुभाग	68	64.76
वचनालय अनुभाग	77	73.33
आवधिक धारा अनुभाग	57	54.28
साइबर अनुभाग	70	66.66

तालिका 5 तालिका 5 से यह स्पष्ट है कि 71.42 प्रतिशत उत्तरदाता गौतम बुद्ध लाइब्रेरी के परिसंचरण अनुभाग के कार्य-समय से संतुष्ट हैं, उत्तरदाताओं के 64.76 प्रतिशत संदर्भ अनुभाग के कार्य-समय से संतुष्ट हैं, उत्तरदाताओं के 73.33 प्रतिशत सामयिकी अनुभाग के कार्य-समय से संतुष्ट हैं और 66.66 प्रतिशत उत्तरदाता साइबर अनुभाग के कार्य-समय से संतुष्ट हैं। इस प्रकार

यह स्पष्ट है कि अधिकांश उपयोगकर्ता वाचनालय के कार्य-समय से संतुष्ट हैं।

तालिका 6

पुस्तकालय के डिजिटल संसाधनों से संतुष्टि

डिजिटल संसाधनों से संतुष्टि नहीं		
	आवृत्ति	प्रतिशत
ऑनलाइन पत्रिकाओं	28	26.66
ऑनलाइन डेटाबेस	21	20
ऑनलाइन थीसिस/शोध प्रबंध	70	66.66
संदर्भ स्रोत	38	36.19
डिजिटल संसाधनों से संतुष्ट		
	आवृत्ति	प्रतिशत
ऑनलाइन पत्रिकाओं	77	73.33
ऑनलाइन डेटाबेस	84	80
ऑनलाइन थीसिस/शोध प्रबंध	35	33.33
संदर्भ स्रोत	67	63.80

तालिका 6 में यह दिखाया गया है कि गौतम बुद्ध लाइब्रेरी के डिजिटल संसाधनों के साथ संतुष्टि स्तर के बारे में उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया दिखाता है। यह पाया गया है कि 80 प्रतिशत उपयोगकर्ता ऑनलाइन डेटाबेस से संतुष्ट हैं। हालाँकि 73.33 प्रतिशत उपयोगकर्ता गौतम बुद्ध लाइब्रेरी द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन पत्रिकाओं से संतुष्ट हैं। 63.80 प्रतिशत उपयोगकर्ता संदर्भ स्रोतों से संतुष्ट हैं और केवल 33.33 प्रतिशत उत्तरदाता ऑनलाइन थीसिस और शोध प्रबंधों से संतुष्ट हैं। तालिका से पता चलता है कि अधिकतम उपयोगकर्ता ऑनलाइन डेटाबेस और ऑनलाइन पत्रिकाओं से संतुष्ट हैं। उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑनलाइन थीसिस और शोध प्रबंध स्रोतों में अधिक सुधार की आवश्यकता है।

तालिका 7

पुस्तकालय की डिजिटल सेवाओं से संतुष्टि

संतुष्ट नहीं	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
वेब ओपैक	23	21.90
ई- मेल अलर्ट	12	11.42
डिजिटल संदर्भ सेवा	14	13.33
वेब आधारित उपयोगकर्ता शिक्षा	33	31.42
''लाइब्रेरियन से पूछें'' सेवा	12	11.42
संतुष्ट	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
वेब ओपैक	82	78.09
ई- मेल अलर्ट	93	88.57
डिजिटल संदर्भ सेवा	91	86.66
वेब आधारित उपयोगकर्ता शिक्षा	72	66.57
''लाइब्रेरियन से पूछें'' सेवा	93	88.57

तालिका 7 तालिका 7 से यह स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध लाइब्रेरी के उपयोगकर्ता, लाइब्रेरी की डिजिटल सेवाओं के साथ संतुष्टि स्तर के बारे में उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया दिखाता है। यह पाया गया कि 88.57 प्रतिशत उपयोगकर्ता लाइब्रेरी की ई-मेल अलर्ट सेवा से संतुष्ट हैं, इसी तरह 88.57 प्रतिशत उत्तरदाता गौतम बुद्ध लाइब्रेरी की 'लाइब्रेरियन से पूछें' सेवा से संतुष्ट हैं। हालांकि 86.66 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं ने कहा कि वे डिजिटल संदर्भ सेवा से संतुष्ट हैं। इसके अलावा 78.09 प्रतिशत उपयोगकर्ता वेब ओपेक सेवा से संतुष्ट हैं और 66.57 प्रतिशत उत्तरदाता गौतम बुद्ध लाइब्रेरी की वेब आधारित उपयोगकर्ता शिक्षा सेवा से संतुष्ट हैं।

तालिका 8

डिजिटल सेवाओं तक पहुँचने में बाधाएँ

बाधाएँ	संख्या	प्रतिशत
धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी	77	73.33
सीमित पहुंच वाला इंटरनेट	81	77.14
प्रशिक्षण ब अभिविन्यास कार्यक्रम का अभाव	44	41.90
डेटाबेस अद्यतन नहीं	37	35.23

तालिका 8 से यह पता चलता है कि 77.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं को गौतम बुद्ध लाइब्रेरी में इंटरनेट की सीमित पहुंच का सामना करना पड़ रहा है, उत्तरदाताओं के 73.33 प्रतिशत मध्यम इंटरनेट संयोजकता का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि, 41.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं को डिजिटल सेवाओं तक पहुँचने के लिय प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम करना चाहते हैं। 35.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अद्यतन डेटाबेस के साथ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह स्पष्ट है कि सीमित उपयोग इंटरनेट और मध्यम इंटरनेट संयोजकता के लिए बाधा का सामना करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक है।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु :- शोध के अध्ययन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष निकले। ये निष्कर्ष निम्नलिखित खंडों में प्रस्तुत किए गए हैंः -

1. कुल उत्तरदाताओं में से लिंग वार वितरण में 58

(55.23 प्रतिशत) पुरुष थे और 47 (44.76 प्रतिशत) महिला थीं। (तालिका 1)

2. पुस्तकालय का दौरा करने का उद्देश्य, पुस्तकालय के दौरे की आवृत्ति को दिखाना हैं। 61.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं को दैनिक रूप से पुस्तकालय का दौरा करते पाया गया और 20.95 प्रतिशत उपयोगकर्ता अक्सर आते हैं। (तालिका 3)
3. अध्ययन के अनुसार, 78.09 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं के ग्रंथो को उधार लेने के उद्देश्य से पुस्तकालय का दौरा करते हैं और 61.90 प्रतिशत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए 68.57 प्रतिशत इंटरनेट सेक्शन का उपयोग करने के लिए पुस्तकालय आते हैं। (तालिका 4)
4. पुस्तकालय संसाधनों के बारे में राय, 80 प्रतिशत उपयोगकर्ता ऑनलाइन डेटाबेस से संतुष्ट हैं और 73.33 प्रतिशत उपयोगकर्ता ऑनलाइन पत्रिकाओं से संतुष्ट हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अत्याधिक उपयोगकर्ता ऑनलाइन सेवाओ का प्रयोग कर रहे हैं।
5. अध्ययन से पता चलता है कि 88.57 प्रतिशत उपयोगकर्ता लाइब्रेरी की ई-मेल अलर्ट सेवा सें, संतुष्ट है इसी तरह 88.57 प्रतिशत उत्तरदाता लाइब्रेरी की 'लाइब्रेरियन से पूछें' सेवा से संतुष्ट हैं।
6. अध्ययन मे अधिकांश पाया गया हैं कि 77.14 प्रतिशत उत्तरदाता गौतम बुद्ध लाइब्रेरी में इंटरनेट की डेटा प्रतिबंध सीमा से संतुष्ट नहीं हैं, उत्तरदाताओं के 73.33 प्रतिशत धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ समस्या का सामना कर रहे हैं। हालाँकि उत्तरदाताओं के 41.9 प्रतिशत पुस्तकालय में उपलब्ध डिजिटल सेवाओं तक पहुँचने के लिए प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास कार्यक्रम चाहते हैं।

सुझाव :- शोध के अध्ययन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित प्रमुख सुझाव दिए जा सकते हैं।

1. पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों और सेवाओं के बारे में पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने के लिए लाइब्रेरियन द्वारा समय-समय पर उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा सकता है। लाइब्रेरी में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं को आसानी से समझने के लिए इंफॉर्मेटिक्स फ्लेक्सी बोर्ड को लाइब्रेरी में रखा जा सकता है।
2. पुस्तकालय के इंटरनेट और ई-संसाधनों तक पहुंचने के लिए साइबर सेक्शन में कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
3. अधिकांश उत्तरदाताओं ने सुझाव दिया कि उन्हें ऑनलाइन अध्ययन के लिए अधिक इंटरनेट डेटा की आवश्यकता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी की गति में सुधार किया जा सकता है।
4. कुछ उत्तरदाताओं ने सुझाव दिया कि पुस्तकालय को फेसबुक या एक व्हाट्सएप समूह पर एक सामाजिक नेटवर्किंग समूह बनाना चाहिए जो पुस्तकालय में शामिल किए गए नए संसाधनों और सेवाओं के बारे में सभी उपयोगकर्ताओं को अपडेट करता रहे।
5. पुस्तकालय के कार्मिकों का सौम्य व्यवहार किसी भी उपयोगकर्ता को पुस्तकालय की तरफ खींच सकता है अर्थात अपने विषय संबंधित क्षेत्र में कुशल होने के के साथ साथ व्यवहार कुशलता भी आवश्यक है।

निष्कर्ष :- बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ एक अच्छी तरह से सुसज्जित और आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय है जो अपने उपयोगकर्ताओं को गुणवत्ता की जानकारी और सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है, लाइब्रेरी के उपयोगकर्ता प्रदान की गई सुविधा से संतुष्ट हैं, हालांकि बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता लाइब्रेरी में इंटरनेट कनेक्टिविटी की गति से संतुष्ट नहीं हैं। अध्ययन से यह पता चला है कि अधिकांश उपयोगकर्ता अपनी विषय संबंधी पुस्तकों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय का दौरा करते हैं और पुस्तकों को उधार भी लेते हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि उपयोगकर्ता पत्रिकाओं को उधार लेने और दैनिक प्रिंट मीडिया को पढ़ने के लिए भी लाइब्रेरी जाते हैं। स्नातक कक्षाओं के कुछ उपयोगकर्ता लाइब्रेरी में दी गई सेवाओं के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं थे, पुस्तकालय की गुणवत्ता को सुधारने में उपयोगकर्ताओं का प्रमुख स्थान होता हैं, उनके द्वारा दिए गए सुझावों के द्वारा किसी भी पुस्तकालय की सेवाओं और सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है, इसलिए ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए लाइब्रेरियन द्वारा समय-समय पर पुस्तकालय सेवाओं के बारे में अध्ययन का सुझाव दिया गण उन्मुखीकरण कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है।

Reference

1. Khan, K.S., & Ali, K.M. 'User's Satisfaction on Library & Information Resources, facilities and Services, A Case Study in Vidyavardhaka First Grade College, Mysuru. National Conference on Library in the Life of User, At Tumkur University, Tumkur, 2019, pp. 1-21
2. Hemavathi, K.N., & Chandrashekara, M. 'User Satisfaction on Library Resources and Services in Law College Libraries in Mysore, Karnataka', International Journal of Library and Information Studies, 8(1), 2018, pp. 309-318..
3. Verma, M. K., & Lalrokhawma, R. 'User's Satisfaction with Library Resources and Services: A Case Study of Lunglei Government College Library'. ICCLIST, 2018, pp. 79-84.
4. Singh, K., & Kuri, R. 'User's Satisfaction with Library Resources and Services: A Case Study of IIT Libraries in India', Journal of Library & Information Science, 7(3), 2017, pp. 496-509.
5. Magoi, J.S., & Gani, E. 'The emergence of digital libraries services in Northwest Nigerian universities: challenges and prospects: Library Focuses and Practices', 2014
6. Nahak, B., & Patra, P.S. 'Planning, designing and developing of digital libraries and digital preservation'. 9th Convention PLANNER 2014, pp. 336-347.
7. Das, A. K., Das, C., & Sen, B.K. 'Information retrieval features in Indian digital libraries : a critical appraisal, OCLC System & Services' International Digital Library Perspectives, 23(1), 2007, pp. 92-104. https://doi.org/10.1108/10650750710720793
8. Rosenberg, D. 'Towards the digital library in Africa', The Electronic Library, 24(3), 2006, pp. 289 - 293. http://dx.doi.org/10.1108/02640470610671150
9. https://www.brainyquote.com/quotes/henry_ward_beecher_383333
10. http://www.bbau.ac.in/new/librarian.aspx

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा   Regd. No. UPHIN/1999/00955   ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2019   UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य स्थितिः एक तुलनात्मक अध्ययन

❑ गुलाब देवी
❖ डॉ. शिल्पी वर्मा

प्रस्तुत अध्ययन में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गांव में रहने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति और पारिवारिक विरासत के मूल्यांकन पर प्रकाश डाला गया था। भितरवार और मोहना ब्लॉक ग्रामीण हैं जिनमें अधिकांश आबादी श्रम और छोटे व्यवसाय पर आधारित है। अध्ययन में ग्रामीण स्वास्थ्य विकास के स्थायी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा स्थायी रुप से प्रभावी योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करते तथा बढ़ावा देते हैं। अध्ययन में गाँव की महिलाओं का स्वास्थ्य संतोषजनक नहीं पाया गया। अध्ययन में महिलाओं के बीच कुल 60 प्रश्नावली वितरित की गईं, जिसमें 23 प्रश्नावली भितरवार से और 25 प्रश्नावली मोहना से प्राप्त की गईं।

परिचय : महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता परस्पर जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रह सकती हैं यह जरूरी नहीं कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करे। गहन अध्ययनों ने बताया है कि जीवन चक्र के दौरान पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक बीमार और अक्षम होती हैं। यह सुझाव दिया गया है कि महिलाएं विशेष रूप से कमजोर हैं, जहां बुनियादी मातृत्व देखभाल अनुपलब्ध है।पुरुषों और महिलाओं की असमानता कई समाजों में सबसे महत्वपूर्ण असमानताओं में से एक है, खासकर भारत में। महिला और पुरुष साक्षरता की दर में भिन्नता भारत में लिंग पर आधारित असमानता की इन व्यापक घटनाओं का एक तत्व है।[1] भारत में महिलाओं का अवमूल्यन और मासिक धर्म का सामाजिक वर्चस्व कायम है। ग्रामीण महिलाओं को आमतौर पर दहेज बोझ, कमजोर लिंग और पुरुषों की तुलना में कम सामाजिक स्थिति के योग्य माना जाता है, जिसमें सामाजिक और वित्तीय समस्याओं के कारण शामिल हैं। अन्य मुद्दों में महिलाओं के मानवाधिकारों का दुरुपयोग और शिक्षा, रोजगार या जन्मजात अधिकारों में असमान अवसर शामिल हैं।

चूंकि स्वास्थ्य कई प्रकार के चरों से प्रभावित होता है जैसे कि उचित भोजन, आवास, मौलिक पोषण, जीवन शैली, पर्यावरणीय खतरों और संचार रोगों से सुरक्षा, स्वास्थ्य सीमाएँ आदि शामिल हैं।[2] इसमें स्वास्थ्य सेवाओं या व्यवसायों, एजेंटों द्वारा लोगों या समूहों को स्वास्थ्य को बढ़ावा देने संरक्षण ट्रैकिंग या बहाल करने के उद्देश्य से आपूर्ति की गई सेवाओं का एक वर्ग शामिल है और सभी व्यक्तियों को समान उपायों में देखभाल प्रदान करना सरकार का दायित्व है।

मध्य प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, जिसकी कुल आबादी का 31 प्रतिशत से अधिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी का क्रमशः 35 प्रतिशत और 60 प्रतिशत गरीबों रेखा के नीचे रहता है। यद्यपि यह मान्यता है कि राज्य में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। सरकार ग्रामीण महिलाओं को उनकी क्षमता का एहसास कराने के लिए सभी संभावनाओं को खोलने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

अध्ययन क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर जनपद पर आधारित है

अध्ययन का उद्देश्य

1. प्रत्यक्ष अवलोकन और प्रश्नावली की तकनीकों द्वारा ग्रामीण महिलाओं की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का

❑ शोध अध्येत्री, डी.एल.आई.एस., बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)
❖ विभागाध्यक्ष, डी.एल.आई.एस., बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

निर्धारण करना।

2. ग्रामीण महिलाओं में कई स्वास्थ्य मुद्दों, उनके कारणों, रोकथाम और बीमारियों के नियंत्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।

साहित्य की समीक्षा : बानो, शबाना और अहमद वानी, खुर्शीद[3] के अध्ययन से पता चलता है कि स्वास्थ्य शोधकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य की ओर काफी ध्यान दिया है। वर्तमान अध्ययन में हम मध्य भारत के उत्तरी प्रांत के विभिन्न हिस्सों के एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने के प्रभाव की जांच करते हैं। अध्ययन से पता चला है कि विश्लेषण उन तरीकों पर केंद्रित है जिनमें ये ग्रामीण लोग स्वास्थ्य और उनके पर्यावरण और स्वच्छता की सराहना, शिकायत और अनुभव करते हैं। उनकी अंतदृष्टि हमारे ज्ञान को ग्रामीण लोगों की दुर्दशा और उनके स्वास्थ्य पर बदलती सांस्कृतिक और जीवन शैली के प्रभाव को समझने के लिए जोड़ती है। इस गुणात्मक अनुसंधान ने नृवंशविज्ञान और ग्राउंडेड सिद्धांत के दृष्टिकोण का उपयोग किया। 10,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र के रूप में 'ग्रामीण' को परिभाषित करने के लिए राष्ट्रीय नमूना मानदंडों का उपयोग किया गया था। अध्ययन के उद्देश्यों के लिए दो महिला और चार पुरुष छात्रों सहित छात्रों के एक समूह को काम पर रखा गया और प्रशिक्षित किया गया। प्रतिभागियों को सुविधा और स्नोबॉल नमूने के माध्यम से भर्ती किया गया था। एक प्रश्नावली का उपयोग कर किया इस उद्देश्य के लिए भर्ती छात्रों के समूह द्वारा डेटा संग्रह किया गया। 20 से 60 वर्ष की आयु के प्रत्येक गांव के कुल तीस लोगों का साक्षात्कार लिया गया था। अधिकांश लोग धुएं, गुटखा आदि का प्रयोग करते हुए पाए गए और एक या दो बीमारियों से पीड़ित थे। निष्कर्ष में, समान भौतिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्थायी कार्यक्रमों की ओर ले जाने वाले तरीकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।[5]

सुनील कुमार एम कमलापुर और सोमनाथ रेड्डी[6] ने अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि यदि स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाय और न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति के रूप में, तो यह माना जाता है कि स्वास्थ्य की आकांक्षा के लिए अस्तित्व एक आवश्यक शर्त है। भारत में बालिकाओं पर खतरा बढ़ता जा रहा है। हाल के दशकों में, देश में बाल लिंगानुपात (0-4 वर्ष) में खतरनाक कमी आई है।

गांगले, जी. आर.और रेड्डी पी. बी.[5] का अध्ययन मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के उपलब्ध आंकड़ों से जनसांख्यिकीय परिवर्तन और लैंगिक असमानता को समझने का प्रयास करता है। यह अध्ययन भारत की जनगणना 2011 की रिपोर्ट और अन्य प्रकाशित दस्तावेजों के द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। यह तुलनात्मक अध्ययन मध्य प्रदेश की समग्र जनसांख्यिकीय और लैंगिक असमानता की तस्वीर प्रस्तुत करता है ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके और लैंगिक असमानता को कम किया जा सके।

रियाज, बाबा और शाह, सुहेल जिलानी[6] का अध्ययन ग्वालियर जिले के नयागांव नामक गाँव में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति और पारिवारिक इतिहास का आकलन करने के लिए किया गया था। नयागांव श्रम और छोटे स्तर के व्यवसाय पर निर्भर आबादी का अधिकांश हिस्सा है। सामान्य अवलोकन और साक्षात्कार में यह देखा गया कि गांव के लोग विभिन्न स्वास्थ्य रोगों और विकारों के संपर्क में हैं। गांव में लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति बुक्कल गुहा संक्रमण (18.2 प्रतिशत पुरुषों, 2.6 प्रतिशत महिलाओं), एलर्जी (13.1 प्रतिशत पुरुषों, 5.6 प्रतिशत महिलाओं), अस्थमा (8.1 प्रतिशत पुरुषों) जैसी विभिन्न बीमारियों के प्रसार की स्थिति पाई गई। विभिन्न ऊँचाई समूहों के लिए मानक वजन के साथ तुलना करने पर यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि सभी पुरुष और महिलाएँ मानक से कम वजन की हैं। गाँव में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अधिकांश लोग अभी भी विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए पारंपरिक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। जनसंख्या के अधिकतम प्रतिशत में परिवार नियोजन कार्यक्रमों और उनके लाभों के बारे में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। गांव के अधिकांश लोग खाना पकाने के लिए गोबर के केक और ईंधन की लकड़ी का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, अधिकांश महिला आबादी इन ईंधन से उत्सर्जित कई वायु प्रदूषकों के संपर्क में हैं।

शोध प्रारूप : प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जनपद पर आधारित है। ग्वालियर जनपद के भितरवार और मोहना ब्लॉक की विभिन्न ग्रामीण महिलाओं के बीच

प्रस्तुत शोध किया गया है। प्रस्तुत शोध के लिए,एक व्यवस्थित प्रशनावली तकनीक का उपयोग किया गया था, जिसमें प्रत्येक इकाई को एक नंबर सौंपा गया था। 60 ग्रामीण महिलाओं को चुना गया जो समग्र आबादी की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती थीं।अध्ययन के दौरान, विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों, अर्थव्यवस्था और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों से जुड़े अच्छी तरह से डिजाइन किए गए प्रश्नावली के आधार पर ग्रामीण महिलाओं से उत्तर एवं जानकारी ली गयी।

आंकड़ा निर्वचन

तालिका 1 नमूना आकार

वितरित प्रश्नावली	प्राप्त प्रश्नावली	प्रश्नावली का विवरण
60	48	48

कुल मिलाकर, अध्ययन के लिए जैसा कि तालिका 1 में दिखाया गया है, 60 में से कुल 48 ग्रामीण महिला उत्तरदाता थे।

तालिका 2

सूचनादाताओं का जातीय वितरण

जातीय वितरण	भितरवार	प्रतिशत	मोहना	प्रतिशत
सामान्य	0	0	0	0
अन्य पिछड़ा वर्ग	2	8.70	4	16
अनुसूचित जाति	9	39.13	7	28
अनुसूचित जनजाति	12	52.17	14	56
कुल	23	100	25	100

दर्शाई गई तालिका में, कि भितरवार ब्लॉक में 8.7 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ OBC से संबंधित हैं, 39.13 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ SC से संबंधित हैं, जबकि 52. 17 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ ST समुदाय से संबंधित हैं जबकि मोहना में 16 प्रतिशत उत्तरदाता OBC से संबंधित हैं, उसके बाद 28 प्रतिशत लोग हैं। SC और 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं का संबंध ST समुदाय से है।

तालिका 3

परिवार की मासिक आय

आय रू. में	भितरवार	प्रतिशत	मोहना	प्रतिशत
2000 तक	0	0	0	0
2001-4000	23	92	14	56
5000-10000	2	8	11	44
10000 - अधिक	0	0	0	0
कुल	23	100	25	100

तालिका 3 से यह पता चला कि ग्रामीण महिलाओं के पति की अधिकतम पारिवारिक आय का भितरवार में 92 प्रतिशत की आय 2001-4000 रू. है, और न्यूनतम पारिवारिक आय 8 प्रतिशत रू. 5000-10000 है, जबकि मोहना में अधिकतम की पारिवारिक आय 56 प्रतिशत 2001-4000 है और न्यूनतम की पारिवारिक आय 44 प्रतिशत का 5000-10000 के बीच है।

तालिका 4 महिलाओं का शिक्षा स्तर

शिक्षा का प्रकार	भितरवार	प्रतिशत	मोहना	प्रतिशत
निरक्षर	14	60.86	13	52
प्राथमिक	5	21.73	10	40
माध्यमिक	4	17.39	2	8
उच्च माध्यमिक	0	0	0	0
स्नातक	0	0	0	0
कुल	23	100	25	100

तालिका 4 से पता चलता है कि भितरवार के 60.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'निरक्षर' शिक्षा स्तर को इंगित किया, 21.73 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्राथमिक शिक्षा का संकेत दिया गया 17.39 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माध्यमिक शिक्षा स्तर का संकेत दिया और जबकि मोहना में 52 प्रतिशत छात्रों ने संकेत दिया कि निरक्षर शिक्षा स्तर का, 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्राथमिक शिक्षा स्तर का संकेत दिया, केवल 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माध्यमिक शिक्षा स्तर का संकेत दिया। दोनों की ब्लाक में उच्च माध्यमिक तथा स्नातक स्तर वर्ग में कोई भी सूचनादाता नहीं था।

तालिका 5

ग्रामीण महिलाओं के पति का व्यवसाय

विकल्प	भितरवार	प्रतिशत	मोहना	प्रतिशत
कृषि	5	21.73	10	30.43
सरकार/कर्मचारी	0	0	0	0
कोई रोजगार नहीं	9	39.13	1	4.35
खेतिहर मज़दूर	1	4.34	1	4.35
निजी	7	30.43	14	60.87
चालक	0	0	0	0
व्यापार	1	4.34	0	0
अन्य	0	0	0	0
कुल	23	100	25	100

तालिका 5 से पता चलता है कि भितरवार में 21.73 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने संकेत दिया कि ग्रामीण महिलाएं

कृषि कार्य कर रही थीं, 39.13 प्रतिशत कोई रोजगार नहीं, 13 प्रतिशत निजी, 4.34 प्रतिशत खेतिहर मजदूर,4.34 व्यापार और जबकि मोहना में, 30.43प्रतिशत कृषि कार्य, 60.87 प्रतिशत निजी,4.35 प्रतिशत खेतिहर मजदूर तथा 4.35 प्रतिशत के पास कोई कार्य नहीं है।

तालिका 6 महिलाओं की आवासीय स्थिति

श्रेणियाँ	भितरवार	मोहना	कुल
घर का प्रकार			
कुटिया	23	25	48 (14.32)
टाइल	0 (0)	0 (0)	0 (0)
ठोस	0 (0)	0 (0)	0 (0)
सदन का स्वामित्व			
किराये पर	0 (0)	0 (0)	0 (0)
अपना	23	25	48 (14.32)
अन्य	0 (0)	0 (0)	0 (0)
कमरों की संख्या			
एक	17	16	33 (9.85)
दो	5	9	14 (4.17)
तीन	1	0	1 (0.29)
चार	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4 से ज्यादा	0 (0)	0 (0)	0 (0)
शौचालय			
उपलब्ध नहीं है	14	6	20 (5.97)
उपलब्ध	9	19	28 (8.35)
पीने का पानी			
नल	10	11	21 (6.26)
हैंड पंप	13	14	27 (8.05)
बिजली			
उपलब्ध नहीं है	10	6	16 (4.77)
उपलब्ध	17	18	31 (9.25)
खाली समय			
टेलीविजन	1	0	1 (0.39)
रेडियो	0 (0)	0 (0)	0 (0)
समाचार पत्र	0 (0)	0 (0)	0 (0)
कोई गतिविधि नहीं	22	25	47 (14.02)
कुल	161 (48.05)	174 (51.94)	335 (100)

तालिका से पता चलता है कि घरेलू महिलाओं की आवास स्थिति, जो कि 100 ग्रामीण महिलाएं हैं, इनमें 9.85 प्रतिशत झोपड़ी घर में रह रही थीं, जबकि घर के लिए स्वामित्व यह है कि 100 संकेत स्वयं के हैं। उनमें से 9.85 प्रतिशत महिलाएं एकल कमरे में रह रही हैं, जबकि 4.17 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं डबल रूम में रहती हैं, इसके बाद तीन कमरे में रहने वाली 0.25 ग्रामीण महिलाएं हैं। कुल मिलाकर ग्रामीण महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा 8.35 प्रतिशत को उपलब्ध है, 5.97 प्रतिशत के लिए उपलब्ध नहीं हैं। पानी की सुविधा ग्रामीण महिलाओं के लिए है जो 6.36 नल और 8.05 प्रतिशत के लिए हैण्डपम्प उपलब्ध है। बिजली 4.77 प्रतिशत उपलब्ध नहीं है, जबकि 9.25 प्रतिशत को उपलब्ध है। 14.02 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं द्वारा अवकाश के समय गतिविधियाँ नहीं की जाती हैं।

तालिका 7 स्वास्थ्य साक्षरता के बारे में जागरूकता

विकल्प	भितरवार	प्रतिशत	मोहना	प्रतिशत
हाँ	7	30.43	7	28
नहीं	16	69.57	18	72
कुल	23	100	25	100

तालिका 7 के आंकड़े बताते हैं कि, ग्रामीण महिलाओं के

बीच स्वास्थ्य साक्षरता के बारे में जागरूकता बहुत कम है, 30.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने संकेत दिया हां और 69.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने संकेत दिया कि उनमें स्वास्थ्य साक्षरता की जागरूकता नहीं है जबकि मोहना ब्लॉक में स्वास्थ्य साक्षरता के प्रति जागरूकता 28 प्रतिशत है और 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने संकेत दिया कि ग्रामीण महिलाओं द्वारा कोई स्वास्थ्य जागरूकता नहीं है।

तालिका 8

स्वास्थ्य साक्षरता जागरूकता नहीं होने का कारण

विकल्प	भितरवार	प्रतिशत	मोहना	प्रतिशत
शिक्षा का कमी	11	39.28	19	44.18
स्वास्थ्य सूचना का अभाव	9	32.14	12	27.91
रूचि नहीं	8	28.58	12	27.91
राय	0	0	0	0
कुल	28	100	43	100

तालिका 8 में देखा गया कि अधिकांश भितरवार की महिलाओं को स्वास्थ्य साक्षरता के बारे में पता नहीं था, 39.28 प्रतिशत शिक्षा की कमी के कारण, स्वास्थ्य सूचना के अभाव के कारण 32.14 प्रतिशत, 28.58 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य साक्षरता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जबकि मोहना की ग्रामीण महिलाओं में 44.18 प्रतिशत शिक्षा की कमी के कारण पीड़ित हैं, स्वास्थ्य की जानकारी में 27.91 प्रतिशत की कमी है, 27.91 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य साक्षरता में कोई दिलचस्पी नहीं है।

तालिका 9

ज्ञान, स्रोत और टीकाकरण के उपयोग

श्रेणी	भितरवार	मोहना	कुल प्रतिशत
टीकाकरण के बारे में ज्ञान			
जानकारी नहीं	8	5	13 (8.66)
जानकारी है	15	20	35 (23.33)
टीकाकरण पर जानकारी का स्त्रोत			
डॉक्टरों	5	5	10 (6.67)
स्वास्थ्य आगंतुकों	0 (0)	0 (0)	0
आशा	22	20	42 (29.33)
नर्स	0	2	2 (1.33)
टीकाकरण द्वारा रोके गए रोगों के बारे में जागरूकता			
पूरी तरह अवगत	0 (0)	0 (0)	
आंशिक रूप से जानकारी	19	20	39 (26.00)
पता नहीं	4	5	9 (6.00)
कुल	73 (48.66)	77 (51.33)	150 (100)

तालिका 9 पता चलता है कि टीकाकरण के बारे में ज्ञान, टीकाकरण के बारे में जानकारी के स्रोत और बीमारियों के बारे में जागरूकता ग्रामीण महिलाओं में टीकाकरण को रोकती है। यह स्थापित किया गया था कि मोहाना का उच्चतम प्रतिशत जो 51.31 है, टीकाकरण के बारे में जानकारी और रोगों से बचाव के बारे में जागरूक थे जबकि भितरवार में कुल 48.66 हैं।

तालिका 10

स्वास्थ्य उपचार में बाधाएं

भितरवार			
सूचक	खराब	आसान	मुश्किल
सामाजिक स्थिति	5	18	0
स्व-कथित स्वास्थ्य	6	17	0
दवा के लिए भुगतान करने में सक्षम	7	16	1
डॉक्टर को वहन करने में सक्षम	14	8	1
स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सीमित गतिविधियाँ	22	1	0
कुल	54 (45)	60 (86.96)	2 (4)
मोहन	खराब	आसान	मुश्किल
सामाजिक स्थिति	12	4	9
स्व-कथित स्वास्थ्य	15	0	10
दवा के लिए भुगतान करने में सक्षम	11	4	8

डॉक्टर को वहन करने में सक्षम	18	1	6
स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सीमित गतिविधियाँ	10	0	15
कुल	66 (55)	9 (13.04)	48 (96)
कुल	खराब	आसान	मुश्किल
सामाजिक स्थिति	17 (14.17)	22 (31.88)	9 (18)
स्व-कथित स्वास्थ्य	21 (17.5)	17 (24.64)	10 (20)
दवा के लिए भुगतान करने में सक्षम	18 (18)	20 (28.99)	9 (18)
डॉक्टर को वहन करने में सक्षम	32 (26.67)	9 (13.04)	7 (14)
स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सीमित गतिविधियाँ	32 (26.60)	1 (1.45)	15 (30)
कुल	120 (50.21)	69 (28.87)	50 (20.92)

तलिक 10 में यह दिखाया गया ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य उपचार के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य उपचार करने की स्थिति जैसे ग्राामीण महिलाओं आसान सामाजिक स्थिति, स्व स्वास्थ्य, दवा के लिए भुगतान करने में सक्षम, डॉक्टर वहन करने में, स्वास्थ्य समस्याओं, मासिक घरेलू आय, दवा भुगतान करने में सक्षम की गतिविधियाँ भितरवार में सबसे अधिक 86.96 प्रतिशत आसान पाया गया और मोहन 55 प्रतिशत आसान स्थिति है।

तालिका 11

महिलाओं द्वारा प्रसव के लिए चुने गए स्थान

डिलिवरी का स्थान	भितरवार	मोहना	कुल
घर	0	0	0
सरकारी सुविधा	23 (100)	25 (100)	100
मान्यता प्राप्त निजी सुविधाएं	0	0	0
अन्य निजी सुविधाएं	0	0	0
कुल	23 (47.91)	25 (52.08)	100 (100)

उपर्युक्त तालिका 11 से पता चलता है कि समस्त उत्तरदाताओं ने ग्रामीण महिलाओं द्वारा प्रसव के लिए चुनी गई सरकारी सुविधा का संकेत दिया, जबकि मोहना में भी समस्त उत्तरदाताओं ने ग्रामीण महिलाओं द्वारा प्रसव के लिए चुनी गई सरकारी सुविधा का संकेत दिया।

तालिका 12

गर्भनिरोधक के बारे में जागरूकता

विकल्प	भितरवार	प्रतिशत	मोहना	प्रतिशत
हाँ	19	82.6	18	72
नहीं	4	17.4	7	28
कुल	23	100	25	100

तालिका 12 से पता चला कि भितरवार में 82.6 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का गर्भनिरोधक की जानकारी है और 17.4 प्रतिशत ने गर्भनिरोधक के बारे में जानकारी नहीं ली है। जबकि मोहना में 72 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं में गर्भनिरोधक है और 28 प्रतिशत को गर्भनिरोधक के बारे में जानकारी नहीं है।

तालिका 13

महिलाओं द्वारा गर्भनिरोधक का उपयोग करना

विकल्प	भितरवार	प्रतिशत	मोहना	प्रतिशत
हाँ	1	4.34	6	24
नहीं	22	95.66	19	76
कुल	23	100	25	100

तालिका 13 में पता चला कि 95.66 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं द्वारा गर्भनिरोधक प्रयोग किया जाता है और 17.4 प्रतिशत ने गर्भनिरोधक के बारे में जानकारी नहीं दी है। जबकि मोहना में पता चला कि 72 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं द्वारा गर्भनिरोधक के बारे में जानते हैं और 28 प्रतिशत लोगों ने गर्भनिरोधक के बारे में प्रयोग किया जाता नहीं है।

तालिका 14

महिलाओं की सामाजिक सशक्तीकरण की स्थिति

विकल्प	भितरवार			मोहना			कुल			कुल
	खराब	अच्छा	बहुत अच्छा	खराब	अच्छा	बहुत अच्छा	खराब	अच्छा	बहुत अच्छा	
शौचालय का उपयोग करना	10 (43.47)	13 (56.52)	0 (0)	15 (60)	10 (40)	0 (0)	25 (8.45)	232 (12.5)	0	48
उनके क्षेत्र में स्वच्छता बढ़ने के लिए	12 (52.17)	11 (47.82)	0 (0)	9 (36)	16 (64)	0 (0)	21 (7.09)	27 (9.12)	0	48
शुद्ध पेयजल लेने के लिए कदम	5 (21.73)	18 (78.26)	00 (0)	14 (56)	11 (44)	0 (0)	19 (6.42)	29 (9.80)	0	48
परिवार नियोजन के तरीके	4 (17.39)	19 (82.60)	0 (0)	14 (56)	11 (44)	0 (0)	18 (6.08)	30 (10.14)	0	48
महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना	22 (95.65)	1 (4.34)	0 (0)	15 (60)	10 (40)	0 (0)	37 (12.5)	11 (3.7	0	48
महिलाओं के लिए संपत्ति के अधकार शुद्ध करना	21 (91.30)	2 (8.69)	0 (0)	14 (56)	11 (44)	0 (0)	35 (11.82)	13 (4.39)	0	48
सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना	20 (86.95)	3 (13.04)	0 (0)	17 (68)	8 (32)	0 (0)	37 (12.5)	11 (5.97)	0	48
विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना	17 (73.91)	7 (30.43)	0 (0)	22 (88)	3 (12)	0 (0)	39 (13.18)	9 (4.89)	0	48
पारिवारिक मामलों के संबंध में निर्णय	13 (56.52)	9 (39.13)	0 (0)	19 (76)	6 (20)	0 (0)	32 (10.81)	16 (5.41)	0	48
घर में स्वास्थ्य के संबंध में निर्णय	14 (60.86)	8 (34.78)	0 (0)	19 (76)	6 (20)	0 (0)	33 (11.14)	15 (5.07)	0	48
कुल	138 (46.62)	92 (50)	0	158 (53.38)	92 (50)	0	296 (61.67)	184 (38.33)	0	480

तालिका 14 ग्रामीण महिलाओं की समग्र सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि विधवा पुनर्विवाह 39 (13.18), सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना 37 (12.5), महिलाओं के लिए समान स्थिति का समर्थन 37 (12.5), महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार को शुद्ध रखने जैसी गतिविधियां 35 (11.82), स्वास्थ्य के संबंध में निर्णय घर में 33 (11.14), परिवार के मामलों के संबंध में निर्णय 32 (10.81), शौचालय का उपयोग करके 25 (8.45) खराब स्थिति में थे। जबकि उनके क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ाने के लिए सामाजिक मुद्दे जैसे 27 (9.12), शुद्ध पेयजल 29 (9.80) लेने के कदम हैं, परिवार नियोजन के तरीके 30 (10.14) अच्छी स्थिति में हैं।

यह पाया गया कि समग्र सामाजिक सशक्तीकरण की स्थिति 158 (53.38) ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत मोहना में खराब है, जबकि भितरवार में 138 (46.62) है।

निष्कर्ष : भारतीय महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सशक्त होने की आवश्यकता है। यदि चिकित्सा का सही उपयोग करना है, तो एक ग्रामीण को अधिक आय प्राप्त होगी। चूंकि ग्रामीण महिलाएं अधिक आय अर्जित

करती हैं, वे इसे अपने बच्चों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर खर्च करती हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए पर्याप्त पोषण उन्हें स्वास्थ्य के परिणामस्वरूप उत्पन्न करने के लिए समाज के उत्पादक सदस्यों के रूप में सेवा करने में मदद करेगा। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण को कई क्षेत्रों में सीमित स्वायत्तता द्वारा बाधित किया गया है जिसका विकास पर एक शक्तिशाली प्रभाव है। साक्षरता की कम दर, बड़े पैमाने पर मीडिया के लिए सीमित जोखिम, और उस पैसे तक पहुंच और सीमित गतिशीलता के परिणामस्वरूप विशेषज्ञता और नियंत्रण के सीमित क्षेत्रों के कारण उनकी संस्थागत अक्षमता। जैसे-जैसे ग्रामीण महिलाएँ आर्थिक स्थिति में वृद्धि करती हैं, वे समुदाय और गाँव में उच्च स्थान प्राप्त करेंगी और उनकी आवाज ऊँची होगी।

सन्दर्भ

1. iMedPub Journals Assessment of Health Status and Monitoring of Healthcare Systems in Rural Areas of Gwalior District , Madhya Pradesh , India Abstract. (2018), 1-5.
2. Indian, T., & Charter, H. (2007). THE INDIAN WOMEN ' S HEALTH Women of Age Women with Disabilities Women Living in Custody of State Institutions, (March), 1-41.
3. Bano, S., & Wani, K. A. (2012). The Health Conditions of Rural Localities of Madhya Pradesh. European Journal of Biological Sciences, 4(1), 20-25. https://doi.org/10.5829/idosi.ejbs.2012.4.1.62139
4. Kamalapur, S. M., & Reddy, S. (2013). Women Health in India: An Analysis. International Research Journal of Social Sciences.ISSN Int. Res. J. Social Sci, 2(10), 2319-3565. Retrieved from http://www.isca.in/IJSS/Archive/v2/i10/3.ISCA-IRJSS-2013-135.pdf
5. Gangle, G.R., & Reddy, P.B., 'Social Science Status of Women and Social Opportunities in Madhya Pradesh', India Department of Economics, Govt. PG College, Shujalpur, India Department of Zoology, Govt. of Arts & Science College, Ratlam, M.P., (8), pp. 1-5
6. Baba Riyaz and Jeelani, Shah Suhail, 'Assessment of Health Status and Monitoring of Healthcare System in Rural Areas of Gwalior District', Madhya Pradesh, India Abstract, 2018, pp. 1-5.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

सहरिया जनजाति एवं उनके निवास संबंधी तीज त्योहारों एवं मेलों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

❑ मनीष त्यागी

जनजाति के सामाजिक-सांस्कृतिक अध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे किसी भी देश के जनजातीय समाज के बारे मे अपनी समझ बनाई जा सकती है। इसी के साथ यह किसी भी जनजाति की वास्तविक स्थिति एवं उसके अपने सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान भी प्रदान करने का कार्य करता है। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की तीन प्रमुख आदिम जनजाति समूहों मे से एक है। वर्तमान मे सहरिया जनजाति के सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर केंद्रित बहुत कम साहित्य उपलब्ध है। इस शोध पत्र मे तथ्यों एवं आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग किया गया है। तीज, त्यौहार, मेले, गायन एवं नृत्य जनजाति समाज के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। प्रस्तुत शोध पत्र मे सहरिया समाज के तीज, त्यौहार, मेले, गायन एवं नृत्य का परिचयात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सहरिया समाज जीवन मे व्याप्त परंपरागत ज्ञान का इन तीज, त्यौहार, मेले, गायन, नृत्य एवं शिल्पकला के साथ समन्वय को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही इन सभी सामाजिक-सांस्कृतिक उत्सवों एवं गतिविधियों का सहरिया जनजाति के सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्व को रेखांकित कर विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

भारतीय समाज एक विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ की संस्कृति में प्रत्येक कार्य को उसकी कठिनाइयों को दूर कर उसका प्रारम्भ उत्सव की तरह किया जाता है। अधिकांश तीज-त्यौहार का होना एवं एक लम्बे समय से सामाजिक जीवन में उनका पालन होना एवं स्वीकार्यता होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

तीज, त्यौहार, मेले, गायन एवं नृत्य जनजाति समाज के जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और आज भी जनजाति जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जनजाति जीवन में प्रकृति एवं जगत का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। जनजाति समाज में उनका दैनिक जीवन भी जनजाति समाज के जीवन दर्शन को प्रस्तुत करता है। साथ ही उनके दैनिक कार्य भी उत्सव, हर्सोल्लास, कठोर परिश्रम, तथा कर्म का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे प्रकृति के सर्वाधिक सन्निकट रहना पसंद करते हैं। प्रकृति एवं उसके साधनों पर निर्भरता जनजाति जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसीलिए जनजाति प्रकृति पूजक ही नहीं वरन उसके हितैषी बनकर उसकी संवृद्धि एवं संरक्षण का कार्य करते हैं। यही कारण है कि वे अपने सीमित एवं चुनौतीपूर्ण जीवन मे भी कई तीज त्यौहार, गायन,नृत्य के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपना अभिवादन तथा कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं। यही सभी तत्व मिलकर जनजाति जीवन को एक विशिष्टता प्रदान करते हैं।

पूर्व में यह मत भी प्रचलित था कि आदिवासी डर एवं भय के कारण प्रकृति की पूजा करते हैं किन्तु यह पूर्णतः सत्य नहीं है, आंशिक रूप से इसमें यथार्थ हो सकता है। वर्तमान में यह तथ्य स्वीकार कर लिया गया है कि वह प्रकृति की रक्षा एवं उसका पूर्ण संवहनीय उपयोग अपनी सूझ-बूझ, चेतनता एवं परम्परागत ज्ञान के तार्किक आधार के साथ करते हैं। यह प्रक्रिया आदिवासी जीवन शैली में व्याप्त उनके 'आदिवासी परम्परागत ज्ञान' (इंडिजेनस नॉलेज सिस्टम) का ही प्रमाण है। उनका सादगीपूर्ण जीवन एवं प्रकृति पर निर्भरता, प्रकृति के साथ उनके अद्भुत समामेलन को रेखांकित करता है तथा अन्य समाजों को यह प्रेरणा देता है कि आदिवासी लोग या आदिवासी समाज ज्ञानहीन नहीं है वरन इसे अत्यधिक गहराई से जानने एवं समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ उनके परंपरागत ज्ञान पर चिंतन कर अमल करने की भी आवश्यकता है, जो न केवल वर्तमान एवं निकट भविष्य की कई समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है बल्कि विश्व की सामाजिक आर्थिक प्रगति को बनाये रखने के साथ संवहनीय विकास को प्राप्त करने में भी सहायक हो सकता है। अतः सभी को आदिवासी

❑ शोध अध्येता, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय वि.व., अमरकंटक (म.प्र.)

परम्परागत ज्ञान पर गंभीरता से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ मे प्रस्तुत शोध में सहरिया जनजाति के माध्यम से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

सहरिया जनजाति का परिचयः सहरिया जनजाति आदिम जनजाति समूहों में से एक है। सहरिया जनजाति का मुख्य रूप से निवास क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, शिवपुरी, विदिशा, श्योपुर और रायसेन जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, प्रदेश में सहरिया जनसंख्या 527,015 है।[1] सहरिया शब्द दो स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बना है - 'सा' का अर्थ है साथी और 'हरिया' का अर्थ है बाघ अर्थात् बाघ का साथी है।[2]

विद्वान् ऐसा मानते हैं कि सहरिया राजस्थान के पहले निवासियों में से एक हैं और यहीं से अन्य क्षेत्रों में प्रव्रजन कर गए हैं। सहरिया सामान्यतः विनम्र, निर्दोष, सौम्य और शर्मीले होते हैं। उन्हें अलग-थलग रहना पसंद है। वे भीलों की तरह आक्रामक नहीं हैं। किन्तु कॉलोनल टॉड[3] महोदय का मत है कि सहरिया राजस्थान क्षेत्र के प्राचीन निवासी होने के साथ भीलों पर अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं। किन्तु मनीष त्यागी ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि सहरिया स्वयं को भील का छोटा भाई कहलाना पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि वे मानते हैं कि भील श्रेष्ठ हैं और उनका सम्मान करते हैं।[4] इसलिए टॉड का यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है। जनगणना पृष्ठभूमि में1981 की जनगणना रिपोर्ट ने सहरिया को आदिवासी माना है और फिर उन्हें भारत की आदिम जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया है।[5]

साहित्य की समीक्षाः भारतीय जनजातियों पर ब्रिटिश काल में कई विद्वानों द्वारा कार्य किया गया जिनमे विलियम क्रुक एवं रसेल और हीरालाल आदि विद्वान प्रमुख हैं। जहां विलियम क्रुक ने अपने अध्ययन में उत्तर-पश्चिमी भारत की जनजातियों और जातियों के बारे में वर्णन किया है तथा सहरिया जनजाति के इतिहास का भी संक्षेप उल्लेख किया है।[6]

वहीं रसेल और हीरालाल ने भारत के मध्य प्रांतों की विभिन्न जनजातियों के नृजातिविज्ञान का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें उन्होंने सहरिया जनजाति सहित मध्य प्रांतों के लोगों और संप्रदायों के बारे में जानकारी प्रदान की है। किन्तु उनका यह अध्ययन बहुत ही सीमित और सतही जानकारी देता है। फिर भी तत्कालीन समय के ज्ञान को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी के साथ उन्होंने मध्य प्रांत की विभिन्न जनजातियों और जातियों के बीच संप्रदायों और कुलों की सूची भी प्रदान की।[7]

अन्य प्रमुख विद्वानों में टी. बी. नाइक एवं देबारत मोंडल है। टी. बी. नाइक ने सहरिया जनजाति के सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठानों जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में भी वर्णन किया है। इसके अलावा, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठनों पर भी उनके शोध कार्यों पर चर्चा की गई है।[8] देबारत मोंडल अपने अध्ययन हेतु तीन गाँव रोड के पास के और तीन आतंरिक क्षेत्रों से चयन करते हैं। साक्षात्कार अनुसूची और दिशानिर्देश तैयार करने के बाद उन्होने अपने अध्ययन में वास्तविक कार्यक्षेत्र का संचालन किया। इस प्रकार वह सहरिया जनजाति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं किन्तु तीज त्यौहार का विस्तृत अध्ययन नहीं करते हैं। डेब्रेटा मंडोल द्वारा पहला नृवंशविज्ञान विवरण खाता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने सहरिया निवास स्थान, सामाजिक संरचना, संस्कार और मार्ग, सामाजिक और आर्थिक संगठन, संस्कृति और सहारिया जनजाति के सामाजिक पहलुओं, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और सहरिया जनजाति के बीच परिवर्तनों के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए।[9]

नवीन जनजातीय अध्ययनों में मेहता, योगेश अटल और सिसोदिया, चौधरी और चौधरी ने भी जनजातीय समाज के विभिन्न पक्षों पर कार्य किया है। जिसमे मेहता ने अपने एथनोग्राफिक एटलस ऑफ इंडियन ट्राइब्स में भारत की विभिन्न जनजातियों जैसे कि बिरहोर, लोढ़ा, संथाल, और सहरिया आदि के बारे में जानकारी प्रदान की है। इस संक्षिप्त लेख में सहरिया के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन सहित सहरिया जनजाति के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।[10] चौधरी और चौधरी ने समकालीन भारत में आदिम जनजातियों का वर्णन किया और इसी के साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न जनजातीय समूहों की विस्तार से समझ प्रदान करने का कार्य किया। आखिरकार समकालीन दुनिया में आदिम जनजातियों के जीवन के रुझानों और प्रत्ययों (पैटर्न) को समझाने का प्रयास करते है।[11] इसी प्रकार, योगेश अटल और सिसोदिया ने आदिवासी समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बारे में चर्चा

की है। उन्होंने जनजाति समाज पर पड़ने वाले विकास गतिविधियों के प्रभाव को समझाया है और विकास गतिविधियों के माध्यम से आदिवासी समाज में कैसे बदलाव आ रहे हैं, इसका गहन विश्लेषण किया।[12]

अध्ययन का उदेश्य : प्रस्तुत शोध पत्र का प्रथम उदेश्य्य जनजाति समाज में होने वाले विभिन्न नृत्य, गायन का परिचय प्रस्तुत करना है। दूसरा, जनजाति समाज में इन नृत्यों एवं गायनों के महत्व को रेखांकित करना है। इसी के साथ सामान्यतः जनजाति समाज के प्रकृति के साथ सम्बन्ध को स्थापित कर विशेषकर सहरिया जनजाति के सन्दर्भ से विश्लेषण करना है और जनजाति समाज के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का परपरागत ज्ञान की दृष्टि से महत्व को रेखांकित करना है।

सहरिया जनजाति के सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर केंद्रित बहुत कम साहित्य उपलब्ध है। क्रुक, रसेल एवं हीरालाल ने कुछ प्रयास किया था। इस तथ्य के बावजूद, डेब्रेटा मोन्डोल के शोध कार्य ने अकादमिक क्षेत्र में सहरिया जनजाति पर नृवंशविज्ञान संबंधी विवरण प्रदान कर उन्होंने सहरिया जनजाति के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे निवास स्थान, सामाजिक और आर्थिक संगठन का वर्णन किया। डेब्रेता मोन्डल एवं टी बी नाइक के काम को छोड़कर सहरिया पर बहुत कम साहित्य उपलब्ध है। जनगणना हैंडबुक में भी इस पर पर्याप्त एवं गहन तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। यह अध्ययन सहरिया जनजाति शोध में व्याप्त रिक्त स्थान को भरकर नए शोधार्थियो को इसी प्रकार के अध्ययन करने में सहायक सिद्ध होगा।

शोध पद्धति अनुसंधान क्रियाविधि : प्रस्तुत शोध पत्र में विश्लेष्णात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। साथ ही अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक विज्ञान पद्धति को नियोजित किया गया है। तथ्य संकलन के लिए दोनों ही प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोत के लिए ग्वालियर जिले के सहरिया जनजाति बहुल 'कांसेर गाँव' का चयन किया गया। प्राथमिक स्रोतों में व्यक्तिगत बातचीत, अवलोकन, समूह साक्षात्कार, 'फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन' एवं अवलोकन विधि के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया गया है। साथ ही सहायक सूचना एवं नवीनतम तथ्यों के लिए द्वितीयक स्रोतों जैसे अकादमिक पुस्तकों, शोध पत्रों एवं वेबसाइट्स का भी उपयुक्त स्थान पर उपयोग किया गया है।

सहरिया जनजाति का सामाजिक एवं धार्मिक जीवनः आदिवासी समाज विवाह प्रणाली के विभिन्न रूपों का अनुसरण करता है। बहुविवाह और बहुपत्नी प्रथा ज्यादातर जनजातियों में पाई जाती है और यह बहुत ही आदिम अवधारणा है। वर्तमान मे तलाक की प्रथा सहरिया में भी देखने को मिलती है किन्तु यह सामान्य व्यवहार नहीं है और इसे व्यभिचार, कुकृत्य और पागलपन के आधार पर ही समाज द्वारा अनुमति दी जाती है। तलाकशुदा व्यक्ति पुनर्विवाह भी कर सकता है। सहरिया समाज में नव दुल्हन अपने पूर्वजों या स्थानीय देवताओं की पूजा करने जाती हैं जो सहरिया समाज की मौलिकता को दिखाता है। इस प्रकार की अवधारणाओं की बात अन्य सामाजिक विद्वानों ने भी अपने शोध मे की है। इसी प्रकार के स्थानीय देवताओं की पूजा को ही रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपने अध्ययन में लिटिल ट्रेडिशन के रूप में भी मान्यता दी है। **सहरिया** मुख्य रूप से 'एनिमिजूम' की अवधारणा में विश्वास करते हैं तथा आदिम आदिवासी समाज की तरह सामुदायिक भावना का पालन करते हैं और सद्भाव के साथ अपना जीवन जीते हैं। सहरिया जनजाति के लोग आस्तिक हैं। सहरिया जीवन के अनुष्ठानों में जादू और टुटना-टोटका जरूरी है। उनके जीवन मे जादू और टुटना-टोटका का एक प्रमुख स्थान है। उनकी प्रतिमा पूजा इतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं हुई है और यह मानवजनित रूप में है।[13]

सहरिया स्थानीय देवी देवताओ जैसे कि तेजाजी, ढाकर बाबा, लालबाई, बेजजान देवी, काली माता, और गुरू आदि की पूजा करते थे। सहारिया लोग आमतौर पर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। वे अतीत में अपने अस्तित्व के लिए वन और कृषि पर निर्भर थे। अनुष्ठानों और बलिदानों में मांसाहार का अतीत में महत्वपूर्ण स्थान था। सहरिया सामुदायिक भावना में विश्वास करते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ अपना जीवन जीते हैं। सहरिया जनजाति जादू- टुटना- टोटका के साथ-साथ, जीव, प्रीत और आत्म के संस्कार में भी विश्वास करते हैं। सहरिया लोग ग्राम देवता, प्राकृतिक शक्ति और पूर्वजों की आत्मा को भी मानते हैं।

वर्तमान मे उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में बदलाव परिलक्षित हो रहे हैं। सहरिया लोगों पर संस्कृतीकरण और आत्मसात की प्रक्रिया का एक प्रकार का प्रभाव है। परिणामस्वरूप वे हिंदू देवी-देवताओं में विश्वास करने लगे

और देवी, देवताओं और स्थानीय देवताओं के लिए अपनी धार्मिक मान्यता और पूजा की प्रथाओं मे समयानुसार बदलाव देखा जा सकता है।[14]

सहरिया जनजाति के तीज, त्यौहार, मेले, गायन एवं नृत्य का परिचयात्मक विश्लेषण : सामान्यतः सभी जनजातियाँ उत्सव प्रिय हैं। सहरिया जनजाति भी इसका अपवाद नहीं है। अपने दैनिक जीवन में सुख, मनोरंजन एवं उल्लास के लिए वे कई आसपास के हाटों एवं मेलों में भागीदारी करते हैं। इस प्रकार जनजाति समाज में बाजार केवल आर्थिक विनिमय मात्र का स्थान नहीं है वरन यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है समाज के अन्य सदस्य रूचि के अनुसार, विभिन्न सांस्कृतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। सहरिया जनजाति क्षेत्र के कुछ मेलों का वर्णन निम्नानुसार है

हीरा भूमिया का मेला, सिद्ध बाबा का मेला, संत नागाजी मेला : मध्य प्रदेश के ग्वालियर , गुना,तथा आसपास के गाँव में हीराभूमिया संत की स्मृति में भाद्र माह में ये मेले लगभग 1000 साल से चले आ रहे हैं। चूंकि यह भोगोलिक क्षेत्र सहरिया जनजाति प्रधान क्षेत्र होने के कारण सहरिया जनजाति की भागीदारी का महत्वपूर्ण स्थल है। इसी प्रकार अन्य सहरिया क्षेत्र जैसे मुरैना जिले के पोरसा गाँव में मुगल शासक अकबर के काल से नागाजी संत की स्मृति में अगहन मास (नवम्बर दिसम्बर) में यह मेला आयोजित किया जाता है जो लगभग एक माह चलता है। पहले इस मेले में जंगली जानवरों को बेचने का विशेष चलन था जैसे बंदर बेचना आदि। परन्तु बदलते समय के साथ अब अन्य पालतू जानवर भी इस मेले मे बेचे जाते हैं। इसी तरह सिद्ध बाबा का मेला जो विजयपुर (शेओपुर जिले में) में प्रतिवर्ष लगता है। इस मेले में पशुओं का भी मेला लगता हैजोकि जनजाति समाज की आवश्यकताओं एवं बिक्री से जुड़ा रहा है। यहाँ वे अपने कई कीमती जंगली उत्पाद, छोटे पालतू जानवर जैसे बकरी, मुर्गा, जड़ी बूटी आदि को बेचने के लिए भी आते है। सीतावादी मेला का उल्लेख देवव्रत मंडोल ने अपने अध्ययन मे बताया है जो कि सहरिया क्षेत्र मे लगने वाला एक मेला है जहां सहरिया उत्साह के साथ भागीदारी करने के लिए जाते है।[15]

जनजातीय लोग इन मेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इसका एक प्रमुख कारण सामाजिक मिलन एवं सुख की प्राप्ति करना है तो दूसरा प्रमुख कारण, आर्थिक उत्पादों को बेचना है तीसरा संतों का दर्शन का आकर्षण भी इसका मुख्य कारण है। यह सर्व विदित है की संतो का जंगलों एवं प्रकृति से जुड़ाव सदैव से रहा है। फलतः संतों का आवास अधिकतर नदी, पहाड़, एवं जंगलों में ही रहा है जिसके चयन का भी एक गूढ़ रहस्य था– एकांत एवं प्रकृति के साथ सममेलन जिसका लक्ष्य होता था। आदिवासियों का मूल निवास स्थान जंगल होने के कारण उनकी अंतःक्रिया का केंद्र ये जंगल ही थे जहां जनजातियों की अंतःक्रिया या मिलन भी साधू संतों से सहज होता रहा है क्योंकि जनजाति लोग ही उनका भरण पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते रहे हैं। इसी कारण जनजातीय लोगों में संतों के दर्शन का भी एक आकर्षण या लगाव बना रहा है। इसीलिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन सभी लगने वाले मेलों में सहरिया जनजाति की भागीदारी सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कारणों से होती रही है।

सहरिया शिल्प कला : सहरिया आदिवासियों का जीवन प्रकृति के अधिक निकट है साथ ही जंगल के निवासी होने के कारण शिल्प कला प्रेम के उदाहरण अन्य आदिवासी समाज की ही भांति देखने को मिल जाते हैं। आदिवासियों में वैसे तो शिल्प के अनेक प्रयोग प्रचलित होते हैं किन्तु सहरिया आदिवासी विशेषकर शिल्प कला में निपुण हैं। इस शिल्प कला मे भी 'काष्ठ कला' एवं 'खराद कला' में उन्हे विशेष निपुणता प्राप्त है जिसे हम सहरिया आदिवासियों की विशेषज्ञता भी कह सकते है। श्योपुर जिले के सहरिया आदिवासियों में काष्ठ कला के प्रति विशेष आकर्षण सहजता से देखा जा सकता है। यही कारण है की सहरिया आदिवासी काष्ठ कला के कई नमूनों एवं खिलोनों से अपनी आजीविका भी चलाते हैं। इसी प्रकार खराद कला भी इस क्षेत्र की एक प्रमुख कला है जो सहरिया आदिवासियों के लिए एक विशेष आजीविका का माध्यम है। सामान्यतः मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों एवं जिलों में भी यह कला प्रचलित है। इसके बाबजूद श्योपुर कलां, बुद्निघाट, रीवा, मुरेना खराद कला के प्रतिष्ठित केन्द्रों में अपना स्थान आज भी बनाये हुए हैं जिनकी कला के नमूने पूरे भारत में प्रसिद्ध है। 'खराद कला' की विशेषता यह है कि यह कला लकड़ी पर उकेर कर की जाती है जिसमें विभिन्न आकृतियों का अंकन किया जाता है। इस कला में सागौन, दुधी, खैर, मेडला, सरई, कदम

की लकड़ी का प्रयोग कर इन्ही पर खराद की जाती है।

सहरिया त्यौहार : हरेली यह मुख्य रूप से किसानों का त्यौहार है। इस दिन सभी कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। श्रावण अमावस्या के दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। यह त्यौहार विशेषकर अन्य जातियों के द्वारा भी क्षेत्र में मनाया जाता था जो जातियां पूर्व में कृषि कार्य में सलंग्न थीं। किन्तु आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण के परिणाम स्वरुप आदिवासी एवं गैर आदिवासियों में बदती सामाजिक अंतर्क्रिया के फलस्वरूप सहरिया आदिवासियों में भी हरेली उत्सव मनाया जाने लगा है।

आमतौर पर रक्षाबंधन बारिश के मौसम में एक मुख्य हिंदू त्योहार है। लेकिन हिंदू के प्रभाव के साथ, समान रूप से आदिवासी लोग भी त्योहार का आनंद ले रहे हैं। इसीलिए सामाजिक अन्तरक्रिया के परिणामस्वरूप वे भी रक्षाबंधन, दिवाली, होली आदि त्यौहार बड़ी ही धूम धाम से मानते हैं। इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कह सकते हैं जिसका अध्ययन एम.एन. श्रीनवास ने अपने अध्ययन मे किया है।

सहरिया नाटक : 'स्वांग' सामान्यतः एक क्षेत्रीय नाटक है जो संपूर्ण बुंदेलखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसका अर्थ होता है नाटक या नकल करना। इसके अंतर्गत मुख्यतः किसी भी विषय पर नाटक या नकल कर लोगों का मनोरंजन एवं उत्साहवर्धन किया जाता है। बुंदेलखंड में लगभग प्रत्येक शुभ एवं विशेष अवसर पर उल्लास के लिए स्वांग आयोजित किया जाता है जैसे होली स्वांग, नवरात्री स्वांग, बच्चों के स्वांग आदि। यह 'स्वांग' सामान्य एवं जनजातीय समाज दोनों में प्रचलित है। 'कठपुतली' नाटक मे परदे के पीछे स्थित कलाकार बिना सामने आये पुतलों के प्रतीकों से किसी कहानी या गाथा का प्रदर्शन करते हैं। जनजातीय समाज में इसकी कई शैलियाँ प्रचलित हैं दास्ताँ पुतली, धन पुतली, सूत्र संचालित पुतली और छाया पुतली आदि है, जिसका प्रयोग समय एवं परिस्थिति के अनुसार लोग करते हैं। आज कल यह आजीविका का माध्यम भी हो गया है, जिसके माध्यम से जनजातीय लोग कठपुतली कलाकार बनकर देश एवं दुनिया मे इस कला का मंचन करने लगे हैं। कुछ कठपुतली कलाकार आंशिक एवं कुछ पूर्ण रूप से इसी कला के माध्यम से जीवन निर्वाह भी कर रहे हैं।

सहरिया लोकचित्र : सहरिया जनजाति में बुन्देली लोकचित्र का अत्यधिक प्रचलन है। इसका मुख्य कारण है वह इस क्षेत्र के निवासी है जहाँ उन्होंने चित्रकारी के रूप में कई बुन्देली लोक चित्र का हुनर परंपरागत रूप से सीख लिया साथ ही यह कला अब उन्हें परम्परा से हस्तांतरित हो रही है। कला के परंपरागत हस्तांतरण से एक विशेषण भी आ जाता है। इसीलिए परम्परागत कला एक प्रकार की विशेषज्ञता भी है। इन जनजातीय लोक चित्रों में 'चौक चित्र' सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रत्येक अवसर पर यह चौक 'चावल के आटे, गेहू, ज्चर के आटे, कुमकुम आदि से उकेरे जाते हैं। यहाँ यह रेखांकित करना उचित है कि इनमे प्रयोग होने वाली सभी वस्तुएं घरेलू एवं सहज उपलब्ध होने वाली हैं। इसी प्रकार जनजातीय समाज में "सुरैती" का रेखांकन लक्ष्मी पूजा के अवसर पर किया जाता है जिसमे "जाली नुमा" अंकन होता है। नवरात्रि में कुंवारी कन्याएँ "नौरात्ता" नामक भित्ति चित्र बनाती हैं। तथा विवाह के अवसर पर दीवारों पर "मोरेते" उकेरे जाते हैं। वस्तुतः बहुत से संस्कृतिक तत्वों के मिलने से एक स्पष्ट विभाजन रेखा खीचना कठिन है फिर भी जनजातीय तत्वों की प्रधानता इस अंतर को समझने मे सहायक है।

सहरिया लोक गायन : 'आल्हा गायन' वस्तुतः क्षेत्र की सभी जातियों एवं जनजातियों द्वारा गाया जाता था और आनंद लिया जाता है क्योकि यह इस क्षेत्र के वीरों आल्हा उदल के शौर्य पराक्रम पर आधारित है। यह वीर रस से ओत प्रोत गीत है तथा सभी जातियों एवं जनजातियों द्वारा हर्षोलास के साथ मनाया जाता है। चूँकि सहरिया इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है इसीलिए यह उनमे भी गाया जाने लगा है। यह गायन सहरिया समाज मे इतना घुल मिल गया है कि इसे अलग करना बढ़ा ही दुष्कर कार्य है। आल्हा की रचना लोककवि जगनिक ने लगभग हजार वर्ष पूर्व की थी। इन गीतों को गाने वालों को सामान्यतः 'अल्हेत' कहकर पुकारा जाता है। इस लोकगीत में वाद्य के रूप मे ढोलक और नगड़िया का प्रयोग किया जाता है। इन प्रयोगित सभी सामानों को निर्मित करने मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहरिया जनजाति का महत्व पूर्ण योगदान है।

दूसरा लोकप्रिय गीत यहाँ की जन जातियों मे 'हरदौली की मनौती' प्रसिद्ध है। यह भी वीर रस का गीत है। बीलबाती एक प्रकार का धार्मिक गीत है जिसे धार्मिक अवसर पर मुख्यत गाया जाता है। इसे सेर, सहरे, राहरे, मलहरे, गोटे, रावले आदि रूपों मे गाया जाता। इसी प्रकार

से जनजाति समाज मे 'भोला गीत' गाये जाने की प्रथा है। यह इस क्षेत्र की मौखिक परंपरा का बड़ा ही मधुर गीत है। अधिकांशतः यह गीत किसी शुभ स्नान के लिए जाते समय गाया जाता है। इस गीत को लोक बोली में 'बम्बुलिया गीत' या 'लमटेरा' भी कहा जाता है। एक अन्य लोकगीत 'जगदेव का पुरावा' भी है जो कि विशेषतः क्वार मास मे गाया जाता है इसका संबंध ज्वार गीत एवं जागरण गीत से भी है जिसे नवरात्रि की रातों मे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रमुखता से गाया जाता है।

'बेरयेता गायन' यह सामान्यतः कथा गायन है जिसमें किसी भी लोकनायक चरित्र की कथाएँ गायी जाती हैं। दुल दुल घोड़ी एवं लहंगी गीत आदि सहरिया आदिवासी द्वारा गाये जाने वाले अन्य गीत हैं। इसी प्रकार 'फाग गायन' भी इस क्षेत्र की जनजातियों मे बड़ा ही प्रचलित है जिसे होली के अवसर पर गाया जाता है। फाग माह मे फाग गीत सहरिया जनजाति द्वारा गाये जाते हैं। फागों मे 'चोकड़िया फाग' प्रसिद्ध है। सहरिया लोगों के पास स्वयं के बारे में कथात्मक पहलिया', गोथेला, राम जन्म , जानकी विवाह, ख्याल आदि लोक कथाएँ अस्पष्ट हैं किन्तु समाज में प्रचलित पाई जाती हैं, जो कि संस्कृतिकरण जैसी प्रक्रिया को बल देती है तथा कई तत्व जनजाति समाज मे सामाजिक अन्तरक्रिया के परिणाम स्वरूप आए प्रतीत होते हैं।

सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य : रागिनी, दुल दुल घोड़ी नृत्य, लहंगी नृत्य, राई, सैरा नृत्य, बधाई नृत्य आदि सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। रागिनीरू ग्वालियर की सभी जातियों एवं जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है। सहरिया आदिवासी के लोग अन्य जाति के लोगों के साथ ग्वालियर क्षेत्र के आसपास रागिनी लोकगीत खेलते हैं। दुल दुल घोड़ी नृत्य रूयह नृत्य मूलतः राजस्थान का नृत्य है और वहीं से प्रभावित होकर आज मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों मे किया जाता है। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी में यह नृत्य राजस्थान से आया है, क्योकि यहाँ की सहरिया जनजाति राजस्थान से अत्यधिक प्रभावित है। दुलदुल घोड़ी नृत्य के साथ प्रमुख रूप से ढोल, नगड़िया, झीका तथा मसक वाद्य होते हैं। रक्षाबंधन के समय ग्वालियर, शिवपुरी, गुना के पड़ोसी क्षेत्र में सहरिया आदिवासीयों द्वारा दुल-दुल घोरी और लहंगी जैसे लोक गीत गाए जाते हैं और उनका आनंद लिया जाता है। नृत्य और गायन आदिवासी संस्कृति का मुख्य तत्व है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, सहरिया इस घटना का अपवाद नहीं है।

श्रावण मास में सहरिया जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य 'लहंगी नृत्य' है। इस नृत्य की विशेषता इसकी सामूहिकता है। भुजरिया के जूलूस के आगे आगे सहरिया पुरुषों के द्वारा लहंगी नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड का एक प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य 'राई' नृत्य है। इस नृत्य में शौर्य और श्रंगार दोनों मनोवृतियों का समावेश है। 'राइ' के केंद्र में बेदनी नर्तकी होती है जिसे गति देने का काम मरदंग वादक करता है। राई नृत्य की विशेषता नृत्य के विराम काल में स्वांग का आयोजन करना है जिसमें सामाजिक विद्रूपताओं पर खुलकर चोट की जाती है। इस नृत्य के माध्यम से आदिवासी सामाजिक विद्रूपताओं पर चर्चा कर उसे समाज के समक्ष उद्घाटित करते हैं। इस नृत्य का प्रचलन वर्तमान में आदिवासियों में अन्य समाजों के प्रभावस्वरुप हुआ है।

सैरा नृत्य सावन माह में कजली तीज के अवसर पर आँगनो में नाचकर गाया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में 10 से 15 व्यक्ति भाग लेते हैं। नर्तक वृत्ताकार खड़े होकर कृष्ण लीलाओं से सम्बंधित गीत होते हुए नृत्य करते हैं। नृत्य में ढोलक, टिमकी, मंजीरा, मरदंग, और बौंसुरी वाद्य प्रमुख होते हैं। यह नृत्य भी सहरिया आदिवासियों के मध्य प्रचलित है। इसमें प्रयोग में लाये जाने वाले अधिकांश वाद्य यन्त्र पूर्व में जनजातियों के द्वारा ही बनाये जाते थे किन्तु अब अधिकांश यन्त्र बाजार में भी उपलब्ध हैं, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियों पर बुरा प्रभाव पढ़ा है, तथा आजीविका के स्रोत कम हुए हैं। जवारारू बुंदेलखंड के जनजातीय क्षेत्र उत्सव के रूप में जवारा नृत्य को मनाया जाता है। कृषक समुदाय से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है। इस नृत्य की महत्वपूर्ण विशेषता यह है की यह नृत्य पुरुष-स्त्री दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। इस संयुक्त नृत्य में स्त्री के सिर पर गेहूँ के उगे हुए जवारा की टोकरी रखी होती है। बधाई नृत्य बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल में शादी व्याह के अवसर पर बधाई नृत्य करने की परम्परा है। इस नृत्य में स्त्री एवं पुरुष की संयुक्त भूमिका होती है। पूर्व में यह नृत्य केवल जातीय समाज तक ही सीमित था किन्तु बढ़ते सामाजिक संबंधो एवं अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप सहरिया जनजाति के द्वारा भी इस नृत्य को शुभ अवसर पर बड़े ही धूम धाम से किया जाता है।

सामान्यतः जनजाति समाज में साप्ताहिक बाजार की प्रकृति पाई जाती है जहां वह अपने रोजमर्रा का सामान खरीदने आते हैं। पूर्व में यह बाजार वस्तु विनिमय की व्यवस्था से चलते थे जहाँ प्रत्येक वस्तु अन्य किसी वस्तु के साथ विनिमित की जाती थी। यहाँ तक कि इन साप्ताहिक हाटों में वस्तु का वास्तविक मूल्य महत्वपूर्ण नहीं था केवल वस्तु प्रदाता एवं प्राप्तकर्ता की जरूरत और विनिमय की सहमति इस आर्थिक गतिविधि के लिए पर्याप्त थी या यों कहा जाए कि जनजाति समाज आवश्यकतानुसार ही संग्रहण करते थे। वर्तमान समय में इन साप्ताहिक हाटों की व्यवस्था में भी परिवर्तन आ गया है। अब यहाँ मूल्य आधारित व्यवस्था ही देखने को मिलती है अपवाद स्वरुप वस्तु विनिमय के उदहारण मिल जाते हैं जैसे भील, बैगा, सहरिया जनजातियों के आंतरिक गाँव में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। सहरिया जनजाति भी पूर्व में इसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। उनका जीवन सरल एवं जंगल आधारित होने के कारण जंगल से एकत्रित सामान 'साप्ताहिक हाट' में विनिमय कर लिया जाता था। किन्तु बदलते परिदृश्य में सहरिया जनजाति की इस आर्थिक गतिविधि में भी परिवर्तन देखा जा सकता है इसीलिए अब सहरिया जनजाति भी बदलती हुई परिस्थितियों में स्वयं का सामंजस्य करने का प्रयास करने के साथ ही इन बाजारों में नए नियमों का पालन कर रही है एवं नई प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को अंगीकार कर रही है। निश्चित रूप से यह परिवर्तन उनके लिए कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है। साथ ही इस बदलती व्यवस्था में वे स्वयं को असहाय एवं कमजोर महसूस करते हैं। इन परिवर्तनों मे कई कारण जिम्मेदार हैं। यह परिवर्तन वर्तमान में हिन्दू समाज के साथ बढ़ती हुई सामाजिक अंतर्क्रिया के कारण जनजातीय समाज हिन्दू संस्कृति के तीज एवं त्यौहार का भी आयोजन करते हैं एवं उनके पर्वों पर होने वाले क्रियाओं को भी अपनाने लगे है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सहरिया जनजाति समाज संस्कृतीकरण एवं हिंदूकरण कि प्रक्रिया से गुजर रहा है जिसमे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। किन्तु इस प्रभाव के बाबजूद वह अपनी सांस्कृतिक विरासत को इस स्थिति मे भी सहेजे हुए हैं।

उपसंहार : आदिवासी समाज भी तीज त्योहार का प्रेमी है इसीलिए उन्हें उत्सव प्रेमी भी कहा जाता है। आदिवासी संस्कृति एवं प्रकृति दोनों के अत्यधिक सन्निकट हैं। उनका प्रकृति प्रेम ही उन्हें प्रकृति का दोहन करने से रोकता है एवं उसके उचित उपयोग पर बल देता है। यह सहरिया जनजाति मात्र की परम्परा नहीं है बल्कि आदिवासी समाज की प्राचीन चिंतन परम्परा का अभिन्न अंग है जिसे आदिवासी समाज का दर्शन कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। जंगल,जमींन एवं जल की समस्याओं का सामाजिक प्रबन्धन आदिवासी लोक कला, नृत्य, तीज त्यौहार में देखने को मिलता है। सहरिया आदिवासी भी अपने जीवन में हर्सोल्लास के लिए कई प्रकार के तीज त्यौहार मनाते हैं जो कि स्वरुप में राष्ट्रीय एवं आंचलिक हैं।

सहरिया मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में से एक है। सहरिया अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे बदलावों का सामना कर रहे हैं। विकास गतिविधियों और औद्योगीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण उनके जीवन का पारंपरिक तरीका तेजी से बदल रहा है। इसके बाबजूद सहरिया न केवल अपनी संस्कृति को सहेजे हुए वरन उसके अनुपालन का कार्य भी कर रहे हैं। यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान में, न केवल सहरिया का सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन बदल रहा है, बल्कि उनकी सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में उनकी मान्यताएं और व्यवहार भी बदल रहे हैं। परन्तु सहरिया जनजाति के जीवन में आज भी लोककला , नृत्य, गायन एवं मेले आदि का महत्व बना हुआ है। इसके स्वरूप मे बदलाब होने के बाबजूद जन जातीय तत्वों का मिलना इस बात का प्रमाण है कि जन जातीय स्वरूप एवं संस्कृति निरंतर है। अब इसे सहेजने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। इस दिशा में, उनके लिए नए अवसर एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों का प्रयास करना अपरिहार्य होगा जो न केवल उनकी संस्कृति की निरंतरता बनाए रखेगा बल्कि आर्थिक आजीविका के भी नए अवसर प्रदान करने में सहायक होगा।

सन्दर्भ

1. Census Report 2011. retrieved from www.censusindia.gov.in , accessed on August 15, 2019
2. Madhya Pradesh Tourism website, http://www.madhya-pradesh-tourism.com/travel-guide/madhya-pradesh-tribes.html, accessed on 23/10/2019.
3. Quoted Mehta, PC, 'Ethnographic Atlas of Indian Tribes', Discovery Publishing House, New Delhi, 2004, pp. 391-399.
4. Tyagi, M., 'Changing Pattern in the Religious Life of Sahariya Tribe of Madhya Pradesh'. In "Tribal Religion in Central India: Continuity and Change" edited by B. Tripathy & D. V. Prasad. New Delhi: B.R. Publishing Corporation, 2019, p.226.
5. Chaudhari, S. K. and S.S. Chaudhari, 'Primitive Tribes in Contemporary India: Concept, Ethnography and Demography', New Delhi, Mittal Publications, 2005 p.161.
6. Crooke, W., 'The Tribes and Castes of the North- Western India', Calcutta: Government Printing Press, reprint.1975, Delhi: Cosmo Publications, 1896
7. Russel, R. V. and Hiralal, 'The Tribes and Castes of the Central Provinces of India London: Macmillan and Company, 1916 reprint 1975, Cosmo Publication, Vol. I.
8. Naik, T. B., 'The Saharia', Ahmedabad: Tribal Research and Training Institute, Gujarat Vidhyapith, 1984
9. Mondal, Debabratta, 'Social Structure and Cultural Change in the Saharia Tribe', New Delhi, M.D. Publications, 1998
10. Mehta, P.C., 'Ethnographic Atlas of Indian Tribes', New Delhi, Discovery Publishing House, 2004
11. Chaudhari, S. K. and S.S. Chaudhari, 'Primitive Tribes in Contemporary India: Concept, Ethnography and Demography', New Delhi: Mittal Publications, 2005
12. अटल, योगेश और सिसोदिया, वाई.एस. 'आदिवासी भारत एक : सामाजिक, संस्कृतिक एवं विकासात्मक विवेचन', रावत प्रकाशन, जयपुर, 2011
13. Tyagi, M. op. cit. p.228.
14. Tyagi, M. op. cit. pp.225-232.
15. Mondal, D. op. cit. p.99.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जाति की बालिकाओं के विद्यालय में अनुपस्थिति के कारणः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

❑ रश्मि सिंह

शिक्षा व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य घटक है। बिना शिक्षा के मनुष्य को पशु की श्रेणी में रखा जाता है परन्तु हमारे देश में शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में असमानता व्याप्त है। यह असमानता लड़के और लड़कियों की शिक्षा में है जातियों के आधार पर भी असमानता है। समाज में निम्न वर्ग और निम्न जातियों की छात्राओं को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल रहे है। अनुसूचित जाति एक ऐसा समुदाय है जिसे ऐतिहासिक कारणों से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इसे जाति के आधार पर समाज में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण हाशिए पर रखा गया। स्वतन्त्रता के बाद इस जाति के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गये। अनेक कानून, योजनाएँ व कार्यक्रम बनाए गए। इससे इनके शैक्षिक स्तर में कुछ सुधार अवश्य हुआ परन्तु अनुसूचित जाति आज भी पूर्ण रूप से समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पायी। इसका मुख्य कारण इनके प्रति समाज की मानसिकता और अनुसूचित जाति में व्याप्त रूढिवादिता है। इस रुढ़िवादिता के कारण ये अपनी बालिकाओं की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते। अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान है परन्तु फिर भी यहॉ बालिकाओं की शैक्षिक विकास दर बहुत कम है। इसके अनेक कारण सामने आते हैं। प्रस्तुत अध्ययन इन्हीं कारणों को उजागर करने का एक प्रयास है।

निरक्षरता किसी भी समाज के लिए अभिशाप है। किसी भी राष्ट्र को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए वहॉ के लोगों का शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाती है। यह व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक है। यह स्त्री और पुरूष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। यदि समाज में प्रत्येक पुरूष की शिक्षा को स्वीकार किया जाता है तो प्रत्येक स्त्री की शिक्षा को भी समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के लैगिंक भेदभाव के कारण स्त्री शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए क्योकि शिक्षित बालिकाओं के बिना किसी भी राष्ट्र के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।

भारत में स्त्री शिक्षा विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन है। परन्तु परिवर्तनशीलता के नैसर्गिक नियम के कारण हमारे देश में स्त्रियों की सामाजिक अवस्था सदैव एक जैसी नहीं रही। वैदिक काल मे नारी शिक्षा अपनी उच्चतर अवस्था में थी। स्त्रियों को भी पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इस काल मे मैत्रेयी, गार्गी, अपाला, घोषा व आत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं के नाम सामने आते हैं। इस समय सह शिक्षा की व्यवस्था थी। प्रायः स्त्रियाँ घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं। स्त्रियाँ धर्म व साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीय, काव्य रचना आदि की शिक्षा भी ग्रहण करती थीं।[1] वैदिक काल के अंतिम चरण अर्थात उत्तर वैदिक काल में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। इस समय बालिकाओं की विवाह योग्य आयु कम कर दी गई जिसके कारण उनकी सामाजिक स्थिति कमजोर होती चली गई।[2] बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की थी। परन्तु इसके बाद भी स्त्रियाँ वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पायीं जो वैदिक काल में थीं।[3] मध्यकाल तक आते–आते स्त्रियों की स्थिति अत्यत्न दयनीय होती चली गयी। इस काल में कन्या जन्म को अशुभ समझा जाने लगा। स्त्री शिक्षा कुछ बड़े घरानों की बालिकाओं तक ही सीमित रह गयी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं ने स्त्रियों की स्थिति को निम्नतर बना दिया।[4]

अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय समाज में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन आए। स्त्रियों से संबंधित अनेक कुरीतियों पर प्रहार करके उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास प्रारम्भ हुआ। राजा राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने इस दिशा में लगातार कार्य करके स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया। स्त्रियों के लिए गठित विभिन्न

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महिला महाविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.)

आयोगों और समितियों मे सर्वप्रथम वुड घोषणा पत्र में यह संस्तुति की गई कि स्त्री शिक्षा को उदारतापूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाय। ईसाई मिशनरियों ने स्त्री शिक्षा विशेषकर उनकी प्राथमिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देकर उन्हें अध्यापिकाओं के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया। इसके अतिरिक्त हण्टर आयोग (1882), गोखले विधेयक (1911), हर्टांग समिति (1927), वर्धा शिक्षा आयोग (1937) आदि में भी स्त्रियों की शिक्षा के लिए अनेक प्रावधान किये गये।[5] स्वतन्त्रता के बाद भारत में नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रारम्भ हुए। अनेक आयोगों/समितियों का गठन किया गया जिन्होंने इस क्षेत्र में सकारात्मक प्रयास किये। राधाकृष्ण कमीशन (1948-49) इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, स्वतन्त्र भारत का पहला आयोग था जिसने स्त्रियों को सहज शिक्षा सुलभ कराने के सन्दर्भ में अपनी संस्तुतियाँ दीं। इसके साथ ही हँसा मेहता समिति (1962), भक्तवत्सलम समिति (1963), कोठारी आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) आदि के द्वारा भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए। इस समय तक नारी की स्थिति सुधरने लगी थी।[6]

भारत में विकासात्मक कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग का प्रारम्भ किया गया। इसकी स्थापना 1950 में की गई। वर्ष 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। इस आयोग के माध्यम से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। बालिकाओं को बालकों के समान ही शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही समाज के सभी धर्म, वर्ग और जातियों के लिए एक समान शिक्षा की नीति लागू की गई। महिला शिक्षा को रोजगारपरक बनाकर महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में प्रयास किया गया।[7] भारतीय संविधान में 86 वाँ संशोधन (2002) करके इसमें अनुच्छेद 21 (क) जोड़ा गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि राज्य 6-14 वर्ष आयु के सभी बालक और बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा।[8] अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गो की शैक्षिक प्रगति को प्रोत्साहित करने का उत्तरदायित्व राज्य का है।[9] इसके अतिरिक्त विभिन्न समाज सुधारकों ने भी स्त्री शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये। इन समाज सुधारको में राजा राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, ज्योतिबाफुले, सावित्री बाई फुले व महात्मा गाँधी आदि के नाम सम्मानपूर्वक लिए जाते हैं।

भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में बालिका शिक्षा का महत्व और बढ़ जाता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बालक और बालिकाओं की शिक्षा में अभी भी समानता नहीं आई है। बालिका शिक्षा कहीं न कहीं उपेक्षित है। इसका एक कारण तो लिंग भेद है, वही दूसरा वर्ग भेद। लैगिंक भेदभाव के कारण भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय है, परन्तु इसमें वर्ग भेद भी सम्मिलित हो जाने के कारण बालिका शिक्षा की स्थिति और भी भयावह हो जाती है। आदिकाल से ही अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा नहीं ग्रहण करने दी जाती थी। वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत शूद्रों का शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश निषिद्ध था। उनके लिये वैदिक मन्त्रों का उच्चारण व श्रवण भी वर्जित था। स्वतन्त्रता के बाद धीरे-धीरे शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ और हमारे संविधान में उन्हें अनुसूचित जाति की संज्ञा दी गई। अब वे अन्य जातियों के साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।[10] परन्तु वर्षों की इस दासता और पिछड़ेपन को दूर करने में अभी बहुत समय लगेगा। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति के बालक तो शिक्षा ग्रहण कर रहें हैं परन्तु बालिका शिक्षा में कोई उत्साहजनक परिवर्तन नहीं दृष्टिगोचर हो रहा। अनुसूचित जाति की बालिकाओं को सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वे शिक्षा ग्रहण कर सकें, परन्तु इसके सकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं। आज भी अनुसूचित जाति की बालिकाएं अल्प आयु में विवाह, रूढ़िवादी विचार, धार्मिक कट्टरता, अभिभावकों की निर्धनता और अशिक्षा व लैंगिक भेदभाव के कारण विद्यालय नहीं जा पाती हैं।[11]

भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इस अधिनियम में 6-14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। इसमें गरीब परिवार के उन बच्चों को निजी विद्यालय में प्रवेश हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है जो कि प्राथमिक शिक्षा से वंचित थे। इस कानून के लागू होने बाद 6-14 वर्ष आयु तक के बच्चों को न ही विद्यालय की फीस देनी होगी और न ही यूनीफार्म, पुस्तकें, बैग, मध यान्ह भोजन आदि पर खर्च करना होगा। साथ ही इन बच्चों को किसी भी स्थिति में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। परन्तु इस अधिनियम के लागू होने के 9 वर्ष बाद भी हम पाते हैं कि ये नियम-कानून मात्र कागजों पर ही सीमित हैं। इस अधिनियम ने कुछ हद तक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन

में तो वृद्धि की है परन्तु अधिक ड्रापआउट की समस्या अभी भी बनी हुई है।[12]

ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं कुछ भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही हैं। उनके माता पिता दोनों ही जीविकोपार्जन हेतु कार्य करने चले जाते हैं और वे घर पर रहकर अपने से छोटे भाई-बहनों की देखभाल करती हैं। कभी-कभी वे स्वयं भी माता पिता के साथ कार्य करने जाती हैं। इसके अतिरिक्त उनके घरों से विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण उनके माता-पिता उन्हें विद्यालय नहीं भेजते। कभी-कभी निःशुल्क यूनीफार्म, पुस्तकें या मध्यान्ह भोजन के लिए अभिभावक उनका नामांकन तो करा देते हैं परन्तु उन्हें नियमित विद्यालय नहीं भेजते। इसका कारण उनकी स्वयं की अशिक्षा और जागरूकता का अभाव है। इसके साथ ही विद्यालय का अरूचिकर वातावरण, वहां पर शिक्षकों विशेषकर महिला शिक्षकों की कमी, विद्यालय में बालिकाओं हेतु अलग शौचालय का अभाव आदि भी विद्यालय में बालिकाओं की अनुपस्थिति का कारण हैं। समाज में बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, लैंगिक भेदभाव आदि भी बालिकाओं के नियमित विद्यालय जाने में बाधक है।

शोध की समस्या : वर्तमान समय में बालिका शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने अनेक प्रावधान किये हैं। 1951 में भारत में महिला साक्षरता दर 9.45 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2011 में 65.46 प्रतिशत है।[13] यद्यपि यह परिवर्तन बालिका शिक्षा की ओर एक मजबूत और सकारात्मक कदम है, परन्तु भारतीय समाज अभी भी रूढ़िवादिता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। बालिका शिक्षा को अभी भी हमारे समाज में खुले मन से स्वीकार नहीं किया है। इसलिए सरकार द्वारा किये गये अनेक प्रयासों के बाद भी बालिकाएं नियमित विद्यालय नहीं जाती प्राथमिक विद्यालयों में छात्राओं का नियमित विद्यालय न जाना एक गंभीर समस्या है। नियमित विद्यालय न जाने वाली छात्राओं में अनुसूचित जाति की छात्राओं की संख्या सर्वाधिक है। अनुसूचित जाति की छात्राएँ अधिकांशतः निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से संबंधित हैं। इनके अभिभावक स्वयं भी अशिक्षित हैं जिसके कारण ये प्राथमिक शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाते। इस जाति की लड़कियाँ अल्प आयु में विवाह की समस्या से अभी भी पूर्णतया मुक्त नहीं हो पायी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन छात्राओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। अनुसूचित जाति के सामाजिक अनुभवों का एक कटु विषय उनके प्रति किया जाने वाला अत्याचार व शोषण है। इस समूह के सदस्य लम्बे समय से भय, प्रशासन की उदासीनता व अपनी आर्थिक निर्बलता के कारण अन्याय व अत्याचार को मौन रूप से स्वीकार करते रहे हैं। उनका यह मौन अब उनकी मानसिकता बन चुका है। वे अभी भी इस पिछड़ेपन से उबरने का सक्रिय प्रयास नही कर रहे हैं। इस अत्याचार, अन्याय और सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। शिक्षा व्यक्ति को सोचने, समझने के योग्य बनाती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है जिससे व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के अस्त्र के रूप में कार्य करती है। समाज में किसी भी सकारात्मक परिवर्तन मे बालिका शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति के विकास और समाज में उसको उचित स्थान दिलाने मे बालिका शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। परन्तु इन बालिकाओं की शिक्षा में अनेक अन्य समस्याएँ भी बाधक हैं जैसे विद्यालय में उन्हें रूचिकर वातावरण नहीं मिल पा रहा है। कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे शुद्ध पेयजल, बैठने की उचित व्यवस्था, बालिकाओं के लिए अलग और स्वच्छ शौचालय, विद्यालय में महिला शिक्षकों का अभाव आदि भी बालिकाओं के विद्यालय जाने के मार्ग में बाधक है। यही कारण है कि अनेक छात्राएं अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देती हैं। विद्यालय में अनुपस्थिति की समस्या बालिका शिक्षा के विकास के मार्ग में बाधक है। यह एक गम्भीर समस्या है जिसके कारणों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण अत्यन्त आवश्यक है।

साहित्य की समीक्षा : सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किसी भी शोधकार्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साहित्य की समीक्षा पर ही किसी भी शोध कार्य की दिशा निर्भर करती है। **दोयर बागरा** (2002) ने अरूणाचल प्रदेश के सुबनसिरी और अन्जाव जिलों में बालिका शिक्षा की समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। यह अध्ययन 29 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की 659 छात्राओं, 400 अभिभावकों व 400 शिक्षकों को लेकर किया गया। अध्ययन का उद्देश्य बालिका शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाना था। अपने निष्कर्षों में उन्होंने पाया कि वर्ष 2003-08 के बीच बालिकाओं का नामांकन संतोषजनक था, परन्तु विद्यालय में आवश्यक सुविधाओं का अभाव था।[14] प्रीति सांगला (2014) ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में महिला शिक्षा में वृद्धि और विकास का अध्ययन किया।

अध्ययन का उद्देश्य वहां की महिलाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का पता लगाना था। निष्कर्ष स्वरूप उन्होंने पाया कि 1976 से 2012 के बीच कुल विद्यार्थियों में बालिका नामांकन बढ़ा है। 2012-13 में बालिकाओं की ड्रापआउट दर बालकों की अपेक्षा कम हो गयी है।[15] **पूजा वर्मा एवं गायत्री रैना** (2016) ने हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के बालक और बालिकाओं के उनके अभिभावकों के साथ सम्बन्धों का अध्ययन किया। उन्होंने इस अध्ययन में 50 बालक और 50 बालिकाओं का चयन किया। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों में उन्होने पाया कि अभिभावक बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अधिक चिंतित रहते हैं। इसी कारण वे बालिकाओं को नियमित विद्यालय नहीं भेजते।[16] **गौड़ा और शेखर** (2014) ने अपने शोधपत्र भारत में विद्यालय ड्रापआउट में ड्रापआउट के कारणों का विश्लेषण किया और पाया कि 6-16 वर्ष आयु के 75 प्रतिशत बच्चे विद्यालय जाते हैं। 14 प्रतिशत बच्चों ने कभी भी विद्यालय में उपस्थिति नहीं दर्ज कराई और 11 प्रतिशत बच्चों ने विभिन्न कारणों से विद्यालय से ड्रापआउट कर लिया। अल्पसंख्यक वर्गो और बालिकाओं में ड्रापआउट दर अधिक थी।[17]

उद्देश्य

1 अनुसूचित जाति की छात्राओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन।

2 अनुसूचित जाति की छात्राओं के अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन।

3 अनुसूचित जाति की छात्राओं के विद्यालय में अनुपस्थिति कें कारणों का अध्ययन।

अध्ययन पद्धति : प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है तथा यथास्थान अन्वेषणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया हैं। प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार के श्रोतों का उपयोग तथ्यों के संकलन के लिए किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के सरोजनी नगर ब्लॉक के तीन प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया है। ये विद्यालय क्रमशः प्राथमिक विद्यालय बेहटा, प्राथमिक विद्यालय पाल खेड़ा व प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर है। अध्ययन के लिए ब्लाक का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा तथा विद्यालय का चयन दैव निदर्शन द्वारा किया गया हैं। अध्ययन हेतु तीन विद्यालयों की 60 अनुसूचित जाति की छात्राओं का चयन किया गया है। प्रत्येक विद्यालय से 20-20 अनुसूचित जाति की छात्राओं का चयन किया गया है। इन सूचनादाताओं से सूचनाओं का संकलन साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से किया गया।

सारणी संख्या-1

छात्राओं की विद्यालय में उपस्थिति दर

उपस्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
नियमित	16	26.67
कभी-कभी	33	55.00
कभी नहीं	11	18.33
कुल	60	100

सारणी संख्या-1 में छात्राओं की विद्यालय में उपस्थिति दर की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि कुल 60 छात्राओं में से 26.67 प्रतिशत छात्राएं नियमित विद्यालय जाती हैं। 55 प्रतिशत अनुसूचित जाति की छात्राएं कभी-कभी विद्यालय जाती हैं। 18.33 प्रतिशत छात्राएं प्रवेश के बाद कभी भी विद्यालय नहीं गई।

सारणी संख्या-2

अभिभावकों का बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

दृष्टिकोण	आवृत्ति	प्रतिशत
सामान्य शिक्षा	10	16.67
गृहकार्य सम्बन्धी शिक्षा	17	28.33
व्यावसायिक शिक्षा	25	41.67
अन्य	08	13.33
कुल	60	100

सारणी संख्या-2 में अनुसूचित जाति के अभिभावकों का बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि छात्राओं के अभिभावकों में से 16.67 प्रतिशत अभिभावक सामान्य शिक्षा के पक्षधर हैं। 28.33 प्रतिशत अभिभावक बालिकाओं को गृहकार्य सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। 41.67 प्रतिशत अभिभावक व्यावसायिक शिक्षा के पक्षधर हैं। वहीं 13.33 प्रतिशत अभिभावकों ने शिक्षा के अन्य प्रकारों की बात की।

सारणी संख्या-3

अभिभावकों द्वारा बताए गए अनुपस्थिति के कारण

कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
धन का अभाव	13	21.17
घर से विद्यालय की दूरी	09	15.00
महिला शिक्षकों का अभाव	16	26.67
विद्यालय में सुविधाओं का अभाव	09	15.00
विद्यालय में जातिगत भेदभाव	05	8.33

अन्य	08	13.33
कुल	60	100

सारणी संख्या-3 में अनुसूचित जाति की बालिकाओं के विद्यालय में अनुपस्थित रहने के कारणों (अभिभावकों द्वारा बताए गये) को प्रदर्शित किया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि अभिभावकों के अनुसार 21.17 प्रतिशत छात्राएं धन के अभाव के कारण नियमित विद्यालय नहीं जाती। 15 प्रतिशत छात्राएं घर से विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण विद्यालय नहीं जाती। 26.67 प्रतिशत छात्राएं महिला शिक्षकों के अभाव के कारण, 15 प्रतिशत छात्राएं विद्यालय में समुचित सुविधाओं के अभाव के कारण, 8.33 प्रतिशत छात्राएं विद्यालय में जातिगत भेदभाव के कारण व 13.33 प्रतिशत छात्राएं कुछ अन्य कारणों से नियमित विद्यालय नहीं जातीं।

सारणी संख्या-4

छात्राओं के विद्यालय जाने का समय

समय	आवृत्ति	प्रतिशत
समय से	15	25.00
थोड़ी देर से	24	40.00
आधे समय के बाद	10	16.67
कभी नहीं	11	18.33
कुल	60	100

सारणी संख्या-4 में अनुसूचित जाति की छात्राओं के विद्यालय जाने के समय को सारणीबद्ध करके प्रदर्शित किया गया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि कुल छात्राओं में से 25 प्रतिशत छात्राएं समय से विद्यालय जाती हैं। वहीं 40 प्रतिशत छात्राएं निर्धारित समय से देर से विद्यालय जाती हैं। 16.67 प्रतिशत छात्राएं आधे समय के बाद विद्यालय जाती हैं तथा 18.33 प्रतिशत छात्राएं कभी भी विद्यालय नहीं जाती।

सारणी संख्या-5

प्रतिदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या

संख्या	आवृत्ति	प्रतिशत
दो	01	33.33
तीन	02	66.67
कुल	03	100

सारणी संख्या-5 में प्रतिदर्श में सम्मिलित सभी 03 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या सारणीबद्ध करके प्रदर्शित की गई है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि 01 प्राथमिक विद्यालय में दो शिक्षक और 02 प्राथमिक विद्यालयों में तीन-तीन शिक्षक कार्यरत हैं। इस प्रकार 03 प्राथमिक विद्यालयों में कुल 08 शिक्षक कार्यरत हैं।

सारणी संख्या-6

शिक्षण कार्य में अभिभावकों द्वारा सहयोग

सहयोग	आवृत्ति	प्रतिशत
हॉं	05	08.33
नहीं	35	58.33
कभी-कभी	20	33.33
कुल	60	100

सारणी संख्या-6 में अनुसूचित जाति की छात्राओं के शिक्षण कार्य में उनके अभिभावकों के सहयोग की स्थिति को सारणीबद्ध करके प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि मात्र 8.33 प्रतिशत अभिभावक अपनी लड़कियों का शिक्षण कार्य में सहयोग करते हैं। वहीं 58.33 प्रतिशत अभिभावक शिक्षण कार्य में उनका सहयोग नहीं करते। 33.33 प्रतिशत अभिभावक कभी-कभी अपनी बालिकाओं का शिक्षण कार्य में सहयोग करते हैं।

सारणी संख्या-7

विद्यालय में छात्राओं के साथ जातिगत भेदभाव

स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
बहुत कम	18	30.00
बहुत अधिक	10	16.67
बिल्कुल नहीं	32	53.33
कुल	60	100

सारणी संख्या-7 में अनुसूचित जाति की छात्राओं के साथ जातिगत भेदभाव की स्थिति को सारणीबद्ध करके प्रस्तुत किया गया है। कुल छात्राओं में से 30 प्रतिशत छात्राओं ने कहा कि उनके साथ जातिगत भेदभाव बहुत कम होते हैं। 16.67 प्रतिशत छात्राओं ने माना कि उनके साथ जातिगत भेदभाव बहुत अधिक होते हैं। 53.33 प्रतिशत छात्राओं ने किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव से स्वीकृति नहीं जताई।

सारणी संख्या-8

छात्राओं के साथ लैंगिक भेदभाव की स्थिति

भेदभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
हॉं	29	48.33
नहीं	10	16.67
कभी-कभी	21	35.00
कुल	60	100

सारणी संख्या-8 में अनुसूचित जाति की छात्राओं के साथ

लैंगिक भेदभाव की स्थिति को सारणीबद्ध करके प्रदर्शित किया गया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि 48.33 प्रतिशत छात्राओं के साथ लैंगिक भेदभाव होता है। 16.67 प्रतिशत छात्राओं ने लैंगिक भेदभाव न होने की बात कही। 35 प्रतिशत छात्राओं ने माना कि उनके साथ कभी-कभी लैंगिक भेदभाव होता है।

सारणी संख्या-9

छात्राओं द्वारा प्रतिदिन विद्यालय न आने का कारण

कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
छोटे भाई-बहनों की देखभाल	08	13.33
माता-पिता के साथ काम पर जाना	12	20.00
माता/पिता की मृत्यु	04	6.67
माता-पिता की अशिक्षा	15	25.00
गरीबी	21	35.00
कुल	60	100

सारणी संख्या -9 में अनुसूचित जाति की छात्राओं द्वारा प्रतिदिन विद्यालय न आने के कारणों को सारणीबद्ध करके प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि कुल 13.33 प्रतिशत छात्राएं घर पर रहकर छोटे भाई-बहनों की देखभाल करती हैं इस कारण वे नियमित विद्यालय नहीं आती। 20.00 प्रतिशत छात्राएं माता-पिता के साथ काम पर जाने, 6.67 प्रतिशत छात्राएं माता/पिता किसी की मृत्यु हो जाने के कारण, 25.00 प्रतिशत छात्राएं माता पिता की अशिक्षा के कारण व 35 प्रतिशत छात्राएं अभिभावकों की निर्धनता के कारण नियमित विद्यालय नहीं जाती।

सारणी संख्या-10

प्राथमिक विद्यालय में पाठ्येत्तर क्रियाओं की स्थिति

स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
पर्याप्त	20	33.33
संतोषजनक	27	45.00
बिल्कुल नहीं	13	21.67
कुल	60	100

सारणी संख्या-10 में प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली अन्य पाठ्येत्तर क्रियाओं की स्थिति को सारणीबद्ध करके प्रदर्शित किया गया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि 33.33 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में पर्याप्त रूप में अन्य पाठ्येत्तर क्रियाएं होती हैं। 45.00 प्रतिशत छात्राओं ने अन्य पाठ्येत्तर क्रियाओं की स्थिति संतोषजनक बताई है। वहीं 21.67 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि उनके विद्यालय में अन्य पाठ्येत्तर क्रियाएं बिल्कुल नहीं होती।

सारणी संख्या-11

विद्यालय में बालिकाओं हेतु अलग शौचालय की स्थिति

शौचालय	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ (कार्यरत)	-	-
हाँ (कार्यरत नहीं)	03	100.00
नहीं	-	-
कुल	03	100

सारणी संख्या-11 में कुल 03 प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है किसी भी प्राथमिक विद्यालय में छात्राओं के लिए पृथक शौचालय कार्यरत अवस्था में नहीं है। कुल 03(100) प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय तो हैं परन्तु कार्यरत अवस्था में नहीं है।

निष्कर्ष : प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति की छात्राओं की अनुपस्थिति के कारणों के अध्ययन से संबंधित उपर्युक्त पूर्ण विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि छात्राओं की विद्यालय में उपस्थिति के संबंध में देखा गया कि 26.67 प्रतिशत छात्राएँ ही नियमित विद्यालय जाती है। 55 प्रतिशत छात्राएँ कभी-कभी तथा 18.33 प्रतिशत छात्राएँ नामांकन के बाद कभी विद्यालय नहीं गई। अधिकांश अभिभावक (41.67) प्रतिशत चाहते है कि उनकी बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाय। अभिभावकों के अनुसार छात्राओं के विद्यालय न जाने का सबसे प्रमुख कारण विद्यालय में महिला शिक्षकों का अभाव धन का अभाव है। छात्राओं के विद्यालय जाने के समय के संबंध में देखा गया कि मात्र 25 प्रतिशत छात्राएँ ही समय से विद्यालय जाती हैं। प्रतिदर्श के तीन प्राथमिक विद्यालयों में से प्राथमिक विद्यालय बेहटा में 2 शिक्षक प्राथमिक विद्यालय पाल खेड़ा व प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर में 3-3 शिक्षक है। **शिक्षण कार्य** में अभिवकों के द्वारा सहयोग के संबंध में पाया गया कि 58.33 प्रतिशत अभिभावक अपनी बालिकाओं के शिक्षण कार्य में कभी भी सहयोग नहीं करते मात्र 8.33 प्रतिशत अभिभावक ही सहयोग करते हैं। 16.67 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि उनके साथ जातिगत भेदभाव बहुत

अधिक होता है वहीं 53.33 प्रतिशत छात्राओं ने कहा कि उनके साथ कभी भी जातिगत भेदभाव नहीं हुआ। 48.33 प्रतिशत छात्राओं ने लैंगिक भेदभाव को स्वीकार किया है। सर्वाधिक 35.00 प्रतिशत छात्राओं ने गरीबी को नियमित विद्यालय न आने का कारण माना है वहीं 25.00 प्रतिशत छात्राओंने माता-पिता की अशिक्षा को इसका कारण माना है। 45.00 प्रतिशत छात्राओं ने विद्यालय में अन्य पाठ्येत्तर क्रियाओं की स्थिति सन्तोषजनक बताई। प्रतिदर्श तीनों विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय तो है परन्तु उचित रख-रखाव व स्वच्छता न होने के कारण प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

अतः हम देखते है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जाति की छात्राओं की विद्यालय में अनुपस्थिति एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के कारणों को ध्यान में रखते हुए इसके समुचित समाधान का प्रयास आवश्यक है।

सुझाव : प्रस्तुत शोध पत्र से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर हमें ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जाति की अधिकांश छात्राएँ निम्न आर्थिक स्थिति, अभिभावकों की अशिक्षा, घर पर रहकर अपने से छोटे भाई बहनों की देखभाल,विद्यालय में महिला शिक्षकों का अभाव, घर से विद्यालय की अधिक दूरी व विद्यालय में उनके साथ होने वाले जातिगत भेदभाव आदि कारणों से नियमित विद्यालय नहीं जातीं। इन कारणों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए सर्वप्रथम बालिकाओं के अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जानी चाहिए। साथ ही विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाकर व विद्यालय में यथासम्भव महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाकर छात्राओं की अनुपस्थिति को नियन्त्रित किया जा सकता है।

प्राथमिक विद्यालयों में कुछ अन्य पाठ्येत्तर क्रियाओं के माध यम से व शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से छात्राओं की शिक्षा में रूचि बनाये रखना भी अत्यन्त आवश्यक है। प्रायः प्राथमिक विद्यलयों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम होती है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। इन शिक्षकों की कमी को दूर करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ नही डालना चाहिए जिससे वे अपने शिक्षण कार्य पर ध्यान केन्द्रित करके छात्राओं को विद्यालय आने के लिए प्रेरित कर सकें। विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को बालिका शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाकर उसे कमजोर करने का प्रयास करना चाहिए। इन प्रयासों के माध्यम से ही अनुसूचित जाति की बालिकाएँ व उनके अभिभावक शिक्षा के प्रति विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूक हो पाएँगे।

सन्दर्भ

1. सिंह, वी0एन0, जनमेजय सिंह *'नारीवाद'* रावत प्रकाशन, जयपुर, 2012, पृ0 34-35
2. वही, पृ0 43
3. वही, पृ0 45
4. बसु डी.डी. *'भारत का संविधानः एक परिचय'* 21वाँ संस्करण, 2015, पृ0 115
5. बसु डी.डी. पूर्वोक्त पृ0 242
6. मिश्रा एन. *'अनुसूचित जाति की शिक्षा'* ज्ञान बुक्स 2001, पृ0 22
7. मिश्रा एन. पूर्वाक्त, पृ0 36-37
8. महरोत्रा, ममता, महेश शर्मा *'शिक्षा का अधिकार''* प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृ0 25-27
9. Census of India, 2011 State of Literacy 1951-2011, Census Commissioner of India.
10. Bagra Doer, "A Comparitive Study of Girls Education in Arunachal Pradesh" 2002 Ph.D. Thesis.
11. Sangla Priti, 'Growth and Development in Women Education in the tribal areas of Himanchal Pradesh 2014', Ph.D. Thesis, Himanchal Pradesh University Simla.
12. Verma Pooja and Gaytri Raina, 'Parent-Child Relationship in the Private Schools of Himanchal Pradesh', Indian Journal of Health and well being vol. 8 No.6, 2016, P.P. 185-194
13. Gouda, Sateesh, T.V. shekhar "Factors Leading to School Dropouts in India," IOSR Journal of Research & Method in Education, Vol.4 Issue 6 Nov-Dec 2014, P.P. 75-83

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

भारतीय राष्ट्रवाद का नया 'गुरूकुल' फेसबुकः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

❑ विशाल शर्मा

भारत में सोशल मीडिया का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म फेसबुक भारतीय राष्ट्रवाद का नया 'गुरुकुल' बन कर उभर रहा है। राष्ट्रवाद के इस 'गुरुकुल' में सूचना तकनीक व इंटरनेट का सम्मिश्रण है, जिसने इसे परंपरागत गुरुकुल पद्धति से अलग करते हुए समकालीन जीवन शैली के अनुरूप बनाने में मदद की है। सोशल मीडिया के इन 'गुरुकलों' पर न सिर्फ राष्ट्रवाद की चर्चा हो रही है बल्कि यह बड़े पैमानें पर लोगों को राष्ट्रवाद के विषय में शिक्षित करने का दावा भी कर रहे हैं। आकर्षक सामग्री व सहज तकनीक के योग से बने इन फेसबुक 'गुरुकुलों' से राष्ट्रवाद के बारे में क्या शिक्षा दी जा रही है, यही शोध का विषय है। प्रस्तुत शोध पत्र का लक्ष्य फेसबुक पर चल रहे इन राष्ट्रवादी गुरुकुलों के उद्देश्यों को जानना है। गुणात्मक रूप से किए गए इस शोध कार्य में एक ऐसे फेसबुक समूह को अध्ययन के दायरे में लिया गया है जो राष्ट्रवाद के नाम पर अपने समूह के सदस्यों को शिक्षित करने का दावा करता है। गहन साक्षात्कार पद्धति से डाटा एकत्र कर उपयुक्त कोडिंग के माध्यम से निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के इन 'गुरुकुलों' में परंपरागत राष्ट्र, राज्य या राष्ट्रवाद की परिभाषाओं से अलग एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, जिसमें युवा वर्ग समकालीन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही अपने सुनहरे अतीत की उपलब्धियों को नए माध्यमों के साथ ऑनलाइन संसार के सामने रख रहे हैं।

दुनिया में फेसबुक का प्रारंभ अत्यधिक जटिल व दिलचस्प रहा है। इसके आरंभ को दो दशक भी नहीं हुए हैं। इनसाक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार[1], हावर्ड विश्वविद्यालय में फेसमाश के रूप में मार्क जुकरबर्ग ने एक सोशल नेटवकिंग साइट् को प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य अपने साथी विद्यार्थियों के लिए एक आकर्षण के रूप में प्रस्तुत करना था। फेसमाश के बनाने में जुकरबर्ग ने विश्वविद्यालय की नीतियों का उल्लघंन किया था इसलिए इस साइट को दो दिन बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन इतने कम समय में भी इसके प्रभाव ने 450 लोगों के 22,000 बार वोट के कारण जुकरबर्ग को इसके लिए प्रेरित किया। जुकरबर्ग ने तब साथी छात्रों सेवरिन, मॉस्कोविट्ज़ और ह्यूजेस के साथ जनवरी 2004 में http://www.thefacebook.com URL रजिस्टर कर एक नया सोशल नेटवर्क बनाया। प्रारंभ में हार्वड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने फेसबुक का प्रयोग अपनी फोटोग्राफ, व्यक्तिगत जानकारी, कक्षा का पाठयक्रम और दिन-प्रतिदिन की चीजों को पोस्ट करना शुरू किया। धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और इसके साथ येल व स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालयों के साथ-साथ दूसरे प्रतिष्ठित संस्थान भी जुड़ते चले गए। धीरे-धीरे यह यूरोप और एशिया के देशों में भी स्थापित करना होने लगा।[3]

फेसबुक व भारत का सम्बन्ध

''28 सितंबर 2015 का दिन फेसबुक व भारत के सम्बन्ध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अमेरिका में फेसबुक के मुख्यालय में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने पूरे विश्व के सामने यह कहा कि वह भारत को ज्ञान का मंदिर मानते हैं। फेसबुक जब एक समय में बिकने के कगार पर थी तो यह भारत ही है जिससे उन्हे इसे फिर से संगठित करने की प्रेरणा मिली थी। अपने गुरु स्टीव जॉब्स की सलाह पर जुकरबर्ग भारत आए और यहां के मंदिर का दौरा किया। भारत आकर जुकरबर्ग को फिर से फेसबुक को खड़ा करने का विश्वास उत्पन्न हुआ। जुकरबर्ग मानते हैं कि भारत में बहुत आशावाद है, आप भारत में आशा के साथ मंदिर पहुंचते हैं और देखिए कि आप कहां पहुंच जाते हैं। यह अनुभव इस आशा को बताता है कि भारत में कुछ विशेष है। अपने 10 साल पहले के एक महीने के भारत प्रवास का याद करते हुए जुकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक के इतिहास में भारत बेहद महत्वपूर्ण है।''[4]

जुकरबर्ग के इस दृष्टिकोण के अलावा बाजार या यूं कहिए व्यापार की दृष्टि से भी फेसबुक और भारत का सम्बन्ध बहुत महत्वपूर्ण है।

❑ शोध अध्येता, पत्रकारिता एवं सृजनात्मक लेखन विभाग, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला (हि.प्र)

दुनिया भर में सबसे ज्यादा फेसबुक के यूजर्स भारत में हैं। इसलिए फेसबुक के लिए भारत से भावनात्मक व आध्यात्मिक जुड़ाव ही नहीं (जिसका जुकरबर्ग ने खुद जिक्र किया) उसके अलावा एक बड़ा व्यापार का केंद्र भी है। साल 2018 में फेसबुक ने अपने वित्तकोश में भारत से जो आय एकत्र की है वह साल 2017 के मुकाबले 52 प्रतिशत अधिक थी। भारत डिजिटल विज्ञापन के क्षेत्र में बड़ी संभावनाओं के बाजार के रूप में वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत के डिजिटल विज्ञापन के क्षेत्र में 68 प्रतिशत पकड़ फेसबुक व गूगल की ही है।[5] स्पष्ट है कि इतने बड़े बाजार पर केवल भावनात्मक या आत्मकेंद्रित होकर फेसबुक का निर्णय नहीं रहा होगा। फेसबुक जैसे मंच पर जितना यूजर्स का समय व्यतीत होगा वह उनके व्यापार के लिए उतना ही बेहतर है। यूजर्स के समय व संख्या को हम वेब तकनीक की भाषा में ट्रैफिक कह सकते हैं।

फेसबुक पर जितना ट्रैफिक होगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। हालांकि, फेसबुक जैसे मंच से कुछ वेबसाइट, ब्लॉग, यू-टयूब चैनल तथा अन्य वेबपेज ने वहां के ट्रैफिक को अपने-अपने प्लेटफॉर्म की ओर मोडने का प्रयास भी किया है। लोकसभा चुनावों के मध्य अप्रैल 2019 में इकॉनोमिक्स टाइम्स में छपी खबर के अनुसार फेसबुक ने सैंकड़ों की संख्या में फेसबुक पेज व अकाउंट को बंद किया था। फेसबुक ने उन्हें हटाने के पीछे तर्क दिया था कि वह पॉलिसी (नीतियों) का उल्लंघन कर रहे थे मगर साथ ही यह भी बताया कि इन अकाउंट के द्वारा ऐसी वेबसाइट या मंच को बढ़ावा मिल रहा था जिससे यूजर्स ट्रैफिक उस तरह जाने लगा।[6] ऐसा होने से विज्ञापन दाता के लिए वे वेबसाइट या पेज नया अवसर बनने लगे थे। इसलिए फेसबुक ने उन्हें अपने सिस्टम से हटा दिया। फेसबुक के इस फैसले को पास से समझा जाए तो यह कहा जा सकता है कि ऐसे पेज या वेबसाइट फेसबुक के यहां निगरानी में सबसे पहले मानी जानी चाहिए जिन पर अच्छा खासा ट्रैफिक है। ये वेबसाइट या पेज भावनात्मक जुड़ाव के साथ नहीं देखे जाने चाहिए अपितु इन्हें समझने का साधारण अर्थ डिजिटल लेन-देन अर्थात व्यापार की आधुनिक शैली है। भारत में फेसबुक को वह आशा दिखाई पड़ती है जिससे फेसबुक का व्यापार अच्छा खासा आगे बढ़ता जा रहा है। हर दिन भारत में हजारों की संख्या में लोग फेसबुक पर अपनी उपस्थिति प्रदर्शित कर रहे हैं। Statista द्वारा जारी जुलाई 2019 के आंकड़ों पर ही अगर ध्यान दिया जाए तो भारत में फेसबुक यूजर्स की संख्या 270 मिलियन है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जहां पर फेसबुक का जन्म हुआ वह 190 मिलियन यूजर्स के साथ दूसरे नंबर पर है।[7]

दस देशों में फेसबुक उपयोगकर्ताओं की सूचना

देश	उपयोगकर्ताओं की संख्या (मिलियन में)
भारत	270
अमेरिका	190
इंडोनेशिया	130
ब्राजील	120
मैक्सिको	82
फिलिपिंस	68
वियतनाम	58
थाइलैंड	46
जूजिरथ	38
टर्की	37

https//www.statista.com

निर्देशक की भूमिका में फेसबुक : भावनात्मक जुड़ाव, बाजार के अलावा फेसबुक ने भारतीय समाज को जिस तरह से निर्देशित किया वह भी अपने आप में अद्‌भुत है। फेसबुक की लोकप्रियता ने भारतीय समाज को इस तरह से प्रभावित किया कि जो विषय व्यक्तिगत, संस्थागत, पारिवारिक या सामाजिक दायरों में सिमटे होते थे उन्हें इस मंच ने वैश्विक बना दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल जगत के लिए वह विचार का केंद्र बनने लगे। दिल्ली में 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' के आंदोलन के लिए सुदूर देश में रह रहे लोग भारत के विषय में खुल कर अपनी बात रखने लगे।[8] 'निर्भया कांड' पर वास्तविक दुनिया ने इस वर्चुअल वर्ल्ड का असर देखा और उस पर समाज का रुख भी समझा जाने लगा।[9]

फेसबुक अब हर छोटे- बड़े मुद्दे को अपने मंच पर लाने के लिए भारतीय समाज को अवसर दे रहा था। वर्चुअल वर्ल्ड में हर व्यक्ति की इस हिस्सेदारी ने फेसबुक को सबसे लोकप्रिय मंच के तौर पर प्रस्तुत किया, जिसके चलते दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स या मंच फेसबुक से पीछे छूटते चले गए। फेसबुक ने वर्चुअल वर्ल्ड में खुद को ही नहीं बल्कि अपने यूजर्स को भी लोकप्रिय बना दिया। लोकप्रियता की स्थिति यह होने लगी कि फेसबुक के यूजर्स वास्तविक दुनिया से कहीं अलग वर्चुअल दुनिया में स्थापित

होने लगे। ऑनलाइन छवि समाज को रास आने लगी तथा यह ऑफलाइन पर भारी पड़ने लगी। वर्चुअल दुनिया में उनकी यह छवि वास्तविक दुनिया के सन्दर्भ में और प्रभावी दिखाई देने लगी। छवि निर्माण के इस प्रयास में तमाम विषयों, मुद्दों को चुना गया जो फेसबुक के द्वारा प्रचारित, प्रसारित होते दिखाई पड़ रहे थे। भारतीय राष्ट्रवाद भी ऐसे ही क्रम में फेसबुक पर स्थापित किया गया, जहां वास्तविक दुनिया के लोग वर्चुअल दुनिया में राष्ट्रवाद पर विमर्श करने लगे। इन लोगों ने शायद ही कभी अपने परिवार, मुहल्ले, गांव, शहर या संस्थान में राष्ट्रवाद के विषय पर चर्चा, परिचर्चा या कोई कार्यक्रम किया हो, ना ही इनके पास इस तरह के अभियान का कोई पूर्व अनुभव था। लेकिन फेसबुक पर राष्ट्रवाद की लहर को बनाने का उत्तरदायित्व कहां से पैदा हुआ यह गूढ़ प्रश्न है। दायित्व के इस भाव के चलते नए-नए पेज, समूह राष्ट्रवाद के नाम पर बनते चले गए और सैंकड़ो, हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में इन पेज व सूमहों से जुड़ने वाले लोग वर्चुअल (आभासी) रूप से संगठित होने लगे। वे यहां पर भारत के राष्ट्रवाद के विषय में चर्चा परिचर्चा आयोजित करते, लोगों से संवाद स्थापित करते, मनचाही टिप्पणी करते तथा इच्छानुसार प्रस्तुति करते। राष्ट्रवाद को लेकर अभियान चलाए गए तथा लोगों को इसके बारे में सूचना ही नहीं बल्कि ज्ञान भी दिया जाने लगा। वर्चुअल वर्ल्ड का यह ज्ञान वास्तविक जीवन में भी दिखाई देने लगा। लोग राष्ट्रवाद के विषय में बात करने लगे तथा फेसबुक उनके लिए ज्ञान प्राप्त करने व बांटने का एक माध्यम तो बना ही साथ में उनके वैचारिक दृष्टिकोण को निर्देशित करने लगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस राष्ट्रवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद की परंपरागत परिभाषाओं को न सिर्फ बदल कर रख दिया बल्कि विशेषज्ञों को भी इस दिशा में सोचने पर बाध्य किया।

राष्ट्रवाद के ऑनलाइन 'गुरुकुल' : पुरातन भारतीय संस्कृति में 'गुरुकुल' भारतीय ज्ञान व्यवस्था का केंद्र होते थे। जहां पर आचार्य अपने विद्यार्थियों को ज्ञान-विज्ञान में प्रवीण करते थे। यह प्रवीणता मुख्यतः विचार परम्परा के साथ-साथ युद्ध तथा प्रशासनिक कौशल व धर्म आधारित विषयों पर होती थी। सदियों तक भारतीय समाज में गुरुकुलों का महत्व इस आधार पर समझाया गया। शनैः-शनैः भारतीय समाज में जिस तरह गुरुकुलों का अस्तित्व बदलता चला गया शिक्षा-दीक्षा के प्रवाह में भी उसी प्रकार बदलाव देखने को मिला। गुरुकुलों से आगे कक्षा आधारित पाठयक्रम, ओपन लर्निंग के साथ शिक्षा व्यवस्था ने कई कालक्रम के बाद तकनीक को सम्मिलित किया। वर्तमान समय में तकनीक आधारित शिक्षा व्यवस्था की प्रधानता है, जिसके होने से शिक्षा की सुलभता सभी के लिए संभव भी हो सकी है। हां, उसके लिए तकनीकी कौशल का ज्ञान होना आवश्यक कहा जा सकता है।

शिक्षा के साथ तकनीक या इंटरनेट के सम्मिश्रण ने ज्ञान प्रवाह की परंपरागत शैली को बदल कर रख दिया है। अब ऑनलाइन माध्यमों पर ज्ञान की कसौटी को देखा व परखा जाने लगा है। ज्ञान के नए प्रतीक ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जहां ज्ञान देने वाले व उसे प्राप्त करने वाले उपलब्ध हैं। फेसबुक भी इसी व्यवस्था को अंगीकार किए हुए है। वास्तविक दुनिया से कहीं अलग लोग यहां ज्ञान परंपरा के वाहक बने हुए हैं।[10] भारतीय परंपरा, ज्ञान व जीवन जीने के मूल्य अब फेसबुक लाइव के माध्यम से बताए जा रहे हैं। यही नहीं कई जगहों पर वास्तविक गुरुकुलों में शिक्षा-दीक्षा लिए हुए आचार्य फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन प्रवचन भी दे रहे हैं। इसलिए सब कुछ ऑनलाइन करने के प्रयास में ज्ञान कौशल के केंद्र के तौर पर स्थापित 'गुरुकुलों' और उनके ज्ञान का स्वरूप भी अब ऑनलाइन हो गया है।[11] इन 'ऑनलाइन गुरुकुल' के ज्ञान का प्रभाव लाइक, शेयर व कमेंट के माध्यम से समझा जाता है। जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया उतना लोकप्रिय वह 'ऑनलाइन गुरुकुल' माना जाता है। ये ऑनलाइन गुरुकुल तमाम विषयों व समसामयिक मुद्दों पर ज्ञान प्रदान करते हैं। इन 'ऑनलाइन गुरुकलों' में राष्ट्रवाद भी उसी परंपरा का एक हिस्सा भर है, जिसे इस वर्चुअल वर्ल्ड ने ऑनलाइन यूजर्स को परोसना शुरू किया है। परंपरागत राष्ट्रवाद अब अपने ऑनलाइन संस्करण में आ गया है तथा उसके इस ऑनलाइन स्वरूप में फेसबुक ने अहम हिस्सेदारी निभाई है। फेसबुक पर राष्ट्रवाद को केंद्र में रखकर बनाए गए समूह, पेज व अकाउंट राष्ट्रवाद के ऑनलाइन गुरुकुल के तौर पर देखे जा सकते हैं। जहां पर सैंकड़ों, हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग राष्ट्रवाद के विषय पर विमर्श को जीवंत बनाए हुए हैं। फेसबुक यूजर्स के इन विचारों पर सहमति या असहमति देने का अधिकार उस पेज या समूह के एडमिन के पास होता है, बशर्ते एडमिन ने उस पेज या समूह का स्वरूप खुला ना रखा हो । पुरानी व्यवस्था से तुलना करते हुए

इसे ठीक उसी तरह समझना चाहिए जैसे गुरुकुल परंपरा में विद्यार्थी के विचार को आचार्य की अनुमति से देखा जाता था। वही व्यवहार या कार्यशैली अब समूह अथवा पेज के एडमिन पर आ गई है। हां, शिष्टाचार के विषय में असमानता अवश्य है, क्योंकि शिष्टता का संस्कार वह वहां से नहीं प्राप्त कर सकें हैं। एक तरह से कहें तो आचार्य की जिम्मेदारी ग्रुप या पेज के एडमिन के पास बेशक होती है लेकिन वह उस तक केंद्रित नहीं है। फेसबुक एक खुला मंच होने के कारण कोई भी यूजर कभी भी आचार्य की भूमिका में आ सकता है। भारतीय राष्ट्रवाद भी ऐसे ही फेसबुक पर व्यक्त किया जा रहा है। जहां अनगिनत ऑनलाइन आचार्य अपने-अपने विवेक, कौशल, ज्ञान परंपरा के अनुसार राष्ट्रवाद की अवधारणा को गढ़ रहे हैं। यह कैसा राष्ट्रवाद है, कितना बेमेल है, कितना स्वीकार्य है यह इस मंच का प्रश्न नहीं है। बस यहां वह सब कुछ राष्ट्रवाद है जो यूजर्स की इच्छानुसार है। उनका उद्देश्य है कि, उस पर प्रतिकियाओं की संख्या कैसी भी हों लेकिन अधिक होनी चाहिए जिससे वह लोकप्रिय माना जा सके। इस प्रकार की लोकप्रियता को वह राष्ट्रवाद का आवश्यक अवयव मान लेते हैं तथा इसके आधार पर अपने-अपने समूहों में संदेशों का प्रचार प्रसार भी करते हैं।

फेसबुक पर उपयोगकर्ताओं का यह व्यवहार ही शोध की दिशा में पहला कदम है। अपनी स्थापना के कारण व भारत में फेसबुक की उपस्थिति से अब तक का सफर ऑनलाइन संचार की दिशा में एक व्यापक बदलाव के रूप में देखा जाना चाहिए। यह एक ऐसा बदलाव है जिसने सामाजिक ताने-बाने में संचार की परंपरागत व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। समुदायों के बीच का समन्वय वास्तविक जगत के अलावा आभासी दुनिया में भी दिखाई देना महत्वपूर्ण माना जाने लगा। महत्ता के इसी प्रकार के दृष्टिकोण ने अलग-अलग समूहों को फेसबुक पर अपने-अपने दृष्टिकोण से लोगों को एकतित्र करने में सहायता की। विभिन्न प्रकार की वैचारिक समानता, विभिन्नता अब ऑनलाइन माध्यम का अंग बनती चली गईं। इन्हीं आपसी विभिन्ताओं व समानताओं ने राष्ट्रवाद को भी उपयोगकर्ताओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। जहां उससे जुड़े अनेक पहलुओं पर लोग खुलकर अपनी बात मात्र रख ही नहीं रहे हैं अपितु एक दूसरे के समर्थन व विरोध में लामबंद भी हो रहे हैं। फेसबुक का यह राष्ट्रवादी संस्करण समकालीन दौर में अत्यधिक प्रभावशाली भी दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव का ही असर है कि देश- दुनिया में राष्ट्रवाद का विषय अब ऑनलाइन जगत में हर दिन नए सिरे से परिभाषित किया जाने लगा है।

शोध प्रविधि : फेसबुक व राष्ट्रवाद के सम्बन्ध में शोध कार्य केवल भारतीय अकादमिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रासंगिक हैं। दुनिया भर में फेसबुक व उस पर संचालित पृष्ठों की सामग्री के विभिन्न पहलुओं पर शोधार्थियों ने शोध कार्य किए हैं। यही नही राष्ट्रवाद व फेसबुक के सन्दर्भ में भी भारत समेत दूसरे देशों ने इस दृष्टिकोण के अंतर्गत किए गए शोध कार्यो के माध्यम से फेसबुक उपयोगकर्ताओं के व्यवहार को व्यक्त किया है।[12] यह शोध पत्र भी उसी क्रम में एक प्रस्तुति है। इस शोध कार्य में शोधार्थी ने अध्ययन के लिए 'राष्ट्रवाद का जुनून' नाम से चल रहे फेसबुक पेज को उद्देश्यात्मक निदर्शन के अंतर्गत चयनित किया है। वर्चुअल वर्ल्ड में राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे इस पेज पर हर दिन राष्ट्रवाद के नाम पर फोटो, संदेश वीडियो, मीम पोस्ट किए जाते हैं, जिस पर हजारों की संख्या में फेसबुक के उपयोगकर्ता अपना पक्ष रखते हैं। ग्रुप पर किए जाने वाली हर पोस्ट को ग्रुप एडमिन द्वारा जांचे जाने का दावा भी किया गया है। शोधार्थी ने इस फेसबुक पेज के एडमिन के साथ गहन साक्षात्कार स्थापित किया। गहन साक्षात्कार गुणात्मक अनुसंधान में एक लोकप्रिय विधि है।[13] इसके माध्यम से यह जानने का प्रयास भी किया गया कि आखिर किसी फेसबुक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले इन एडमिन (पेज एडमिन) का राष्ट्रवाद के बारे में क्या विचार है। क्या उनके विचार समूह के बाकी सदस्यों से मेल खाते हैं अथवा उसमें विरोध का अनुपात भी देखने को मिलता है। साथ ही फेसबुक ग्रुप के इन एडमिन का प्रतिनधित्व अपने ग्रुप में किस प्रकार का है। क्या यह किसी आचार्य की भूमिका में दिखाई देते हैं अथवा यह केवल एक आपसी संवाद के स्तर तक ही सीमित है। फेसबुक समूह के ये एडमिन भी वास्तविक समाज के नेताओं या विचारकों की तरह अपने समाज या लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बस इनका समाज वर्चुअल है तथा यहां लोग अपनी उपस्थिति वर्चुअली दिखाते हैं। इन सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए गहन साक्षात्कार को उपयुक्त विधि के तौर पर चयनित किया गया। अर्द्ध संरचित साक्षात्कार के प्रारूप के अनुसार डाटा संग्रहण किया गया। साक्षात्कार के

द्वारा एकत्र हुए डाटा का कोडिंग के द्वारा विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

विश्लेषणः ''राष्ट्रवाद का जुनून'' फेसबुक पेज के एडमिन (नाम गोपनीय रखा गया है) से साक्षात्कार के आधार पर- इस पेज के एडमिन लगभग चार साल से इस पेज को चला रहे हैं जो मानविकी विषय के छात्र रहे हैं और वहीं से इन्हें इस दिशा में कार्य करने की प्रेरणा मिली है। वे कहते हैं कि इस भागदौड़ की जिंदगी में जहां भारतीय समाज की दशा और दिशा बदल गई है, उस दौर में भी इस ओर लोग सोच रहे हैं और विशेषकर नई पीढ़ी बढ़ चढ़ कर ऐसे विषयों पर चर्चा कर रही है, यह देखकर खुशी होती है। लगभग हर रोज 20 से 40 पोस्ट रोजाना आती हैं। मेरे विचार से राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, जिसके आधर पर कोई भी अपने प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास तथा परंपराओं से लगाव रखता है और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव रखता है। ग्रुप में सदस्यों की संख्या घटती- बढ़ती रहती है। लगभग सभी कहीं न कहीं किसी रूप में एक दूसरे के विचारों से सहमत दिखते हैं। कुछ मुद्दों पर मतभेद होता है मगर सभी लोकतांत्रिक तरीके से फेसबुक पेज पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा बहुत गूढ़ है और हर व्यक्ति विशेष के विवेक पर निर्भर करती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर कोई समान भाव से देखता है। जैसे- अपनी जन्मभूमि पर गर्व करना, अपनी प्राचीन परंपराओं को तार्किकता के साथ समझना, उनके सही विश्लेषणों और व्याख्याओं को समझना। वर्तमान आधुनिक काल में इन सभी बातों में तालमेल बनाकर रखना राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम हर विचार का स्वागत करते हैं। हमने अपने फेसबुक पेज पर किसी खास पैटर्न को नहीं अपनाया है। हर विचार स्वीकार्य है, बस भाषा अश्लील और अमर्यादित न हो। ग्रुप के सदस्य धार्मिक व राजनीतिक विषयों पर ज्यादा पोस्ट करते हैं तथा चर्चा भी करते हैं। जो समसामयिक मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण को दिखाता है। पोस्ट की भाषा मुख्य रूप से हिंदी होती है जो कि राष्ट्र के प्रति आपके भावों को और अधिक संचित करती है। ग्रुप के सदस्य अक्सर जब अपने विचार रखते हैं तो कई तरीके के चित्र, संकेत या स्लोगन का निर्माण करते हैं। जैसे तिरंगा, भारत माता, भारतीय सांस्कृतिक पहनावा, बोली व कुछ खास रंग आदि। क्रांतिकारियों द्वारा उपयोग किए गए नारे, ऐतिहासिक पुरुषों की जीवनी, धार्मिक नारे भी कई बार ग्रुप के सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। यह भी एक तरीका है जिससे आप अपने राष्ट्रवाद की भावना को प्रदर्शित करते हैं तथा इस भावना को प्रेषित भी करते हैं। शोधार्थी ने भी कई भारतीय विचारकों की राष्ट्रवाद की भावना को पढ़ा है, जैसे- चाणक्य, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, भगत सिंह। इन पर पत्र-पत्रिकाओं में छपने वाले लेखों के माध्यम से कई बार नई जानकारियां भी मिलती हैं। चूंकि राष्ट्रवाद की अवधारणा प्राचीन है किंतु भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा अंतराल रहा जब राष्ट्रवाद के भाव पर न तो लोगों ने चर्चा की और न ही इस पर कोई ध्यान दिया। यह कहा जा सकता है कि 2015 से इस विषय पर फिर से चर्चा शुरू हुई है और यह वास्तविक है कि हर चर्चा ने भारतवासियों में नई ऊर्जा का संचार किया है। लोगों की अपने राष्ट्र तथा संस्कृति के प्रति बढ़ती सजगता तथा अपने देश की संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने के भाव ने वर्तमान में राष्ट्रवाद के चिंतन को बढ़ाया है। इस चिंतन को आगे बढ़ाने और लोगों तक पहुंचाने में फेसबुक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, कई बार ग्रुप के सदस्य बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और ज्यादा आलोचनात्मक हो जाते हैं तब थोड़ा ध्यान देना होता है। खासतौर से आचार संहिता के समय ज्यादा सावधान रहना होता है। ग्रुप में कई लोग पहचान के हैं पर काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला। हां, कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला जिनके साथ हमनें चर्चाएं भी की हैं। वैसे भी सबसे मिल पाना संभव भी नहीं है क्योंकि इतना समय होता ही नहीं है। मैं अपने अन्य कामों के साथ इस फेसबुक पेज को चला रहा हूं। अपने कार्यों के साथ फेसबुक पेज को भी समय देता हूं। इससे मुझे किसी तरह का आर्थिक या अन्य कोई लाभ नहीं मिलता है। मैं बस इसे राष्ट्र सेवा के तौर पर देखता हूं क्योंकि यही हमारे अस्तित्व की गांरटी है।

निष्कर्षः प्रस्तुत शोध के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज के दौर में सोशल मीडिया संचार का प्रभावशाली माध्यम है। जो समसामयिक मुद्दों को सिर्फ उठाता ही नहीं है बल्कि उन पर राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ भी सकता है। प्रस्तुत शोध में 'राष्ट्रवाद का जुनून' नाम के जिस फेसबुक पेज को लिया गया है वह भी राष्ट्रवाद की वर्तमान अवधारणा तथा लोगों के उसके प्रति चिंतन को दर्शाता है। चयनित फेसबुक पेज के एडमिन से साक्षात्कार

के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान समय में राष्ट्रवाद का चिंतन भी आज की पीढ़ी के लिए विमर्श का विषय है। इस चिंतन को व्यापक रूप देने का काम सोशल मीडिया बखूबी कर रहा है जिसके चलते भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान पर चर्चा बढ़ी है। युवाओं के मध्य भारतीय परम्पराओं पर होने वाला तार्किक विमर्श इस बात का परिचायक है कि भारत की पुरातन परंपरा युवाओं का ध्यान आकर्षित कर रही है। साथ ही वह अपने गौरवपूर्ण इतिहास पर गर्व के साथ फेसबुक पर अपनी बात रख रहे हैं। युवाओं का यह व्यवहार किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। धार्मिक तथा राजनीतिक जैसे संवेदनशील विषयों पर भी सोशल मीडिया पर चर्चा करने में परिपक्वता आ रही है। लोग फेसबुक पर विचारों के आदान प्रदान के साथ-साथ भाषा के स्तर को भी गंभीरता से ले रहे हैं। युवाओं द्वारा समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर मुद्दों या घटनाओं का आकलन करना देश के विकास में एक सहायक भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रवाद के चिंतन के साथ चाणक्य, सुभाषचंद्र बोस, वीर सावरकर आदि जैसे महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व तथा उनके सामाजिक योगदान पर भी युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर चर्चा की जाती है। यह इस बात का संकेत है कि वर्तमान पीढ़ी राष्ट्र निर्माण में अपने पूर्वजों के योगदान को सिर्फ याद ही नहीं करती है बल्कि उनसे सीख लेकर उन्हें आज भी जीवंत बनाए हुए है। प्रस्तुत शोध के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र तथा संस्कृति के प्रति बढ़ती रुचि तथा जागरुकता ने भारतीय संस्कृति का परचम ऑनलाइन दुनिया में भी बखूबी लहराया है। युवा पीढ़ी के लिए राष्ट्र का चिंतन बहुत आवश्यक है ताकि हम अपने इतिहास को जान सकें। हमारी प्राचीनतम उपलब्धियों से हमारा परिचय हो तथा हम विश्व गुरू की अपनी छवि को पहचान सकें। फेसबुक पर राष्ट्रवाद की परिचर्चा ने युवाओं में राष्ट्र के प्रति चिंतन को एक नई दिशा देने का काम किया है।

Refrence

1. Volkar Eisantauer, 'A Critical Hypertext Analysis of Social Media', The True Colours of Facbook, London : Bloomsbury, 2013, pp. 32-33
2. https://www.britannica.com/topic/Facebook
3. https://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia
4. https://zeenews.india.com/hindi/world/india-is-very-important-in-the-history-of-facebook-mark-zuckerberg/271402
5. https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/facebook-indias-revenue-rise-52-in-fy18/article25820990.ece
6. https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/india-votes-2019-facebook-action-hit-right-wing-pages-too/articleshow/68697051.cms
7. https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/
8. सोबती रणवीर चंद्र, शिल्पी वर्मा, आर बी राम, 'सूचना, जन सम्पर्क के साधन एवं पत्रकारिता' उद्धृत अनामिका प्रकाशन, नई दिल्ली।
9. वही
10. Dewi Kartika Sari dan Ester Krisnawati, The Spread of Nationalism using Social Media Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 3, September - Desember 2017, halaman 226-239
11. https://aajtak.intoday.in/story/digital-baba-swami-ram-shankar-life-story-1-910288.html
12. ibid
13. Webb, B. and Webb, S., 'Methods of Social Study', London: Longmans Green, 1932

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

गांधी का सर्वोदय दर्शन : समसामयिक उपादेयता

❑ वन्दना

अनादिकाल से ही सर्वोदय चिंतन भारतवर्ष की सनातन संस्कृति की मुख्य विशेषता रही है। महात्मा गांधी के सर्वोदय चिंतन का मूल विचार मुख्य रुप से हिन्दू दर्शन के प्रमुख सद्विचार 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भागभवेत्' में स्पष्ट रुप से दृष्टिगोचर होता है। गांधी को गीता के 'सर्वभूतहित' एवं 'आत्मवत सर्वभूतेषु' के लक्ष्य से सर्वोदय विचार की प्रेरणा मिली। ईशावाह्य उपनिषद के पहले श्लोक 'ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत्' में भी सर्वोदय की भावना का उल्लेख मिलता है।[1] प्रसिद्ध जैन आचार्य समन्तभद्र के कथन 'सर्वापदामन्तकरं निरन्तम् सर्वोदयम् तीर्थमिद् तवैव' में भी सर्वोदय विचार का भाव निहित है। भारतीय संस्कृति की इन समस्त प्रमुख बातों को महात्मा गांधी ने अपने सर्वोदय सम्बन्धी चिंतन में अभिव्यक्त किया। इस प्रकार से उन्होंने सर्वोदय का आशय मनुष्य के सर्वांगीण तथा समुचित कल्याण में निहित समझा। उनकी दृष्टि में सर्वोदय शब्द में समस्त प्राणियों के उत्थान का भाव व्याप्त है। गांधी चिंतन में सर्वोदय अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गांधी ने सर्वोदय चिंतनधारा को व्यावहारिक स्वरुप प्रदान करके जीवनपर्यन्त सर्वोदय की भावना से कार्य किया। उनका सर्वोदय चिंतन समग्र जीवन का दर्शन है। अतः इस तरह महात्मा गांधी का सर्वोदय एक नये समाज की बुनियाद रखता है।

सर्वोदय चिंतन भारतवर्ष की सनातन संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है। महात्मा गांधी ने पाश्चात्य विचारक रस्किन के विचारों से अपनी सर्वोदय सम्बन्धी अवधारणा को विकसित किया। इसके अतिरिक्त गांधी के जीवन पर पड़े अध्ययन तथा अनुभवजन्य प्रभावों ने भी उनकी सर्वोदय चिंतनधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर्वोदय दर्शन महात्मा गांधी के विचारों का वास्तविक सार है। गांधी के सर्वोदय सम्बन्धी चिंतन में सब लोगों के अधिकतम कल्याण का भाव निहित है। विकेन्द्रीकरण, आर्थिक समानता, स्वावलम्बन आदि सर्वोदय के मूल आधार हैं। उनका सर्वोदय दर्शन प्राचीन भारतवर्ष के शाश्वत मूल्यों के आधार पर एक नवीन समाज की रचना करना चाहता है। सर्वोदय के मतानुसार मानव आत्मा पवित्र है एवं इस चिंतनधारा में स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व तथा न्याय के सिद्धान्तों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। आज के इस युग में सर्वोदय चिंतन अत्यन्त प्रासंगिक व उपयोगी प्रतीत होता है तथा समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम है। अतः वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में गांधी के सर्वोदय को वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अध्ययन के उद्देश्य– शोध पत्र के निर्धारित उद्देश्य निम्नवत् हैंः

1. सर्वोदय दर्शन की अवधारणा का व्यापक विश्लेषण तथा विवेचन।
2. गांधी के सर्वोदय चिंतन को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या।
3. गांधी सर्वोदय दर्शन के स्त्रोतों का अध्ययन।
4. सर्वोदय के व्यावहारिक क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण।
5. सर्वोदय दर्शन की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता का अध्ययन।

अध्ययन पद्धति– प्रस्तुत शोध पत्र विश्लेषणात्मक तथा वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है। सर्वोदय दर्शन की अवधारणा की व्याख्या करने के लिये महात्मा गांधी के मौलिक चिंतन पर आधारित अनेक उपयोगी कथनों का आश्रय लिया गया है तथा इसके अतिरिक्त सर्वोदय चिंतन के व्यावहारिक पक्ष का वर्णन करने हेतु अनेक विद्वान चिंतकों के मूल विचारों का शोध पत्र में प्रयोग किया गया है।

महात्मा गांधी का सर्वोदय दर्शनः– सर्वोदय दर्शन महात्मा गांधी के विचारों का वास्तविक सार है। गांधी के सर्वोदय सम्बन्धी चिंतन में सब लोगों के अधिकतम कल्याण का भाव निहित है। अपनी सर्वोदय सम्बन्धी अवधारणा के अर्न्तगत वे एक ऐसा समाज निर्मित करना चाहते थे जिसमें हर व्यक्ति सशक्त होकर समाज की उन्नति में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करे। महात्मा गांधी के सर्वोदय समाज में भेदभाव के बिना

❑ शोध अध्येत्री, राजनीति विज्ञान विभाग, हे०नं०ब० केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

सबको प्रगति के समान अवसर प्राप्त होंगे। इस प्रकार गांधी का सर्वोदय सबके उदय अथवा सबका कल्याण इस मौलिक धारणा पर आधारित है। महात्मा गांधी का सर्वोदय दर्शन एक नये समाज की नींव रखता है। गांधी के सर्वोदय की बुनियाद मूलतः आध्यात्मिक है। उन्होंने अपने सर्वोदय चिंतन के अन्तर्गत साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात कही। गांधी सर्वोदय के विकास के लिये मानव के नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर अत्यधिक जोर देते थे। महात्मा गांधी की सर्वोदय अवधारणा के मूल में त्याग एवं लोगों की भलाई की भावना निहित है। उनकी दृष्टि में सर्वोदय हर मनुष्य एवं समाज का परम उद्देश्य है। गांधी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में घटित प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अनुभवों एवं उनके मूल्यांकन के आधार पर सर्वोदय चिंतनधारा से सम्बन्धित दृष्टिकोण का निर्धारण किया। अपनी आत्मकथा 'सत्य के प्रयोग' में महात्मा गांधी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सर्वोदय के नियमों को इस प्रकार से जाना है[2]

1. सबके कल्याण में ही हमारी भलाई समाहित है।
2. नाई तथा वकील सबके कार्यों का पारिश्रमिक एकसमान होना चाहिये, क्योंकि जीविकोपार्जन का हक दोनों को एक जैसा है।
3. सादा मेहनत-मजदूरी से जीवन यापन करने वाले किसान का जीवन ही वास्तविक जीवन है।

गांधी के सर्वोदय सम्बन्धी चिंतन की कल्पना का मूल आधार पाश्चात्य चिंतक जॉन रस्किन के विचार हैं। उन्हें रस्किन की पुस्तक Unto This Last से इन तीन चीजों की जानकारी प्राप्त हुयी। उपर्युक्त सब चीजों पर गहनता से अमल करने के पश्चात महात्मा गांधी को ज्ञात हुआ कि इनमें से पहली बात को वे जानते थे, दूसरी को उन्होंने धुंधले रुप में महसूस किया था तथा तीसरी चीज का विचार कभी उनके मस्तिष्क में आया ही नहीं था। अतः रस्किन के विचारों को समझने के पश्चात उन्हें पता चल गया कि पहले ही सिद्धान्त में ही बाकी दोनों वस्तुएं समाहित हैं। इस प्रकार उन्होंने रस्किन के विचारों से अपनी सर्वोदय की अवधारणा को विभाजित किया।[3] रस्किन की इस पुस्तक को उन्होंने गुजराती भाषा में अनुदित किया तथा सर्वोदय शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया।

अपने सर्वोदय सम्बन्धी इन्हीं विचारों को और अधिक स्पष्ट करते हुये गांधी ने लिखा है कि "भगवान के नाम पर किया गया और उसे समर्पित करके किया गया कोई भी काम छोटा नहीं है। इस तरह किये गये हर एक छोटे या बड़े काम का समान मूल्य है। कोई भंगी यदि अपना काम भगवान की सेवा की भावना से करता हो तो उसके और उस राजा के काम का, जो अपनी प्रतिभा का उपयोग भगवान के नाम पर और ट्रस्टी की तरह करता है, समान महत्व है।"[4] इस तरह से गांधी ने समस्त व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों को एकसमान वेतन दिये जाने का एक नवीन नियम विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। गांधी ने अनेक धार्मिक ग्रन्थों से इस अवधारणा के आदर्शों का विकास किया। उनके सर्वोदय सम्बन्धी मूलभूत विचारों की प्रेरणा आध्यात्मिक है।

महात्मा गांधी ने उपयोगितावादी विचारक बेंथम तथा जे0एस0 मिल के विचारों से प्रभावित होकर अपनी इस धारणा का विकास किया। गांधी जरमी बेंथम के विचारों से असहमत थे। इसीलिये उन्होंने सर्वोदय सम्बन्धी विचारों के अन्तर्गत उपयोगितावादी विचारधारा का विरोध किया। गांधी ने सर्वोदय सिद्धान्त के अन्तर्गत अल्पमत तथा बहुमतवाद इन दोनों आदर्शों को अत्यन्त महत्व देकर इन्हें आपस में मिला दिया। इन दोनों सिद्धान्तों ने मिलकर गांधी की सर्वोदय चिंतनधारा की नींव रखी। गांधी की दृष्टि में ये दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे की पूरक हैं। उन्होंने कहा है कि यह सार्वभौम सत्य है कि ''अहिंसा का पुजारी उपयोगितावाद का समर्थन नहीं कर सकता। वह तो 'सर्वभूत-हिताय' अर्थात सबके अधिकतम लाभ के लिये ही प्रयत्न करेगा और इस आदर्श की प्राप्ति में मर जायेगा। इस प्रकार वह इसलिये मरना चाहेगा कि दूसरे जी सकें। दूसरों के साथ-साथ वह अपनी सेवा भी अपने आप मरकर करेगा। सबके अधिकतम सुख के भीतर अधिकांश का अधिकतम सुख भी मिला हुआ है और इसीलिये अहिंसावादी और उपयोगितावादी अपने रास्ते पर कई बार मिलेंगे किन्तु अन्त में ऐसा अवसर आयेगा, जब उन्हें अलग-अलग रास्ते पकड़ने होंगे और किसी-किसी दशा में एक-दूसरे का विरोध भी करना होगा। तर्कसंगत बने रहने के लिये उपयोगितावादी अपने को कभी बलि नहीं कर सकता, अहिंसावादी हमेशा मिट जाने को तैयार रहेगा''।[5]

गांधी ने सर्वोदय समाज की रुपरेखा का चित्रण करते हुये स्पष्ट रुप से कहा कि "यदि हम चाहते हैं कि हमारा सर्वोदय यानि वास्तविक प्रजातंत्र का सपना सच साबित

हो, तो हम छोटे से छोटे भारतवासी को भारत का उतना ही शासक समझेंगे जितना देश के बड़े से बड़े आदमी को। इसके लिये शर्त यह है कि सब शुद्ध हो, या न हो तो शुद्ध हो जाय और शुद्धता के साथ बुद्धिमानी भी होनी चाहिये। तब कोई भी अपने दिल में जाति तथा अवर्ण-सवर्ण के बीच भेदभाव नहीं देखेगा। हरएक सबको अपनी बराबरी का समझेगा और उन्हें प्रेम के रेशमी जाल में बांधकर रखेगा। कोई किसी को अछूत नहीं मानेगा। हर मेहनत करने वाले मजदूर और धनी पूंजीपति को समान समझेंगे। सबको अपने पसीने की कमाई से ईमानदारी की रोजी कमाना आता होगा और वे मानसिक एवं शारीरिक श्रम में कोई फर्क नहीं करेंगे। यह आदर्श स्थिति जल्दी लाने के लिये हम अपने आपको स्वेच्छा से भंगी बना लेंगे। जिस किसी में भी बुद्धि होगी वह कभी अफीम, शराब व किसी नशीली चीज को नहीं छुएगा। प्रत्येक पुरुष स्वदेशी का पालन जीवन व्रत के रुप में करेगा और हरएक स्त्री को जो अपनी पत्नी नहीं है, उसकी उम्र के हिसाब से अपनी माता, बहन या पुत्री समझेगा और अपने हृदय में उसके प्रति कभी काम वासना नहीं रखेगा। जब जरुरत पड़ेगी वह अपने प्राण देने को तैयार रहेगा, मगर दूसरे की जान लेने की कभी इच्छा नहीं करेगा।"[6]

अहिंसा गांधी के सिद्धान्तों का मूलभूत नियम है। उन्होंने अपने चिंतन में अहिंसा के विचार का सार प्रस्तुत किया। अपने सर्वोदय सम्बन्धी विचारों के अन्तर्गत गांधी ने अहिंसा के आधारभूत महत्व को प्रतिपादित करते हुये कहा "इस प्रकार का साधन पैदा करना सर्वोदय का कर्तव्य है न कि किसी के साथ विवाद में पड़ने का। सर्वोदय के संचालक गांधीवाद को भूल जायें, लेकिन सर्वोदय के प्रत्येक वाक्य में अहिंसा और ज्ञान का दर्शन होना चाहिये।"[7]

गांधी ने सर्वोदय के नैतिक महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि "सर्वोदय की सिद्धि अहिंसा की सिद्धि पर निर्भर है। अहिंसा की सिद्धि तपश्चर्या पर निर्भर है। तपश्चर्या सात्विक होनी चाहिये। उसमें अविश्रांत उद्यम, विवेक समाहित हैं। शुद्ध तप में शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभव बताता है कि लोग अहिंसा का नाम तो लेते हैं, किन्तु बहुतों को मानसिक आलस्य इतना रहता है कि वे वस्तुस्थिति का परिचय करने तक का परिश्रम नहीं करते हैं। उदाहरण लीजिये भारतवर्ष कंगाल है। हम कंगालियत दूर करना चाहते हैं। लेकिन कंगालियत कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है यह प्रयास कितने लोग करते हैं? अहिंसा का भक्त तो ऐसे ज्ञान से भरा होना चाहिये।"[8]

महात्मा गांधी ने सर्वोदय के दर्शन को अभिन्न माना है। उनका सर्वोदय दर्शन प्राचीन भारतवर्ष के शाश्वत मूल्यों के आधार पर एक नवीन समाज की रचना करना चाहता है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय सम्बन्धी दर्शन के साथ शारीरिक परिश्रम एवं सभी धर्मों के प्रति सम्मान के भाव को भी बनाये रखा। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना के लिये अनेक सृजनात्मक कार्य प्रारम्भ किये। गांधी ने सर्वोदय को ध्यान में रखकर देश में सदियों से व्याप्त कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने हेतु कई कार्यक्रम शुरु किये तथा छुआछूत को दूर भगाने के लिये अथक प्रयास किया।

गांधी के सर्वोदय में अस्पृश्यता रुपी कुप्रथा को समाप्त करने का भाव भी निहित है। अस्पृश्यता रुपी अभिशाप पर चिंतन करते हुये गांधी ने लिखा कि "मेरी राय में हिन्दू धर्म में दिखायी पड़ने वाला अस्पृश्यता का वर्तमान रुप ईश्वर और मनुष्य के खिलाफ किया गया भयंकर अपराध है और इसलिये वह एक ऐसा विष है जो धीरे-धीरे हिन्दूधर्म के प्राण को ही निःशेष किये दे रहा है। मेरी राय में शास्त्रों में, यदि हम सब शास्त्रों को मिलाकर पढ़ें तो, इस बुराई का कहीं कोई समर्थन नहीं है। शास्त्रों में एक तरह की हितकारी अस्पृश्यता का विधान अवश्य है, परन्तु उस तरह की अस्पृश्यता तो सब धर्मों में पायी जाती है। वह अस्पृश्यता तो स्वच्छता के नियम का ही एक अंग है। वह तो सदा रहेगी। लेकिन भारत में आज हम जैसी अस्पृश्यता देख रहे हैं वह एक भयंकर चीज है और उसके हर एक प्रान्त में, यहां तक कि हर एक जिले में, अलग-अलग कितने ही रुप हैं। उसने अस्पृश्यों और स्पृश्यों, दोनों को नीचे गिराया है। उसने लगभग चार करोड़ मनुष्यों का विकास रोक रखा है। उन्हें जीवन की सामान्य सुविधायें भी नहीं दी जातीं। इसलिये इस बुराई को जितनी जल्दी निर्मूल कर दिया जाय, उतना ही हिन्दूधर्म, भारत और शायद समग्र मानव-जाति के लिये वह कल्याणकारी होगा।"[9]

गांधी सर्वोदय के लिये श्रम पर आधारित बेसिक अथवा आधारभूत शिक्षा को प्रमुख स्थान प्रदान करते थे। यह शिक्षा जीविकोपार्जन के लिये उपयोगी होती थी और इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति कार्यकुशलता व प्रगति की दिशा में निरन्तर अग्रसर होता है।[10] बुनियादी शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुये गांधी ने कहा "बुनियादी शिक्षा का

लक्ष्य दस्तकारी के माध्यम से बालकों का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना है। किन्तु मैं मानता हूँ कि कोई भी पद्धति, जो शैक्षणिक दृष्टि से सही हो और जो अच्छी तरह चलायी जाय, आर्थिक दृष्टि से भी उपयुक्त सिद्ध होगी। उदाहरण के लिये, हम अपने बच्चों को मिटटी के खिलौने बनाना भी सिखा सकते हैं, जो बाद में तोड़कर फेंक दिये जाते हैं। इससे भी उनकी बुद्धि का विकास होगा। परन्तु इसमें इस महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धान्त की उपेक्षा होती है कि मनुष्य के श्रम और साधन सामग्री का अपव्यय बिल्कुल नहीं होना चाहिये। उनका अनुत्पादक उपयोग कभी नहीं करना चाहिये। अपने जीवन के प्रत्येक श्रम का सदुपयोग ही होना चाहिये, इस सिद्धान्त के पालन का आग्रह नागरिकता के गुण का विकास करने वाली सर्वोत्तम शिक्षा है, साथ ही बुनियादी तालीम स्वावलम्बी भी बनाती है।''[11]

गांधी का सर्वोदय गाम स्वावलम्बन पर आधारित ग्रामीण विकास के लिये प्रतिबद्ध है। वस्तुतः महात्मा गांधी ने प्रत्येक मनुष्य में स्वाबलम्बन की प्रवृति की भावना को विकसित करने का अथक प्रयत्न किया। इस तरह से गांधी का सर्वोदय चिंतन सहभागिता के प्रजातंत्र की बुनियाद निर्मित करता है जिससे कि हर व्यक्ति समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इस प्रकार से वे एक ऐसा समाज निर्मित करना चाहते थे जिसकी हरएक इकाई स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही गांधी सर्वोदय चिंतनधारा के अन्तर्गत आर्थिक समानता के ध्येय को साथ लेकर चलती है। सर्वोदयी विचारधारा हर मनुष्य से यह उम्मीद प्रकट करती है कि आवश्यकता के अनुसार ही सम्पत्ति का संग्रह करे। प्रत्येक व्यक्ति अपने को सम्पत्ति का स्वामी न समझे और इसका उपभोग सार्वजनिक कल्याण हेतु किया जाय। इस प्रकार के बदलावों से वे तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे।

गांधी ने शारीरिक परिश्रम के महत्व को अपने लेखों में व्यक्त करते हुये लिखा है कि "जब तक हम अपना अहंकार भूलकर शून्यता की स्थिति प्राप्त नहीं करते, तब तक हमारे लिये अपने दोषों को जीतना सम्भव नहीं है। ईश्वर पूर्ण आत्म-समर्पण के बिना सन्तुष्ट नहीं होता। वास्तविक स्वतंत्रता का इतना मूल्य वह अवश्य चाहता है और जब मनुष्य अपना ऐसा समर्पण कर चुकता है तब तुरन्त ही वह अपने को प्राणिमात्र की सेवा में लीन पाता है। यह सेवा ही तब उसके आनन्द और आमोद का विषय हो जाती है। तब वह एक बिल्कुल नया आदमी बन जाता है तथा ईश्वर की इस सृष्टि की सेवा में अपने को खपाते हुये कभी नहीं थकता।''[12]

गांधी की सर्वोदय समाज सम्बन्धी अवधारणा विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित है। उनके आर्थिक चिंतन की प्रमुख बुनियाद विकेन्द्रीकरण का नियम है। गांधी ने स्पष्ट किया है कि "यदि भारत को अपना विकास अहिंसा की दिशा में करना है, तो उसे बहुत सी चीजों का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा। केन्द्रीकरण किया जाए तो फिर उसे कायम रखने के लिये और उसकी रक्षा के लिये हिंसाबल अनिवार्य है। धनवानों के महलों के लिये आवश्यक बलवान रक्षक चाहिये, जो डाकुओं से उनकी रक्षा करें। यही बात बड़े कारखानों की है। गांवों को केन्द्र में रखकर जिस भारत का निर्माण होगा उसे शहर प्रधान भारत की अपेक्षा शहर प्रधान जल, थल और वायुसेनाओं से सुसज्जित होगा तो भी विदेशी आक्रमणों का कम खतरा रहेगा।''[13]

गांधी के राजनीतिक विकेन्द्रीकरण का आशय है- कुटीर उद्योगों को स्थापित करना। उन्होंने केन्द्रीकृत उद्योगों को त्यागकर विकेन्द्रीकरण के तहत छोटे कुटीर उद्योग धन्धों को स्थापित करने की बात की है। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन प्रदान करना गांधी का मूलभूत चिंतन है। मानव का एक दूसरे के शोषण को समाप्त करने का सरल साधन है कुटीर उद्योग धन्धों की स्थापना करना। उन्होंने कुटीर उद्योगों को अपनाने के साथ-साथ अनेक सृजनात्मक कार्यों को करने की बात कही। छोटे उद्योगों को स्थापित करने से गांवों का विकास होगा। इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाने से समस्त लोगों को अपने रोज की जरुरत की चीजें आसानी से मिल सकेंगी तथा देश के हर नौजवान को जीविकोपार्जन की समस्या से निजात मिल सकेगी। है। भारतवर्ष के लिये कुटीर उद्योग अत्यधिक उपयोगी हैं, क्योंकि ये लघु उद्योग रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इन कुटीर उद्योग से भी सर्वोदय के वास्तविक स्वरुप की कल्पना कर सकते हैं। आज की प्रतिस्पर्धा के इस युग में ये छोटे उद्योग पिछड़ गये हैं। इस पिछड़ेपन से मुक्ति पाने के लिये तकनीकी का प्रयोग करना होगा। इसके लिये सर्वोदय को तकनीकी से जोड़ने की अत्यन्त आवश्यकता है।

महात्मा गांधी भारतवर्ष में वास्तविक प्रजातन्त्र की स्थापना करना चाहते थे। उनका यह भी मानना था कि

प्रत्येक व्यक्ति का शासन में सीधा हाथ हो। अपने सर्वोदय सम्बन्धी विचारों के अन्तर्गत गांधी ने पंचायती राज को भी अभिन्न माना है। ग्राम पंचायत गांधी के सर्वोदय की सबसे छोटी इकाई है। महात्मा गांधी देश को पंचायतों के आधार पर संगठित करना चाहते थे। इसकी रुपरेखा का चित्रण करते हुये महात्मा गांधी का कहना था कि "गांव का शासन चलाने के लिये हर साल गांव के पांच आदमियों की एक पंचायत चुनी जायेगी। इसके लिये नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के वयस्क स्त्री-पुरुषों को अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें।"[14]

गांधी के सर्वोदय सम्बन्धी विचारों पर मूलरुप से आध्यात्मिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उनके चिंतन पर अनुभव तथा अध्ययनजन्य विभिन्न स्त्रोतों का व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर अपने सर्वोदय की अवधारणा का निर्धारण किया। उनके चिंतन पर अपने पिता तथा माता के विचारों का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा। गांधी ने सर्वोदय विचार की भावना वेदान्त, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ईसाई दर्शन तथा थोरू के विचारों को समन्वित करके प्रतिपादित की। गीता, उपनिषद व जैन धर्म के ग्रन्थों पूर्वी और पाश्चात्य चिन्तकों के विचारों में गांधी के सर्वोदय सम्बन्धी विचारों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यह वास्तविक ही है कि उनकी सर्वोदय की अवधारणा के स्वरुप को कई विशिष्ट प्रभावों ने निर्धारित किया। इस प्रकार गांधी के सर्वोदय चिंतन की धारणा के स्वरुप को प्रभावित एवं विकसित करने में अनेक स्त्रोतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधी की सर्वोदयी अवधारणा में अनिवार्य रुप से मानवीय जीवन के सभी पक्ष समाहित हैं। महात्मा गांधी ने आजीवन भर सर्वोदय की भावना से कार्य किया तथा उनके सृजनात्मक कार्यों का अत्यन्त दूरगामी महत्व है। गांधी की मृत्यु के उपरान्त उनके द्वारा प्रतिपादित सर्वोदय सिद्धान्त को आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, भारतन कुमारप्पा, काका कालेलकर, शंकरराव देव इत्यादि प्रमुख चिंतकों ने अनेक रचनात्मक कार्यों द्वारा विश्वव्यापी स्तर पर लोकप्रिय बनाया।

सर्वोदय आन्दोलन की उपलब्धियां एवं अभाव :-

भले ही सर्वसम्मति एवं ग्रामस्वराज्य पर आधारित लोकनीति सम्बन्धी विचार वर्तमान में उपयोगी व काल्पनिक लगता हो, परन्तु आज की सदी के लिये वह अत्यन्त प्रासंगिक है। सर्वोदय आन्दोलन ने जिस प्रकार से एक विकसित सामाजिक जीवन की पद्धति को समाज के सम्मुख उपस्थित किया है वह आने वाले युगों के लिये प्रेरणादायी स्त्रोत बना रहेगा। सर्वोदय की आदर्श योजना समाज के लिये अत्यन्त फलदायी और महत्वपूर्ण है। सर्वोदय चिंतनधारा की विलक्षणता यह है कि इसमें व्यक्ति और समाज के बीच किसी प्रकार के संघर्ष की संभावना नहीं दिखायी देती है। सर्वोदय ने सत्याग्रह की प्रगति में प्रमुख भूमिका निभायी तथा इसके विकास में सत्य एवं अहिंसा को बुनियादी रुप में अंगीकार करते हुये इसमें निहित विविधता को भी दिखाया है।[15]

आज इस आन्दोलन में समर्पण की भावना से कार्य करने वाले लोगों की नितान्त कमी है। इसके अतिरिक्त जो कार्यकर्त्ता हैं, उनमें जिज्ञासा की कमी है। इस प्रकार से सर्वोदय पर संस्थावाद ही हावी रहा। सर्वोदय आन्दोलन का एक अभाव यह भी माना गया कि इसमें नगरीय समाज की बिल्कुल अनदेखी की गयी। इस विशाल आन्दोलन के लक्ष्य अत्यधिक ऊँचे व इसके संगठन का नियोजित न होना भी इसका दुर्भाग्य रहा। आचार्य विनोबा भावे तथा जयप्रकाश नारायण के बाद के संगठन के नियोजन के अभाव में सर्वोदयी कार्यकर्त्ता निराश्रित व विभाजित हो गये। सर्वोदय की विविध गतिविधियों में सलंग्न कार्यकर्त्ता भी अनेक शंकाओं से ग्रस्त हैं। इस प्रकार से सर्वोदय आन्दोलन की नैतिक बुनियाद अत्यन्त कमजोर पड़ गयी। वर्तमान में इस संगठन का बुद्धिजीवी वर्ग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है।

सर्वोदय आन्दोलन से सम्बन्धित गतिविधियां लगभग निष्प्राण तथा इसे नेतृत्व प्रदान करने वाली अनेक संस्थायें विघटित हो गयी हैं। देश में गांधी के नाम से अनेक संस्थायें कार्यरत हैं, परन्तु इन सबमें आपसी विद्वेष और सहयोग का नितान्त अभाव है। इस प्रकार परस्पर संयोजन की कमी से धीरे-धीरे सारे कार्यकर्ता अलग होते चले गये। वर्तमान में सर्वोदय संस्थाओं में अधिकतर मात्र बुजुर्ग लोग कार्यरत हैं। आज की युवा शक्ति का रुझान अपनी ओर करने का सर्वोदय आन्दोलन के पास कोई भी सशक्त औजार नहीं है। इस आन्दोलन को सार्थकता सिद्ध करने के लिये अपना सुदृढ़ संगठन निर्मित करना पड़ेगा।[16] आज के समय में सर्वोदय आन्दोलन शक्तिविहीन तथा निष्प्राण बन चुका है। लोकमानस पटल पर इसका असर नाममात्र का है। सर्वोदय में कार्यरत समर्थ चिंतक

भी इस बात को महसूस करते हैं कि इस आन्दोलन में कुछ अभाव हैं, यदि उन्हें आसानी से दूर किया जाय तो शीघ्र ही एक नवीन विश्व व्यवस्था की स्थापना करने में सफलता मिल सकेगी।

संसार में सर्वोदय के विकल्प को व्यावहारिक धरातल पर अपनाने हेतु गहन प्रयत्न अभी तक नहीं किये गये हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विचारधारा के मूल में निहित नैतिकता को अव्यावहारिक मानकर उसे सदैव उपेक्षित किया गया। सबसे प्रमुख विडम्बना यह है कि प्रत्येक रुप में तर्कसंगत होने के बाद भी यह चिंतनधारा व्यावहारिक वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर पायी है। आज सर्वाधिक परेशानी का विषय यह है कि हर व्यक्ति आत्मत्याग, आर्थिक समानता एवं निःस्वार्थता जैसी शिक्षा देता है, लेकिन जैसे ही अपने स्वार्थों की बात आती है वह सबकुछ भूल जाता है।

समकालीन परिवेश में गांधी के सर्वोदय सम्बन्धी विचारों की उपयोगिता :- सर्वोदय विचार केवल कल्पनालोक के विचारों का प्रतिपादन नहीं करता, वरन् मनुष्य की बुद्धि को मानव समाज की नवीन संरचना के निर्माण के लिये प्रेरित करने का प्रयत्न करता है। सर्वोदय एक गतिशील चिंतन है जो कि मानवीय मूल्यों में आधारभूत बदलावों के आगमन की संभावना का सूचक है। सर्वोदय भारत के पुरातन मूल्यों की बुनियाद के आधार पर एक नये समाज को निर्मित करने के साथ ही वर्तमान कठिनाइयों की चुनौतियों को पूर्ण करने का भरसक प्रयत्न करता है। संसार में समय-समय पर अनेक प्रकार की आर्थिक तथा सामाजिक चिंतनधाराओं क्रियान्वित की गयी, किन्तु उन सबमें सर्वोदय अत्यधिक श्रेष्ठ है। यह विचारधारा एकीकृत उन्नति का विचार सबके सम्मुख रखती है। इस आन्दोलन का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसमें शासक व शासित वर्ग के मध्य कोई भिन्नता नहीं दिखाई देती। इसके अतिरिक्त सर्वोदय विचार दर्शन में हठधर्मिता के लिये बिल्कुल भी जगह नहीं है। सर्वोदय रुपी भावना समाजीकरण के बिल्कुल अनुरुप है।[17] वस्तुतः सर्वोदय समाज में भेदभाव तथा शोषण के लिये कोई स्थान नहीं है।

विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद भी वर्तमान विसंगतियों के इस वातावरण में गांधी का सर्वोदय चिंतन आज भी अत्यन्त प्रांसगिक व उपयोगी है। सर्वोदय संसार भर में प्रचलित समस्त नैतिक नियमों से आगे चलकर एक सर्वोत्कृष्ट विचार का सृजन करता है। यह अंधेरे से उजाले की ओर निरन्तर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है और विश्व में व्याप्त अनेक गंभीर समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करता है। सर्वोदय का मूलमंत्र वर्तमान भारत की चहुंमुखी उन्नति के लिये अत्यन्त उपयोगी है। सर्वोदय के अन्तर्गत गांधी ने अपने विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जिससे कि समस्त लोगों का उदय तथा कल्याण हो सके। महात्मा गांधी के जीवन चरित्र से सम्बन्धित सर्वोदय सम्बन्धी विचार आज भी संसार भर के लिये प्रेरणादायी हैं तथा उनके द्वारा किये गये सृजनात्मक कार्य दूरगामी महत्व रखते हैं।

आज के समय में सभी विचारक विश्व शान्ति की बात को लेकर अत्यन्त चिंतित हैं। संसार में व्याप्त इन सब प्रकार के डर से मुक्ति पाने के लिये गांधी द्वारा सुझाये मार्ग अत्यन्त उपयोगी प्रतीत होते हैं। सर्वोदय अनेक प्रकार के मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है और विश्वकल्याण के लक्ष्यों को पूरा करने की बात करता है तथा वर्तमान युग की चुनौतियों को पूरा करने की क्षमता रखता है। मानवीय व्यवहार के पेचीदा होने के बावजूद भी इक्कीसवीं सदी के परिप्रेक्ष्य में सर्वोदय विचार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सर्वोदय के सिद्धान्त मनुष्य के स्वभाव के अच्छे गुणों पर जोर देकर मानवजाति को परस्पर एकता, अपने आस-पास के समूहों में सौहार्द की भावना बढ़ाने के लिये नैतिक नियमों को प्रयुक्त करने के लिये, सामाजिक व आर्थिक समानता, राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के द्वारा आन्तरिक तथा वैश्विक सद्भावना के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाले अनेक तनावों का समाधान करने का प्रयास करता है। आधुनिक सन्दर्भ में सर्वोदय को एक तथा सबकी जागृति के रुप में समझाा जा सकता है। सर्वोदय में व्यक्ति अपने आत्म अनुभव के सर्वोच्च शिखर को भी प्राप्त कर सकता है।[18]

सर्वोदय चिंतन का मुख्य केन्द्र बिन्दु मानव है तथा आज के मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित है। सर्वोदय में मानवीय मूल्यों का महत्त्व विद्यमान रहता है। इस तरह सर्वोदय बुनियादी महत्ता से युक्त नैतिक नियमों को अभिव्यक्त कर भलाई तथा चारित्रिक विशेषताओं की सुरक्षा करने का संकल्प करता है। समाज में व्याप्त अनेक रोगों भष्टाचार, बेरोजगारी, असमान धन का वितरण आदि का सर्वोदय केवल एकमात्र समाधान है। सर्वोदय

नैतिकता के आदर्शों को पुनर्जीवित करने पर जोर देता है और अनेक कठिनाइयों के प्रति नैतिक रुप से हल करने का मार्ग दिखाता है।

गांधी का सर्वोदय समाज की उन्नति के लिये अद्वितीय प्रयत्न करता है। सर्वोदय के नियम संसार भर में प्रचलित समस्त चिंतनधाराओं से सबसे अलग हैं। वर्तमान परिवेश में सर्वोदयी नैतिकता के माध्यम से विश्व में व्याप्त समस्त कठिनाइयों के समाधान का विश्वसनीय रास्ता ढूंढ़ा जा सकता है। इसीलिये वर्तमान सदी के हितों को ध्यान में रखते हुये सर्वोदय रुपी समाज की कल्पना करना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। संसार के कल्याण तथा विश्वबन्धुत्व की भावना का प्रतिनिधित्व करने वाली इस चितंनधारा का महत्व भारत की वर्तमान परिस्थितियों में और भी निखर कर सामने आया है।

निष्कर्ष :- सर्वोदय चिंतन गांधीवादी युग की एक महान देन है। गांधी को अपने सर्वोदय पर अटल विश्वास था। आज के युग में सर्वोदय समाज की कल्पना अत्यधिक प्रांसगिक प्रतीत होती है। महात्मा गांधी ने जीवनपर्यन्त आर्थिक समानता, अश्पृश्यता की समाप्ति, नारी उत्थान, ग्रामीण उद्योगों का विकास, स्त्रियों के कल्याण तथा सर्वोदय समाज की स्थापना के लिये पूरी निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता की भावना से कार्य किया। गांधी का सर्वोदय पूर्णतः मानव कल्याण के लिये समर्पित होकर जनता की आंकाक्षाओं के वास्तविक प्रतिनिधि के रुप में समाज के लिये खड़ा होता है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, स्वदेशी, आत्म संयम, सर्वधर्म समभाव का भाव गांधी के सर्वोदय चिंतन की अवधारणा के मूल में निहित है। इस तरह से सर्वोदय के मूल में त्यागमय जीवन का लक्ष्य सन्निहित है। विश्व कल्याण की इस सर्वव्यापी चिंतनधारा का महत्व आज की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त बढ़ गया है। संसार का वातावरण सर्वोदय के पक्ष में है, लेकिन कार्यकर्त्ताओं को अपनी बिखरी हुई शक्तियों को इकठ्ठा करके अपने को इसके अनुरुप तैयार करना पड़ेगा। गांधी द्वारा वर्तमान सदीं को लोककल्याण रुपी सर्वोदय चिंतन का महानतम योगदान नैतिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्व रखता है। निःसन्देह ही वास्तविक रुप से गांधी के सर्वोदय की अवधारणा उनकी चिंतन प्रक्रिया के हर आयाम को छूती है। उनके सर्वोदय सम्बन्धी विवेचन में मानवीय जीवन के समस्त पक्ष मुख्य रुप से समाहित हैं। अपनी सर्वोदय की धारणा के अन्तर्गत गांधी एक सम्पूर्ण जीवन दर्शन को प्रतिपादित करते हैं। यदि सर्वोदय कार्यकर्ताओं को संगठित कर व्यापक कर दिया जाय तो इससे सर्वोदय के लक्ष्यों को स्थापित करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हो सकती है। अतःएव भारतवर्ष में महात्मा गांधी के दर्शन को समझने एवं उसका क्रियान्वयन करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1. ईसाबास्योपनिषद, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2016, पृ. 14
2. गांधी, मो0क0ः 'सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा', अनुवादक काशीनाथ त्रिवेदी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 2014, पृ0-271।
3. Ruskin John, 'Unto This Last, Corn Hill Magazine, London, 1860
4. गांधीः 'मेरे सपनों का भारत', संग्रहकर्ता आर0 के0 प्रभु, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 2012, पृ0-63।
5. वही, पृ0-64।
6. गांधी, हरिजनः18.1.48।
7. गांधी, 'सम्पूर्ण गांधी वांगमय भाग 67', प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृ0-215।
8. वही, पृ0-214।
9. गांधीः 'मेरे सपनों का भारत', पूर्वोक्त, पृ0-228-229।
10. पाण्डेय, शारदाः 'गाँधी की सर्वोदयी अवधारणा', सम्पादक-ओम प्रकाश पाण्डेय, अभय कुमार सिंह, भारती प्रकाशन, वाराणसी, 2015, पृ0-43।
11. गांधीः 'मेरे सपनों का भारत', पूर्वोक्त, पृ0-173-174।
12. वही, पृ0-64।
13. गांधीः 'ग्राम-स्वराज्य', संग्राहक हरिप्रकाश व्यास, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 2015, पृ0-40-41।
14. वही, पृ0-44।
15. सिंह, रामजीः 'गांधी विचार', मानस पब्लिकेशन्स प्रा0लि0, दिल्ली, 1995, पृ0-251।
16. वही, पृ0-252-253।
17. मिश्रा, अनिल दत्तः 'सर्वोदयः एक विकल्प', सम्पादिका सुरजीत कौर जौली, कन्सैप्ट पब्लिकशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2007, पृ0-183।
18. वही, पृ0-200।

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

समाज कार्य हस्तक्षेप द्वारा बैगा जनजाति में विकास की संभावनाएँ

❑ डॉ. कृष्ण कुमार तिवारी

प्रस्तुत शोध पत्र में बैगा जानजाति की मुख्य समस्यायों को चिन्हित करके समाज कार्य हस्तक्षेप के माध्यम से उनके समाधान की संभावनाएँ तथा सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। वर्तमान में जनजातीय समाजों का आर्थिक अध्ययन देश अथवा प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विशेषकर उन राज्यों के समग्र विकास के लिए जनजातीय समाज का विकास अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहाँ की जनसंख्या में इनका प्रतिनिधित्व अधिक है। इन समाजों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार अथवा इनके विकास के बिना समग्र विकास की कल्पना बेमानी है। जनजातीय समुदायों में भी कुछ समुदाय अत्यंत पिछड़े हैं। पाँचवी योजना की अवधि में देश के ऐसे अत्यंत पिछड़े समुदायों को चिन्हित कर भारत सरकार द्वारा 75 समुदायों को PTGs के रूप में मान्यता प्रदान की गई। मध्य प्रदेश का बैगा जनजाति समुदाय उनमें से एक है। बैगा जनजाति को मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत बैगा जनजाति की मुख्य समस्याओं को चिन्हित करके समाज कार्य हस्तक्षेप के माध्यम से उनके समाधान की संभावनाओं का उल्लेख किया गया है।

समाज-कार्य एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक विधा है जो अनुसंधान, नीति, सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन-स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। सामाजिक कार्य का अर्थ है सकारात्मक, सुचिंतित और सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उनके सामाजिक वातावरण के बीच अन्तःक्रिया प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमताओं को बेहतर करना ताकि वे अपने जीवन की आवश्यकतायें पूरी करते हुए अपनी तकलीफ़ों को कम कर सकें। इस प्रक्रिया में समाज-कार्य लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उन्हें अपने ही मूल्यों की कसौटी पर खरे उतरने में सहायक होता है।

समाज-कार्य वैयक्तिक आधार पर, समूह अथवा समुदाय में व्यक्तियों की सहायता करने की एक प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर सके। इसके माध्यम से सेवार्थी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में उत्पन्न अपनी कतिपय समस्याओं को स्वयं सुलझाने में सक्षम होता है। अतः हम समाज-कार्य को एक समर्थकारी प्रक्रिया कह सकते हैं। यह अन्य सभी व्यवसायों से सर्वथा भिन्न होती है, क्योंकि समाज-कार्य उन सभी सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों का निरूपण कर उसके परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित होती है, जो व्यक्ति एवं उसके पर्यावरण-परिवार, समुदाय तथा समाज को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरण की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों के बाद व्यक्तिगत, जैविकीय, भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों की गतिशील अंतःक्रिया को दृष्टिगत कर ही सेवार्थी की सेवा प्रदान करता है। वह सेवार्थी के जीवन के प्रत्येक पहलू तथा उसके पर्यावरण में क्रियाशील, प्रत्येक सामाजिक स्थिति से अवगत रहता है क्योंकि सेवा प्रदान करने की योजना बताते समय वह इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

समाज-कार्य एकदम नया अनुशासन है जिसका प्रादुर्भाव हुए अभी सौ वर्ष भी नहीं हुए हैं। अक्सर लोग समाजशास्त्र एवं समाज-कार्य को एक ही समझ लेते हैं। हालाँकि समाज-कार्य का अधिकांश ज्ञान समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से लिया गया है, लेकिन समाजशास्त्र जहाँ मानव-समाज और मानव-संबंधों के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करता है, वहीं समाज-कार्य इन संबंधों में आने वाले अंतरों एवं सामाजिक परिवर्तन के कारणों की खोज क्षेत्रीय स्तर पर करने के साथ-साथ व्यक्ति के मनोसामाजिक पक्ष का भी अध्ययन करता है। समाज-कार्य करने वाले कर्त्ता का आचरण विद्वान की तरह न होकर समस्याओं में हस्तक्षेप के द्वारा व्यक्तियों, परिवारों, छोटे समूहों या समुदायों के साथ संबंध स्थापित करने की तरफ़ उन्मुख होता है। इसके लिए समाज-कार्य का अनुशासन पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और पेशेवर कार्यकर्ताओं पर भरोसा करता है।[1]

व्यावसायिक समाज कार्य की परिभाषा : इंडियन

❑ **असिस्टेंट प्रोफेसर समाजकार्य, कमला स्मृति महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)**

कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क (1957) के अनुसार :-समाज कार्य एक कल्याणकारी क्रिया है जिसका आधार मानवोचित दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्रावैधिक निपुणताओं पर है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों या समुदायों की सहायता करना है जिससे वह सुखी होकर एक संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।[2]

समाज कार्य की वैश्विक परिभाषा के अनुसार समाज कार्य शैक्षणिक अनुशासन के अभ्यास पर आधारित व्यावसायिक शिक्षण है जो सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, सामाजिक लगाव और सशक्तीकरण तथा जनता के प्रति उदारता को प्रोत्साहित करता है। यह सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, सामूहिक उत्तरदायित्व एवं भिन्नता का सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है। समाज कार्य के सिद्धांत सामाजिक विज्ञान के मानवतावादी, पौराणिक ज्ञान एवं जीवन की चुनौतियों से संलग्न हैं।[3]

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन :- जितेन्द्र निमजे[4], के अध्ययन ''मध्यप्रदेश में बैगा जनजाति में विकास योजनाओं का प्रभाव-एक मूल्यांकन-बालाघाट जिले के विशेष संदर्भ में'' अध्ययनकर्ता ने निष्कर्ष स्वरूप बताया कि अधिकांश बैगा परिवार झोपड़ी में ही निवास करते हैं, किन्तु कुछ के आवासों में आंशिक परिवर्तन आए हैं। अधिकांश परिवारों का स्वरूप एकांकी है परन्तु धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से वे संयुक्त हैं। उचित स्वास्थ्य के अभाव में आज भी वे लोग बीमार पड़ने पर जड़ी-बूटियों का प्रयोग करते हैं। बैगा परिवारों में सामाजिक-सांस्कृतिक रीति-रिवाजों में विकास कार्यक्रमों का प्रभाव आंशिक रूप से पड़ा है। वैवाहिक मान्यताएँ, क्रियाएँ परम्परागत ही हैं। नवाचार के रूप में दूल्हे के पहनावे में परिवर्तन एवं ऐसे शुभ अवसरों पर इनके घरों में लाउडस्पीकर का उपयोग होने लगा है।

रमेश चन्द्र पान्टेल[5] के अध्ययन ''अनुसूचित जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका (जनजातीय बहुल बड़वानी व खरगोन जिले के विषेश संदर्भ में) शोधार्थी ने पश्चिम निमाड़ के दोनों जनजातीय बहुल क्षेत्रों में (खरगोन तथा बड़वानी) में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में पंचायती राज की भूमिका के शोध प्रबंध में न्यादर्श के आधार पर दोनों जिलों की 16 पंचायतों के अंतर्गत 32 ग्राम पंचायतों का व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर सूचनाएँ समंक तथा तथ्य प्राप्त कर उनके विश्लेषण के माध्यम से निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं। शोधार्थी ने अपने अध्ययन में पाया कि संतुलित आर्थिक विकास की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना भी आवश्यक है। खरगोन तथा बड़वानी दोनों ही जिलों की जनजातीय जनसंख्या सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टि से देश के विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ सकी है। शैक्षणिक ज्ञान नहीं होने से ये लोग विभिन्न योजनाओं को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में क्रियान्वित योजनाओं की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। पंच, सरपंच, जन प्रतिनिधि जिला पंचायत के सदस्य आदि ने सहकारी संस्थानों से प्राप्त लाभ लिया है, परन्तु दूरस्थ ग्राम के हितग्राहियों तक विकास की धारा नहीं पहुंच सकी है। पंचायती राज संस्थानों से सम्बद्ध कर्मचारियों, अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत को कठोरता से लागू कर विभिन्न भ्रष्टाचार के प्रकरणों से कठोर दण्ड देने के लिए व्यवस्था की जाना भी अत्यन्त आवश्यक है।

कन्हैया त्रिपाठी[6] के अध्ययन ''जनजातियों के मानवाधिकार'' में पाया गया कि, भारत विविधता का देश है, किन्तु वैविध्यपूर्ण संस्कृति के निर्मित भारत की यदि हम कल्पना करेंगे तो ऐसा जरूर महसूस होगा, इसकी व्याख्या बहुत सरल नहीं है, खासकर जब हम आदिवासी समाज यानि जनजातियों को केन्द्र में रखकर बात करें। भारत में कुल आबादी की लगभग आठ प्रतिशत आदिवासियों की आबादी है। आदिवासी समाज, जो अपनी सभ्यता एवं सम्पूर्ण जीवन पद्धति में भिन्न मनुष्य है। उनकी बोली, भाषा,रहन-सहन, खान-पान, नृत्य, संगीत, परम्पराएं, आस्था और सम्पूर्ण जीवनशैली भिन्न हैं। वे जंगल में पूरा जीवन निर्वाह अपने तरीके से करने वाले मनुष्य हैं। वे आदिवासी जन जो दुनिया की तड़क-भड़क और तमाम ध्रुवीकरण की सम्भावनाओं वाले जिन्दगी से बेखबर रहने वाले तथा सहज, सरल व सौम्य लोग हैं।

ऋचा गोस्वामी[7] के अध्ययन ''उमरिया जिले में जनजातीय महिलाओं में रोजगार का स्वरूप एवं प्रवृत्ति'' में महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता का विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन कर इनकी वास्तविक स्थिति की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना तथा जिले की जनजातीय विकास की धारा की समग्र विवेचना करना ही इस शोध का मुख्य उद्देश्य था। अपने अध्ययन में उन्होंने यह पाया कि जिले में जनजातीय महिलाओं के रोजगार के अन्य साधनों में मत्स्यपालन,

वनोपज संग्रह, लकड़ी काटकर शहरों में बेंचना, दूसरे के घरों में घरेलू कार्य करना, तेंदू पत्ता संग्रह करके बेंचना, जड़ी-बूटी, शहद, महुआ आदि बेंचना है। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि जिले में कुछ जनजातीय महिलाएँ ऐसी हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद वे अपनी भूमि पर कृषि कार्य न करके बड़े किसानों के यहाँ कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं। इसका कारण पूँछने पर वे कृषि पर मानसून की निर्भरता, तथा सही समय पर खाद-बीज की अनुपलब्धता जैसे कारण बताती हैं। सरकार द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु नवीन तकनीक तथा कृषि से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं की जानकारी जिले की अधिकांश जनजातीय महिलाओं को नहीं है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति वे अनभिज्ञ तथा उदासीन हैं क्योंकि वे काफी संख्या में अशिक्षित हैं। इस प्रकार जिले की जनजातीय महिलाएँ कृषि, मजदूरी एवं बहुत ही कम भाग में शासकीय नौकरी में है। जिले में जनजातीय महिलाओं के स्वरोजगार हेतु कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका लाभ आगामी समय में मिलेगा। शिक्षा के प्रति जागरूकता, उचित माहौल एवं संसाधन, सरकारी प्रोत्साहन आदि से जनजातीय महिलाओं को रोजगार में सफलता मिल सकेगी।

मृगेन्द्र सिंह परिहार[8] ने ''सीधी जिले में जनजातियों के विकास कार्यक्रमों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन'' नामक विषय पर सीधी के जनजातियों पर अध्ययन किया और पाया कि जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों तथा हिन्दू जातियों का प्रभाव बढ़ा है। जनजातियों में शहरीकरण, शिक्षा तथा अन्य जातियों के प्रभाव के कारण सामाजिक संबंधों में क्रमशः शिथिलता एवं गिरावट आ रही है। जनजातीय रीति-रिवाज, परम्पराएँ, उत्सव, त्योंहार, संस्कृति, कला, नृत्य, मनोरंजन आदि प्रभावित हुए हैं। शासकीय शैक्षणिक सुविधाएँ वन ग्राम पाठशाला, राजीव गाँधी मिशन विद्यालय, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि के प्रभाव से जनजातियों में शैक्षणिक गतिविधियों की अभिवृद्धि हुई है, किन्तु शिक्षा के बढ़ते प्रभाव से जनजाति समाज दो वर्गों में विभक्त होता नजर आ रहा है तथा समाज में दूरी का अंतराल क्रमशः बढ़ रहा है। शिक्षित एवं अशिक्षित, शहरी एवं ग्रामीण की भावना, रोटी की तलाश में बाहर गये हुए या घर में रह रहे लोग ऊँच-नीच, अमीर एवं गरीब की भावना की अभिवृद्धि जनजातियों में हो रही है, जिससे सामाजिक विघटन की शुरुआत हो रही है तथा सामाजिक नियंत्रण की कमी तथा पारिस्थितिकी के प्रति आस्था एवं विश्वास में शिथिलता आ रही है। जनजातियों को स्वास्थ्य संवर्द्धन का सही लाभ नही मिल पाता है, जिसका मूल कारण टोटमवाद तथा प्रकृति से सुलभ कन्दमूल आदि पर विश्वास है। जनजातियों का विश्वास प्रकृति पूजा एवं पारिस्थितिकी पर है, अतः उनके स्वास्थ्य संवर्द्धन के लिए उनके द्वारा सम्पादित कन्दमूल, जड़ी-बूटियाँ आदि के संयोजना से तैयार ही उन्हें प्रदाय कराई जानी चाहिए। उसमें उनके ओझा का सहयोग भी यदि स्थानीय डाक्टरों द्वारा प्राप्त किया जाय तो उसका लाभ जनजातियों को समुचित रूप से मिल सकता है।

दिनेश कुमार चन्द्रा, एवं पी0 के0 नायक[9] द्वारा ''बिलासपुर जिले के बैगा जनजाति की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन'' करने पर यह पाया गया कि शिक्षा एवं सरकारी नीतियों से संबंधित प्रश्नों पर बैगा जनजाति के द्वारा सहमत एवं असहमत में थोड़ा ही अंतर पाया गया है। प्रायः सभी सरकारी नीतियॉ बनायी तो जाती हैं पर वास्तविकता अलग पायी जाती है तथा उनका सही रूप से क्रियान्वयन नही किया जाता है। स्वास्थ्य केन्द्रों में मुफ्त चिकित्सा, छात्रवृत्ति, निःशुल्क गणवेश, स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की पर्याप्त सुविधाओं के प्रश्न पर मामूली ही अंतर पाया गया है। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है, सबसे बड़ी बात यह है कि 60 प्रतिशत मजदूर सरकारी नीतियों की जानकारी से अनभिज्ञ हैं फिर भी प्राप्त ऑकड़े यह सिद्ध करते हैं कि शिक्षा एवं सरकारी नीतियाँ बैगा जनजाति के बच्चों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पायी हैं।

शोध का उद्देश्य :-

1. समुदाय में स्वास्थ्य योजनाओं की जागरूकता का अध्ययन करना।
2. जन कल्याण के कार्यक्रमों में जन सहभागिता की स्थिति का अवलोकन करना।
3. समाज कार्य की संभावनाओं को खोजना।
4. सरकारी योजनाओं का बैगा जनजाति पर प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध पद्धति : प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक सह अन्वेषणात्मक प्रकृति का है।गुणात्मक शोध का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को गहराई से समझना है। गुणात्मक विधि निर्णय के न केवल क्या, कहां, कब की छानबीन करती है, बल्कि क्यों और

कैसे को खोजती है।

मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली तहसील से बैगा जनजाति बाहुल्य वाला गाँव चमराडोल चुना गया है। मध्यप्रदेश के सीधी जिले में 5 विकासखंण्ड - कुसमी, मझौली, सीधी, रामपुर नैकिन और सिहावल है। सीधी जिले की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 2067824 है जिसमे पुरुष जनसंख्या 1054756 एवं महिला जनसंख्या 1013068 है, और परिवार की संख्या 440148 है। पूरे सीधी में बैगा परिवार की कुल जनसंख्या 28,276 है और बैगा परिवार की संख्या 7271 है।[10]

बैगा जनजाति द्रविड़ समूह की एक आदिम जनजाति है। यह जनजाति भारत की अत्यंत ही प्राचीन जनजातियों में से एक है। बैगा भारत के आठ राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में निवास करते है। बैगा जनजाति अपनी अनूठी सामजिक व्यवस्था एवं संस्कृति के लिए जानी जाती है। मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति समूहों में से एक जनजाति बैगा है। बैगा जनजाति जितनी प्राचीन जनजाति है उतनी ही प्राचीन बैगाओं की संस्कृति भी है। बैगा जनजाति अपनी संस्कृति को संजोये हुए है। इनका रहन-सहन, खान-पान अत्यंत सादा होता है। बैगा जनजाति के लोग वृक्ष की पूजा करते है तथा बूढ़ा देव एवं दूल्हा देव को अपना देवता मानते है। बैगा झाड़-फूक एवं जादू-टोना में विश्वास करते हैं। इनकी वेश-भूषा अत्यंत अल्प होती है। बैगा पुरुष मुख्य रूप से एक लंगोट तथा सर पे गमछा बांधते हैं, वहीं बैगा महिलाएं एक साड़ी तथा पोलखा का प्रयोग करती हैं। किन्तु वर्तमान समय में मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले नौजवान युवक शर्ट-पैंट का भी प्रयोग करने लगे है। बैगा जनजाति की महिलाएं आभूषण प्रिय होती हैं। बैगा महिलाएं आभूषण के साथ-साथ गोदना भी गुदवाती हैं। इनकी संस्कृति में गोदना का अत्यधिक महत्व है। बैगा महिलाएं शरीर के विभिन्न हिस्से में गोदना गुदवाती हैं। बैगा जनजाति का मुख्य व्यवसाय वनोपज संग्रह, पशुपालन, खेती तथा ओझा का कार्य करना है। आधुनिकता के दौर में बैगा जनजाति की संस्कृति में भी आधुनिकता का समावेश हो रहा है। बैगा अब सघन वन, कंदराओं तथा शिकार को छोड़ कर मैदानी क्षेत्रों में रहना तथा कृषि कार्य करना प्रारंभ कर रहे है। किन्तु बैगा अपने आप को जंगल का राजा और प्रथम मानव मानते हैं, इनका मानना है कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है।[11]

सीमित संसाधन एवं सीमित समय के कारण अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन हेतु मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली तहसील में स्थित जो सीधी जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जनगणना 2011 के अनुसार जिसमें कुल 522 परिवार में से बैगा जनजाति के 444 परिवार निवास करते हैं। 444 परिवारों में से दैव निदर्शन प्राविधि द्वारा 30 परिवारों का चयन करके समाज कार्य हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। साथ ही गुणात्मक रूप से तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। **प्रस्तुत** शोध अध्ययन के प्राथमिक स्त्रोत समग्र से चुने गए उत्तरदाता हैं जिनसे साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम साक्षात्कार विधि की प्रयोग में लाते हुए आँकड़ों को संकलित किया गया है।

द्वितीयक आँकड़े को संकलित करने के लिये अध्ययनकर्ता द्वारा सम्बंधित पुस्तकों, शोध ग्रंथों, संबंधित प्रकाशित या अप्रकाशित हुये शोध कार्यो की रिपोर्ट, विभागीय अभिलेख, प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट, संबंधित पुस्तके, रिसर्च जनरल, आदि द्वारा द्वितीयक आकड़ों को अध्ययनकर्ता द्वारा संकलित गया है।

समाज कार्य हस्तक्षेप का परिणाम : समाज कार्य हस्तक्षेप से निम्नलिखित सारणियों में हस्तक्षेप सम्बन्धी प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है इसके साथ ही विकास की संभावनाओं पर भी बल दिया गया है।

तालिका संख्या- 1

शासकीय स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी

समाज कार्य हस्तक्षेप के पहले		
स्थिति	संख्या	प्रतिशत
अच्छी	6	20
सामान्य	18	60
बहुत कम	6	20
योग	30	100
समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद		
स्थिति	संख्या	प्रतिशत
अच्छी	12	40.00
सामान्य	16	53.33
बहुत कम	2	6.67
योग	30	100

तालिका संख्या 1 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि

समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 60प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा था कि उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में सामान्य जानकारी हैं, समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद यह प्रतिशत घट्कर 53.33 प्रतिशत हो गया। इसी तरह समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 20 प्रतिशत योजनाओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी भी घटकर 6.67 प्रतिशत रह गया। वहीं 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा था कि उन्हें योजनाओं के बारे में अच्छी जानकारी है वह बाद में 40 प्रतिशत हो गया है। **तालिका** संख्या 1 से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप के उपरान्त उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी में सुधार हुआ है।यदि योजनाओं के और अधिक प्रचार - प्रसार पर जोर दिया जाए तो लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

तालिका संख्या -2

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाने की प्रेरणा

समाज कार्य हस्तक्षेप के पहले		
स्थिति	संख्या	प्रतिशत
हाँ	6	30
कभी-कभी	12	50
नहीं	12	20
योग	30	100
समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद		
हाँ	12	40.00
कभी-कभी	15	40.00
नहीं	3	10.00
योग	30	100

तालिका संख्या 2 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा था कि स्वास्थ्य केन्द्र पर जाने हेतु कभी-कभी ही प्रेरित करते हैं, समाज कार्य हस्तक्षेप से यह प्रतिशत बढ़कर 60 हो गया। इसी तरह समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनको स्वास्थ्य केन्द्र पर जाने हेतु हमेशा प्रेरित करते हैं, समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद यह प्रतिशत भी बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है। समाज कार्य हस्तक्षेप से पूर्व 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनको स्वास्थ्य केन्द्र पर जाने हेतु प्रेरित नहीं करते हैं, समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद यह प्रतिशत घटकर 10 प्रतिशत हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप से स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र पर जाने हेतु प्रेरित करने की स्थिति में सुधार हुआ है।

तालिका संख्या -3

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा परामर्श दिया जाना

समाज कार्य हस्तक्षेप के पहले		
स्थिति	संख्या	प्रतिशत
हाँ	9	30
कभी-कभी	9	30
नहीं	12	40
योग	30	100
समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद		
हाँ	15	50
कभी-कभी	12	40
नहीं	3	10
योग	30	100

तलिका 3 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा था कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा हमेशा परामर्श दिया जाता है, समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद यह प्रतिशत बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। इसी तरह समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा था कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा कभी-कभी परामर्श दिया जाता है, समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद यह प्रतिशत भी बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया। वहीं समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा था कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा कभी भी परामर्श नहीं दिया जाता है, समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद इनका प्रतिशत घटकर 10 प्रतिशत हो गया। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप के पश्चात् स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा हमेशा परामर्श देने की स्थिति में सुधार हुआ है।

तालिका संख्या -4

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विषय में जानकारी

समाज कार्य हस्तक्षेप के पहले		
स्थिति	संख्या	प्रतिशत
अच्छी	3	10
सामान्य	12	40
बहुत कम	15	50
योग	30	100

समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद		
अच्छी	9	30
सामान्य	18	60
बहुत कम	3	10
योग	30	100

तालिका संख्या 4 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि उनको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विषय में सामान्य जानकारी है, समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद यह प्रतिशत बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि उनको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विषय में अच्छी जानकारी है, समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद यह प्रतिशत भी बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया। वहीं समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद यह प्रतिशत घटकर 10 प्रतिशत रह गया है। तालिका संख्या 4 से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप के उपरान्त उत्तरदाताओं को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विषय में जानकारी की स्थिति में सुधार हुआ है।

तालिका संख्या -5

रोजगार योजना के बारे में जानकारी

समाज कार्य हस्तक्षेप के पहले		
स्थिति	संख्या	प्रतिशत
अच्छी	3	10
सामान्य	9	30
बहुत कम	18	60
योग	30	100.00
समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद		
अच्छी	9	30
सामान्य	18	60
बहुत कम	3	10
योग	30	100.00

तालिका संख्या 5 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं को रोजगार योजना के बारे में अच्छी जानकारी थी,समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद इनका प्रतिशत बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं को रोजगार योजना के बारे में सामान्य जानकारी थी, बाद में यह प्रतिशत भी बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया। वहीं समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 60 को बहुत कम जानकारी थी, बाद यह प्रतिशत घटकर 10.00 प्रतिशत रह गया है। तालिका संख्या 5 से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप के उपरान्त उत्तरदाताओं को रोजगार योजना के बारे में जानकारी की स्थिति में सुधार हुआ।रोजगार योजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करना चाहिए।

तालिका संख्या - 6

ऋण बचत समूह योजना के बारे में जानकारी

समाज कार्य हस्तक्षेप के पहले		
स्थिति	संख्या	प्रतिशत
अच्छी	3	10
सामान्य	12	40
बहुत कम	15	50
योग	30	100
समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद		
अच्छी	9	30
सामान्य	18	60
बहुत कम	3	10
योग	30	100

तालिका संख्या 6 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले मात्र 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ऋण बचत समूह योजना के बारे में अच्छी जानकारी थी, समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद यह प्रतिशत बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं को उत्तरदाताओं को ऋण बचत समूह योजना के बारे में सामान्य जानकारी थी, जो बाद में बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया। वहीं समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं को उत्तरदाताओं को ऋण बचत समूह योजना के बारे में बहुत कम जानकारी थी, हस्तक्षेप के बाद यह प्रतिशत घटकर 10 प्रतिशत रह गया है। तालिका संख्या 6 से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप के उपरान्त उत्तरदाताओं को ऋण बचत समूह योजना के बारे में जानकारी में वृद्धि हुई है।

तालिका संख्या -7

स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी

स्थिति	संख्या	प्रतिशत
समाज कार्य हस्तक्षेप के पहले		
अच्छी	3	10
सामान्य	9	30
बहुत कम	18	60
योग	30	100
समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद		
अच्छी	9	30
सामान्य	18	60
बहुत कम	3	10
योग	30	100

तालिका संख्या 7 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं को स्वरोजगार योजना के बारे में सामान्य एवं 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अच्छी जानकारी थी, समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद इनका प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 30 एवं 60 प्रतिशत हो गया। वहीं समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं को स्वरोजगार योजना के बारे में बहुत कम जानकारी थी, समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद यह प्रतिशत घटकर 10 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप के उपरान्त स्वतः रोजगार एवं रोजगार हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी में वृद्धि हुई है।

तालिका संख्या - 8

स्व सहायता समूह के बारे में जानकारी

स्थिति	संख्या	प्रतिशत
समाज कार्य हस्तक्षेप के पहले		
अच्छी	3	10
सामान्य	6	20
बहुत कम	21	70
योग	30	100
समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद		
अच्छी	9	30
सामान्य	18	60
बहुत कम	3	10
योग	30	100

तालिका 8 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं को स्व सहायता समूह के बारे में सामान्य एवं 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अच्छी जानकारी थी, समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद इनका प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत हो गया। वहीं समाज कार्य हस्तक्षेप से पहले 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं को स्व सहायता समूह के बारे में बहुत कम जानकारी थी, समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद यह प्रतिशत घटकर 10 प्रतिशत रह गया। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप के पश्चात् स्व सहायता समूह के बारे में सूचनादाताओं की जानकारी में वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त पूर्ण विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि समाज कार्य हस्तक्षेप के फलस्वरूप बैगा जनजाति का विकास हुआ है। उनमें सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जानकारी, रोजगार योजना के संबंध में जानकारी, ऋण बचत समूह योजना की जानकारी, स्वरोजगार योजना तथा स्वं सहायता समूह आदि विकास योजनाओं के संबंध में जानकारी में वृद्धि हुई है इसके कारण वे इन योजनाओं से लाभांवित हो रहे हैं।

बैगा जनजाति के विकास हेतु निम्नानुसार सुझाव प्रस्तुत है–

1. बैगा जनजाति में आवास निर्माण हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि कर कच्चे आवासों के स्थान पर पक्के आवासों का निर्माण एवं मिश्रित व पक्के प्रकार के आवासों की मरम्मत हेतु सहायता दी जानी चाहिए।
2. बैगा जनजाति के विकास के लिए पृथक नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इन बैगा में आवश्यक सुविधाओं के विकास के साथ-साथ सामान्य विकास कार्य अनिवार्य रूप से किये जाने की आवष्यकता है।
3. बैगा जनजाति में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि बैगा परिवारों को पीने के पानी के लिए दूर न जाना पड़े।
4. बैगा जनजाति में स्थानीय संसाधनों तथा सामुदायिक श्रम के आधार पर गलियों तथा पानी की उचित निकासी हेतु पक्की नालियों के निर्माण की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही सामूहिक श्रमदान के आधार पर इनकी साफ-सफाई तथा रख-रखाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सहराने के गंदे पानी एवं बारिश के पानी के गढ़ढों को भरने एवं अन्य उपाय

जो वातावरण को साफ-सुथरा बनाने के लिए आवश्यक हो किया जाना चाहिए।

5. ऐसे बैगा ग्राम जो मुख्य सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें मुख्य मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाना चाहिए।

6. वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का व्यावहारिक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7. जंगलों के रख-रखाव में बैगा की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सन्दर्भ

1. सिंह सुरेन्द्र, आर0 बी0 एस0 वर्मा, 'भारत में समाज कार्य का क्षेत्र', न्यू रॉयल बुक कम्पनी, लखनऊ, 2008 पु. 93-94
2. सिंह सूद, पाल, 'समाज कार्य सिद्धान्त एवं अभ्यास', नव ज्योति सिमरन, लखनऊ, 1999 पृ. 112- 119
3. https://www.ifsw.org/global-definition-of-social-work/ (30 December 2018)
4. चौरसिया, विजय, 'बैगा जनजाति में वैवाहिक संस्कार चौमासा (आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल का प्रकाशन), अंक 98-99, वर्ष-32, जुलाई - अक्टूबर 2015 एवं नवम्बर-फरवरी 2016
5. निमजे, जितेन्द्र, 'मध्यप्रदेश में बैगा जनजाति में विकास योजनाओं का प्रभाव-एक मूल्यांकन बालाघाट जिले के विशेष संदर्भ में', अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, 2004
6. पान्टेल रमेशचन्द्र, 'अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका (जनजातीय बाहुल्य बड़वानी व खरगोन जिले के विषेश संदर्भ में)' पी-एच. डी. शोध प्रबंध, 2008. देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय इंदौर
7. त्रिपाठी कन्हैया, 'जनजातियों के मानवाधिकार' योजना वर्ष 52 अंक9, 2008, पृ. 54-56
8. गोस्वामी ऋचा, 'उमरिया जिले में जनजातीय महिलाओं में रोजगार का स्वरूप एवं प्रवृत्ति' International Journal of Applied Research IJAR 2017; 3(11), pp. 442-445 www.allresearchjournal.com Received: 05-09-2017.
9. परिहार मृगेन्द्र सिंह, 'सीधी जिले में जनजातियों के विकास कार्यक्रमों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन' International Journal of Multidisciplinary Research and Development Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979 Impact Factor: RJIF 5.72 www.allsubjectjournal.com Volume 5; Issue 3; March 2018; pp. 85-88A
10. चन्द्रा दिनेश कुमार, एवं नायक पी0 के0, 'बिलासपुर जिले के बैगा जनजाति की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन', International Journal of Advanced Education and Research ISSN: 2455-5746 Impact Factor: RJIF 5.34 www.alleducationjournal.com Volume 3; Issue 3; May 2018; pp. 31-34
11. सेंसस ऑफ इंडिया, 2011

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में लोकायुक्त संगठन की भूमिका

❑ रामचन्द्र जमरा
❖ डॉ. सरोज बिल्लौरे

भारत जैसे विकासशील देश में भ्रष्टाचार चर्चा और आन्दोलनों का एक प्रमुख विषय रहा है। देश की स्वतंत्रता के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा नजर आने लगा था और उस समय संसद में इस बात पर बहस भी होती थी। 21 दिसम्बर 1963 को भारत में भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर संसद में हुई बहस में राममनोहर लोहिया ने जो भाषण दिया था कि सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। देश के गाँवों से महानगर तक सभी स्थानों पर भ्रष्टाचार की घटनाएँ देखने व सुनने को मिलती हैं। भ्रष्टाचार की समस्या उस समय और भी अधिक जटिल हो जाती है, जब नौकरशाही के उच्च अधिकारी अथवा कानून के रक्षक स्वयं ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकायुक्त संगठन की स्थापना की है। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत भ्रष्टाचार के नियंत्रित करने में लोकायुक्त संगठन की भूमिका का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

भारत जैसे विकासशील देश में भ्रष्टाचार चर्चा और आन्दोलनों का एक प्रमुख विषय रहा है। देश की स्वतंत्रता के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा नजर आने लगा था और उस समय संसद में इस बात पर बहस भी होती थी। 21 दिसम्बर 1963 को भारत में भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर संसद में हुई बहस में राममनोहर लोहिया ने जो भाषण दिया था कि सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है।[1] भ्रष्टाचार जिस किसी क्षेत्र में व्याप्त हो, वह उस क्षेत्र तथा संबंधित व्यक्ति की सकारात्मक छवि पर कलंक लगाता है। भ्रष्टाचार का सीधा प्रभाव जाति, धर्म या देश की छवि पर भी पड़ता है। भारत देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत ही गहरी हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार को उखाड़ना भले ही असंभव न हो, परंतु यह एक कठिन कार्य अवश्य है। दुराचार, व्यभिचार, अनाचार तथा बलात्कार आदि अनेक रूपों में यह हमारे देश की राजनीति, समाज, व्यापार, उद्योग व प्रशासन आदि सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। देश के गाँवों से महानगर तक सभी स्थानों पर भ्रष्टाचार की घटनाएँ देखने व सुनने को मिलती हैं। भ्रष्टाचार की समस्या उस समय और भी अधिक जटिल हो जाती है, जब नौकरशाही के उच्च अधिकारी अथवा कानून के रक्षक स्वयं ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। इससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना हमारे देश के लिए यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े जाने पर भी ये लोग अपने धन या प्रभाव का प्रयोग कर सभी आरोपों से मुक्त हो जाते हैं।

समाज में विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि व्यक्ति रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर ही छूट जाता है। जब तक इस अपराध के लिए कड़ी सजा नही दी जाएगी तब तक यह बीमारी दीमक की तरह पूरे देश को खा जाएगी। लोगों को स्वयं में ईमानदारी विकसित करनी होगी और भावी पीढ़ी तक सुआचरण के लाभ पहुँचाने होंगे। मध्यप्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित लोकायुक्त संगठन के प्रयास कितने कारगर साबित होते है ? क्या प्रदेश का लोकायुक्त संगठन सही तरीके से अपने उद्देश्यों में सफल हो रहा है? इन समस्त बिन्दुओं का विश्लेषण करने के लिए ही ''भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में लोकायुक्त की भूमिका'' (मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में) नामक प्रस्तुत शोध अध्ययन किया गया है।

शोध के उद्देश्य

1. भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में लोकायुक्त संगठन

❑ शोध अध्येता, राजनीति विज्ञान विभाग, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
❖ प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

की भूमिका का अध्ययन करना।

2. भ्रष्टाचार निवारण में लोकायुक्त संगठन के समक्ष आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्व :- साधारण व्यक्ति के समक्ष भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पक्षों को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास प्रस्तुत शोध अध्ययन है। इस शोध कार्य का महत्व एवं प्रासंगिकता यह है कि इसके माध्यम से यह स्पष्ट हो सकेगा कि मध्य प्रदेश में कार्यरत् लोकायुक्त संगठन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या- क्या प्रयास कर रहा है और वह इस दिशा में कितना सफल हो रहा है? यह शोध नवीन शोधार्थियों एवं विषय से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं बहुत प्रासंगिक होगा और उनको मार्गदर्शन देगा।

संबंधित साहित्य का अध्ययन :- रजक[2] ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि आज बहुत हद तक बेहतर समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक भारतीय समाज की बुनियादी संस्थागत कमजोरियों को प्रभावित करता है। संस्थागत सुधारों के क्रियान्वयन से भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों के लिए विकसित की जाने वाली भागीदारी प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से लाभ मिल सकता है। हालांकि, भारत में भ्रष्टाचार एक असहनीय समस्या है। यह मधुमेह की तरह है, जिसे केवल नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना संभव नही है, लेकिन इसे बर्दाश्त करने योग्य सीमाओं के भीतर सम्मिलित करना संभव है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदार और समर्पित, चुनावी खर्चों पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवसर हो सकते हैं।

कुंडु[3] ने अपने शोध पत्र में स्पष्ट किया है कि आर्थिक सुधार, पारदर्शिता में वृद्धि, ई-गवर्नेंस उपकरण होने के बावजूद हमारे देश में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। भारत में अखंडता, भ्रष्टाचार और सुशासन का हाथ है, इसलिए भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना एक कठिन काम है। भ्रष्टाचार और घूस ने हमारी राजनीतिक, प्रशासनिक आर्थिक प्रणाली को कैंसर रोग जैसे प्रभावित किया है। लेकिन जब तक कि भारत के लोग इस तरह के लालची लोक सेवकों और राजनेताओं को 'संतुष्टि' देना बंद नहीं कर देते या बेनकाब नहीं करते हैं, तब तक भ्रष्टाचार की श्रृंखला नहीं टूट सकती है। हमें लोगों पर अधिक ध्यान देने, हमारे कानूनी और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के साथ एक अच्छी तरह से काम करने वाले राज्य की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार और रिश्वत एक समकालीन चुनौती है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक के सामने है।

कंडुकुरी[4] ने अपने शोध में स्पष्ट किया है कि निजी और सार्वजनिक जीवन में खिलाड़ियों के बीच राजनीतिक भ्रष्टाचार अनैच्छिक व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध रूप से सामूहिक माल का मिलान किया जाता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार को उच्च्व स्तरीय भ्रष्टाचार के रूप में गिना जाता है, जहाँ इसे प्रतिष्ठित किया जाता है। राजनीतिक निर्णय निर्माताओं के रूप में स्पष्ट रूप से नौकरशाही शामिल है। राजनीतिक भ्रष्टाचार राजनीतिक व्यवस्था के उच्चतर स्तरों पर होता है, जहाँ राजनेता और राज्य के प्रतिनिधि कानूनों को लागू करने के लिए मर्यादा का उपयोग करते हैं। धन प्राप्त करने के लिए नेता राजनीतिक भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया को संसाधन विकृत कर देते हैं। जब कानून और नियम लागू होते हैं तो राज्य को उनके हितों को पूरा करने के लिए शासकों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। राजनैतिक भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से कानून के उल्लंघन के बारे में इंगित करता है और शासकों द्वारा अनुचित रूप से अतिक्रमण के अधीन है। राजनीतिक भ्रष्टाचार नीतियों, संस्थानों और नियमों का एक हेरफेर है। राजनीतिक निर्णयकर्ताओं द्वारा संसाधनों के आवंटन और वित्तपोषण में प्रक्रिया में अपनी शक्ति, स्थिति और धन, मतदान को बनाए रखने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। अनियमितता, भाई-भतीजावाद और कुछ झूठे राजनीतिक वादों का शासन मतदाताओं को प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के अनुकूल कवरेज के लिए पत्रकार पैसे, भोजन और पेय का वितरण की व्यवस्था भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।

बासु[5] ने अपने अध्ययन में वर्ष 2002 के एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वेक्षण का विश्लेषण किया है और स्पष्ट किया है कि ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार के घटते क्रम में निम्नलिखित सात सरकारी एजेंसियों को श्रेणी प्रदान करता है, जिसमें शामिल हैं- पुलिस, न्यायिक सेवाएँ, भूमि प्रशासन, शिक्षा, कर और स्वास्थ्य सेवाएँ। उत्पीड़न से बचने के लिए पुलिस को रिश्वत दी जाती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नौकरशाही भ्रष्टाचार का भुगतान सीधे अधिकारियों को दिया जाता था और बिचौलियों को

नहीं और ज्यादातर अधिकारी स्तर के कर्मचारियों को और अधीनस्थ कर्मचारियों को नहीं। नौकरशाही भ्रष्टाचार की सर्वव्यापकता से संबंधित है। सरकारी भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी है और पोस्टिंग एवं आकर्षक पदों पर स्थानांतरण शामिल है। घूस की दर विभिन्न सेवाओं के लिए शामिल कानूनी रकमों का 10-20 प्रतिशत तक होती है। अध्ययन में यह पाया गया कि कंपनियाँ यह जानती हैं कि विभिन्न अहसानों के लिए उन्हें किस दर पर रिश्वत देनी होती है और यह उनकी लागत गणना में बनाया गया है।

यादव एवं चौपड़ा[6] ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार गरीबों के लिए एक दोहरा खतरा है, जो आर्थिक रूप से सबसे कठिन हैं। यह शोध पत्र वर्तमान स्थिति का अध्ययन करता है और स्पष्ट करता है कि देश में भ्रष्टाचार एवं रिश्वत के विभिन्न रूपों का सामना करना पड़ता है। यह भ्रष्टाचार के प्रभाव को भी दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के कारण अर्थव्यवस्था का क्षेत्रवार कितना खराब प्रदर्शन है।

भोयर[7] ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि काला धन और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कालाधन भ्रष्टाचार के स्त्रोत हैं। कालाधन अवैध तरीके से बनाया जाता है। कालेधन का अनुपात हमारी आर्थिक प्रणाली में कानूनी धन से दोगुना है।

शोध प्रारूप : प्रस्तुत शोध कार्य के लिए अध्ययन के समग्र के रूप में मध्य प्रदेश के धार जिले का चयन किया गया है। धार जिला 8 तहसीलों में विभाजित है। अतः सर्वप्रथम सोउद्देश्य निदर्शन पद्धति के आधार पर प्रत्येक तहसील से 2 गाँवों का चयन किया गया। इस प्रकार कुल 16 गाँवों चयनित किये गये। इसके पश्चात दैव निदर्शन विधि की सहायता से प्रत्येक गाँव से 25 सूचनादाताओं का चयन किया गया। इस प्रकार 16 गाँवों से कुल 400 सूचनादाताओं का अध्ययन की इकाई के रूप में चयन किया गया।

इस शोध कार्य की पूर्ति हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का संकलन किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन चयनित गाँवों के उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है, वहीं द्वितीयक संमकों का संकलन विभिन्न लिखित प्रलेखों से किया गया है।

विश्लेषण :-

तालिका 1
उत्तरदाताओं को लोकायुक्त संगठन की जानकारी

जानकारी	संख्या	प्रतिशत
हाँ	373	93.25
नहीं	27	6.75
योग	400	100

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरादाताओं में से 93.25 प्रतिशत को ही लोकायुक्त संगठन के बारे में जानकारी है। शेष 6.75 प्रतिशत को कोई जानाकरी नहीं है। इसलिए लोकायुक्त के संबंध में समस्त सूचनाएं इन 93.25 प्रतिशत अर्थात् 373 से ही प्राप्त की गई हैं।

मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संगठन की कार्य प्रणाली के संबंध में अभिमत

मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संगठन की कार्य प्रणाली के संबंध में अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत अभिमतों को तालिका 2 में दर्शाया गया है-

तालिका 2
लोकायुक्त संगठन की कार्य प्रणाली के संबंध में अभिमत

अभिमत	संख्या	प्रतिशत
बहुत अच्छी	103	27.61
अच्छी	142	38.07
अच्छी नहीं	128	34.32
कुल योग	373	100.00

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 27.61 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कथन है कि मध्यप्रदेश के लोकायुक्त संगठन की कार्य प्रणाली बहुत अच्छी है, जबकि 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि लोकायुक्त संगठन कार्य प्रणाली अच्छी है। 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि लोकायुक्त संगठन कार्य प्रणाली अच्छी नहीं है। इस प्रकार उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (65.68 प्रतिशत) का मानना है कि मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संगठन की कार्य प्रणाली अच्छी है।

लोकायुक्त संगठन द्वारा निष्पक्षता से कार्य करने के संबंध में अभिमत

मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संगठन द्वारा निष्पक्षता से कार्य किया जाता है या नहीं ? इस संबंध में जो अभिमत प्राप्त हुए हैं, उन्हें तालिका 3 में दर्शाया गया है-

तालिका 3

लोकायुक्त संगठन द्वारा निष्पक्षता से कार्य करने के संबंध में अभिमत

अभिमत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	81	21.72
नहीं	140	37.53
पता नहीं	152	40.75
कुल योग	373	100.00

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 21.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि मध्यप्रदेश के लोकायुक्त संगठन द्वारा निष्पक्षता से कार्य किया जाता है, वहीं 37.53 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि लोकायुक्त संगठन द्वारा निष्पक्षता से कार्य नहीं किया जाता है। शेष 40.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें उक्त संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार लोकायुक्त संगठन की निष्पक्षता के बारें में उन्हें पता नहीं है।

लोकायुक्त संगठन द्वारा दबाव में कार्य करने के संबंध में अभिमत

मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संगठन द्वारा दबाव में कार्य किया जाता है या नहीं ? इस संबंध में जो अभिमत प्रस्तुत किए है, उन्हें तालिका 4 में दर्शाया गया है-

तालिका 4

लोकायुक्त संगठन द्वारा दबाव में कार्य करने के संबंध में अभिमत

अभिमत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	140	37.53
नहीं	81	21.72
पता नहीं	152	40.75
कुल योग	373	100.00

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 37.53 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि लोकायुक्त संगठन द्वारा दबाव में कार्य किया जाता है। 21.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसके विपरीत अभिमत दिया है। वहीं 40.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार संगठन द्वारा दबाव में कार्य करने के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधिसंख्यक उत्तरदाताओं के अनुसार लोकायुक्त संगठन द्वारा दबाव में कार्य करने के बारें उन्हें जानकारी नहीं है।

लोकायुक्त संगठन के उद्देश्यों की सफलता के संबंध में अभिमत

लोकायुक्त संगठन अपने उद्देश्यों में सफल हो रहा है या नहीं ? इस संबंध में जो अभिमत प्रस्तुत किए है, उन्हें तालिका 5 में दर्शाया गया है-

तालिका 5

लोकायुक्त संगठन के उद्देश्यों की सफलता के संबंध में अभिमत

अभिमत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	109	29.22
नहीं	264	70.78
कुल योग	373	100.00

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कुल उत्तरदाताओं में से 29.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि लोकायुक्त संगठन अपने उद्देश्यों में सफल हो रहा है, जबकि 70.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि लोकायुक्त संगठन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो रहा है। अतः उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं के मतानुसार लोकायुक्त संगठन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो रहा है।

लोकायुक्त संगठन की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता के संबंध में अभिमत

लोकायुक्त संगठन की कार्यप्रणाली में सुधार होना चाहिए या नहीं ? इस संबंध में जो अभिमत प्रस्तुत हुए हैं, उन्हें तालिका 6 में दर्शाया गया है-

तालिका 6

लोकायुक्त संगठन की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता के संबंध में अभिमत

अभिमत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	128	34.32
आवश्यकता नहीं है	245	65.68
कुल योग	373	100.00

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 34.32 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि लोकायुक्त संगठन की कार्यप्रणाली में सुधार होना चाहिए है, वहीं 65.68 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि लोकायुक्त संगठन की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं का विचार है कि लोकायुक्त संगठन सही तरीके से कार्य कर रहा है और उसकी

कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता नहीं है।

भ्रष्टाचार को समाप्त/नियंत्रण करने के लिए सुझाव

भ्रष्टाचार को समाप्त/नियंत्रण करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा जो सुझाव दिए गए है, उन्हें तालिका 7 में दर्शाया गया है-

तालिका 7

भ्रष्टाचार को समाप्त/नियंत्रण करने हेतु सुझाव

अभिमत	संख्या	प्रतिशत
संस्थाओं का सशक्त होना	187	50.13
निष्पक्षता से कार्य करना	45	12.07
बिना दबाव के कार्य करना	141	37.80
कुल योग	373	100.00

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 50.13 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि भ्रष्टाचार को समाप्त या नियंत्रित करने के लिए संस्थाओं का सशक्त होना चाहिए है, वहीं 12.07 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि संस्थाओं की कार्यवाही निष्पक्ष होना चाहिए है। 37.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि संस्थाओं एवं संगठनों को बिना किसी दबाव के कार्य करना चाहिए। इस प्रकार उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाताओं का अभिमत है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा सशक्त होकर कार्य करना चाहिए। तभी भ्रष्टाचार को समाप्त या नियंत्रित किया जा सकता है।

अध्ययन के निष्कर्ष

इस शोध कार्य के निष्कर्ष निम्न प्रकार से है-

1. अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं में से सबसे अधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि मध्यप्रदेश के लोकायुक्त संगठन की कार्य प्रणाली अच्छी है।
2. अधिकांश उत्तरदाताओं का अभिमत है कि लोकायुक्त संगठन की निष्पक्षता के बारें उन्हें पता नहीं है।
3. अधिकांश उत्तरदाताओं को लोकायुक्त संगठन द्वारा दबाव में कार्य करने के बारें उन्हें जानकारी नहीं है।
4. अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं के मतानुसार लोकायुक्त संगठन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो रहा है।
5. अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं का विचार है कि लोकायुक्त संगठन सही तरीके से कार्य कर रहा है और उसकी कार्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता नहीं है।
6. अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाताओं का अभिमत है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा सशक्त होकर कार्य करना चाहिए तभी भ्रष्टाचार को समाप्त या नियंत्रित किया जा सकता है।

उपसंहार :- उक्त विश्लेषण एवं निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश का लोकायुक्त संगठन प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रह है। चूंकि कुछ मामलों में लोकायुक्त संगठन पर दबाव जरूर आता है और यदा कदा उसकी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न उठाए जाते है। लेकिन इस सब के बावजूद लोकायुक्त संगठन पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य कर रहा है और प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में लोकायुक्त संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

संदर्भ

1. https://visfot.com/current-affairs/5379
2. Rajak Jeevan Singh, 'Corruption in India: Nature, Causes, Consequences and Cure', IOSR Journal of Humanities and Social Science, Volume 18, Issue 5, 2013, pp. 20-24
3. Kundu Mousumi, 'Some Aspects of Corruption in India in 21st Century', International Journal of Scientific and Research Publications', Volume 5, Issue 12, 2013, pp. 43-44
4. Kandukuri Upender, 'Corruption in India', International Journal of Multidisciplinary Research, 2015, pp. 1-10
5. Basu K., 'Corruption in Oxford Companion to Economics in India', New Delhi: Oxford University Press, 2007, pp. 112-114
6. Yadav K.S., and Sunita Chopra, 'Anti-Corruption Movements & Measures in India', Iternational Journal of Trade and Commerce, Volume 4, No. 2, 2015, pp. 411-422
7. Bhoyar J.S., 'Black Money and Corruption : Causes and Remedies' Policies and International Studies, Pondicherry Univserity, 2012

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

ताला उद्योग श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

❑ डॉ. कृतिका सिंह

अलीगढ़ नगर ताला उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ताला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई श्रमिक है। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों ने ताला उद्योग श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उन्नयन के लिए अनेक प्रयास किए हैं। क्या इन नियोजित प्रयासों के परिणाम स्वरूप ताला उद्योग श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है, जानने की चेष्टा की गयी है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ताला उद्योग श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन करना है। अध्ययन में 'वर्णनात्मक' शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है। यह अध्ययन अलीगढ़ नगर के ताला उद्योग में सेवारत 200 श्रमिकों पर आधारित है। समग्र में से उत्तरदाताओं का चयन 'दैवनिदर्शन' की 'नियमित अंकन प्रणाली' के माध्यम से किया गया है। उत्तरदाताओं से प्राथमिक तथ्यों का संकलन 'साक्षात्कार-अनुसूची' के माध्यम से किया गया है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी सफलता एवं असफलता उसके सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण पर निर्भर करती है। श्रीवास्तव[1] ने लिखा है कि, ''व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति के निर्धारण में उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।'' यही कारण है कि किसी भी अनुसंधान कार्य में यह आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य होता है कि अध्ययन की जाने वाली इकाईयों के सामाजिक-आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जाये। इसी कारण विभिन्न विद्वानों सोरोकिन[2], एण्डरसन[3], दुर्खीम[4] आदि ने भी अपने अध्ययनों में अध्ययन किए जाने वाले समूह की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। क्लार्क[5], होराल्ड एवं चार्ल्स[6] ने अपने अध्ययनों में श्रमिकों के नेतृत्व को प्रभावशाली बनाने में श्रमिकों की उच्च सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। खान[7] ने भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य में संलग्न श्रमिको की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध यन कर स्पष्ट किया है कि अधिकांश श्रमिकों का जीवन स्तर अच्छा नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, वे अनेकों पारिवारिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। सिंह एवं मौर्य[8], ने वाराणसी नगर के जरी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कर स्पष्ट किया है कि अध्ययन में सम्मलित अधिकांश श्रमिक पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हैं। इनका शैक्षणिक स्तर निम्न है, उनकी आय कम है, उन्हें कठोर श्रम करना पड़ता है, उसी के उपरान्त वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाते हैं। सक्सेना[9], ने भी स्पष्ट किया है कि श्रमिकों की निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं नगरों का आकर्षण श्रमिकों के आव्रजन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसी कारण अधिकांशतः ग्रामीण श्रमिक अपनी आमदनी से सन्तुष्ट न होने के कारण अच्छी मजदूरी की खोज में शहरों या औद्योगिक नगरों की ओर प्रवासित होते हैं। सुन्दर[10] ने भारत में कार्यरत संविदा श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में 1970 में पारित संविदा श्रमिक उन्मूलन एवं नियमन अधिनियम के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। अध्ययन से परिलक्षित हुआ है कि इस अधिनियम ने एक सीमा तक संविदा श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण कर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में सकारात्मक-भूमिका निभाई है। कुमार[11] ने प्रवासी कृषि श्रमिकों की निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक कारकों को प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना है। प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के सकारात्मक प्रयासों की अपेक्षा है। पवार[12] ने अपने अध्ययन से स्पष्ट किया है कि प्रवासी श्रमशक्ति का रोजगार हेतु मूल स्थान को छोड़ने का प्रमुख कारण अपने मूल स्थान पर अपने कार्यों का उचित पारिश्रमिक न मिलना है। श्रम शक्ति का मूल निवास स्थान का त्याग कर अन्यत्र आजीविकोपार्जन करना उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उन्नयन में सकारात्मक भूमिका निभाता है।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अन्वेषिका ने

❑ पी०डी०एफ०, आई०सी०एस०एस०आर, व्यापार प्रबन्धन विभाग, एस०वी० कॉलेज, अलीगढ़ (उ०प्र०)

वर्तमान अध्ययन में अलीगढ़ नगर के ताला उद्योग श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करने का एक प्रयास किया है। सूचनादाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक, आर्थिक पृष्ठभूमि आदि का अध्ययन कर विश्लेषित किया है।

अध्ययन के उद्देश्य - प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

(1) सूचनादाताओं की व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति आदि को ज्ञात करना।

(2) सूचनादाताओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का प्रमापन करना।

शोध की प्रविधि - प्रस्तुत अध्ययन अलीगढ़ नगर के ताला उद्योग में कार्यरत श्रमिकों पर आधारित है। अध्ययन में 'वर्णनात्मक शोध प्ररचना' का प्रयोग किया गया है। यह अध्ययन अलीगढ़ नगर में स्थित 15 ताला उद्योगों में सेवारत 200 पुरुष श्रमिकों पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि ताला उद्योग में महिला श्रमिकों की संख्या नग्यण है। इसी कारण अध्ययन में केवल पुरुष श्रमिकों को ही सम्मिलित किया गया हैं। समग्र में से सूचनादाताओं के चयन हेतु 15 चयनित ताला उद्योगों में सेवारत 1003 श्रमिकों की विस्तृत सूची तैयार की गयी। तत्पश्चात इस सूची में से ''दैव निदर्शन'' की 'नियमित अंकन प्रणाली' के आधार पर प्रत्येक 5 वें श्रमिक का चयन कर 200 सूचनादाताओं का चयन किया गया है। सूचनादाताओं से प्राथमिक तथ्यों का संकलन ''साक्षात्कार-अनुसूची'' के माध्यम से किया गया है। 'साक्षात्कार-अनुसूची' में 'मुक्त' तथा 'अमुक्त' दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है।

अनुसंधान की उपलब्ध्यिाँ-सूचनादाताओं से प्राप्त सूचनाओं का तथ्यात्मक विवरण एवं विश्लेषण निम्नवत् प्रस्तुत हैः-

तालिका संख्या 1

नौकरी का स्वरूप

नौकरी का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
स्थायी	73	36.50
अस्थायी	127	63.50
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका में समाविष्ट दत्तों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं में से 36.50 प्रतिशत की नौकरी स्थायी तथा 63.50 प्रतिशत की अस्थायी है। यह तथ्य प्रदर्शित करते हैं कि अधिकांश 63.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं की नौकरी अस्थायी है।

तालिका संख्या 2

श्रमिक का प्रकार

श्रमिक का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
कुशल श्रमिक	58	29.00
अर्द्ध कुशल श्रमिक	38	19.00
अकुशल श्रमिक	104	52.00
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका में अन्तर्विष्ट दत्त सामग्री के पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है कि अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं में से 29.00 प्रतिशत कुशल श्रमिक, 19.00 प्रतिशत अर्द्ध कुशल श्रमिक तथा 52.00 प्रतिशत अकुशल श्रमिक हैं। यह तथ्य परिलक्षित करते हैं कि ताला उद्योग में सेवारत अधिकांश (52.00 प्रतिशत) श्रमिक अकुशल श्रमिक के रूप में सेवारत रह कर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

तालिका संख्या 3

आवासीय पृष्ठभूमि

आवासीय पृष्ठभूमि	आवृत्ति	प्रतिशत
नगरीय	77	38.50
ग्रामीण	121	60.50
अन्य (गन्दी बस्ती)	02	1.00
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका में समाविष्ट दत्तों के सांख्यकीय विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि 38.50 प्रतिशत उत्तरदाता नगरीय क्षेत्र में, 60.50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तथा शेष 1.00 प्रतिशत गन्दी बस्ती में रहते हैं। संकलित तथ्यों से परिलक्षित होता हैं कि अधिकांश 60.50 प्रतिशत सूचनादाता ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं।

तालिका संख्या 4

आयु संरचना

आयु समूह	आवृत्ति	प्रतिशत
21-30 वर्ष	108	54.00
31-40 वर्ष	65	32.50
41-50 वर्ष	27	13.50
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका में अन्तर्विष्ट दत्त सामग्री के पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है कि 54.00 प्रतिशत सूचनादाताओं की आयु 21-30 वर्ष, 32.50 प्रतिशत की 31-40 वर्ष तथा 13.50

प्रतिशत की 41-50 वर्ष है। यह तथ्य स्पष्ट करते हैं कि ताला उद्योग में सेवारत श्रमिकों में युवावर्ग (21-30 वर्ष) के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक 54.00 प्रतिशत है।

तालिका संख्या 5

धर्म का विवरण

धर्म	आवृत्ति	प्रतिशत
हिन्दू	117	58.50
बौद्ध	52	26.00
इस्लाम	31	15.50
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका में अन्तर्विष्ट दत्त सामग्री के पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है कि प्रदर्शित उत्तरदाताओं में से 58.50 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म को 26 प्रतिशत बौद्ध धर्म को तथा शेष 15.50 प्रतिशत इस्लाम धर्म को मानते हैं। यह तथ्य परिलक्षित करते हैं कि अधिकांश 58.50 प्रतिशत सूचनादाता हिन्दू धर्म को मानते हैं।

तालिका संख्या 6

जातिगत विभाजन

जातिगत विभाजन	आवृत्ति	प्रतिशत
सामान्य जाति	27	13.50
पिछड़ी जाति	64	32.00
अनुसूचित जाति	109	54.50
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका में अन्तर्विष्ट दत्त सामग्री के पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है कि प्रतिदर्शित उत्तरदाताओं में से 13.50 प्रतिशत सामान्य जाति के, 32.00 प्रतिशत पिछड़ी जाति के तथा शेष 54.50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं। उपर्युक्त दत्तों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिदर्शित उत्तरदाताओं में से अधिकांश 54.50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के हैं।

तालिका संख्या - 7

वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
अविवाहित	77	38.50
विवाहित	119	59.50
विधुर	04	2.00
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका में समाविष्ट दत्तों के सांख्यकीय विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 38.50 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित, 59.50 प्रतिशत विवाहित हैं तथा शेष 2.00 प्रतिशत विधुर हैं। यह इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश 59.50 प्रतिशत श्रमिक विवाहित हैं।

तालिका संख्या - 8

परिवार का स्वरूप

परिवार का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
एकाकी	66	33.00
संयुक्त	131	65.50
विस्तृत	03	1.50
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका के दत्तों के प्रेक्षण से ज्ञात होता है कि 33.00 प्रतिशत उत्तरदाता एकाकी परिवार में, 65.50 प्रतिशत संयुक्त परिवार में तथा 1.50 प्रतिशत विस्तृत परिवार में निवास करते हैं। संकलित तथ्यों से परिलक्षित होता है कि अधिकांश 65.50 प्रतिशत सूचनादाता संयुक्त परिवार में निवास करते हैं। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि संयुक्त परिवार आज भी प्रमुखतः ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता बना हुआ है।

तालिका संख्या 9

परिवार का आकार

परिवार का आकार	आवृत्ति	प्रतिशत
5 सदस्य तक	79	39.50
6-10 सदस्य तक	117	58.50
11-15 सदस्य तक	04	2.00
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका के दत्तों के प्रेक्षण से ज्ञात होता है कि 39.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों में 5 सदस्य तक, 58.50 प्रतिशत के परिवारों में 6-10 सदस्य तक, शेष 2.00 प्रतिशत के परिवारों में 11-15 सदस्य तक हैं। यह तथ्य परिलक्षित करते हैं कि अधिकांश (58.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के परिवारों में 6-10 सदस्य तक हैं।

तालिका संख्या 10

सूचनादाताओं का शैक्षणिक स्तर

शैक्षणिक स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षित	103	51.50
जूनियर हाईस्कूल	51	25.50
इण्टरमीडिएट	46	23.00
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका के अन्तर्विष्ट दत्तों के प्रेक्षण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 51.50 प्रतिशत

सूचनादाता अशिक्षित, 25.50 प्रतिशत जूनियर हाईस्कूल, 23.00 प्रतिशत इण्टरमीडिएट तक शिक्षित हैं। संकलित तथ्य परिलक्षित करते हैं कि अधिकांश 51.50 प्रतिशत सूचनादाता अशिक्षित हैं। यह तथ्य ताला श्रमिकों के निम्नत्तम शैक्षणिक स्तर को दर्शाते हैं।

तालिका संख्या 11

आवास का स्वरूप

आवास का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
कच्चा	03	1.50
अर्द्ध पक्का	102	51.00
पक्का	95	47.50
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका में अन्तर्विष्ट दत्तों के प्रेक्षण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 1.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का आवास कच्चा, 51.00 प्रतिशत का अर्द्ध पक्का, 47. 50 प्रतिशत का पक्का है। संकलित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 51.00 प्रतिशत सूचनादाताओं का आवास अर्द्धपक्का है।

तालिका संख्या 12

आवास का स्वामित्व

आवास का स्वामित्व	आवृत्ति	प्रतिशत
स्वयं का	128	64.00
किराये का	63	31.50
कारखाना मालिक द्वारा प्रदत्त	09	4.50
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका में समाविष्ट दत्तों के प्रेक्षण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 64.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का स्वयं का, 31.50 प्रतिशत का किराये का आवास है तथा शेष 4.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का आवास कारखाना मालिकों द्वारा प्रदत्त है। यह तथ्य परिलक्षित करते हैं कि अधिकांश 64.50 प्रतिशत ताला श्रमिकों के पास स्वयं का आवास है।

तालिका संख्या 13

आवास में बिजली, पानी, प्रकाश आदि सुविधाओं की स्थिति

सुविधाओं की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
सामान्य	81	40.50
अच्छी	11	5.50
अच्छी नहीं	108	54.00
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका में समाविष्ट दत्तों के सांख्यकीय विश्लेषण से सपष्ट हुआ है कि 40.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास में बिजली, पानी, प्रकाश आदि सुविधाओं की स्थिति सामान्य, 5.50 प्रतिशत के आवास में अच्छी तथा शेष 54.00 प्रतिशत के आवास में अच्छी नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 54.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास में बिजली, पानी, प्रकाश आदि सुविधाओं की स्थिति अच्छी नहीं है।

तालिका संख्या 14

मासिक आय

मासिक आय	आवृत्ति	प्रतिशत
5000 रु0 तक	107	53.50
5001 रु0 से 7000 रु0 तक	52	26.00
7001 रु0 से 9000 रु0 तक	41	20.50
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका में अन्तर्विष्ट दत्त सामग्री के पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है कि प्रतिदर्शित उत्तरदाताओं में से 53. 50 प्रतिशत की मासिक आय 5000 रु0 तक, 26.00 प्रतिशत की 5001 रु0 से 7000 रु0 तक, 20.50 प्रतिशत की 7001 रु0 से 9000 रु0 तक है। उपर्युक्त दत्तों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 53. 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 5000 रु0 तक है। यह मासिक आय वर्तमान समय में अत्यन्त अल्प है। इसी कारण वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी कठिनाई के साथ कर पाते हैं।

तालिका संख्या 15

भूमि स्वामित्व

भूमि स्वामित्व	आवृत्ति	प्रतिशत
भूमिहीन	127	63.50
1-5 बीघा	46	23.00
5-10 बीघा	27	13.50
योग	200	100.00

उपर्युक्त तालिका में समाविष्ट दत्तों के सांख्यकीय विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि 63.50 प्रतिशत उत्तरदाता भूमिहीन, 23.00 प्रतिशत के पास 1 से 2 बीघा तक तथा 13.50 प्रतिशत के पास 5 बीघा से 10 बीघा तक कृषि योग्य भूमि है। उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 63.50 प्रतिशत उत्तरदाता भूमिहीन हैं। यह तथ्य उनकी निम्न आर्थिक स्थित का परिचायक है।

तालिका संख्या - 16

सामाजिक परिवर्त्य एवं सामाजिक आर्थिक स्तर

सामाजिक परिवर्त्य	सामाजिक - आर्थिक स्तर		
	उच्च	मध्यम	निम्न
आवासीय पृष्ठभूमि	77	121	02
आयु समूह	108	65	27
जातिगत विभाजन	27	64	109
शैक्षणिक स्तर (स्वयं का)	46	51	103
मासिक आय	41	52	107
आवास का स्वरूप	95	102	03
आवास में सुविधा	11	81	108
भूमि स्वामित्व	27	46	127
योग	432	582	856
माध्य	54.00	72.75	75.00

अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं के समावेशक सामाजिक- आर्थिक स्तर को ज्ञात करने के लिए उनकी आवासीय पृष्ठभूमि, आयु समूह, जातिगत विभाजन, शैक्षणिक स्तर, मासिक आय, आवास का स्वरूप, आवास में उपलपब्ध सुविधाओं की स्थिति, भूमिस्वामित्व से सम्बन्धित प्रत्युत्तरों को आधार बनाया गया है। उत्तरदाताओं के सामाजिक - आर्थिक स्तर को उच्च, मध्यम एवं निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। उपर्युक्त तालिका में समाविष्ट दत्तों के सांख्यकीय विश्लेषण से परिलक्षित हुआ है कि कुल-नौ सामाजिक परिवत्यों के संदर्भ में उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों की आवृत्तियों का उच्च श्रेणी का योग 432, मध्यम श्रेणी का 582, निम्न श्रेणी का 586 प्राप्त हुआ है। इन प्राप्त उत्तरों की आवृत्तियों के योग का माध्य ज्ञात करने पर उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर का मान 54, मध्यम का 72.75, निम्न का 73.25 प्राप्त हुआ है। इन दत्तों के सांख्यकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का माध्य 75.00 सर्वाधिक प्राप्त हुआ है जो कि निम्न स्तर का है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं का सामाजिक-आर्थिक स्तर निम्न स्तर का है।

निष्कर्ष - यद्यपि इन सीमित आँकड़ों के आधार पर व्यापक सामान्यीकरण करना कठिन होगा, तथापि प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ताला उद्योग में सेवारत श्रमिकों में अधिकांश अस्थायी एवं अकुशल श्रमिक हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र के निवासी, युवा आयु वर्ग (21-30 वर्ष) के, हिन्दू धर्म को मानने वाले, एवं अनुसूचित जाति के हैं। यह श्रमिक विवाहित एवं संयुक्त परिवार के निवासी हैं। इनके परिवारों का आकार 6-10 सदस्य तक है। यह श्रमिक अधिकांशतः अशिक्षित हैं। इनके आवास का स्वरूप एवं आवास में उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है। यह श्रमिक भूमिहीन होने के साथ-साथ अल्प वेतन भोगी (5000 रु0 तक) भी हैं। इन ताला उद्योग श्रमिकों का ''सामाजिक - आर्थिक स्तर'' निम्न स्तर का है।

सन्दर्भ

1. श्रीवास्तव, हरि प्रकाश, 'श्रमिकों की सामाजिक-व्यवसायिक गतिशीलता के विविध आयाम', स्टारलिंग पब्लिकेशन, न्यू देहली, 1991, पृ0 13
2. Sorokin, P.A., "Social and Cultural Mobility" The Free Press, New York, 1927, PP 493-527.
3. Enderson, A.C.A., "A Note on the Relation of Variation Mobility to Education "American Journal of Psychology", 1961, LXVT - 560- 70.P - 288.
4. Durkheim, Emile, "Le Suicide", Paris, 1962, PP 45-78.
5. Clack, G "Industrial Relations in British Car Factory", Cambridge University Press, London, 1967, PP. 93-94.
6. Horold, L.W. and Charles, N.N. "Industrial Society and Social Welfare" Russell Sege Foundation, New York, 1968, PP. 67-93.
7. Khan, Mohammad Arif "Labour Conditions in the Air Craft Building and Repairing Industires in India - A Case Study" Indian Labour Journal, 1977, PP. 981-1001.
8. सिंह, राजेन्द्र प्रसाद एवं मौर्य, अशोक कुमार, 'नगरीय कुटीर विनिर्माण उद्यमों में रोजगार, मजदूरी और आय अर्जन', राधा कमल मुकर्जीः चिन्तन परम्परा', वर्ष - 11, अंक -1, 2009, पृ0 75-81
9. Saxena, D.P. "Rural Urban Migration in India" Popular Prakashan, Bombay, 1977, P. 37.
10. Sundar K.R. Shyam, Contract Labour in India: Issues and Perspectives" The Indian Journal of Labour Economics, Vol. 55, No. 4, 2012, PP 701-704.
11. कुमार, रामू 'प्रवासी कृषि मजदूरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति', सावास जनरल ऑफ सोशल साइन्सेज, अलीगढ़, वो0 1, 2013, पृ0 48-50
12. पवार, विजेता 'अल्मोड़ा जनपद में प्रवासी श्रमशक्ति की आर्थिक स्थिति का अध्ययन', 'वार्ता', भारतीय आर्थिक शोध संस्थान रिसर्च जनरल, इलाहाबाद, वो0 XXXIX, नं0 1, 2018, पृ0 57-65

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 21 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2019 UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

बहुआयामी प्रतिभा के धनी दिल्ली के हजरत अमीर खुसरो

❑ डॉ. जीशान इस्लाम

भारत की धरती पर ऐसी कई हस्तियों ने जन्म लिया है जिनके नाम सदैव जीवित रहेंगे, जिनमें अमीर खुसरौ सर्वोपरि रहे हैं। वह बड़े बुद्धिमान प्रतिभाशाली तथा विद्वान होने के साथ ही वह ऊँचे स्तर के रहस्यवादी सूफी भी थे। खुसरौ ने कविता, कथा, कहानी, मसनवी और इतिहास पर बड़ी संख्या में ग्रंथ लिखे थे। वह एक अच्छे शायर, सूफी, दरबारी, अदीब के साथ-साथ अच्छे संगीतकार भी थे। प्रस्तुत लेख उनकी बहुआयामी प्रतिभा को उजागर करने का एक प्रयास है।

भारत की धरती पर ऐसी कई हस्तियों ने जन्म लिया है जिनके नाम सदैव जीवित रहेंगे, जिनमें अमीर खुसरो सर्वोपरि रहे हैं। जिया उद्दीन बरनी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'तारीख-ए-फिरोजशाही' में कहते हैं –

'सुल्तान अलाउद्दीन खिल्जी के शासनकाल में ऐसे कवि थे जैसे न कभी उससे पहले रहे और न उसके बाद में ही। लेखन के परिमाण तथा आदर्शों की मौलिकता को देखते हुए अमीर खुसरो जैसा महान कवि कोई नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि काव्य के सभी रूपों पर अधिकार न उससे पहले किसी कवि का रहा है और शायद कयामत के दिन तक किसी कवि का रह सकेगा। बुद्धिमान प्रतिभाशाली तथा विद्वान होने के साथ ही वह ऊँचे स्तर के रहस्यवादी सूफी भी थे। वह प्रतिदिन व्रत रखते थे और अपना अधिकांश समय कुरान पढ़ने में और मजहब द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रार्थनाओं में बिताते थे। वह शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और अपने गुरू में उनसे अधिक श्रद्धा रखने वाला शिष्य अब तक नहीं दिखाई दिया। प्रेम तथा स्नेह से भी उनका हृदय छलकता रहता था। वह आह्लाद तथा परमानन्द की स्थिति में रहने वाले मनुष्य थे। संगीत की साधना तथा संगीत के सृजन में उनसे बढ़कर कोई नहीं था। परमेशवर ने उन्हें उन सब गुणों से संपन्न किया था जो किसी कला प्रेमी तथा सुसंस्कृत व्यक्ति में होने चाहिए। वास्तव में वह विलक्षण व्यक्ति थे और आगे आनेवाले समय में उनकी जीवनलीला विचित्र सी लगती है। मै बरसों उनके तथा सूफी कवि अमीर हसन के संपर्क में दोस्त की तरह रहा। मेरा संग न पाने पर वे और उन दोनों का संग न पाने पर मैं प्रसन्न नहीं रहते थे। मेरे माध्यम से इन दोनों महापुरुषों में काफी अंतरंगता स्थापित हो गई और वे एक-दूसरे के घर आते-जाते रहे।'

अमीर खुसरो फारसी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि था। वह सैफुद्दीन महमूद नामक एक तुर्क का सबसे छोटा पुत्र था, जो कि नसिरूद्दीन महमूद के काल के प्रारंभ में आकर भारत में बस गया था। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के आधुनिक जिले एटा के पटियाली में 1253 ई. में हुआ था।[1] अमीर खुसरो बलवन से लेकर गियासुद्दीन तुगलक के समय तक कई सुल्तानों के दरबार में रहा था। कहा जाता है कि खुसरो ने कविता, कथा, कहानी, मसनवी और इतिहास पर बड़ी संख्या में ग्रंथ लिखे थे। उसके कुछ विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ थे हैं - खमसा पजगंज, मतला - उल - अनवर, शीरीव फरहाद, लैला व मजनू, आइने सिकन्दरी, हश्त बिहिश्त, देवल रानी व खिज्रखाँ, किरान-उस-सादै, नाज-उल-फुतूह, नूह सिफिर, रसैल इजाज, तुगलकनामा, मिफता-उल-फुतूह, अफजल-उल-फरायद, तारीख-ए-दिल्ली और खजाइन-उल-फुतूह।[2]

अमीर खुसरो सम्भवतः सर्वप्रथम भारतीय मुसलमान लेखक था, जिसने कि हिन्दी शब्द और मुहावरों का प्रयोग किया, और भारतीय विषयों पर लिखा। उसके पदों और पहेलियों में हमें ऐसी भाषा मिलती है जिसमें मिले-जुले फारसी शब्दों का अधिकता से प्रयोग किया गया है। अपनी कुछ गजलों में उसने फारसी और हिन्दी भाषा के समक इस्तेमाल किये हैं। निम्नलिखित पद उसकी ऐसी ही रचना का उदाहरण है :

जि हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाय बतियाँ।
कि ताने हिज्रा न दारम, ऐ जाँ! न लेहु काहे लगाय छतियाँ।।

❑ इतिहास विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)

शबाने हिज्रां दराज चूँ जुल्फ व रोजे वसलत चूँ उम्र कोतह।
सखी! पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अँधेरी रतियाँ।।[3]

उसका दृष्टिकोण उदार था और उसने भारतीय विषयों पर भी लिखा है। अपनी प्रसिद्ध मसनवी नूह सिफ (नौ आकाश) में वह भारतीय जलवायु, पशु, पक्षी, धार्मिक विश्वासों और जन भाषा का उल्लेख करता है। वह भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से करता है। वह भारतीय भूमि के उपजाऊपन, इसकी समशीतोष्ण जलवायु और मोरों की प्रशंसा करता है। कहीं-कहीं तो वह भारत को संसार के अन्य देशों से श्रेष्ठ ठहराता है।[4]

अमीर खुसरो को नई-नई भाषाएँ सीखने का बड़ा शौक था। फारसी तो उनकी मातृभाषा थी मगर वो अरबी भी उतना ही जानते थे जितना फारसी। इसके अतिरिक्त वे तुर्की तथा संस्कृत का भी ज्ञान रखते थे।[5]

अमीर खुसरो जब मात्र 15 साल के थे तभी से उनकी शायरी की खुशबू दूर-दूर तक फैल गई थी। उस समय भारत का सुल्तान बलवन था। बलवन के दरबारियों में एक व्यक्ति अमीर कुतलू खाँ नाम का था। अमीर कुतलु खाँ शायरों की बहुत इज्जत करता था। जब कुतलु खाँ ने अमीर खुसरों के शेर सुने तो उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। रोज शाम दरबार में अन्य कवियों की तरह खुसरों ने भी इस दाता की उजली धूप का आनन्द उठाया और धीरे-धीरे अपने लिए अच्छी जगह बना ली। कुतलु खाँ (जिसे मलिक छज्जू भी कहा जाता है) पर उनका मशहूर कसीदा (गुणगान) पूर्वी देशों की अतिशयोक्ति का उत्औष्ट उदाहरण है:

पीली ओढ़नी वाली उषा की चमक ने अभी-अभी
रात की कालिमा को भगाया था।
टेढ़े और पीले मुहं वाला अर्द्ध चंद्र नज़रों,
से ओझल हो रहा था।
मैंने होने वाली सुबह से पूछा तेरा आने वाला,
सूरज कहा हैं?
तो उसकी उगती हुई रोशनी से छज्जू,
का चेहरा चमक उठा।
तब मैने सितारों भरे आसमान की ओर देखते हुए पूछा
बता नक्षत्रों की उनकी उड़ान कौन थामता है?
मेरे नादानी भरे सवाल पर वह मुस्कराया और
मलिक की बाहों की ओर इशारा करने लगा।[6]

एक बार ऐसा हुआ कि शायरी की मजलिस गरम थी। इस मजलिस में कई शायर, अमीर और वजीर शामिल थे और बादशाह का बेटा शहजादा बुगरा खान भी था। शहजादा बुगरा खाँ ने अमीर खुसरो के शेर सुने तो बहुत खुश हुआ और भारी ईनाम दिया।[7]

अमीर खुसरो को अपनी मेहनत का फल मिल गया। मगर कुतलू खाँ को इस बात पर अफसोस हुआ कि खुसरो ने शहजादे का ईनाम कुबूल किया। हाँलाकि उनका संबंध उसके अपने दरबार से था। कुतलु खाँ ने अमीर खुसरो की इस बात का बुरा माना था इसलिए वो नाराज रहने लगा। अमीर खुसरो ने कोशिश की कि उसका गुस्सा दूर हो जाये लेकिन ऐसा न हो सका। खुसरो समझते थे कि शहजादे ने खुश होकर ईनाम दिया था अगर ईनाम नहीं लिया तो गुरूर की बात होती और अमीर खुसरो इस बात को कभी भी पसंद नहीं कर सकते थे। मगर उन्होंने छज्जू की नाराजगी को दूर करने का प्रयत्न जरूर किया मगर असफल रहे।[8]

अमीर खुसरो कुतलू खान के दरबार से निकलकर बुगरा खान के यहाँ पहुँचा और वहाँ शहजादा मुहम्मद के दरबारी कवि बन गए। ये शहजादा मुल्तान का शासक था और अमरी खुसरो की बड़ी इज्जत करता था और हर समय उन्हें अपने साथ रखता था।

उस युग के आदर्शों के अनुसार सुल्तान मुहम्मद एक श्रेष्ठ राजकुमार था। वह बहादुर विनम्र और सभ्य था। वह अपशब्दों का प्रयोग कभी नहीं करता था और जरूरत से ज्यादा कभी नहीं पीता था। सरकारी अधिकारियों, रहस्यवादियों या कवियों की किसी बैठक की अध्यक्षता बेहतर ढंग से दूसरा राजकुमार नहीं कर सकता था। वह अपने बदन के किसी हिस्से में हरकत किए बगैर लगातार घंटो तक बैठ सकता था। वह काव्य का प्रशंसक था और कला को आश्रय देता था। उसके फारसी कविताओं के संकलन 'बियाज' में करीब 30,000 शेर थे और उनके सुधड़ चयन तथा व्यापक ज्ञान की सराहना प्रमुख समालोचकों ने की थी।[9]

चंगेज खान के मरनोपरांत उसका पोता हलाकू खान बादशाह तथा उसके मरने के बाद उल्गू खान मंगोलों का सरदार बना। उल्गू खान की फौजे अकसर भारत पर आक्रमण करती थीं तथा लूटपाट करने उपरान्त वापस लौट जाती थीं। मगर शहजादा मुहम्मद को मुल्तान की सरदारी मिली तो उसने ऐसा अच्छा इन्तेजाम किया कि

जब भी मंगोल आक्रमण करते उनको मुंह की खानी पड़ती और वो भागने पर मजबूर हो जाते। फिर भी वे सदैव मौके की तलाश में रहते थे।

एक बार ऐसा हुआ कि मंगोल फौजों ने अचानक हमला कर दिया। इस बार इसका सिपहसालार मशहूर मंगोल सरदार तैमूर खाँ था। इसके साथ 20,000 फौज थी। मंगोल तबाही तथा लूटमार मचाते हुए लाहौर तक पहुँच गए और शहजादा मुहम्मद को सूचना मिलते ही वे अपने लशकर के साथ लाहौर की ओर बढ़ गए। दिनों का सफर उसने घंटों में तय कर रावी नदी के किनारे पहुँच गया। अब नदी के एक किनारे पर मंगोल की फौजे जमीं थी और दूसरे छोर पर शहजादे की फौजे, अमीर खुसरो भी शहजादे के साथ थे। तैमूर ने अपनी फौज के साथ नदी पार कर शहजादे की फौज पर आक्रमण कर दिया। तैमूर की फौज की संख्या बहुत अधिक थी, मगर शहजादा इतनी बहादुरी से लड़ा कि मंगोल लाशों के ढेर को छोड़कर भाग निकले। शहजादे को लगा कि उसने जंग जीत ली तो उसने सभी फौजों को मंगोल के पीछे लगाकर अपने पास सिर्फ 500 सैनिकों को रखा। ज़ोहर (दोपहर) की नमाज के समय वो सब दरिया किनारे नमाज़ पढ़ रहे थे कि अचानक मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, उसके बावजूद शहजादे की फौज बहुत ही दिलेरी से लड़ाई लड़ रही थी कि अचानक एक तीर शहजादे को लगा और वह कुछ ही समय में मर गया।[10]

शहजादे को गिरते देख फौज में भगदड़ मच गई मंगोलों ने भागते हुए सैनिकों को बेरहमी से खून किया और जो बच गए उन्हें बन्दी बना लिया गया जिसमें अमीर खुसरो भी थे। मंगोल सैनिक लूटपाट करते हुए सैनिकों को लेकर वापस लौट गए। अमीर खुसरो कैद होने के पश्चात् कहते हैं।[11] ''मुसलमान शहीदों ने अपने खून से रेगिस्तान की जमीन लाल कर दी, यद्यपि मुसलमान और इस डर से कि वे मेरा खून बहा देंगे, मेरी रगों में खून सूख गया। मैं बहते पानी की तरह इधर-उधर भागता रहा और जैसे किसी-किसी नदी की सतह पर बुलबुले उठते हैं उसी तरह से मेरे पैरों पर असंख्य छाले पड़ गए। प्यास के मारे मेरी जबान सूख गई और भूख से मेरी आंते कुलबुलाने लगीं। उन्होंने मेरे कपड़े उतरवा लिए, मुझे नंगा कर दिया जैसे जाड़े की ऋतु में बिना पत्तियों वाला पेड़ होऊं या कांटों से चीरा गया फूल होऊं। मुझे कैद करने वाला मंगोल शेर की तरह से घोड़े पर बैठा हुआ था; उसकी बगलों से उबकाई लाने वाली बदबू आ रही थी; उसकी ठुड्डी पर नीले रत्न जैसे बाल उगे हुए थे, मानों वे गुप्तांगों के बालों का गुच्छा हों। यदि कमजोरी के कारण मैं कुछ पिछड़ जाता था तो वह कभी अपने भजौने से और कभी अपने भाले से मुझे धमकी देता था। मैं दुःखी था और सोंचता था कि ऐसी मुसीबत से छुटकारा पाना असंभव है। परन्तु खुदा बहुत मेहरबान है, तीर द्वारा अपने सीने के छेद जाने या तलवार से अपने बदन को दो टुकड़ों में काटे जाने के बिना ही मैंने अपनी आजादी वापस पा ली।''

किसी नदी पर पहुँचते ही (शायद रावी रही हो) प्यासा मंगोल और उसका उतना ही प्यासा घोड़ा पानी में उतर गए। हचक कर उन्होंने पानी पिया और, फौरन वे दुनिया से कूच कर गए। सावधान खुसरों ने अपने होंठो पर जीभ फेरी, जिससे उनके धड़कते दिल को कुछ राहत मिली और वह भाग निकला।[12]

अमीर खुसरो मुल्तान पहुँचे जहाँ उन्हें बड़ा दर्दनाक मंजर देखने को मिला - शहजादा और उनके साथियों के कत्ल की खबर से घर-घर में मातम हो रहा था। उस स्थिति में उसने दो मरसिये (मरसिया उस कविता को कहते हैं जो किसी की मौत पर लिखी जाती है) लिखे। इन मरसियों में अमीर खुसरों ने शहजादे मुहम्मद की शहादत का जिक्र इतने दर्दनाक तरीके से किया कि जिसने सुना दिल थाम लिया।

शहजादे की मौत की खबर दिल्ली भी पहुँच गई और लोग उनके मरसिये पढ़कर मातम कर रहे थे[13] कुछ दिनों बाद बेटे का सदमा बलवन को बर्दाश्त न हुआ और उसकी भी मौत ही गई, उसके बाद उसका पोता कैकुबाद गद्दी पर बैठा।

अवध के शासक खानेजहाँ को अमीर खुसरों से बड़ा प्रेम था और वो उसकी दिल से कद्र करता था। उसने अमीर खुसरो को अपने यहाँ आने का न्यौता दिया और अमीर खुसरो ने ये सोंचा कि आबो हवा की तबदीली से दिल पर अच्छा असर पड़ेगा, वहाँ चले गए। खाने जहाँ ने अमीर खुसरो की बड़ी इज्जत और कद्र की और उनके आराम का हर तरह से ख्याल रखा मगर वो अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे, इसलिए अपनी माँ के पास दिल्ली चले गए।[14]

कैकुबाद की मौत के बाद दिल्ली का बादशाह जलालुद्दीन खिल्जी बना जिन्होंने खुसरों को 'अमीर' की उपाधि से नवाजा तथा शाही कुरान मजीद रखने जैसे बड़े ओहदे से

भी नवजा वह प्रमुख दरबारी बन गए।[15]

अलाउद्दीन खिल्जी द्वारा जलालुद्दीन के कत्ल किये जाने के बाद अलाउद्दीन खिल्जी ने हुकूमत की बागडोर संभाली। अमीर खुसरों एक मामले में बड़े भाग्यशाली थे कि वो जब भी शाही दरबार में जाते तो उनका नाम और इज्जत काफी बढ़ जाती थी मगर जैसे ही दरबार में थोड़ा इत्मिनान महसूस करते और वो अपना काम शुरू करते कुछ समय बाद बादशाह मर जाता था। अलाउद्दीन का काल अमन और शान्ति का काल था, वो जहाँ भी जाता अमीर को साथ ले जाता, जिससे वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते थे, जिसका उन्हें दुःख था।[16]

हजरत निजामुद्दीन औलिया :- शेख निजामुद्दीन औलिया शेख बाबा फरीद के सर्वाधिक विख्यात शिष्य थे। इनका जन्म 1238 ई. में हुआ था। वे जब बालक ही थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गयी। इसलिए उनका पालन पोषण उनकी धर्मालु माता ने ही किया था। बीस वर्ष की आयु वे अजोधन आए और यहीं बाबा फरीद के शिष्य हो गये। निजामुद्दीन तभी दिल्ली लौट आये; और कई स्थानों पर भटककर गियासपुर में उस स्थान पर बस गये जहाँ कि आजकल उनका दरगाह स्थित है। बाबा फरीद ने 1265 ई. में उन्हें अपना खिलाफतनामा बख्शा और चिश्तिया सूफी सम्प्रदाय के सिद्धान्त का प्रचार करने को उद्बोधित किया।[17] शेख निजामुद्दीन ने अपना कार्य बड़ी सफलता से किया। इतिहासकार बरनी इसकी पुष्टि करते हुए लिखते है कि - ''शेख निजामुद्दीन ने अपने द्वार शिष्यों के लिए खोल दिए थे और उन्होंने अमीरों तथा सामान्य व्यक्तियों, धनी तथा निर्धनों, पढ़ों और अनपढ़ों, शहरियों और देहातियों, सैनिकों तथा योद्धाओं, स्वतंत्र व्यक्तियों तथा गुलामों को अंगीकार कर लिया था। ये लोग बहुत सी अनुचित बातों से दूर रहते थे, क्योंकि वे स्वयं को शेख का शिष्य मानते थे। अगर कोई शिष्य कोई पाप करता था तो वह शेख के सामने उसे स्वीकार कर लेता था, और फिर उनका शिष्य बन जाता था। जनसाधारण का झुकाव मजहब और नमाज की ओर हो गया था। स्त्री - पुरुष युवक और वृद्ध दुकानदार और नौकर, बच्चे और गुलाम, सभी नमाज पढ़ने आते थे। बहुत से लोग जो प्रायः शेख के दर्शनों को आते थे, नियमानुसार अपनी चाश्त और इशराक की नामज पढ़ते थे।''[18]

निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के सात सुल्तानों के राज्यकाल देखे, किन्तु वे इनमें से किसी के भी दरबार में कभी नहीं गये। जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी शेख से मिलने के लिए बड़ा उत्सुक था, लेकिन शेख ने उससे भेंट करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कुतुबुद्दीन मुबारकशाह के दरबार में उपस्थित होने के आदेश को भी नहीं माना। चूँकि उन्होंने नसिरूद्दीन खुसरोशाह से एक बड़ी धनराशि ली थी, इसलिए प्रथम तुगलक सुल्तान गियासुद्दीन ने 53 उलेमाओं की अदालत में उन पर यह अभियोग चलाया था कि वर्जित संगीत गोष्ठियों में भाग लेते हैं। शेख बरी हो गये। लेकिन उनके और सुल्तान के ज्येष्ठ पुत्र उलूगखाँ, भविष्य के मुहम्मद तुगलक को, अपना शिष्य बना लिया था, और यह भविष्यवाणी की थी कि वह जल्दी ही दिल्ली का सुल्तान बनेगा। इसलिए जब सुल्तान एक सैनिक अभियान पर बंगाल जा रहा था। तब उसने शेख को एक धमकी भरा पत्र लिखा था कि जब वह लौटेगा तो दिल्ली उन दोंनों के लिए छोटी पड़ेगी। निजामुद्दीन ने इसके प्रत्युत्तर में कहा था- ''हनोज दिल्ली दूर अस्त'' (दिल्ली अभी दूर है); और फिर यह हुआ कि गियासुद्दीन दिल्ली के बाहर ही एक दुर्घटना में मर गया। लोगों का विश्वास था कि ऐसा शेख के अभिशाप से हुआ था।

निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवनकाल में बड़ी ख्याति अर्जित की, और वे महबूबे इलाही (प्रभु के प्रिय) के नाम से प्रसिद्ध हो गये। उनके प्रचार कार्य ने भारत में चिश्तिया सम्प्रदाय को जनप्रिय बनाने में बहुत योग दिया। उनकी सफलता का श्रेय उनके संत - जैसे गुणों और मानवता के प्रति उनके प्रेम और सेवा भावना को है। उनकी मृत्यु 1324 ई. में हो गयी।

अमीर खुसरो की शायरी :- अमीर खुसरो फारसी भाषा के बहुत बड़े शायर थे। उनका नाम शायरी की दुनिया में हमेशा अमर रहेगा। अमीर खुसरो हिन्दुस्तान में पैदा हुए, हिन्दुस्तान में शायरी की, और हिन्दुस्तान में ही दफन हो गये। यहाँ से अधिक मशहूर वो ईरान में हुए, जिस समय उन्होंने शेर कहना शुरू किया था शेख सादी जीवित थे। सादी ने जब खुसरो के शेर सुने तो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने दिल्ली के बादशाह को लिखा कि - ''खुसरो की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि वो आगे चलकर बहुत बड़ा शायर बनेगा।'' उनके द्वारा फारसी भाषा में कहे गये शेर उनकी पुस्तकों में दर्ज हैं- कहा जाता है कि उनके आधे से अधिक शेर जो किताबों में नहीं छप सके वो बर्बाद हो गये। खुसरो की शायरी में बहुत मिठास है क्योंकि उनके द्वारा जो शब्द इस्तेमाल

किये गये उससे शायरी में चाशनी सी भर गई।[19]

अमीर खुसरो ने केवल फारसी में ही शायरी नहीं कही हिन्दवी शेर भी कहे। उदाहरण स्वरूप उन्होंने फारसी तथा हिन्दी के मिश्रित शब्दों का प्रयोग कर हिन्दवी भाषा को जन्म दिया। निम्नलिखित पद उसकी ऐसी ही रचना का उदाहरण है।

जो हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाय बतियाँ।
कि ताने हिज्रां न दारम् ऐ जाँ! न लेहु काहे लगाय छतियाँ।।
शबाने हिज्रां दराज चूँ जुल्फ व रोजे वसलत चूँ उम्र कोतह।
सखी! पिया को जो में न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ।।

अमीर खुसरो की पहेलियाँ भी काफी मशहूर हुई, जिनके जवाब भी पहेलियों में ही दिये गए हैं -

सावन भादों बहुत चलत है, माघ पूस में थोड़ी।
अमीर खुसरो कहे यूँ तू बूझ पहेली मोरी।।
उत्तर - मोरी (नाली)

कुछ अन्य पहेलियाँ जिनके उत्तर पहेली में नहीं होते थे। निम्नलिखित पहेली उदाहरण स्वरूप है -

एक थाल मोतियों से भरा
सबके सह पर औधा धरा
चारों ओर वो थाल फिरे
मोती उससे एक न गिरे
उत्तर - आसमान

अमीर खुसरो ने प्यारे - प्यारे गीत भी लिखे जो आज भी शादी-व्याह के अवसर पर गाया जाता है -

काहे को व्याहे बिदेस रे सखी बाबुल मोरे, भाइयों को देनो बाबुल महल दो महले हमको दिया परदेस, ओ सखी बाबुल मोरे

अमीर खुसरो के दो सरूने भी बहुत लोकप्रिय हुए है -

अनार क्यूँ न चखा
वजीर क्यूँ न रखा
उत्तर - दाना न था।

अमीर खुसरो की इन चीजों में उर्दू भाषा के अनेक शब्द मौजूद हैं। कहा जाता है कि अमीर खुसरो उर्दू भाषा के पहले शायर हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि वो एक ऐसी भाषा की शुरूआत कर रहे हैं जो सदियों के बाद पाकिस्तान और भारत के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में पहुँच जाएगी। ये गर्व भी अमीर खुसरो को ही हासिल है कि उन्होंने उर्दू की नींव रखी।

'बागों-बहार' जो कि मशहूर पुस्तक है, उसके बनने की कहानी ये है कि खुसरो के मुर्शिद शेख निजामुद्दीन औलिया बहुत बीमार थे तो उनका दिल बहलाने के लिए वो किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे जो बाद में एक मुकम्मल किताब बन गई और बहुत मशहूर हुई।[20]

अमीर खुसरो का संगीत :- अमीर खुसरो अनेक प्रतिभा के धनी थे वो एक अच्छे शायर, सूफी, दरबारी, अदीब के अलग एक बेहतरीन संगीतकार भी थे। उन्होंने ईरानी रागो और भारतीय रागो के मेल - जोल से कई रागों का आविष्कार किया। सितार का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। इससे पहले ढोलक बजाई जाती थी। अमीर खुसरो ने ढोलक को दो भागों में बाँटकर तबला बना दिया। आज भी संगीकार उनका लोहा मानते है तथा संगीत की सभी पुस्तकों में उनका नाम बहुत अदब से लिया जाता है।

अमीर खुसरो का व्यक्तित्व एवं स्वभाव :- अमीर खुसरो एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के मालिक थे। वो एक बेमिसाल व्यक्ति थे। उन्होंने एक अमीर घर में जन्म लिया तथा सदैव ही बादशाहों के दरबार में रहे, इसके बावजूद वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। अमीर खुसरो पक्के मुसलमान थे मगर उनके मित्र सभी धर्म के थे और हर तबके के थे। उनको मुसलमानों से मुहब्बत न थी, इंसानों से मोहब्बत थी। ये इंसान अमीर होते या गरीब, आला होते या अदना मुलाज़िम महलों में रहते या झोपड़ियों में उनके नजदीक सब बराबर थे।

अन्तिम दिन -

हजरत निजामुद्दीन के मृत्यु के समय खुसरो दिल्ली में नहीं थे जब वो दिल्ली आए और अपने मुर्शिद के गुजरने की खबर सुनी तो उनकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया। जब तबियत थोड़ा संभली तो उनके मज़ार को देखते ही फरमाया-

"सुभानअल्लाह आफताब तो जमीन के नीचे चला गया और खुसरो अभी तक जिन्दा है।"[21]

इसके बाद अमीर खुसरो ने अपना सबकुछ अल्लाह की राह में दे दिया और काला लिबास पहनकर मज़ार पर आ बैठे। रात-दिन उनकी जुदाई में शेर पढ़ते थे। उदाहरण स्वरूप ये पंक्तियाँ जो निम्नलिखित हैं-

गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केश।
चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देश।।

अमीर खुसरो कमजोर से कमजोर होते जा रहे थे। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उनका इंतेकाल हो गया। चूँकि हजरत निजामुद्दीन की वसीयत थी कि खुसरो को उनके निकट ही दफन किया जाए सो उन्हें भी निजामुद्दीन औलिया की मज़ार के निकट दफन कर दिया गया। खुसरो ने स्वयं के बारे में कहा था–

''मैं हिन्दुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिन्दवी में पूछो। मैं तुम्हें अनुपम बाते बता सकूँगा।''[22]

संदर्भ

1. मैं 'किरानुस सदाई' मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ जिसे हिजरी सन 688 में पूरा किया गया। लेखक कहता है कि वह 36 वर्ष की उम्र का है। 'शिरूल आजम' में हिजरी सन् 605 बताया गया है जो स्पष्टतया गलत है।
2. श्रीवास्तव आशीर्वादी लाल 'मध्यकालीन भारतीय संस्कृति', पृ. 94
3. वहीं पृ. 111
4. वही पृ. 95
5. अमीर खुसरू द्वारा 'नासरीन' (उर्दू) पृ. 20
6. 'सुभ चुन अस सुई मशरिक रू नामूद, सहन मीना रोजा-ए-मीनू नामूद'। (नवल किशोर संस्करण), पृ. 32 और 33
7. 'अमीर खुसरू' (उर्दू) द्वारा नासरीन पृ. - 21
8. वही पृ. - 22
9. यह 'बियाज' विचित्र पाण्डुलिपी थी। शहजादे की मौत के बाद सुल्तान बलवन ने इसे अपने स्याहीनवीस (इंक बियरर) अमीर अली को दे दिया और उसके पास से यह अमीर खुसरो के हाथों में आ गया। (शिरूल आजम), 'बियाज' कविता संग्रह की पांडुलिपी होती है और आज भी भारतीय इस प्रकार के संकलन का शौक रखते हैं।
10. अमीर खुसरो द्वारा नासरीन (उर्दू) पृ. 25
11. बदौनी द्वारा उद्‌धृत एक 'कसीदा' (बी. आर. ए. एस. मूलपाठ, पृष्ठ 151 - 154) जिस अजीब घटना द्वारा उसने अपनी आजादी पाई वह 'देवलरानी' (अलीगढ़ संस्करण पृ. 36) में वर्णित है।
12. मौलाना शिब्ली कहते हैं कि खुसरो को कैदी के तौर पर बल्ख ले जाया गया। उनका कैद होना और छुटकारा पाना एक ही दिन की घटनाएँ हैं। लड़ाई दोपहर तक शुरू हुई और सूर्यास्त तक खत्म हो गई। यह अप्रैल महीने का गर्म दिन था और जिस अत्यधिक प्यास का जिक्र खुसरो करते हैं, वह समझ में आने वाली बात है, जब वे रावी के किनारे पहुँच तब शाम ढल आई थी और गहराते हुए अंधेरे ने शायर का बचना आसान कर दिया। अधिकारी होने के कारण उससे भिन्न व्यवहार किया गया और फिरौती के लिए उनलोगों से दूर रखा गया, जिनकी गर्दनें मालाओं के रूप में इतने सारे फूलों की तरह से एक दूसरे से बांध दी गई'।
13. अमीर खुसरो के इस मरसिये को बढ़ौनी द्वारा 'धुर्रतुल कलाम' से उतारा गया है। उसने अमीर हसन लिखित गध में मरसिया भी नकल किया है।
14. 'अमीर खुसरो' द्वारा नासरीन (उर्दू) पृ. 29
15. 'नादिम' के कर्तव्य मंत्री के कर्तव्यों से बिल्कुल मित्र नियम थे। उसने सुल्तान के खाली समय में उसका मनोविनोद करने की अपेक्षा की जाती थी और राज्य के प्रशासन या उच्च नीति संबंधी मामलो में उसे कुछ लेना - देना नहीं होता था। यह पद सम्मान या शक्ति की अपेक्षा लाभ देने वाला कहीं अधिक होता था।
16. अमीर खुसरो द्वारा नासरीन (उर्दू पृ. 34)
17. श्रीवास्तव आर्शीवादी लाल, पूर्वोक्त, पृ. 66
18. 'तारीख-ए-फिरोजशाही' द्वारा बरनी पृ. 343–44
19. 'अमीर खुसरो' द्वारा 'नासरीन' (उर्दू) पृ. 43
20. वही पृ.
21. 'अमीर खुसरो' द्वारा 'नासरीन' (उर्दू) पृ. 55
22. 'शुर्र-तुल-कमाल' में वर्णित।

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक	: मानव विज्ञान विश्वकोश
लेखक	: प्रोफेसर ए.आर.एन. श्रीवास्तव से.नि. अध्यक्ष मानवशास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रकाशक	: ऋषिकुल प्रकाश, प्रयागराज
क्रय माध्यम	: अमेजन ई-बुक
मूल्य	: रू. 199
वर्ष	: 2019

प्रख्यात मानवविज्ञान प्रोफेसर ए.आर.एन. श्रीवास्तव द्वारा रचित ''मानव विज्ञान हिन्दी विश्वकोष अकादमी क्षेत्र में अनूठी पहल है। मानव विज्ञान के अनेक शब्दकोश अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं। कतिपय हिन्दी भाषा में भी जैसे भारत सरकार की 'तकनीकी डायरेक्ट्री'। मानवविज्ञानों की शब्दावली में कुछेक शब्द पुराने हो चुके हैं और नई शब्दावली की भरमार हो चुकी चुकी है। ऐसी स्थिति में शोध अध्येताओं तथा शिक्षकों को अर्थ खोजने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा उपयुक्त व्याख्या संभव नहीं हो पाती। प्रोफेसर श्रीवास्तव जी ने इस दुरूह समस्या का सरलतम हल ''मानवविज्ञान विश्वकोश'' के रूप में प्रस्तुत किया है। यह विश्वकोष 10 खण्डों में विभाजित है जिसमें लगभग 700 प्रविष्टियाँ सम्मिलित हैं। कोश में मानव विज्ञान के विविध आयामों की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

खण्ड 1 - सामान्य मानव विज्ञान (General Anthropology) इसके अंतर्गत परिचयात्मक टिप्पणियाँ एवं शब्दावलियाँ समाजित हैं।

खण्ड 2 - शारीरिक मानवविज्ञान (Physical Anthropology) इसमें मानव के उद्विकास, जैविकी, जीवित प्राइमेट्स आदि पर संदर्भानुसार टिप्पणियाँ हैं।

खण्ड 3 - सांस्कृतिक मानव विज्ञान (Cultrual Anthropology) इस खण्ड में सांस्कृतिक संस्थाओं से संबंधित 200 प्रविष्टियाँ हैं।

खण्ड 4 - पुरातात्विक मानव विज्ञान (Archaeological Anthropology) यह खण्ड पुरातन समाजों की संस्कृतियों के उद्भव, विकास एवं पतन से संबंधित जानकारी पर आधारित है।

खण्ड 5 - भाषाई मानव विज्ञान (Linguistic Anthropology) यह भाग भाषा, बोली आदि से संबंधित शब्दावली को प्रकाशित करता है।

खण्ड 6 - चिकित्सा मानव विज्ञान (Medical Anthropology) मानव विज्ञान की सर्वाधिक लोकप्रिय शाखा चिक्तिसा मानवविज्ञान स्वास्थ्य एवं रोगों से संबंधित देसी एवं विदेशी शब्दावलियों का उल्लेख करता है।

खण्ड 7 - अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान (Applied Anthropology) अनुप्रयुक्त अथवा व्यावहारिक मानवविज्ञान व्यावहारिक समस्याओं जैसे वृद्धावस्था, मानवाधिकार, पर्यावरण, लैंगिकता आदि के निदान से संबंधित शब्दावलियों को प्रस्तुत करता है।

खण्ड 8 - मानवविज्ञानी एवं संबंधित विद्वान (Anthropologist & Related Scholars) यह खण्ड सुप्रसिद्ध मानवविज्ञानियों एवं उन चिंतकों की चर्चा प्रस्तुत करता है जिनसे मानवविज्ञान प्रभावित हुआ है।

खण्ड 9 - पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ (Refereces of Texts) यह खण्ड मानविज्ञान की पाठ्य पुस्तकों तथा लोकप्रिय शोधकृतियों की प्रस्तुति है।

खण्ड 10 - मानवविज्ञानी संस्थाएं एवं जर्नलस् (Anthropological Societies and Journals) मानवविज्ञान को लोकप्रिय बनाने में देश-विदेश में गठित विभिन्न संस्थाओं एवं जर्नलूस ने अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन किया है। यह खण्ड उनकी विवेचना प्रस्तुत करता है।

मानवविज्ञान एवं समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर ए. आर.एन. श्रीवास्तव ने अनेक ग्रंथों की रचना की है लेकिन अपनी सेवानिवृति के पश्चात की गई उनकी यह कृति सामाजिक विज्ञानों के अध्येताओं के लिए अतिशय उपयोगी होगी - ऐसा मेरा विश्वास है।

अंत में ''मानव विज्ञान विश्वकोश'' के प्रणयन के सराहनीय प्रयास के लिए प्रोफेसर श्रीवास्तव को हार्दिक बधाई एवं साधुवाद देता हूँ।

जे.एस. राठौर

यह विश्वकोश लागत मूल्य पर अमेजन - ई बुक पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
अधिक जानकारी के लिए ई-मेल कीजिए professor.arnsrivastava@gmail.om